खण्ड-435, अंक-8
मंगलवार, 26 वैशाख, शक संवत् 1922
(16 मई, 2000 ई0)

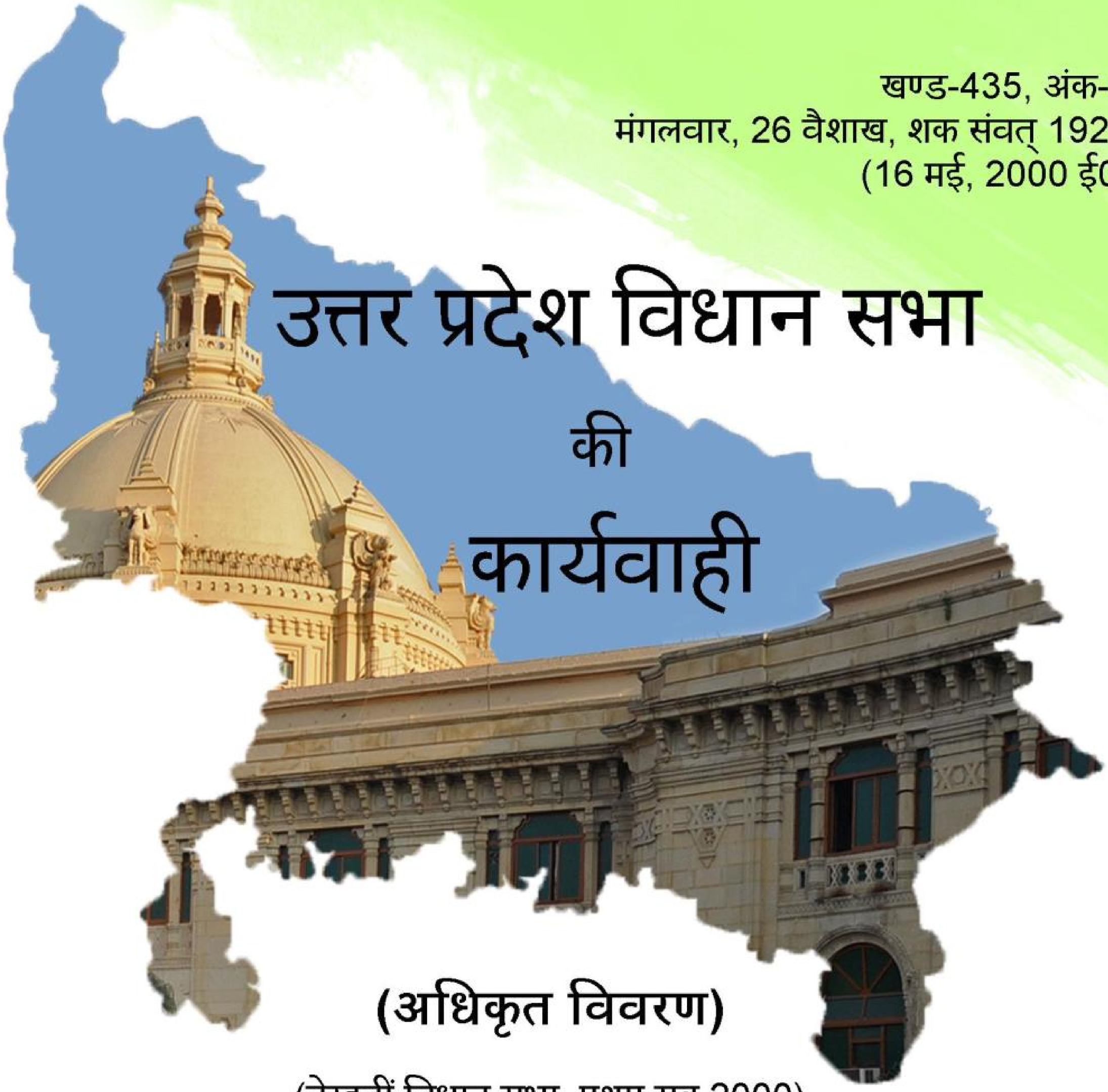

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 435 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
—उपस्थित सदस्य	क
—नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग ...	1–4
—प्रश्नोत्तर	4–92
—प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	92–94
—भूतपूर्व सदस्य श्री शिव कुमार मिश्र एवं रामकरन सिंह के निधन पर शोकोद्गार	94–99
—निधन के निर्देश के समय पर कुछ दल के नेताओं द्वारा सदन से अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न पर दलीय नेताओं की बैठक बुलाने हेतु कार्यवाही	99–100
—नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	100
—जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा के ग्राम मवई बुजुर्ग में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100-101
—जनपद संत रविदासनगर भदोही में विद्युत केन्द्र की भूमि पर किये जा रहे अवैध कब्जे/निर्माण पर रोक लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	101
—मथुरा सहित प्रदेश के वित्त-विहीन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों से निर्धारित शुल्क लेने तथा शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101-102
---सुन्नी सेण्ट्रल बोर्ड उत्तर प्रदेश, लखनऊ में व्याप्त कथित अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
----सहारनपुर नगर के मध्य धोबीघाट के समीप पाव धोई नदी पर बने पुल के अत्यधिक सकरा एवं जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301के अन्तर्गत सूचना	102–103
----अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत कतिपय स्थानों पर बाढ़ के प्रकोप से बचाव हेतु कटान को रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	103–104
----ओ०सी०आर० में लिफ्ट खराब होने से उत्पन्न कठिनाई के सम्बन्ध में जानकारी	104
----(उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्री फैसिलीटेशन काउन्सिल नियमावली, 2000) तथा अधिसूचना सं० 173/18-5-2000-18(एस पी)-92, दि० 22 जनवरी, 2000, (सदन के पटल पर रखी गयी)	104–105
-----नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन 1994-95 .... (सदन के पटल पर रखा गया)	105
-----उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ संकलित प्रमाणित वार्षिक चिट्ठा, 1990-91 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	105
----उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (तेईसवां संशोधन) नियमावली, 1999 (सदन के पटल पर रखी गयी)	105
----उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, की ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट 1985-86 से 22 वीं वार्षिक रिपोर्ट 1996-97 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	105

विषय	पृष्ठ-संख्या

----पिछड़ावर्ग कल्याण अनुभाग-1 की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गयी)... 105–106

----उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1999-2000) का 21वां प्रतिवेदन (सदन में प्रस्तुत किया गया) 106

----उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1999-2000) का 22वां प्रतिवेदन (सदन में प्रस्तुत किया गया) ... 106

----जनपद मुरादाबाद के नगर पालिका बिलारी में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु वाटर टैंक बनवाये जाने विषयक श्री मुन्ने आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गयी) 106

----जनपद रामपुर की तहसील शाहाबाद के ग्राम सपनी में गामन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री शराफत हुसैन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गयी) 106

---जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में मंडी भवन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अनिल कुमार शर्मा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गयी) 106

----जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में पीने के पानी की समस्या का निदान कराये जाने विषयक श्री अरुण कुमार शर्मा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गयी) 107

---जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज के तेंदुवाईकलां में गन्ना मिल स्थापित कराये जाने विषयक श्री जमुना प्रसाद आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गयी) 107

----जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत छोटी गंडक नदी घाट व मकुनही घाट पर पक्का पुल बनवाये जाने विषयक श्री राजेश्वर राव आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गयी) 107

---जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा अन्तर्गत ग्राम नौहार जंगल के उत्तर तुर्कहा नाले पर पक्का पुल बनवाये जाने विषयक श्री विन्ध्याचल निषाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .... (उपस्थित की गयी) 107

---जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सिद्धी के अन्तर्गत हर्राई नहर तथा वीरपुर माइनर के किनारे बसे ग्रामों के किसानों का वर्ष 1999-2000 का सिंचाई टैक्स समाप्त किये जाने विषयक श्री हरिनारायण पाण्डेय आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गयी) 107

---जनपद सन्त रविदास नगर में निर्माणाधीन भदोही से सुरियांवां तक 33 के०वी० विद्युत लिंक लाइन पूर्ण कराये जाने विषयक श्री भगौती प्रसाद आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गयी). 108

---जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सुजानगंज के अन्तर्गत बेलवार घाट पर सई नदी पर पुल बनवाये जाने विषयक श्री सुभाष चन्द्र तिवारी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (उपस्थित की गयी) 108

विषय	पृष्ठ-संख्या
—जनपद हरदोई के नब्बे बिलग्राम क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक हरपालपुर में रामगंगा नदी पर बेड़ीजोर में पीपे का पुल बनवाये जाने विषयक श्री राम बाबू सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयी)	108
—जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सहजनवां के न्याय पंचायत खजुरी के ग्राम रानीपुर छपिया में एक कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने विषयक श्री सुभाष मिश्र आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयी)	108
—कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ..... (जारी)	108–130
—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2000 ..... (पारित)	130–132
—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-95, उत्तरांचल विकास विभाग .... (स्वीकृत)	132
—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-60, वन विभाग .... (स्वीकृत)	132–133
—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-67, विधान परिषद् सचिवालय.... (स्वीकृत)	133
—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय.... (स्वीकृत)	134
—अनुदान संख्या-69, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, (विधान मण्डल) .....(स्वीकृत)	134
—अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) .....(स्वीकृत)	135
—अनुदान संख्या-91, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) ..... (स्वीकृत)	135
—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना) ..... (स्वीकृत)	136
—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-24, गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) ..... (स्वीकृत) ...	136–137
—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग ..... (स्वीकृत)	137
—पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु की जांच परीक्षण हेतु एक आयोग गठित किये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103, के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन	138
—प्रदेश में निरीह पशुओं के अवैध रूप से काटे जाने पर प्रभावी रूप से नियंत्रण न लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन	138

विषय	पृष्ठ-संख्या

—प्रदेश में हैजा, आंत्रशोथ (गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस) आदि संक्रामक रोगों के फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन 138

—कानपुर विकास प्राधिकरण की हजारों करोड़ रुपये मूल्य की पचास हजार एकड़ भूमि के लुप्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बालचन्द्र मिश्र द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन 138

—प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के गिरते स्तर को उठाने हेतु प्रभावी नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन 138

—कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 138–142

—उत्तर प्रदेश सार्वजनिक, धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को वापस लिए जाने के सम्बन्ध में सूचना 142–165

—प्रदेश में शीत गृह मालिकों द्वारा आलू उत्पादक किसानों से आलू भण्डारण प्रभार लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-52 के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा ..... (जारी) 165–166

—उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन पर नियम 216(4) के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा ..... (जारी) 166

—प्रदेश में नकली दवाओं के तेजी से पनपते व्यापार/उद्योग से जनजीवन पर हो रहे हानिकारक प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा ..... (जारी) 166

—नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं 166–167

—जनपद एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मा० विधायकों के सुरक्षा कर्मियों के असलहें बदले जाने से उनको खतरा होने की आशंका से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना 168–169

—मेरठ महानगर की तक्षशिला कालोनी में तीन व्यक्तियों की नृशंस हत्या तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य 169–170

—प्रदेश में हजारों की संख्या में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन नियुक्त उर्दू सहायक अध्यापकों की अन्य सामान्य अध्यापकों की तरह प्रोन्नति न होने के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य 170–171

—प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को 10 से 20 वर्ष तक की निरन्तर सेवा के उपरान्त स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य 171–172

विषय	पृष्ठ-संख्या
—राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों के सापेक्ष लागू अतिथि प्रवक्ता व्यवस्था विरोधी विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री बनारसी दास चांदना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	172
—अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी बालिका विद्यालयों के सेवा निवृत्त शिक्षिकाओं को पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु तथा उसी विद्यालय की असहायता प्राप्त की अवधि की अर्हकारी सेवा में जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री गोमती यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन	172
—कानपुर नगर में श्री रतन शुक्ल, नगर निगम इण्टर कालेज में बिना कला प्रवक्ता का पद सृजित किये कला प्रवक्ता को स्थानान्तरित कर उक्त इण्टर कालेज में नियुक्त करने के सम्बन्ध में श्री राम कुमार एडवोकेट द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	173
—जनपद आजमगढ़ में गोपालपुर क्षेत्रान्तर्गत महराजगंज में छोटी सरयू नदी पर जर्जर टूटे हुए पुल का पुनः निर्माण एवं भैरो बाबा मन्दिर सरयू नदी महराजगंज में पर्यटन केन्द्र का निर्माण के सम्बन्ध में श्री वसीम अहमद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	173
—खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने विषयक दिनांक 26 अप्रैल, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में श्री अम्बिका चौधरी आदि द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा ..... (जारी)	174
—लखनऊ, आगरा तथा कानपुर में वायु प्रदूषण को रोकने हेतु उपाय किये जाने विषयक दिनांक 24 अप्रैल, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 नत्थी (घ) के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य आदि द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा ..... (जारी)	174
—प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की फीस बढ़ाये जाने विषयक दिनांक 25 अप्रैल, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा ..... (जारी)	174
—गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने हेतु गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराये जाने विषयक दिनांक 27 अप्रैल, 2000 को पूछे गये अल्प सूचित प्रश्न संख्या 2 नत्थी (क) के सम्बन्ध में श्री जगदम्बिका पाल आदि द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा ..... (जारी)	174
—पूर्वांचल विकास निधि से धन आवंटित किये जाने के मानक तथा प्रत्येक जनपद को उक्त निधि से समान धनराशि दिये जाने विषयक दिनांक 28 अप्रैल, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में श्री जगदम्बिका पाल आदि द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा ..... (जारी)	174
—नत्थियां	175–186

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 16 मई, 2000

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
2–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
3–अनिल कुमार, श्री — बलिया
4–अफरोज अली खां, श्री — रामपुर
5–अब्दुल खालिक, श्री — अलीगढ़
6–अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
7–अम्मार रिजवी, डा० — सीतापुर
8–अशफाक अहमद, श्री — बरेली
9–अशोक बाजपेयी, डा० — हरदोई
10–अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
11–आर० के० चौधरी, श्री — लखनऊ
12–आलमबदी, श्री — आजमगढ़
13–उमाकान्त यादव, श्री — जौनपुर
14–ओइम्वेश, स्वामी, — बिजनौर
15–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
16–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
17–केदार सिंह फोनिया, श्री — चमोली
18–के० सी० सिंह, "बाबा", श्री — उधम सिंह नगर
19–चन्द्रेश पासवान, श्री — गोरखपुर
20–चौधरी नरेन्द्र सिंह — कानपुर देहात
21–चौधरी लक्ष्मी नारायण — मथुरा
22–जगत सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
23–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
24–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री — गोरखपुर
25–तिलकराज बेहड़, श्री — उधम सिंह नगर
26–तौफीक अहमद, श्री — सिद्धार्थनगर
27–धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
28–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
29–नारायण राम दास, श्री — अल्मोड़ा
30–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
31–प्रदीप कुमार, श्री — सहारनपुर
32–प्रेम प्रकाश सिंह, श्री — देवरिया
33–प्रेम लता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
34–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
35–फागू, श्री — मऊ
36–बंश नारायण सिंह, श्री — भदोही
37–बंशीधर भगत, श्री — नैनीताल
38–बच्चा पाठक, श्री — बलिया
39–बनारसी दास चान्दना, श्री — मेरठ
40–बाबू राम, श्री — जालौन
41–बिहारी लाल आर्य, श्री — झांसी
42–भगवती प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
43–भगवान सिंह शाक्य, श्री — बदायूं
44–मंगल सिंह सैनी, श्री — मुरादाबाद
45–मंजू, श्रीमती — बलिया
46–मारकण्डेय चन्द, श्री — गोरखपुर
47–मुन्ना लाल मौर्य, श्री — फतेहपुर
48–मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
49–यशवन्त, श्री — आजमगढ़
50–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
51–राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
52–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० — कानपुर नगर
53–रामतेज यादव एडवोकेट, श्री — बहराइच
54–राम नरेश सक्त, श्री — गाजियाबाद
55–रामपाल राजवंशी, श्री — सीतापुर
56–रामवीर उपाध्याय, श्री — अलीगढ़
57–रामशंकर पाल, श्री — उन्नाव
58–लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० — मेरठ
59–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
60–लाखीराम जोशी, श्री — टिहरी गढ़वाल
61–लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
62–लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
63–लोकपति त्रिपाठी, श्री — मिर्जापुर
64–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
65–विजय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री — गोण्डा
66–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
67–विरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
68–विरेन्द्र सिंह, श्री — वाराणसी
69–वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा० — बिजनौर
70–शिव प्रताप शुक्ल, श्री — गोरखपुर
71–शिव शंकर, श्री — बांदा
72–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
73–संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
74–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री — वाराणसी
75–सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
76–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
77–हरिनारायण, श्री — बलिया
78–हरि प्रसाद उर्फ बागड़ी, श्री — सोनभद्र
79–होराम सिंह, श्री — बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 16 मई, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 10 बजकर 1 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 1 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई)

नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, डा० वकार अहमद शाह, श्री इकबाल महमूद, श्री कौकब हमीद, काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, श्री अम्बरीष कुमार तथा श्री राम सिंह सैनी आदि विपक्ष के अधिकांश सदस्य, सदन के फ्लोर पर आकर नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को सुने जाने की मांग करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी –

मान्यवर, 311 में हमारी एक सूचना है । उसको पहले ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

जैसा सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि आज नियम–56 की एक चयनित सूचना और एक शलाका की सूचना लेनी है और भी कई सूचनाएं मेरे पास आयीं हैं । कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं इनमें से कुछ को मैंने विशेष उल्लेख के रूप में ले लिया है । यह जो सूचना है उस पर बजट के बाद चर्चा करा लेंगे ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

इसको बजट के पहले ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं विशेष रियायत करके इसको ले रहा हूं वरना इस पर चर्चा की मांग आपने की थी, मैंने कहा था कि चर्चा करा लें लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ । बजट के बाद इस पर चर्चा करा लूंगा ।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है ।

श्री अध्यक्ष–

आपको याद होगा कि नियम 311 की सूचना के आधार पर इस विषय पर चर्चा कराने की चेष्टा की गयी थी उस समय मैंने कहा था कि चर्चा करा लीजिये, आज, कल, परसों लेकिन उस समय कोई माननीय सदस्य तैयार नहीं हुए । बजट सत्र का अन्तिम दिन कल है । आज आप बजट के बाद चर्चा कर लें जो एक-दो सूचनाएं चर्चा के लिये लगी हैं वह स्थगित हो रही हैं; आपको समय मिल जायेगा । बजट के तुरन्त बाद हम इसको ले लेंगे । अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

आप नियम 56 में इसको ले लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 की और कई माननीय सदस्यों की सूचनाएं हैं आपकी भी है । आप अपना स्थान ग्रहण करिये । मैंने आपकी इतनी बात स्वीकार कर ली तो मेरा भी अनुरोध स्वीकार कर लीजिये ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि यह महत्वपूर्ण सूचना है इस पर मुझे पहले सुन लें । इससे महत्वपूर्ण कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध है कि अगर शान्ति का वातावरण बनाए रखेंगे तो प्रश्नकाल जल्दी समाप्त हो जाएगा बजट भाषण को संक्षिप्त कर लेंगे तो समय मिल जाएगा । हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो सारा कार्य हो जाएगा । पहले प्रश्नकाल होने दें । अम्बरीष जी आपकी सूचना आ गई है ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, प्रश्नकाल स्थगित कर दें । यह हम लोगों का अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष–

यह अधिकार पूरे सदन का है । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान जारी)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

आप प्रश्नकाल को सस्पेंड कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

अगर आप लोग यह चाहते हैं तो वह तो कर ही देंगे । लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि उसकी आवश्यकता न पड़े ।

श्री इकबाल महमूद–

प्रश्नकाल के बाद आप इसको ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

इस संबंध में संसदीय कार्यमंत्री जी से परामर्श कर लेंगे ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, हरिद्वार की सूचना पर आपसे अनुरोध है कि इसको पहले सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग पहले आसन पर जाएं ।

(श्री अम्बरीष कुमार, श्री राम सिंह सैनी, काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन को छोड़कर सभी सदस्य अपने आसन पर चले गए ।)

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, हरिद्वार के संबंध में मैंने 311 में आपको सूचना दी है इससे महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं हो सकता है ।

श्री राम सिंह सैनी–

16 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के इस सदन से सर्वसम्मति से तीन-तीन बार प्रस्ताव किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

एक ही विषय पर नियम 311 और नियम 56 में सूचना प्राप्त हुई है जब नियम 56 का क्रम आएगा तो इसको सुन लेंगे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह प्रदेश के विभाजन का सवाल है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको सबसे पहले सुन लें । 311 के लिये इससे उपयुक्त और अविलम्बनीय और कोई प्रश्न नहीं हो सकता है । स्टेट के विभाजन का प्रश्न है । 15 लाख लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उत्तरांचल में भेजने की साजिश है । इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं । आपसे अनुरोध है कि इसको सुन लें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय अध्यक्ष जी, 311 में हमने सूचना दी है । इससे महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय प्रश्न कोई दूसरा नहीं हो सकता । मान्यवर, हम लोग कभी वेल में आने वाले नहीं हैं, अनुशासनहीनता करने वाले नहीं हैं लेकिन हम लोग आज मजबूर हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया मेरे साथ सहयोग करिये । लगभग 11.30 बजे तक आपकी सूचना आ जायेगी ।

श्री राम सिंह सैनी–

प्रश्नकाल स्थगित करके इसको सुन लें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

टूण्डला की घटना से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना स्थान ग्रहण करिये । इतनी देर में तो 2-3 प्रश्न हो गये होते ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, पंजाब के मुख्य मंत्री के दबाव में फैसला होगा उत्तर प्रदेश के बारे में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलेंगे नहीं ।

काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन–

मान्यवर, मुख्यमंत्री ने इस सदन की अवमानना कर दी । उधम सिंह नगर में जनमत संग्रह हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । एक-सवा घण्टे बाद आपका नम्बर आ जायेगा उसको हम उस समय सुन लेंगे । माननीय अम्बरीष जी की सूचना 311 में है और उसी विषय में नियम 56 में भी है । सामान्यतः 311 की सूचना 56 में परिवर्तित कर देते हैं लेकिन 56 में सूचना चयनित है । दो-तीन याचिकायें प्रस्तुत होनी हैं उसके तुरन्त बाद कार्य स्थगन का प्रस्ताव आ जायेगा । इसलिये मेरा अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(वेल में आये हुए सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

(नत्थी "क" अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, नियम 56 में मेरी भी सूचना है । इसको सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

जिस क्रम पर आयेगी उस समय सुन लेंगे ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की सरकार की कार्य योजना

**1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार द्वारा प्रदेश में नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की कोई कार्य योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

जी हां ।

भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही गंगा कार्य योजना, जो वर्ष 1985 में प्रारम्भ की गई थी, के अन्तर्गत प्रथम चरण में गंगा नदी के तट पर स्थित प्रदेश के 6 नगरों से गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण को मुक्त करने की योजना क्रियान्वित की गई तदोपरान्त वर्ष 1993-94 में द्वितीय चरण के अन्तर्गत गंगा, यमुना तथा गोमती नदियों के तट पर स्थित 33 नगरों, जिसमें प्रथम चरण के अन्तर्गत 6 नगरों के अवशेष कार्य भी सम्मिलित हैं, से नदियों में हो रहे प्रदूषण को मुक्त करने की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, नदियों को प्रदूषण मुक्त कराने के लिये हमने एक प्रश्न पूछा था । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक सी० ई० नेल्सन ने गंगा पर अन्वेषण कर उसको जल न मान करके एक औषधि माना । फ्रांस के वैज्ञानिक हैरिन ने 30 के दशक में प्लेग और हैजे से मर रहे लोगों के लिये गंगा के जल को औषधि माना था । उन्होंने यह चिन्ता जाहिर की थी कि गंगा में जो प्रदूषण हो रहा है उसका कारण यह भी है कि पानी घट रहा है । मान्यवर, पानी न घटे और प्रदूषण न हो क्या इसकी भी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, विद्वान् सदस्य शाक्य जी ने बताया है कि कुछ विदेशी लोगों ने जांच करके पाया कि गंगा बहुत पवित्र है । मान्यवर, पुरातन काल से वेद और पुराण इसकी महिमा का वर्णन करते आये हैं । गंगा और अन्य नदियों के रख-रखाव के लिये विस्तृत कार्य योजना चल रही है । योजना बहुत डिटेल में है अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उन्हें बताया जायेगा । जहां तक यह बात आयी कि पानी न घटे और हम उसका उपयोग और अनुरक्षण कर सके इसके लिये हमको चिन्ता होनी चाहिये । गंगा और अन्य नदियों की सफाई के लिये सरकार सतत् प्रयत्नशील है ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने कहा कि कुछ योजनायें हैं जो गंगा, यमुना और गोमती को साफ करने की हैं लेकिन मेरा प्रश्न यह था कि प्रारम्भिक काल में जब गंगा से नहरें नहीं निकली थीं, बांध नहीं बनाये गये थे उनसे बिजली नहीं उत्पादित की जाती थी उस वक्त गंगा के जल की अहमियत थी, लेकिन आज वह अहमियत नहीं है तब पानी जीवनदायी था जो आज जीवन खत्म करने वाला हो

गया है । गंगा को शुद्ध करने की कार्य योजना आप बना रहे हैं लेकिन गंगा में प्रदूषण इसलिये भी होता है क्योंकि उसमें पानी कम है तो क्या इस कमी को दूर करने के लिये कोई कार्य योजना है या नहीं ?

श्री सतीश महाना–

यह मूल प्रश्न से हटकर है मैं इसकी जानकारी अलग से दे दूंगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो गंगा एक्शन प्लान जब बना उसके पहले कितना एल० एम० डी० गंदा पानी गंगा में जाता था और इसके बाद कितना जा रहा है और उसको रोकने के लिये क्या कार्ययोजना है आपके पास ?

श्री सतीश महाना–

गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत कार्य चल रहा है । गंगा के किनारे कई नगर बसे हुए हैं और कुछ महत्वपूर्ण नगरों को इस प्लान के अन्तर्गत लिया गया है इसके द्वितीय चरण में गंगा, यमुना प्रस्तावित थी । कितना अन्ट्रीटेड पानी जा रहा उसकी जानकारी मैं दे सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

कुल योग बता दें ।

श्री सतीश महाना–

यमुना एक्शन प्लान के अन्तर्गत सीवेज का 38 एल० एम० डी० सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में 93 में 3 एल० ए० डी० अब 45 एल० एम० डी० जा रहा है । गाजियाबाद में 129 एल० एम० डी० जिसमें 70 एक और 56 एक दो योजनाएं हैं । नोयडा में 70 जिसमें 34 और 27 एल० एम० डी० की दो परियोजनायें चल रही हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मंत्री जी यह तो बता रहे हैं कि कहां-कहां परियोजनायें चल रही हैं लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि गंगा एक्शन प्लान लागू करने के पहले कितना एल० एम० डी० गन्दा पानी जा रहा था और अब इस प्लान के लागू होने के बाद कितना गन्दा पानी जा रहा है । इलाहाबाद की यमुना को इसमें शामिल कर रहे हैं या नहीं ?

श्री सतीश महाना–

मैं टोटल करके बता दूंगा ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मूल प्रश्न है कि क्या सरकार प्रदेश में नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की कोई योजना बना रही है ? लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि गंगा के प्रदूषण पर मंत्री जी का उत्तर आया लेकिन क्या प्रदूषण के स्तर की कोई मोनीटरिंग होती है ? यदि होती है तो उसके रिजल्ट्स क्या हैं क्या इंडिकेट करते हैं क्या स्पेसेफिक नार्मस है । यह मौलिक प्रश्न है ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, जिन-जिन स्थानों पर गंगा एक्शन प्लान का कार्य चल रहा है, अलग-अलग स्थान पर प्रदूषण की मात्रा अलग-अलग है । कहीं पर प्रदूषण ज्यादा है और कहीं पर कम है । ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने के पश्चात् जो रिजल्ट आने चाहिये, उसकी सूची मेरे पास है । डिजाल्व आक्सीजन की न्यूनतम मात्रा 5.5 होनी चाहिये । कई नगरों में डिजाल्व आक्सीजन की मात्रा 8.1 थी और 1999 में 9.1 थी,

इसे हम एक तक ले आये हैं । बी० ओ० डी० की सीमा भी अधिकतम 3.0 होनी चाहिये । इलाहाबाद में 11.4 थी, इसे ट्रीट करके हम 1.8 तक ले आये हैं, डाऊन स्ट्रीम पर यह 15.5 थी, इसे 3 तक ले आये हैं । जहां-जहां पर ट्रीटमेंट प्लान्ट लगे हैं, उनकी मानीटरिंग होती है और यह देखा जाता है कि ट्रीटमेंट के पश्चात् इनकी कितनी मात्रा पानी में है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, चार दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता के ऊपर एक स्ट्रिक्चर पास किया है । चूंकि यह नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली पहुंचती है, इसलिये उसका कहीं न कहीं प्रभाव उत्तर प्रदेश सरकार पर भी पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से हटकर है ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, जनपद गोण्डा से होते हुए सरयू नदी जाती है । इसमें बहुत प्रदूषण हो गया है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में मनव्वर नदी है, जिसमें काफी प्रदूषण फैल रहा है । इन नदियों में फैल रहे प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार ने क्या कोई कार्य योजना बनाई है ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, वर्तमान में जो योजनायें चल रही हैं और प्रस्तावित हैं, उन योजनाओं के अन्तर्गत वह नहीं है ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, दिल्ली से आने वाली यमुना नदी मथुरा में आती है और वहां पर इसका पानी काफी प्रदूषित हो जाता है तो क्या वहां पर इसके शुद्धीकरण हेतु कोई योजना लागू कर रहे हैं ? दूसरा यह कि यमुना नदी में जो गंदे नाले डाल रहे हैं जबकि इस पर प्रतिबन्ध लगा हुआ हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गंगा एक्शन प्लान की जो योजना है और शहरों के अन्दर जो सीवेज नदियों में छोड़ा जा रहा था, उनको ट्रीट करके नदी के अन्तर्गत छोड़ने की बात थी । अब पानी नदी के बीच में प्रदूषित होकर आ रहा है ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये पोस्टग्रेजुएट मेडिकल परीक्षा, 2000 में न्यूनतम अंक घटाये जाने संबंधी कार्यवाही की जानकारी

**2–श्री भोला शंकर मौर्य, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री राम ललित चौधरी तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल परीक्षा, 2000 में न्यूनतम अंक घटाये जाने हेतु सरकार को अप्रैल, 2000 के अन्तिम सप्ताह में संस्तुति दी गई है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (डा० शीमा रिजवी)–

जी हां।

सरकार द्वारा न्यूनतम अंक घटाने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है क्योंकि न्यूनतम अंकों का निर्धारण मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10-8-99 के अनुपालन में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग ने दो लाइन का जो रिकमन्डेशन किया है। मैं उसको पढ़ देता हूं-कमीशन फील दैट द गवर्नमेंट शुड कन्सीडर लोवरिंग डाउन 40% मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स फार एस०सी०/एस०टी० कीपिंग इन व्यू द न्यू सिस्टम आफ माइनस मार्किंग इनट्रोड्यूज्ड दिस ईयर।

कमीशन ने यह कहा मान्यवर, कि जो माइनस मार्किंग सरकार ने कर दी। पिछले वर्ष माइनस मार्किंग का सिस्टम बना था। इसीलिए 150 विद्यार्थी पास हुए थे। अबकी कई छात्र फेल हो गये। इसे ध्यान में रखते हुए कि 40% के मार्क को सरकार कम कर सकती है सरकार को यह पावर है और उच्चतम न्यायालय ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि सीटें भरी न जायं। जब माइनस मार्किंग होगी, अंक का प्रतिशत कम नहीं होगा तो सीटें कैसे भरी जायेंगी। जबकि सरकार को इसे कम करने का अधिकार है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ने अंकों के प्रतिशत को घटाने के लिए जो संस्तुति की है क्या सरकार उसको लागू करेगी ? दूसरी बात यह है कि प्रौस्पेक्ट्स में बदलाव, कापियों में हेराफेरी की अभी जांच हुई थी। इसकी जांच रिपोर्ट आ गयी है वह क्या है ? सरकार उस जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही करेगी ?

डा० शीमा रिजवी–

माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि क्या जांच की रिपोर्ट आ गयी है ? मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि जांच रिपोर्ट आ गयी है और यह 11-5-2000 को प्राप्त हुई है। इस कमेटी में दो लोग रखे गये थे और उन दो लोगों ने जो जांच रिपोर्ट दी है अगर मान्यवर, आपकी इजाजत हो तो उसका कुछ पोर्शन पढ़ना चाहती हूं "इन केस आफ एडमिशन आन द बेसिस आफ ए

श्री अध्यक्ष–

इसका हिन्दी में अनुवाद भी करना पड़ेगा।

डा० शीमा रिजवी–

मान्यवर, ठीक है। "इन केस आफ एडमिशन आन द बेसिस आफ ए कम्पटीटिव इन्ट्रेंस एग्जामिनेशन कैन्डीडेट फार एडमिशन टू मेडिकल कोर्स मस्ट हैव ओब्टेन्ड नाट लैस दैन 50% मार्क्स इन इंगलिश एण्ड 50% मार्क्स इन फिजिक्स, कैमिस्ट्री एण्ड बाइलोजी टेकिन टूगेदर बोथ एट क्वालिफाइंग एण्ड कम्प्टीटिव एग्जामिनेशन। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिस्पेक्ट आफ कैन्डीडेट्स बिलींगिंग टू एस०सी०/एस०टी० एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज (ओ०बी०सीज०) द मार्क्स ओब्टेन्ड बी रीड एज 40% इन्स्टेड आफ 50%।"

यह माननीय न्यायालय के जो आदेश थे उसके आधार पर एक दिशा निर्देश दिये गये थे कि एम०सी०आई० के जो न्यूनतम मार्क्स उन्होंने निर्धारित किये हैं वह 50% और 40% यानि जनरल

कैटागिरी के लिये 50 प्रतिशत और एस०सी०/एस०टी० के लिये 40 प्रतिशत निर्धारित किये गये थे। यहां एक बात यह उल्लेखनीय है कि चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में आरक्षण का तात्पर्य केवल सीटों को भरना नहीं है वरन् शिक्षा का जो स्तर है वह प्रभावित न हो यह ध्यान में रखते हुए आदेश दिये गये थे और उसी के आधार पर आयोग ने जो सिफारिश की थी उस पर और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जो निर्णय लिया गया है वह यह है कि 50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का ही रेशियो रखा जाय।

श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या सरकार को जो जांच कमेटी की रिपोर्ट आयी है उसमें स्पष्ट लिखा है कि यह परीक्षा में काफी मात्रा में हेरा फेरी की गई है। प्रौस्पेक्ट्स को बदला गया है जबकि एग्जामिनेशन के टाइम प्रौस्पेक्ट्स में चेंज नहीं किया जा सकता। जो प्रश्न मार्क जिस तरीके से करने थे गोले बनाकर उसको आयताकार कर दिया। आयोग ने यह रिकमन्ड किया है कि इस परीक्षा को या तो कैंसिल कर दिया जाय या ग्रेस मार्क्स दे दिया जाय। क्या सरकार इस पर विचार करेगी दोबारा परीक्षा कराने पर ?

डा० शीमा रिजवी–

मान्यवर, जो जांच आख्या आई है हमारे पास उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है मैं अनुक्रमांक नम्बर नहीं बता रही हूं और नाम भी नहीं ले रही हूं प्रश्न पुस्तिका के कुछ प्रश्नों और माडल प्रश्नों का मिलान किया तो प्रश्नों के उत्तर में कोई त्रुटि नहीं पाई गई, मैं यह भी बताना चाहूंगी कि निगेटिव मार्किंग की बात जो माननीय सदस्य ने कही है, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में हर जगह लागू है, ऐसा कहीं कोई निर्देश नहीं हुआ है कि इसको खत्म कर दिया जाए, गत वर्ष केवल एक वर्ष के लिए इसको रोका गया था, लेकिन उसके बाद से इसको लागू कर दिया गया है।

डा० कौशल किशोर–

उसके लिए जो टैस्ट हुए हैं इसमें रोल नम्बर के साथ–साथ अभ्यर्थियों के नाम भी लिखे गए हैं नाम हैं तो पता लगता है कि अमुक लड़का किस जाति का है, इसकी वजह से मार्किंग करने में गल्तियां हुईं, तो क्या अबकी बार परीक्षा कराने में नाम न लिखे जाएं ऐसी व्यवस्था कर दूसरा टैस्ट लिया जाएगा ?

डा० शीमा रिजवी–

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से यह कहना चाहती हूं कि नामों का आधार हो केवल यह मान लिया जाए कि जाति का आधार है, तो मै आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि अगर नाम फसी चौधरी या आर० के० चौधरी या कोई नाम हो तो इसकी जाति का आधार क्या है, जाति को आधार कहना उचित नहीं है, नाम इसलिए लिखा गया क्योंकि कम्प्यूटर के जरिये इसकी चेकिंग होनी थी कम्प्यूटर में त्रुटि न हो जाए किसी और का रोल नम्बर किसी और के खाने में न चला जाए इसलिए नाम का लिखा जाना परमिट किया गया।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, सबसे पहले बड़ी चीज तो यह है कि प्रौस्पेक्ट्स बदला गया जो प्रौस्पेक्टस में व्यवस्था थी उसको बदल दिया गया और नाम लिखे गये जो उत्तर देना था उसकी शीट बदल दी गई, आयोग ने स्पष्ट लिखा है कि हेरा-फेरी हुई है यह भी स्पष्ट हो गया कि पोस्ट डेटेड विज्ञापन निकला, शासन ने जी० ओ० किया था वह 11 नवम्बर में वैकेंसी निकली और अक्टूबर में इन्होंने निगेटिव मार्किंग के लिए कहा अगर इन्हें निगेटिव मार्किंग करनी थी तो विज्ञापन जब निकाला तभी से कर देते इन्होंने जानबूझकर नवम्बर में किया और निगेटिव मार्किंग की पोस्ट डेटेड व्यवस्था की गयी ?

डा० शीमा रिजवी–

मैं माननीय सदस्य को इस बात से अवगत कराना चाहती हूं कि जो जांच रिपोर्ट हमारे पास आई है जिसके आधार पर माननीय सदस्य ने कहा है, कहीं पर कोई न कोई माननीय सदस्य को समझने में त्रुटि जरूर हो रही है स्वयं जांच आख्या में इन्होंने स्वीकार किया है ऐसी कोई त्रुटि नहीं हुई है ।

श्री बाबूराम यादव–

आपने कृपा की बोलने का समय दिया, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कम्प्यूटर से कापी जांच रहे थे नाम इसलिए लिखा गया, मंत्री जी भी और मान्यवर, आप भी जानते हैं कि कम्प्यूटर से कापी जांची जाती है तो नाम नहीं लिखा जाता है, रोल नं० लिखा जाता है तो इसमें ऐसा क्यों किया गया ? और उसके बाद दोबारा यह आदेश हुआ कि नाम भी लिखा जाय जबकि नाम नहीं लिखा जाता है । तो मेरा कहना है कि इसमें दोबारा नाम क्यों लिखवाया गया ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाबू राम जी इसका उत्तर माननीया मंत्री जी ने पहले ही दे दिया है कि नाम की व्यवस्था इसलिए की गयी थी कि कहीं एक अनुक्रमांक का अंक दूसरे अनुक्रमांक में न चढ़ जाय ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, यह तो आप भी जानते हैं कि कम्प्यूटर से कापी जांची है तो नाम नहीं लिखा जाता है इसमें क्यों लिखवाया गया ?

डा० शीमा रिज़वी–

मान्यवर, इस तरह की कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि उनका केवल अनुक्रमांक लिखा गया है उसके आधार पर चैक करना है तो कुछ त्रुटि पायी इसलिए यह व्यवस्था की गयी है कि उसका नाम भी लिखा जाय ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह गलत दिया है । जो रिपोर्ट दी है उसको आप देख लें । उसमें लिखा है.....

श्री अध्यक्ष–

आप रिपोर्ट न पढ़े प्रश्न पूछें ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, इसमें लिखा है कि पूरी परीक्षा संदेह के घेरे में आ जाती है इसको कैंसिल कर दिया जाय । तो आयोग की संस्तुति को मद्देनजर रखते हुए इस परीक्षा को कैंसिल करने पर सरकार विचार करेगी ?

डा० शीमा रिजवी–

मान्यवर, ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं । मुझे एक और प्रश्न पूछने दें ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, 10 जुलाई, 1998 तथा 7 अक्टूबर, 1998 के बाद पुनरीक्षित वेतनमान क्या हो गया, इसे बता दें ?

श्री चन्द्र किशोर–

10-7-98 को जो शासनादेश हुआ था उसमें 8900–9700 रुपये था और पुनरीक्षित वेतनमान 6500–10500 हो गया ।

श्री चन्द्र किशोर–

प्रवक्ता में 5000–8000 है ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह–

समान कार्य के लिए समान वेतनमान का जो सिद्धान्त है । केन्द्र का वेतनमान कुछ है और उत्तर प्रदेश का कुछ है । दोनों जगह एल० टी० वेतनमान है । समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर फिर से पुनरीक्षण करेंगे ।

श्री चन्द्र किशोर–

जो हमने रि-स्ट्रकचरिंग में किया 1-1-96 के पूर्व...

*3–डा० सरजीत सिंह डंग–

(गोपनीयता के आधार पर निरस्त)

प्रदेश में प्रमुख सचिव/विशेष सचिव स्तर के एवं जिले में तैनात जिलाधिकारियों के स्थानान्तरण की नीति

*4—श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव स्तर के एवं जिले में तैनात जिलाधिकारियों के स्थानान्तरण की कोई नीति तय की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 1999-2000 में मध्य सत्र में ही उक्त कैडर के अनेकों अधिकारियों के स्थानान्तरण 6 माह के अन्दर ही कर दिये हैं ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी हां ।

वर्ष 1999-2000 के लिए निर्धारित सरकारी अधिकारियों/कर्मचारिओं के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति संलग्न है ।

जी हां ।

स्थानान्तरण जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से किये गये हैं ।

(दिखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 175–178 पर ।)

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आई०ए०एस० के स्थानान्तरण के बारे में पूछा है, आप भी भिज्ञ हैं कि आपके जिले में, इलाहाबाद में, भी बहुत जल्दी-जल्दी ट्रान्सफार हो जाते हैं । 97 में न्यायमूर्ति श्री काटजू ने एक जजमेंट किया था जिसमें उन्होंने यह कहा था, चिन्ता जाहिर की थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा

जाति के आधार पर धर्म के आधार पर, पिक एण्ड चूज के आधार पर राजनीति के आधार पर स्थानान्तरण किये जाते हैं। जो दिशा निर्देश दिये गये थे उनके स्थानान्तरण में कुछ विशेष नीति बनायी जाय और अपने जजमेंट में उन्होंने कुछ का विवरण दिया था कि अशोक कालीन इतिहास में 5 वर्ष में होता था और मुगल कालीन में 3 वर्ष में होता था तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या टर्म के संबंध में कोई नीति बनायेंगे ? जो आज नीति बनाई है कि 6 माह में हो सकता हैं एक वर्ष में हो सकता है दो वर्ष में हो सकता है तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर विचार करके कोई टर्म निर्धारित करेगी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

श्रीमन्, अब मौजूदा स्थिति में मुगलकाल या प्राचीनकाल से मार्गदर्शन नहीं प्राप्त किया जा सकता, अब प्रगतिवाद चल रहा है। यह माननीय राम औतार शाक्य ने इस पर बल भी दिया है कि यथास्थितिवाद से आगे बढ़ा जाय। जो नीति निर्धारित की गयी है उस नीति के भीतर समय सीमा की बंदिश नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य की मंशा इतनी है कि एक स्थानान्तरण नीति बनती है और उस स्थानान्तरण नीति के विपरीत स्थानान्तरण बहुत ज्यादा होंगे तो निश्चित रूप से प्रशासनिक क्षमता प्रभावित होती है। मान्यवर, स्थानान्तरण आप प्रतिदिन करें तो हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि क्या यह सही है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 1999-2000 में मध्य सत्र में ही उक्त कैडर के अनेकों अधिकारियों के स्थानान्तरण 6 माह के अन्दर ही कर दिये हैं तो आपने उत्तर दिया है कि "जी हां"। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 1999-2000 के वार्षिक सत्र में 6 माह के अन्दर अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितनी संख्या में स्थानान्तरण किये हैं और जिनके स्थानान्तरण किये गये हैं उसमें कितने स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर हुए हैं, कितने राजनीतिक आधार पर हुए हैं और कितने कतिपय शिकायत के आधार पर हुए हैं और यह निजी आधार पर निर्णय लिया है या राजनीतिक आधार पर निर्णय लिया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, आपने बड़ा विस्तृत प्रश्न पूछा है। मान्यवर, 15 जून, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक सचिवालय स्तर पर 137 आई०ए०एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण हुए हैं, लखनऊ स्तर पर 62 अन्य स्थानों पर तैनात 162 और नवीन तैनाती 22 इसमें मान्यवर, सुपरटाइम स्केल और पदोन्नति के कारण 19 स्थानों पर परिवर्तन करना पड़ा है। मान्यवर, 383 की जो संख्या बताई है राज्य सिविल और राज्येत्तर सिविल सेवा के 23 हैं। स्थानान्तरण कई परिस्थितियों में करना पड़ता है जब पदोन्नति की जाती है, प्रशिक्षण में होते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, 384 आई०ए०एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण 450 में से 6 माह में हुए। यह प्रदेश सरकार किस तरह से पैसे का दुरुपयोग कर रही है ? इसमें मात्र कुछ अधिकारियों को प्रशिक्षण या सेवाकाल में अवकाश में जाने या ट्रेनिंग में जाने का है तो ऐसे अधिकारियों की संख्या 50 होगी तो फिर भी 325 अधिकारियों के स्थानान्तरण का क्या कारण है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने पहले ही बता दिया था कि सचिवालय स्तर पर 137 अधिकारियों के सीटों में परिवर्तन हुआ है जैसे आबकारी से राजस्व में चले गये और राजस्व से नगर विकास में चले गये यह सचिवालय

स्तर पर अरेंजमेंट है उसमें वह संख्या 137 है इस प्रकार से मैंने बताया कि सचिवालय से लखनऊ स्तर पर जो अरेंजमेंट हुआ है उसमें 62 हैं ।

यह कुल मिलाकर 199 बनती है, 383 में 199 तो लखनऊ स्तर पर अरेन्जमेंट है, यह संख्या कोई बहुत अधिक नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह नियुक्ति विभाग का जवाब दे रहे हैं या आबकारी विभाग के असर में जवाब दे रहे हैं । मान्यवर, मंत्री जी के अनुसार ज्यादा स्थानान्तरण नहीं हुए हैं, मुझे भी शिकायत नहीं है । आप जो चाहें करें आपको सरकार चलानी है । मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि इन स्थानान्तरणों पर सरकार को कितना वित्तीय भार वहन करना पड़ा ? बड़ा छोटा सा सवाल है, बता दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, लखनऊ स्तर पर 199 स्थानान्तरण हुए, इनमें कोई वित्तीय भार नहीं पड़ा है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मंत्री जी कह दे कि उनके पास सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–28 का उप नियम–11, यह जो प्रश्न पूछे नहीं जायेंगे "उसमें सीमित महत्व का, अस्पष्ट अथवा निरर्थक विषयों पर अथवा बहुत ब्योरे की जानकारी नहीं मांगी जायेगी" । इनमें कितने स्थानान्तरण हुए, उन पर कितना खर्च आया, उन सब के बिल निकाले जायें और उनका योग किया जाय । इनकी अनुमति नहीं है ।

प्रदेश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने की मांग

*5–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में प्रदेश में कितने मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का अनुदान सूची पर लिये जाने के प्रकरण शासन में लम्बित हैं ? उन विद्यालयों को कब तक अनुदान सूची में ले लिया जायेगा ?

श्री चन्द्र किशोर–

[illegible] में अनुदान सूची में कुल 72 विद्यालय लिये जाने हेतु अवशेष है, किन्तु किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय को अनुदान सूची पर लेने की शासन की कोई योजना नहीं है ।

[illegible] उठता ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अनुदान सूची पर कब तक के विद्यालय लिए गये हैं और कब तक नहीं लिए गये हैं और पूरे प्रदेश में कितने विद्यालय ऐसे हैं जो अभी मान्यता प्राप्त हैं, अनुदान सूची में नहीं लिए गये हैं और सरकार की नीति आपने बताया कि लेने का प्रश्न ही नहीं उठता । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा का स्तर बना रहे और जो अध्यापक हैं, उनको पूर्ण रूप से वेतन भुगतान हो सके, इसके लिए सरकार की कोई कार्य योजना है ? अगर नहीं है तो सरकार इस पर गंभीरता से विचार करके शिक्षा शुल्क लगायेगी ? यह बता दें ।

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, 1-10-86 तक यह निर्णय लिया गया था कि 144 विद्यालय अनुदान सूची पर लेने के लिए निर्णय लिया गया था जिसमें 71 विद्यालय अनुदान सूची पर 1-12-98 तक लिए गये, इनमें एक विद्यालय वित्तीय अनियमितता के कारण नहीं लिया गया, शेष 72 विद्यालय आर्थिक संकट को दृष्टि में रखते हुए मंत्रि-परिषद् का एक फैसला हुआ, जिसके तहत् वर्तमान समय में अभी फिलहाल नहीं लिए जा सकते हैं।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं और संज्ञान में भी लाना चाहता हूं, 7 लाख की आबादी में मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है, 17 विद्यालय मान्यता प्राप्त करने के लिए लम्बित पड़े हैं, फाइलें लम्बित पड़ी हैं। मैं एक स्कूल का जिक्र करना चाहता हूं कि यदि आपकी कृपा हो जाये। 7 लाख की आबादी पर एक भी हाई स्कूल नहीं है। एक विद्यालय पटेल शांतिकुंज बरेली है, वैसे ही पड़ा है। मान्यवर, ऐसे ही 17 और विद्यालय हैं। अगर आपकी कृपा हो जाए।

श्री अध्यक्ष–

इसका संज्ञान ले लें।

मंत्री जी 3 साल का समय काफी होता है, इसलिए आप इसको संज्ञान में ले लेंगे।

श्री चन्द्र किशोर–

ठीक है।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, 72 विद्यालयों के बारे में अभी कहा गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन विद्यालयों को कब तक मान्यता मिल जायेगी ?

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, 72 विद्यालय जो शेष हैं वह 14-6-86 तक के हैं और इनके पूर्व को मान्यता दे दी गयी।

श्री श्याम किशोर यादव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि असेवित ब्लाकों में जो इण्टर कालेज खोले गये थे उनको कब तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी ?

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1984 में प्रदेश में कितने माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया गया था और उसके बाद अब तक कितने विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया गया है ? मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इसमें काफी बड़ा अन्तर है, तो इस अन्तर का क्या कारण है ? क्या सरकार शिक्षा को बिल्कुल ही नेगलेक्ट करना चाहती है ? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है–इट इज राइट टू इवरी चाइल्ड टू गेट दि एजूकेशन। सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जायेगी और यह तब तक नहीं होगा जब तक सभी विद्यालयों को अनुदान सूची में नहीं लेंगे।

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, 1984 के पूर्व 4897 विद्यालय जो अनुदान सूची में थे उन्हें सहायता प्राप्त थी ।

श्री राम सिंह सैनी–

अनुदान सूची में उस वर्ष कितने विद्यालय लिये गये थे ?

श्री चन्द्र किशोर–

इसकी सूचना बाद में मालूम करने पर दे देंगे ।

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वित्त विहीन विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने की क्या कोई योजना है ? मंत्री जी ने बताया कि 72 विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने की कोई योजना नहीं है, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वित्त युक्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर न लेने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया है कि वर्तमान आर्थिक संकट को देखते हुए 2 मार्च, 2000 को मंत्रि-परिषद् ने निर्णय लिया है कि अवशेष 72 विद्यालयों को वर्तमान समय में अनुदान सूची में लेने की सरकार की स्थिति नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया कि 2 मार्च, 2000 को मंत्रि-परिषद् ने निर्णय लिया कि अवशेष 72 विद्यालयों को आर्थिक संकट को देखते हुए अनुदान सूची में नहीं लिया जायेगा ।

इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि 1-10-1986 को जो अनुदान सूची जारी किया था उसके बाद प्रदेश में कितने विद्यालयों को आपने मान्यता दिया और क्या सरकार वित्तविहीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान करके अनुदान सूची को निर्गत करेगी ?

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि इस समय वित्तीय संकट चल रहा है, ठीक है अगर वित्तीय संकट चल रहा है तो किसी कल्याणकारी कार्यक्रम को चलाने के लिये यदि वित्तीय संकट है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसी सरकार के लिये नहीं हो सकती । मैं जानना चाहता हूं कि जिन 72 माध्यमिक विद्यालयों को वित्त सहित मान्यता मिली थी क्या उनके बारे में पुनर्विचार करने एवं उनको वित्त सहित अनुदान सूची पर लाने के संबंध में विचार करेंगे ?

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, वर्तमान में 1300 विद्यालयों को वित्त विहीन मान्यता दी गयी है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह 72 विद्यालय 1986 के बाद के हैं तब से लेकर अब तक कितने विद्यालयों ने अनुदान सूची पर लाने के लिए आवेदन किया है ? दूसरा प्रश्न यह है कि आपने बताया कि वित्तीय संकट होने के कारण अनुदान सूची पर लाना संभव नहीं है । यदि वित्तीय संकट गहरा हो गया तो जिन विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया गया है । क्या उनका भी अनुदान शासन समाप्त कर देगा ?

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, उनका वित्त समाप्त करने की शासन की कोई मंशा नहीं है ।

– श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, 1986 से अब तक कितने स्कूल ऐसे हैं जिनको अनुदान सूची पर लिया गया है ?

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, 1986 से जितने भी विद्यालयों को मान्यता दी है उनको वित्त विहीन मान्यता दी गयी है ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, 1986 के बाद इन 14 वर्षों में अनेक हाई स्कूल और इण्टर कालेज खुल गये हैं । गत वर्ष आजमगढ़ जनपद में एक प्राइवेट विद्यालय खोला गया और 20 लाख रुपये की उसको सहायता दी गयी और उसको राजकीय बनाकर सवित्त बना दिया गया तो ऐसे कितने और उदाहरण हैं इसको मंत्री जी बताने की कृपा करें ?

श्री चन्द्र किशोर–

यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार केवल शिक्षा में ही कटौती करने पर उतारू हो गयी है । शिक्षा बहुमुखी विकास का एक मात्र रास्ता है । विदेशों में जो देश प्रगति कर रहे हैं वहां पर शिक्षा 100 प्रतिशत है और वहां शिक्षा पर ज्यादा व्यय किया जा रहा है । माध्यमिक शिक्षा परिषद् से यह समझौता हो चुका था कि वह शनैः शनैः जो विद्यालय अवशेष रह गये हैं, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कालेज, उनको ग्रांट-इन-एड की सूची पर लाया जायगा । मैं जानना चाहता हूं कि उन 72 विद्यालयों को भी 1 वर्ष में नहीं 2, 3, 4 वर्ष में जैसा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों से समझौता हुआ था, उसके आधार पर ग्राण्ट इन एड पर लायेगी ?

श्री चन्द्र किशोर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूर्व में अवगत कराया कि 72 विद्यालयों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही अनुदान सूची पर लिया गया । शेष 72 विद्यालयों के बारे में जो स्थिति है हमने अवगत कराया है कि इस समय हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है । हम भविष्य वक्ता तो हैं नहीं कि यह बता सकें कब ठीक होगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

यह सरकार शिक्षा का अनादर कर रही है । इनके पास शिक्षकों का वेतन देने के लिये पैसा नहीं है । अनुदान देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । इस सरकार की शिक्षा नीति के विरोध में, मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, 72 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने की इनकी आर्थिक स्थिति नहीं है । यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से उदासीन है और इनके जो आर० एस० एस० के विद्यालय चल रहे हैं उनको बढ़ावा देने का एक मात्र उद्देश्य है । अध्यापकों की हालत बदतर हो रही है और शिक्षा के

क्षेत्र में गिरावट आ रही है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है । इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है ।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्रियों को आवंटित आवास तथा उनके रख रखाव का वार्षिक खर्च, एवं मृत्यु के उपरान्त आवास खाली कराने की मांग

*6–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्रियो को लखनऊ में निःशुल्क आवास दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ? क्या उक्त प्राविधान उनके जीवन-पर्यन्त तक के लिये ही है अथवा उनके परिवार के लिये भी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्तमान में कुल कितने बंगले पूर्व मुख्य मंत्रियों के नाम आवंटित हैं एवं उनके वार्षिक रख-रखाव का खर्च प्रति बंगला क्या है ? कितने बंगले उनके जीवित न रहने पर भी उनके संबंधियों के कब्जे में हैं ? उन बंगलों को खाली न कराये जाने के क्या कारण है ?

मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)–

जी हां,

प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्रियों को लखनऊ में "भूतपूर्व मुख्य मंत्री निवास स्थान आवंटन नियमावली, 1997" में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये किराये (जलकर, सीवर कर, विद्युत कनेक्शन का पृथक भुगतान) के आधार पर उनके जीवन काल तक के लिए ही आवंटित किये जाने का प्राविधान है ।

जी हां,

वर्तमान में कुल–7 बंगले पूर्व मुख्य मंत्रियों के नाम आवंटित हैं, जिनके रख-रखाव का वार्षिक खर्च निम्नानुसार है :–

क्र०सं०	नाम एवं आवास	वार्षिक खर्च (रुपये में)
1	श्री राम नरेश यादव 1–मालएवेन्यू	23,552.00
2	श्री नारायण दत्त तिवारी 1–ए, माल एवेन्यू	28,674.00
3	श्री कल्याण सिंह 2–मालएवेन्यू	28,674.00
4	श्रीयुत श्रीपति मिश्र 12–ए, मालएवेन्यू	30,450.00
5	सुश्री मायावती 13–ए, मालएवेन्यू	29,815.00
6	श्री मुलायम सिंह यादव 5–विक्रमादित्य मार्ग	51,974.00
7	श्री वी० पी० सिंह 7–राजभवन कालोनी	17,815.00

मात्र बंगला नम्बर–7, ओल्ड आई० डी० टी० (उत्तरी भाग) विधान सभा मार्ग, पूर्व मुख्य मंत्री स्व० श्री कमलापति त्रिपाठी के परिजनो के कब्जे में है, जिसे नियमानुसार रिक्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु के पश्चात् कितनी अवधि में बंगला खाली कराये जाने का प्राविधान है । अगर जल्दी खाली कराये जाने का प्राविधान है तो कमलापति त्रिपाठी जी की मृत्यु के उपरान्त काफी समय बाद भी आज तक बंगला खाली नहीं हो पाया है ?

श्री अध्यक्ष–

इसमें दिया गया है कि कार्यवाही हो रही है । इसमें अनुपूरक की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रुप चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अभी जो पूर्व मुख्य मंत्री उठकर गये हैं क्या उन्हें भी यह सुविधा देंगे ?

(उत्तर के लिए माननीय मंत्री जी को नहीं बुलाया गया ।)

*7–श्री जगदम्बिका पाल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राजकीय क्षेत्र में नये महाविद्यालय खोलने के निर्धारित मानक जानकारी

*8–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय क्षेत्र में नये महाविद्यालय खोलने के कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो वह मानक क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति, पूर्व एवं धर्मस्व मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल निशंक)–

जी हां ।

क्षेत्र विशेष के शैक्षिक औचित्य, महाविद्यालय स्थापित करने के मानकों तथा शासन की वित्तीय स्थिति पर विचारोपरान्त राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जाती है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मूल प्रश्न में यह बात है कि क्या महाविद्यालय खोलने का कोई मानक निर्धारित है ? मंत्री जी ने कहा कि जी नहीं, यदि हां, तो मानक क्या हैं ? उत्तर में मानक नहीं बताया गया । मंत्री जी मानक बताने की कृपा करें ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

महाविद्यालय खोलने का जो औचित्य निर्धारण और मानक निश्चित किये गये हैं, उसमें यह है कि उस क्षेत्र में अन्य विकसित कितने महाविद्यालय हैं, प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी क्या है ? क्षेत्र की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति विद्यमान महाविद्यालयों को देखते हुये किस सीमा तक अपूर्ण रह गयी है और क्या प्रावधानित स्थान पर अन्य महाविद्यालयों पर बिना किसी कुप्रभाव के 300 से भी अधिक छात्र उपलब्ध हो सकेंगे ? इसके साथ ही भूमि का भी मानक सीमा है ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

माननीय मंत्री जी न तो दूरी बता रहे हैं और न मानक का स्पष्ट उल्लेख कर रहे हैं कि क्या मानक है ? किसी जनपद के अन्दर राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए क्या मानक हैं स्पष्ट रूप से बता दें ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन् वैसे तो मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि समीक्षा होती है जहां तक दूरी का प्रश्न है 60 कि० मी० दूरी निर्धारित करते हैं । यह भी समीक्षा होती है कि कितने छात्र उस क्षेत्र में आवंटित हैं ? यह मानक निर्धारित है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह तथ्य है कि कई जिलों में कई स्थानों पर 4-4, 5-5 तक राजकीय महाविद्यालय हैं और मानकों की चर्चा मंत्री जी ने की मैं जानना चाहता हूं कि क्या मानकों का पालन भी कभी सुनिश्चित होता है । अन्यथा यह कागज पर हैं या जहां इच्छा हो वहां, महाविद्यालय खोल दिए जाएं अगर ऐसा है तो जहां पर वास्तव में जरूरत हो वहां पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का आश्वासन मंत्री जी देंगे ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जहां आवश्यकता होती है शासन वहां खोलता है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

कई जगहों पर 3-3, 4-4 महाविद्यालय हैं कई जगह बराबर मांग होने के बावजूद नहीं खोले जाते हैं । जितने छात्र/छात्राएं इण्टरमीडिएट से किसी जगह के पास होते हैं वहीं महाविद्यालयों में जाते हैं क्या यह मानकों में है ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

यह सभी बिन्दु आ जाते हैं । विशेषकर वित्तीय स्थिति को देखते हुए आवश्यकतानुसार निर्णय लिए जाते हैं ।

श्री राम सिंह सैनी–

मैं जानना चाहता हूं कि क्या शासन इस प्रकार की नीति बनाएगा कि कम से कम हर तहसील हेड क्वार्टर एक पर डिग्री कालेज की स्थापना करे इसके साथ ही साथ मुख्य मंत्री जी घोषणा करके आए थे कि लक्सर में एक राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना करेंगे । वहां तहसील हेड क्वार्टर भी है । क्या इस घोषणा को पूरा किया जाएगा ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

वैसे तो असेवित विकास खण्डों में पहले से यह योजना है जिसमें प्राइवेट महाविद्यालयों को खोलने की बात है । उसमें व्यापक नीति पहले से शासन ने चालू की है लक्सर भी उसके अन्तर्गत आ सकता है ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जनपद में एक राजकीय महाविद्यालय शासन खोलेगा ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

आवश्यकताओं के अनुरूप ही खोले जाते हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मिर्जापुर जनपद में एक भी महाविद्यालय नहीं है वह सारे मानक पर खरा उतर रहा है । क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि एक राजकीय महाविद्यालय वहां खोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

डंग साहब का कहना है कि मिर्जापुर जनपद सभी मानकों को पूरा करता है वहां एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

अगर मानकों को पूरा करता है तो उस पर विचार किया जायेगा ।

*9–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

(8वें गुरुवार में ता० प्र० सं०–3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

कक्षा–9 की परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना छात्रों की कक्षा–10 की परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलिति न किये जाने के सरकार के निर्णय की जानकारी

*10–श्री श्यामदेव राय चौधरी

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कक्षा 9 की परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना छात्रों को कक्षा 10 की परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित न किये जाने संबंधी शासन द्वारा कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्र किशोर–

जी हां ।

10 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम लागू होने से कक्षा–9 तथा 10 का पाठ्यक्रम पृथक-पृथक होने के कारण ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पुरानी प्रथा रही है उसको परिवर्तित करने का कारण क्या है ? शिक्षा प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार है । पहले प्रथा रही है कक्षा आठ पास करने के बाद छात्र-छात्राओं की ड्रापिंग हो जाती थी और कुछ समय बात हाई स्कूल की परीक्षा देते थे । इस नीति से मौलिक अधिकारों पर रोक सी लग गई है । यह परीक्षा पहले मण्डल स्तर पर करने के शासनादेश किये गये फिर शासनादेश परिवर्तित कर जिला स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया गया इसका कारण क्या है ? इस परीक्षा हेतु कितना शुल्क अनुमन्य है और कितना लिया जा रहा है ?

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि कक्षा 9 और 10 की परीक्षायें अलग-अलग कराने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि दोनों का पाठ्यक्रम पहले अलग-अलग नहीं था । एक समान था और अब पाठ्यक्रम अलग-अलग कर दिया गया है । जहां तक शुल्क का सवाल है 16 रुपये सरकार की ओर से निर्धारित है और वही लिया जा रहा है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मेरा प्रश्न यह है कि पहले यह परीक्षा मण्डल स्तर पर और अब परिवर्तित करके जिला स्तर पर क्यों किये जाने के शासनादेश दिये गये इसका कारण क्या है औचित्य क्या है ?

श्री चन्द्र किशोर–

मण्डल स्तर पर दिक्कतें आ रही थीं इसलिए सरलीकरण करने के लिए ऐसा किया गया है । पेपर सरकारी स्तर पर बनाये जाते हैं और परीक्षा सामान्य रूप से ली जाती है ।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, जो भी शासनादेश या कार्य सम्पादित होता है वह नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत किया जाता है । कक्षा 9 और 10 का पाठ्यक्रम एक होगा और 10वीं परीक्षा तभी दी जा सकेगी जब कक्षा 9 पास कर ली गई हो इस प्रकार अन्य भी परिवर्तन किये गये शासनादेश के माध्यम से । लेकिन शासनादेश से कोई कार्य सम्पादित नहीं होता । कक्षा 9 के विषय में निजी स्कूलों में परीक्षा होगी यह परिवर्तन किया गया यह कब किया गया ?

(इस समय 11 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए ।)

श्री चन्द्र किशोर–

कक्षा–9 और 10 की परीक्षा अलग-अलग लेने का निर्णय लिया गया मंशा यह रही कि छात्र संख्या अधिक होनी चाहिए और वित्त विहीन विद्यालयों को मान्यता दी जाय तथा उनकी गुणवत्ता बनी रहे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि नियमावली में प्राविधान है कक्षा–10 में परीक्षा लेने का, नियमावली को क्या परिवर्तित किया गया है ?

श्री चन्द्र किशोर–

शासनादेश संख्या–5756–15/7/141 दिनांक 16-2-2000 के आधार पर....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य के मन की बात यह है कि नियमावली में बिना परिवर्तन किये केवल शासनादेश के आधार पर इसको करना क्या विधिक होगा या उचित होगा ?

श्री चन्द्र किशोर–

मैं दिखवा लूंगा ।

श्री केशो मेहरा–

क्या जो नियमों के अन्तर्गत नहीं है क्या वह विधिक है ?

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह कहा गया कि कक्षा–9 की परीक्षा पास किये बिना 10 में नहीं बैठ पायेंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि कक्षा–9 की परीक्षा कहां होगी ? कोई अपने यहां अनावश्यक रूप से विद्यालय क्यों बनायेगा ? क्या कोई शासनादेश निर्गत किया गया है ? क्या ऐसा कोई शासनादेश है जिससे कक्षा 9 की परीक्षा के लिए बाध्यता होगी । कृपया मंत्री जी बता दें ?

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, केवल इतना ही परिवर्तन किया गया है कि कक्षा–9 की परीक्षा में जो पेपर सेटिंग है, उसे जिला स्तर से कराया गया है । परीक्षायें जो होंगी, वह उसी विद्यालय में होंगी ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, तारांकित प्रश्न सं०–2 को ही लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

समय है इसलिए इस प्रश्न को लिया जा सकता है ।

इसे सुनने से संबधित प्रश्नोंत्तर क्रमानुसार-यथा स्थान छपा है ।

(प्रश्न क्रमानुसार यथा स्थान पर छपा है)

आटो ट्रेक्टर्स लिमिटेड (ए०टी०एल०) के छटनी शुदा कर्मचारियों/अधिकारियों को सरकारी सेवा हेतु अर्ह एवं अनुमन्य घोषित करने के शासनादेश की नीति व स्थिति की जानकारी

*11–श्री लालजी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या–3/3/3/91–का०–2/93 द्वारा आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड (ए०टी०एल०) के छटनीशुदा कर्मचारियों/अधिकारियों को सरकारी सेवा हेतु अर्ह एवं अनुमन्य घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश प्रदेश के विश्वविद्यालयों में प्रबन्ध परिषद् द्वारा चयनित किये जाने वाले पदों पर भी प्रभावी हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त छटनीशुदा कर्मचारियों की नियुक्ति बिना पदों के विज्ञापित कराये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बुलन्दशहर में बलीपुरा रजवाहे से डावर तक मार्ग पिचिंग एवं पशुघाट निर्माण कराने की मांग

1–श्री हरपाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो सड़क बलीपुरा रजवाहे जनपद बुलन्दशहर पर खुर्जा से ग्राम डावर तक 14 कि० मी० लम्बी निर्मित सड़क पर पिचिंग व पशुघाट कब तक बनाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

जनपद बुलन्दशहर में बलीपुरा रजवाहे से ग्राम डावर तक नहर पटरी को पक्का करने की योजना में स्वीकृत मार्ग कार्य में पिचिंग एवं पशुघाट निर्माण कार्य का प्राविधान नहीं है ।

विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं है ।

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम दशहरा से पलड़ा तक की अपूर्ण सड़क का निर्माण करने की मांग

2–श्री हरपाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि ग्राम दशहरा (बुलन्दशहर) से पलड़ा तक सड़क स्टेट सेक्टर में वर्ष 1992 में स्वीकृत हुयी थी ? यदि हां, तो उक्त अधूरी सड़क का निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

विधायक निवासों के अन्तर्गत खाली जगहों में चल रही दुकानों से प्राप्त होने वाले किराये के न मिलने की जानकारी तथा अवैध कब्जा हटवाने की मांग

3–श्री समरपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास दारुलशफा, ए–ब्लाक, बी–ब्लाक, सी–ब्लाक, विधायक निवास पुराना–2 विधायक निवास–न्यू, बी ब्लाक के चारों तरफ खाली जगहों पर

नोट :–नत्थी 'ग' तारांकित प्रश्न संख्या–2 जिसे तारांकित प्रश्न सं०–10 के बाद लिया गया के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

अवैध कब्जा करके चलायी जा रही दुकानों के हटवाने हेतु सरकार कोई व्यवस्था करेगी ? उक्त विधायक निवासों में स्थायी रूप से चलायी जा रही किन-किन दुकानों से हर माह किराया लिया जा रहा है ? क्या जिन दुकानदारों द्वारा किराया नहीं दिया जा रहा है उनका आवंटन निरस्त करने के संबंध में कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां, प्रश्नगत विधायक निवासों में अवैध कब्जा करके दुकानें चलाई जा रही हैं, इन्हें हटाए जाने हेतु विधिवत् कार्यवाही की जाएगी ।

सूची संलग्न है ।

निरस्तीकरण हेतु ऐसे आवंटियों को विधिवत् नोटिस दिए गए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 179–180 पर) ।

जनपद सुल्तानपुर में दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत इमली गांव सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

4–श्री राम रतन यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में दीन दयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत इमली गांव सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक प्रस्ताव प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी को दिसम्बर, 1999 में दिया गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जनपद सुल्तानपुर में इमली गांव सम्पर्क मार्ग का निर्माण शासनादेश दिनांक 2-5-99 द्वारा स्वीकृत किया गया था । मा० विधायक ने अपने प्रश्नगत पत्र द्वारा इस मार्ग के एलाइनमेन्ट को बदलने का अनुरोध किया गया था जो स्वीकार नहीं किया जा सका । शासनादेश दिनांक 2-5-99 के द्वारा स्वीकृत किया गया कार्य प्रगति में है ।

जनपद सुल्तानपुर के निर्माणाधीन सम्पर्क मार्ग बेलगरा व बेलहरी का निर्माण मानक के अनुसार न कराने की शिकायत तथा टी०ए०सी० से जांच की मांग

5–श्री राम रतन यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर का निर्माणाधीन सम्पर्क मार्ग बेलगरा व बेलहरी का निर्माण मानक के अनुसार नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की टी०ए०सी० से जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं । कार्य मानक के अनुसार कराया जा रहा है ।

आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि कार्य मानक के अनुसार कराया जा रहा है ।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक कर्मशाला अधीक्षक के पदधारकों को कर्मशाला अधीक्षक के पद का प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने की मांग तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

6–श्री राजेन्द्र यादव तथा श्री अब्दुल मन्नान–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक कर्मशाला अधीक्षक के पदधारकों को कर्मशाला अधीक्षक के पद का प्रोन्नति वेतनमान दिनांक 01-01-86 से देने विषयक निदेशक, प्राविधिक शिक्षा कानपुर का प्रस्ताव पत्र संख्या–36367/ई–स्था०–प्रो०वे०/(स०क०अ०), दिनांक 17-10-98 एवं पत्र संख्या–17137/स्था०–प्रो० वेतनमान (स०क०अ०), दिनांक 14-10-99 द्वारा शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

जी हां, प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें 1-1-86 से नहीं बल्कि दिनांक 14-7-94 से प्रोन्नत वेतनमान देने का प्रस्ताव है ।

मामला विचाराधीन है ।

गोरखपुर में चौधरी चरण सिंह कन्या इण्टर कालेज पीपीगंज को भूमि क्रय करने हेतु स्वीकृत धनराशि तथा स्वीकृत धनराशि अवमुक्त कराने की मांग

7–श्री समर पाल सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि चौधरी चरण सिंह कन्या इण्टर कालेज, पीपीगंज, गोरखपुर को भूमि क्रय करने हेतु 5,00,000/–(पांच लाख रुपया मात्र) मार्च/अप्रैल, 1996 में शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि अवमुक्त करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मेरठ विश्वविद्यालय में केटलागर पद पर तदर्थ रूप से की गयी नियुक्ति में आरक्षण कोटा पूर्ण कराने की मांग

8–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1999 में मेरठ विश्वविद्यालय में केटलागर पर तदर्थ रूप से नियुक्तियां की गई हैं ? क्या उन नियुक्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उन नियुक्तियों को निरस्त किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बिजनौर विकास क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम भागूवाला में इण्टर कालेज में तैयार भवन को प्रयोग में लाने तथा शिक्षण कार्य आरम्भ करने की मांग

9–श्री राम स्वरूप सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भागूवाला विकास क्षेत्र नजीबाबाद जनपद बिजनौर में चार वर्ष पूर्व इण्टर कालेज का भवन बन कर तैयार हो चुका है ? यदि हां, तो क्या उक्त

भवन को शिक्षण कार्य हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उस भवन में आगामी शिक्षा सत्र जुलाई, 2000 से शिक्षण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां,

वर्ष 1997 में प्रथम फेज का भवन निर्माण पूर्ण किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

पद सृजन न होने के कारण । चालू वित्तीय वर्ष 2000-2001 में जिला योजना में इस विद्यालय हेतु परिव्यय उपलब्ध होने तथा वित्त विभाग द्वारा पद सृजन पर सहमति होने पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र की ग्राम पंचायत सहिजना के मजरा टिकरिया के आस-पास प्राथमिक विद्यालय न होने की दशा में विद्यालय खोलने की मांग

10–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सहिजना के मजरा टिकरिया की आबादी 400 के लगभग है ? क्या उसके दो कि० मी० की परिधि में कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है ? क्या शासन की नीति के आधार पर उक्त ग्राम टिकरिया में प्राथमिक विद्यालय खोला जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार प्रश्नगत मजरे की आबादी 325 है ।

जी हां ।

उक्त मजरा असेवित श्रेणी में है ।

प्राथमिक विद्यालय स्थापना का निर्णय जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर अवलम्बित होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता

जनपद हरदोई के कछोना कटसेनी–माधौगंज कुरसठ लेपित मार्ग एवं बाण परौली के बीच सई नदी पर पुल बनाने की मांग

11–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के कछोना कटसेनी–माधौगंज वाया कुरसठ लेपित मार्ग एवं बाण परौली के बीच सई नदी पर पुल निर्माण हेतु एक करोड़ अठहत्तर लाख चौरासी हजार रुपये स्वीकृत धन से मात्र चौवालिस लाख सत्तर हजार रुपया पुल बनवाये जाने हेतु आवंटित हुआ है ? यदि हां, तो क्या अभी तक उक्त पुल का निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो कब तक पुल का निर्माण प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत पुल पर रुपये 71.50 लाख का अनुदान अब तक आवंटित किया गया है ।

प्रश्नगत पुल का निर्माण नवम्बर, 1999 में प्रारम्भ किया जा चुका है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

12–श्री विजयपाल सिंह–

[6ठे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय पालीटेक्निक, घाटमपुर, कानपुर में फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के वर्ष की जानकारी डिप्लोमा होल्डर छात्र को फार्मेसी काउन्सिल लखनऊ से रजिस्ट्रेशन करने हेतु शासन व विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी

13–श्री हरदेव सिंह–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक, घाटमपुर, कानपुर में एलोपैथिक फार्मेसिस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम कब से संचालित किया जा रहा है ? उक्त राजकीय पालीटेक्निक से अब तक कितने छात्र फार्मेसिस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर चुके हैं ? क्या उनके रजिस्ट्रेशन उ० प्र० फार्मेसी काउन्सिल लखनऊ द्वारा किये गये हैं ? यदि नहीं, तो रजिस्ट्रेशन न करने का कारण और औचित्य क्या है ? क्या उ० प्र० फार्मेसी काउन्सिल लखनऊ से रजिस्ट्रेशन करने हेतु शासन व विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

(क) राजकीय पालीटेक्निक, घाटमपुर, कानपुर में सत्र, 1996-97 से फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है ।

(ख) वर्ष 1998 में कुल 19 छात्रों ने इस संस्था में फार्मेसी डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है । इसके पश्चात् उक्त संस्था में अंतिम वर्ष फार्मेसी डिप्लोमा की कोई परीक्षा सम्पन्न नहीं की गई ।

(ग) डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात् संबंधित छात्र स्वयं उ० प्र० राज्य फार्मेसी काउन्सिल लखनऊ में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर काउन्सिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं । वर्ष 1998 में उत्तीर्ण डिप्लोमा फार्मेसी छात्रों का रजिस्ट्रेशन उ० प्र० राज्य फार्मेसी काउन्सिल द्वारा नहीं किया गया । रजिस्ट्रेशन न किये जाने का कारण संस्था में चल रहे डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली (पी०सी०आई०) द्वारा अनुमोदित न होना है ।

(घ) जी हां, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउन्सिल, लखनऊ से रजिस्ट्रेशन न होने पर फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली से पाठ्यक्रम के अनुमोदित किये जाने हेतु शासन/विभाग द्वारा पत्राचार एवं व्यक्तिगत सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

हिमालय क्षेत्र में पाये जाने वाले पक्षी मुन्याल (मोनाल) की प्रजाति के ह्रास का पता लगाने हेतु पक्षी विज्ञान विशेषज्ञों की कमेटी गठित करने की मांग

14–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला पक्षी मुन्याल जो कि हिमालय क्षेत्र का मोर माना जाता है, को दुर्लभ श्रेणी के पक्षी की श्रेणी में रखा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पक्षी के प्रजाति के ह्रास का पता लगाने हेतु पक्षी विज्ञान विशेषज्ञों की कमेटी गठित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)–

हिमालय क्षेत्र में पायी जाने वाली मुन्याल (मोनाल) पक्षी प्रजाति इस क्षेत्र की उल्लेखनीय पक्षी प्रजाति है । यह वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची–एक के भाग–तीन के अन्तर्गत संरक्षित वन्य जीव है ।

इस पक्षी का ह्रास नहीं हो रहा है । अतः पक्षी विशेषज्ञों की कमेटी गठित करने की आवश्यकता नहीं है ।

15–डा० वकार अहमद शाह–

[दिनांक 4-5-2000 को अता०प्र०सं०–120 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद द्वारा संचालित किये जा रहे प्राथमिक विद्यालयों में वरिष्ठ एवं प्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों की प्रोन्नति एवं नियमों में परिवर्तन की मांग

16—श्री कमला प्रसाद रावत–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद द्वारा संचालित किये जा रहे प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति किये गये वरिष्ट एवं प्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों को प्रोन्नति प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पद पर की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार वरिष्ठता क्रम के आधार पर उनकी प्रोन्नति किये जाने हेतु नियमों में संशोधन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां, संगत सेवा नियमों के प्राविधानों के अधीन ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा में डा० बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय के परिसर में कराये गये निर्माण कार्य में व्यय धनराशि की जानकारी तथा कार्यों के निष्पादन हेतु आमंत्रित की गयी निविदाओं के प्रचार-प्रसार की जानकारी

17—श्री विजय पाल सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० बी० आर० अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा में वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में किसी परिसर में कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं ? यदि हां, तो निर्माण कार्यों पर कुल कितना धन खर्च किया गया है ? क्या उक्त कार्यों के लिए निविदाओं का प्रचार-प्रसार किया गया था ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1998-99 और 1999-2000 में कुल रु० 4.57 करोड़ का निर्माण कार्य कराया गया जिसमें से रु० 0.34 करोड़ का निर्माण कार्य ठेकेदार से कराया गया । इसके अतिरिक्त पुलिस आवास निगम तथा जल निगम में कार्य कराया गया है ।

जी हां । ठेकेदार द्वारा कराये गये निर्माण कार्य के लिये दिनांक 13-2-1999 को निविदा प्रसार किया गया था ।

आगरा में डा० बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय में नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में जानकारी

18—श्री विजय पाल सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–325/सत्तर–3-98 दिनांक 30 मार्च, 98 द्वारा विश्वविद्यालयों में शिक्षक पदों पर नियुक्तियां प्रतिबन्धित की गयी थीं ? क्या यह भी सही है कि उक्त प्रतिबन्ध की अवधि में डा० बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में कई नियुक्तियां भी की गयी थीं ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासनादेश संख्या–325/सत्तर–3–98, दिनांक 30 मार्च, 1998 के अनुपालन में नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती थी ।

जनपद महराजगंज में नौतनवां से ठूठीबारी–सिसवा–कप्तानगंज हाट–गौरी बाजार बरहज–बेल्थरा रोड–रसड़ा–कासिमाबाद हेतु हुए गाजीपुर तक के प्रमुख मार्गों को प्रान्तीय राजमार्ग घोषित करने की जानकारी

19—श्री राजीव कुमार सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–महराजगंज में नौतनवां से ठूठीबारी–सिसवा–कप्तानगंज–हाटा–गौरी बाजार, बरहज–बेल्थरा रोड–रसड़ा–कासिमाबाद होते हुए जनपद गाजीपुर तक के प्रमुख मार्गों को प्रान्तीय राजमार्ग घोषित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्नगत मार्गों को राज्य मार्ग घोषित करने का औचित्य नहीं है ।

राज्य सम्पत्ति निदेशालय में दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ व तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में प्रतिबन्ध के बाद भी नियुक्तियां किये जाने का औचित्य

20—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति निदेशालय में वर्ष 1990 में दैनिक वेतनभोगी चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाया गया था ? यदि हां, तो दिनांक 1-6-95, 3-2-97 में तृतीय श्रेणी एवं दिनांक 1-7-95 में चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति किन नियमों एवं किनके आदेशों पर की गयी थी ? क्या सरकार तत्काल उक्त नियुक्तियों को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

वर्ष 1995 के उपरान्त राज्य सम्पत्ति निदेशालय स्तर पर कार्यों में अत्यधिक वृद्धि एवं उक्त के अनुपात में स्टाफ की अल्पता के दृष्टिगत तत्कालीन विभागाध्यक्ष स्तर से दैनिक मजदूरी पर कर्मियों की नियुक्ति की गई थी क्योंकि यथावश्यकतानुसार नियमित पदों के सृजन की वांछित स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है ।

यथावश्यकतानुसार नियमित पद सृजित हो जाने पर दैनिक मजदूरी पर लगाये गये कर्मियों को सेवा से हटा दिया जायेगा ।

21–श्री राम कृपाल–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

गरुड़ (ईगल) प्रजाति के पक्षी का अस्तित्व एवं प्रजाति को बचाये जाने की मांग

22—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को जानकारी है कि गरुड़ (ईगल) प्रजाति के पक्षी का अस्तित्व विलुप्त होने के कगार पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दुर्लभ प्रजाति के ह्रास का पता लगाने हेतु पक्षी विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय कमेटी गठित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

गरुड़ (ईगल) पक्षी प्रजाति संरक्षित प्रजाति है, किन्तु इसका अस्तित्व विलुप्त होने की सम्भावना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कन्नौज ब्लाक सौरिख ग्राम बझेड़ी से होती हुई सकराया तक पक्की सड़क का निर्माण कराने की मांग

23—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम बझेड़ी ब्लाक सौरिख जनपद कन्नौज के जाने के लिए कोई पक्की सड़के है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम को जोड़ते हुए अहिरवा कटरा से बझेड़ी होती हुई सकराया तक पक्की सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद कन्नौज के ब्लाक सौरिख के ग्राम बझेड़ी के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है।

वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को लेपित मार्ग से वर्ष 2005 तक तथा समस्त मार्गों को 2010 तक लेपित मार्गों से जोड़ने की योजना है। उक्त योजना में चयनित होने पर प्रश्नगत ग्राम को लेपित मार्ग से जोड़ा जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कन्नौज ब्लाक सौरिख ग्राम बझेड़ी के किनारे अरिन्द नदी के टूटे पुल के पुनर्निर्माण की मांग

24—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम बझेड़ी ब्लाक सौरिख-जनपद कन्नौज के किनारे अरिन्द नदी का पुराना बना हुआ पुल टूट गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत पुल एवं पहुंच मार्ग की लागत लगभग 1.58 करोड़ रु० है। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण पुल एवं पहुंच मार्गों का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

लोक सेवा आयोग उ०प्र० से गायब पत्रावली के संदर्भ में की गयी जांच तथा विलम्ब के कारणों की जानकारी

25—श्री रामस्वरूप सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1999 के पहले मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–22 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग उ० प्र० से गायब पत्रावली संख्या–16 आर० बी० 62-63 टी०सी० कवर के संदर्भ में प्रारम्भिक जांच हेतु श्री इष्टदेव प्रसाद राय, संयुक्त सचिव तथा औपचारिक/विभागीय जांच हेतु श्री डी०बी० सिंह, अपर सचिव (वित्त) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ? यदि नहीं, तो उक्त कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण जांचाधिकारी की आख्या के उपरान्त विभागीय कार्यवाही में अन्तिम निर्णय लेने हेतु शासन के परीक्षणाधीन है ? यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, उक्त प्रकरण में दिनांक 28 जनवरी, 2000 को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद कन्नौज ब्लाक छिबरामऊ ग्राम अटिया में पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की मांग

26—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में सरकार की पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्थापित कराने की नीति क्या है ? क्या यह सही है कि ग्राम अटिया ब्लाक छिबरामऊ जनपद–कन्नौज में कोई पूर्व माध्यमिक विद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां विद्यालय की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मैदानी क्षेत्र के असेवित ग्रामों में पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोले जाने हेतु 3 कि०मी० की दूरी तथा 800 की आबादी का मानक निर्धारित है । ग्राम अटिया से 0.8 कि०मी० की दूरी पर सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल हाकिन संचालित है ।

मानकानुसार ग्राम अटिया सेवित होने के कारण उक्त ग्राम में पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बलरामपुर के क्षेत्र उतरौला में प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण की जांच की मांग

27—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत स्थित प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 1998-2000 के मध्य पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किया गया और फर्जी सूची दर्शाकर धनराशि का आहरण कर लिया गया है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

जांच करा ली गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद बलरामपुर के क्षेत्र उतरौला में प्राथमिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति के आहरण के मामले की जांच की मांग

28—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में कार्यरत प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 1998-2000 के मध्य अल्पसंख्यक व अनुसूचित जाति के छात्रों के नाम से फर्जी सूची बनाकर छात्रवृत्ति की धनराशि का आहरण कर लिया गया है जबकि प्रस्तुत सूची में दर्शाए गये छात्र व छात्राएं सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालयों में अध्यनरत नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच सरकार करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जांच करा ली गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

लखनऊ शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना जवाहर भवन में कार्मिक अनुभाग में कार्यरत विनोद कुमार शुक्ल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले की जांच की मांग

29—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना जवाहर भवन लखनऊ में कार्मिक अनुभाग में कार्यालय अधीक्षक के पद पर वर्तमान समय में कार्यरत विनोद कुमार शुक्ल के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में सदस्य लोक सभा, गोण्डा ब्रजभूषण शरण सिंह का पत्र दिनांक 6-1-2000 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास मंत्री (श्री मण्डलेश्वर सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रेउसा अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय शेखनपुरवा के प्रधान अध्यापक की सेवा काल में मृत्यु होने से उसके देय भुगतानों को दिये जाने की मांग

30—श्री महेन्द्र कुमार सिंह झीन बाबू–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रेउसा अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, शेखनपुरवा में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत श्री रामेश्वर दयाल की मृत्यु सेवा के दौरान दिनांक 1-7-98 को हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या उनके आश्रितों को उनके बकाया फण्ड, पेंशन, बीमा आदि की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

फण्ड का भुगतान किया जा चुका है, पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हो चुकी है एवं बीमा प्रकरण भुगतान हेतु बीमा निदेशालय को प्रेषित किया जा चुका है, स्वीकृति प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दुधवा कार्बेट नेशनल पार्क, लखनऊ प्राणि उद्यान में मरे पाये गये जानवरों की मृत्यु के कारणों की जानकारी

31—श्री रामपाल सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 नवम्बर, 1999 से 15 फरवरी, 2000 के मध्य कितने जानवर दुधवा कार्बेट नेशनल पार्क एवं लखनऊ प्राणी उद्यान में मरे पाये गये तथा उनके मरने का क्या कारण है ? विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

दिनांक 15 नवम्बर, 1999 से 15 फरवरी, 2000 के मध्य दुधवा, कार्बेट नेशनल पार्क एवं लखनऊ प्राणि उद्यान में मृत पाये गये जानवरों की संख्या निम्नवत् है :–

दुधवा नेशनल पार्क	कार्बेट नेशनल पार्क	लखनऊ प्राणि उद्यान
1	2	3

उक्त वन्य जीवों में अधिकांश विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त थे तथा कुछ की मृत्यु प्राकृतिक कारणों के फलस्वरूप हुई ।

लखनऊ प्राणि उद्यान में पल रहे वन्य जीवों के स्वास्थ्य के संबंध में देखभाल की जाती रहती है । बीमारियों से ग्रस्त वन्य प्राणियों का चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जाता है ।

नेशनल पार्कों में अवैध शिकार के मामलों में अपराधियों को दण्ड देने की प्रक्रिया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा अन्य मदों में प्राप्त आय तथा व्यय का विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

32–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-10-98 जो जनपद शाहजहांपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा अन्य मदों में प्राप्त आय तथा व्यय का विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जी ने दि० 31-10-98 को उक्त पत्र पर सचिव वन विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए आदेशित किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

इस विषय पर मा० सदस्य के पत्र दिनांक 4-10-98 तथा दिनांक 16-11-98 मुख्य मंत्री कार्यालय में दिनांक 31-10-98 एवं दिनांक 10-11-98 को क्रमशः प्रमुख सचिव, वन तथा मा० वन मंत्री जी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये ।

उपरोक्तानुसार ।

मा० सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचनाएं बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत होने के कारण प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, शाहजहांपुर द्वारा उनसे यह अनुरोध किया गया था कि यदि किसी प्रकरण विशेष में मा० सदस्य को शिकायत हो और वे इसकी जांच कराना चाहते हैं तो इंगित करने का कष्ट करें । शासन स्तर में मा० सदस्य को वर्ष 1998-99 में शाहजहांपुर जनपद में हुए वृक्षारोपण की क्षेत्रवार सूची भेज दी गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ विष्णुपुरी कालोनी स्थित सरकारी आवास संख्या–4/11 में पान की दुकान खोले जाने के कारण आवास खाली कराने की मांग

33–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विष्णुपुरी कालोनी स्थित सरकारी आवास संख्या–4/11 में पान की दुकान खोले जाने एवं दिनांक 14-10-98 को कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं उसका उत्तर दिनांक 16-10-98 को प्राप्त होने पर सरकारी निवास स्थान (लखनऊ स्थित समस्त सामान्य निवास

स्थान) नियमावली, 1980 के नियम–18 के तहत राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 25 मई, 1999 को उक्त आवास निरस्तीकरण के आदेश आर–7598/32-2-98 द्वारा दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आवास खाली हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी नहीं ।

विहित प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31-3-2000 को बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं । उक्त के अनुपालन में विधिवत् आवास रिक्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद आगरा की नहर की पटरियों को पक्का कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

34–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की नहर पटरियों को पक्का कराये जाने विषयक दिनांक 3-4-99 को प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत पत्र दिनांक 3-4-99 में उल्लिखित नहर पटरियों को पक्का करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना संभव नहीं पाया गया ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में गढ़ियालीन रंगीन एवं सिमरा मार्गों को बनाये जाने की मांग

35–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-4-98 जो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तिलहर में गढ़ियालीन एवं सिमरा मार्गों की सड़क का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उनके द्वारा उक्त पत्र पर दिनांक 10-4-98 को प्रमुख सचिव लोक निर्माण को जांच के लिए आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों का निर्माण पूर्ण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था ।

गढ़ियालीन एवं तिमरा नाम से कोई गांव नहीं है । इनके स्थान पर गढ़िया रंगीन एवं सिमरा गांव है, जिनसे संबंधित दो मार्ग हैं :–

1–गढ़िया रंगीन मार्ग से विरियाखुर्द मार्ग एवं,

2–सिमरा से नौगवां मार्ग गढ़ियारंगीन से विरिया खुर्द मार्ग 97-98 में जिला योजना के अन्तर्गत रु० 10.50 लाख की लागत से स्वीकृत हुआ था, जिसकी स्वीकृत लम्बाई 1.5 कि०मी० है । इस पर टाप कोट स्तर तक का कार्य पूर्ण है और लेपन कार्य प्रगति में है। जिसे जून, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है । सिमरा से नौगवां मार्ग रु० 2.48 लाख की लागत से 0.5 कि०मी० के लिए स्वीकृत हुआ था । यह कार्य पूर्ण कर दिया गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

36–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय कन्या हाई स्कूल पट्टी आसपुरा देवसरा के भवन निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने हेतु दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

37–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय कन्या हाईस्कूल पट्टी, आसपुरा देवसरा जो वर्ष 1989 से चल रहा है, के भवन के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने विषयक मुख्य मंत्री के आदेश सी०एम०/वि०को०/एम–1/24774/ प्रतापगढ़/99, दिनांक 28-6-99 का अनुपालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां । माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा राजकीय कन्या हाई स्कूल पट्टी जिला प्रतापगढ़ तथा राजकीय कन्या हाई स्कूल आसपुर देवसरा जिला प्रतापगढ़ के भवनों के निर्माण के संबंध में आख्या/पत्रावली मांगी गयी थी जो उनको अवलोकित करा दी गयी है ।

जहां तक भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत करने का प्रश्न है भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता की स्थिति स्पष्ट न होने तथा भवन निर्माण के बजाये मात्र दो-दो कमरों के निर्माण का प्रस्ताव निदेशक से प्राप्त होने के कारण धन स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सका ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशासनिक सुधार शाखा सचिवालय में मांगलिक कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के अग्रिम का भुगतान करने की जानकारी

38–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासनिक सुधार शाखा (सचिवालय) में मांगलिक कार्यों के सम्पादन हेतु कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन-पत्र वित्तीय वर्ष 1999-2000 में जनरल प्राविडेन्ट फण्ड से अग्रिम आहरण हेतु प्राप्त हुए हैं ? प्राप्त आवेदन-पत्रों में से कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को अग्रिम स्वीकृत करके धनराशि का भुगतान समयान्तर्गत किया जा चुका है ? क्या कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों को अग्रिम धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

कुल छः ।

कुल तीन ।

शेष तीन में से दो कर्मचारियों द्वारा सामान्य भविष्य निधि (उ० प्र०) नियमावली, 1985 के अन्तर्गत निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण न करने एवं एक कर्मचारी की सामान्य भविष्य निधि से संबंधित पत्रावली उसके तैनाती के पूर्व विभाग से प्रशासनिक सुधार विभाग को अब तक हस्तान्तरित न किये जाने के कारण सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जा सका ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वर्ष 1997 में इण्टर परीक्षा को मेरिट सूची में की गई अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

39–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वर्ष 1997 की इण्टर परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किसी छात्र को प्रदेश की मेरिट सूची में प्रथम स्थान प्रदान किया गया था ? यदि हां, तो इस गंभीर अनियमितता के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

शासन के पंत्र सं०–129/15-13-98–टी०सी० लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 1998 द्वारा दोषी अधिकारी को भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न करने के लिए चेतावनी दी गयी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

40–श्री अब्दुल मन्नान–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सोनभद्र में उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम यूनिट, डाला सीमेन्ट फैक्ट्री डाला द्वारा संचालित दि यू०पी०एस०सी०सी० इण्टर कालेज डाला एवं उससे सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों के अधिग्रहण के संबंध में जानकारी

41–श्री विनोद मणि–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य सीमेन्ट निगम, यूनिट डाला सीमेन्ट फैक्ट्री डाला सोनभद्र द्वारा संचालित दी यू०पी०एस०सी०सी० इण्टरमीडिएट कालेज डाला एवं उससे सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों के अधिग्रहण की कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त अधिग्रहण की कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत विद्यालय उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 की धारा–13 से आच्छादित है, जिसके अधिग्रहण की कोई व्यवस्था नहीं है ।

जनपद महराजगंज की फरेन्दा तहसील में चयनित अम्बेडकर गांव सोनाबन्दी व महुआरी में बनाये गये सम्पर्क मार्गों के निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

42–श्री विनोद मणि–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज की फरेन्दा तहसील में वर्ष 1997-98 में चयनित अम्बेडकर गांव सोनाबन्दी व महुआरी में बनाये गये सम्पर्क मार्गों के निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच में पाये गये दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

मुख्य विकास अधिकारी महराजगंज द्वारा जांच में की गई संस्तुति के अनुसार पी०डब्लू०डी० रोड से पहुआरी एवं महुआरी रोड से सिगिरहवा टोला तक लेपन की विस्तृत जांच हेतु मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, लो०नि०वि०, को निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ टिकैतराय राजकीय कालोनी के आर०एस० 3/105 जर्जर ग्राउन्ड फ्लोर के कमरों को ठीक किये जाने की मांग

43–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आर०एस० 3/105, ग्राउन्ड फ्लोर, टिकैतराय राजकीय कालोनी, लखनऊ जर्जर अवस्था में हो गयी है ? क्या उसको ठीक कराये जाने हेतु सितम्बर, 1997/मई, 1998/सितम्बर, 1998/नवम्बर, 1998 तथा जुलाई, 1999 में शासन को आवंटियों द्वारा प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही न किये जाने के लिए कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

जी हां । भवन सं०–आर०एस० 3/105 टिकैतराय में किचेन, लैटरिन, बाथरूम तथा एक कमरें में सीलन तथा डाउन पाईप बदलने का कार्य करा दिये गये हैं । वाशवेसिन, सिंक बदल दिया गया है । अवशेष कार्य धन की उपलब्धता पर कराये जा सकेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रतापगढ़ स्थित सिपानी ग्रुप द्वारा संचालित आटो ट्रेक्टर्स लि० कम्पनी की स्थिति व उत्पादन क्षमता की जानकारी

44–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ स्थित सिपानी ग्रुप द्वारा संचालित आटो ट्रैक्टर्स लि० कम्पनी में सरकार की हिस्सेदारी का प्रतिशत क्या है ? क्या उक्त कम्पनी वर्तमान में कार्यशील है ? यदि हां, तो उसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितने ट्रैक्टर प्रतिवर्ष है ?

श्री राम प्रकाश–

प्रतापगढ़ स्थित आटो ट्रैक्टर्स लि० में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 68 प्रतिशत है ।

दिसम्बर, 1998 से उत्पादन बन्द रहा है । मार्च, 2000 से दुबारा चालू करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

कम्पनी की उत्पादन क्षमता 6000 ट्रैक्टर एवं 2000 डीजल इंजन के उत्पादन की है ।

उत्तरांचल क्षेत्र वन विभाग के निरीक्षण भवनों का पर्यटन हेतु विस्तारीकरण की मांग

45—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तरांचल क्षेत्र वन विभाग के निरीक्षण भवन जो सुरम्य जगहों पर स्थित है, क्या वन जगहों में पर्यटन को विकसित करने की संभावनाएं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु वन विभाग व पर्यटन विभाग का संयुक्त कार्यक्रम बनाकर उक्त निरीक्षण भवनों का विस्तारीकरण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

वन विभाग के निरीक्षण भवन मूलतः वनों के संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों की देखरेख हेतु मूलतः वन विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के प्रयोग हेतु हैं और इसी उद्देश्य हेतु इनका प्रयोग होना उचित है ।

आजमगढ़, स्मित इण्टर कालेज के कर्मचारियों के रोके गये वेतन का भुगतान किये जाने की मांग

46—श्री राम प्यारे सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक (मा०), शिक्षा अर्थ (1) अनुभाग, इलाहाबाद के पत्रांक 8506-08, दिनांक 21-1-99 द्वारा स्मित इण्टर कालेज, अजमतगढ़, आजमगढ़ के कर्मचारियों के अवशेष वेतन भुगतान हेतु रु० 2,47,897.90 दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि का भुगतान सम्बन्धित कर्मचारियों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त भुगतान सम्बन्धित कर्मचारियों को कब तक कर दिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जेल अवधि के अवशेष अगणित वेतन रु० 5,000.00 रोककर शेष धनराशि रु० 2,42,897.90 (रुपया दो लाख बयालिस हजार आठ सौ सत्तानबे नब्बे पैसे मात्र) का भुगतान कर दिया गया है । रोकी गयी उक्त धनराशि से सम्बन्धित प्रकरण में मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ से आख्या मांगी गयी है । आख्या प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

लोक सेवा आयोग, उ० प्र० के गोपनीय अनुभाग में तदर्थ/अस्थायी/दैनिक वृत्त कर्मचारियों से अति महत्वपूर्ण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

47—श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक सेवा आयोग उ० प्र० के गोपनीय अनुभाग में तदर्थ/अस्थायी/दैनिक वृत्त कर्मचारियों से अतिमहत्वपूर्ण कार्य लिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आयोग में कितने कर्मचारी अस्थायी/तदर्थ पदों पर किस पद नाम से और कब से कार्यरत हैं ? क्या आयोग के मशीन अनुभाग में भी दैनिक वृत्त कर्मचारियों से गोपनीय/अतिमहत्वपूर्ण कार्य लिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनुलग्नक के अनुसार ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 181-184 पर ।)

जनपद कन्नौज के ब्लाक छिबरामऊ, रम्पुरा खोजीपुर प्राथमिक विद्यालय बनाये जाने की मांग

48—श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम–रम्पुरा मौजा रम्पुरा–खोजीपुर ब्लाक–छिबरामऊ, जनपद कन्नौज में प्राथमिक विद्यालय हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

ग्राम रम्पुरा, मौजा रम्पुरा खोजीपुर में प्राथमिक विद्यालय नहीं है ।

असेवित होने के कारण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हेतु ग्राम रम्पुरा चयनित कर लिया गया है ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद श्रावस्ती में बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/लिपिकों की तैनाती न किये जाने का कारण/तैनाती की मांग

49—डा० वकार अहमद शाह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान में जनपद श्रावस्ती में बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/लिपिकों की तैनाती नहीं की गयी है ? क्या यह सही है कि बहराइच जनपद में सृजित पदों में से 5 पद श्रावस्ती के लिये विभाजित कर दिये गये हैं किन्तु सभी लिपिक बहराइच में ही कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त लिपिकों को जनपद श्रावस्ती में स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के सभी विकास क्षेत्रों में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में लिपिकों का कार्य अध्यापकों से लेने का औचित्य

50—डा० वकार अहमद शाह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के समस्त विकास क्षेत्रों में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में लिपिकों का कार्य अध्यापकों से लिया जा रहा है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो उक्त कार्यालयों में लिपिकों की भर्ती पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी सेवा संवर्ग खण्ड के कार्यालय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी में कार्मिकों की व्यवस्था कराये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली इण्डियन टर्पेन्टाइन रोजिन फैक्ट्री का वर्ष 1999-2000 में घाटा तथा पुनरुद्धार के उपाय की जानकारी

51—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इण्डियन टर्पेन्टाइन रोजिन फैक्ट्री, बरेली का वर्ष 1999–2000 का कुल लेन देन क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त फैक्ट्री भारी घाटे में चल रही है ? यदि हां, तो वर्तमान में उसका कुल घाटा क्या है ? सरकार उक्त फैक्ट्री के पुनरुद्धार हेतु क्या उपाय कर रही है ?

श्री राम प्रकाश–

इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लि०, बरेली में वर्ष 1999-2000 में कुल रु० 864.61 लाख का लेन-देन (टर्न-ओवर) हुआ है, जो अनन्तिम है ।

जी हां । कम्पनी का 31 मार्च, 2000 तक कुल घाटा रु० 2391.00 लाख है, जो अनन्तिम है ।

उक्त कम्पनी के पुनर्वासन हेतु औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) विचार कर रहा है ।

वनराजि अधिकारी शाहजहांपुर तथा उप जिलाधिकारी तिलहर को तिलहर क्षेत्र में हो रहे अवैध कटान रोकने के सम्बन्ध में पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

52—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-10-99 जो तिलहर क्षेत्र में अवैध कटान के संबंध में था, जिला वनराजि अधिकारी शाहजहांपुर तथा उप जिलाधिकारी, तिलहर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त अधिकारियों द्वारा उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

अभिलेखों के अनुसार पत्र दिनांक 29-10-99 प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर की गांव सभा गौहापुर में पुल बनाने के सम्बन्ध में पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

53—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 7-7-99 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है, जो विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड जैतीपुर के गांव सभा गौहापुर में पुल बनाने के संबंध में था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पत्र दिनांक 8-7-99 को उन्हें आवश्यक

कार्यवाही हेतु भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत पुल के स्थल का निरीक्षण कराया गया । इसके निर्माण की अनुमानित लागत रु० 305.00 लाख है । प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रश्नगत पुल का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद शाजहांपुर से फर्रुखाबाद मार्ग पर घटियाघाट पुल से अवैध पथकर वसूली रोके जाने की मांग

54—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-7-99 जो जनपद शाहजहांपुर से फर्रुखाबाद मार्ग पर घटियाघाट के पुल से गुजरने वाले वाहनों से निर्धारित दरों से अधिक पथकर वसूली किये जाने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पत्र दिनांक 8-7-99 को उन्हें आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में वांछित सूचना पंजीकृत पत्र दिनांक 15-4-2000 द्वारा प्रश्नकर्ता को भेज दी गयी है तथा सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उक्त सेतु पर निर्धारित दरों से अधिक पथकर वसूली न की जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाजहांपुर के क्षेत्र तिलहर विकास खण्ड जैतीपुर से ग्राम वेलाडाडी जनपद बदायूं के मध्य रामगंगा नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

55—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-7-99 जो जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्राम सभा नगरिया विकास खण्ड जैतीपुर से ग्राम वेलाडाडी जनपद बदायूं के मध्य रामगंगा नदी पर पुल बनाने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पत्र दिनांक 8-7-99 को आवश्यक कार्यवाही हेतु उन्हें भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत पुल के स्थल का निरीक्षण कराया गया। पुल के निर्माण की अनुमानित लागत रु० 20.00 करोड़ है। प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रश्नगत पुल का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र के अन्तर्गत कलान से फरीद मार्ग पर कौही तालाब के पास बनी पुलिया पर दीवार बनाने के सम्बन्ध में घोषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

56—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र दि० 15-10-1999 जो विधान सभा क्षेत्र तिलहर जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत कलान से फरीद मार्ग पर कौही के पास तालाब के पास बनी पुलिया पर दीवार बनाये जाने विषयक था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त पत्र पर सचिव, लोक निर्माण एवं पर्यटन को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र लोक निर्माण विभाग को भेजा गया था।

प्रश्नगत कार्य का परीक्षण कराया गया, जिसके अनुसार इसे कराने के लिये रु० 3.74 लाख की आवश्यकता है जिसे इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय के शिक्षा विभाग में कर्मचारियों को भविष्य निर्वाह निधि से अस्थायी/स्थायी अग्रिम अस्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

57—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा धनराशियों से कर्मचारियों (अभिदाताओं) को अपनी संतानों के सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों को सम्पादित कराने हेतु सभी प्रकार के अस्थायी/स्थायी अग्रिम स्वीकृत किये जाने पर शासन द्वारा रोक लगा रखी है ? यदि नहीं, तो सचिवालय के शिक्षा विभाग में कार्यरत कितने कर्मचारियों को उक्त प्रयोजन हेतु वर्ष 1999 से 31-1-2000 तक अस्थायी/स्थायी अग्रिम को अस्वीकृत किया गया है और क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं।

शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी का अस्थायी अग्रिम वित्त विभाग के शासनादेश संख्या : सा-4-387/दस-99-502-85, दिनांक 8-10-99 से आच्छादित न होने के कारण अस्वीकृत किया गया लेकिन सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अधिकारियों से अपनी समस्या स्पष्ट करने के उपरान्त विशेष परिस्थितियों में अग्रिम स्वीकृत कर दिया गया।

प्रौढ़ शिक्षा विभाग के समाप्त हो जाने से परियोजना अधिकारियों को संयुक्त शिक्षा निदेशक के वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

58—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रौढ़ शिक्षा विभाग के समाप्त हो जाने के कारण उसमें कार्यरत परियोजना अधिकारियों का समायोजन शासन के निर्णयानुसार श्रेणी–2 के पदों पर किया जाना था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उनमें से राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में तीन अधिकारी संयुक्त निदेशक वेतनमान में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इन अधिकारियों को संयुक्त शिक्षा निदेशक वेतनमान दिये जाने का आधार क्या है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

परियोजना अधिकारियों का नहीं अपितु जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों का समायोजन श्रेणी–2 के पदों पर किये जाने का निर्णय था ।

प्रश्नगत तीन अधिकारी श्रेणी–2 के अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी के पद एवं वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करके सभी के लिये शिक्षा परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं है ।

59—श्रीमती गौरी देवी–

[दिनांक 4-5-2000 को अता० प्र० सं०–121 द्वारा उत्तरित]

बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव को श्रीमती राजेश्वरी गुप्ता पत्नी स्व० श्री श्यामलाल का पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

60—श्री उदय राज यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती राजेश्वरी गुप्ता पत्नी स्व० श्री श्याम लाल गुप्ता, सुभाष नगर तेलीबाग, लखनऊ का रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 10-02-2000 जो बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव को परिवार की दयनीय स्थिति एवं भुखमरी से बचाने एवं अपने स्वर्गीय पति के पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

श्रीमती राजेश्वरी गुप्ता पत्नी स्व० श्री श्याम लाल गुप्ता को पारिवारिक पेंशन दिनांक 18-2-2000 को स्वीकृत की जा चुकी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

61—श्री राम विशुन आजाद–

[6ठें शुक्रवार में अता० प्र० सं०–134 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा के क्षेत्र मनकापुर में सड़कों को गड्ढा मुक्त किये जाने की योजना के अन्तर्गत मनकापुर, मसकनवा, बभनान, उतरौला आदि मार्गों को गड्ढा मुक्त करने की मांग

62—श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गड्ढा मुक्त योजना के अन्तर्गत जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1998-99, 1999–2000 में अब तक किन-किन सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया है ? क्या मनकापुर मसकनवा, वभनान मार्ग मनकापुर, उतरौला, मार्ग, मनकापुर नवाबगंज मसकनवा गौरा चौकी मार्ग, मनकापुर मछली गांव सादुल्ला नगर मार्ग में उक्त योजना के अन्तर्गत कार्य करवाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त मार्गों को गड्ढा मुक्त करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य सतत् प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में सभी राज्य मार्गों, प्रमुख जिला मार्गों व अन्य जिला मार्गों के आबादी वाले मार्गों को छोड़कर गड्ढा मुक्त रखने का सतत् प्रयास किया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार वर्ष 2000-2001 में प्रश्नगत मार्गों को गड्ढा मुक्त रखने का प्रयास किया जायेगा ।.

उपरोक्तानुसार ।

राज्य सम्पत्ति विभाग की कानपुर रोड, लखनऊ स्थित सचिवालय कालोनी के आवंटियों से मकान किराया वसूल न किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

63—श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग की कानपुर रोड, लखनऊ स्थित सचिवालय कालोनी के भवन संख्या एम० डी० एस० 3, 6, 8, 15, 16, 23, 30, 32, 41, 42, 44, 52, 54, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 85 एवं 87 के आवंटियों के नाम विभाग एवं पद नाम क्या हैं ? इन कर्मचारियों से कितना-कितना रुपया 1-4-98 से 31-3-99 तक मकान किराये के रूप में वसूल किया गया है ? यदि मकान किराया नहीं वसूला गया, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां,

राज्य सम्पत्ति विभाग की कानपुर रोड लखनऊ स्थित सचिवालय कालोनी के प्रश्नगत् आवासों के आवंटियों के नाम, पदनाम एवं विभाग की सूचना संलग्न है ।

उक्त कालोनी के अध्यासियों से संलग्न सूची के अनुसार किराया लिया गया है । ऐसे अध्यासी, जिन्होंने किराया जमा नहीं किया है, के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को वेतन से किराये की कटौती हेतु अनुरोध किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ..... पर ।)

राज्य उच्च शिक्षा परिषद् में रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने की मांग

64—श्री कासिम हसन–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य उच्च शिक्षा परिषद् में वर्ष 1995 से रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं की गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कतिपय नियुक्तियां की गयी हैं ।

शासनादेश में पदों को उच्च शिक्षा विभाग के सरप्लस पदों/प्रतिनियुक्तियों से भरे जाने का प्राविधान है। उच्च शिक्षा विभाग में सरप्लस कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के बेसिक शिक्षा परिषद् कार्यालय में वर्तमान में रिक्त लिपिक के पदों को भरे जाने की मांग

65—श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बरेली के बेसिक शिक्षा परिषद् कार्यालय में इस समय लिपिक के कितने पद रिक्त हैं ? क्या इन रिक्तियों की पूर्ति हेतु मृतक आश्रितों ने आवेदन किया है? यदि हां, तो कितने मृतक आश्रितों को नौकरी दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मृतक आश्रितों को शैक्षिक योग्यतानुसार नियुक्ति हेतु शिक्षा निदेशक बेसिक ने अपने पत्रांक डी०ई०/2368, दिनांक 31-12-99 द्वारा आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनका अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी–

केवल 02 पद रिक्त हैं।

जी हां।

जी नहीं।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुशीलन में बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के दिवंगत अध्यापकों/कर्मचारियों के आश्रितों के सेवायोजन सम्बन्धी प्राविधान सम्प्रति निष्प्रभावी है। मा० उच्च न्यायालय के द्वय मा० न्याय मूर्तियों की पीठ के फरवरी, 2000 के अद्यतन आदेशों के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण के सम्यक विश्लेषण के बाद शासन द्वारा यथा समय नीतिगत निर्देश जारी किये जायेंगे।

जी हां, किन्तु उपर्युक्त के आलोक में कार्यान्वयन सम्भव नहीं हो पाया।

66—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[6ठे शुक्रवार में अतारांकित प्र० सं०–176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महराजगंज के फरेन्दा क्षेत्र में जिला योजना, स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना में ग्राम सिंहपुर धरौली को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु स्वीकृत धनराशि का दूसरी विधान सभा में खर्च किये जाने की जांच की मांग

67—श्री विनोद मणि–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज के फरेन्दा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1997-98 में जिला योजना, स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना में ग्राम सिंहपुर धरौली को मुख्य मार्ग से जोड़ने की स्वीकृति थी ? क्या निर्माण खण्ड महराजगंज के अभियन्ताओं द्वारा इस स्वीकृत सड़क का अवमुक्त धन दूसरे विधान सभा क्षेत्र के गांव धरौली बुजुर्ग में सड़क निर्माण में खर्च कर दिया गया ? क्या धरौली बुजुर्ग भी वर्ष 1997-98 में अम्बेडकर गांव के रूप में चयनित था ? यदि नहीं, तो क्या स्वीकृति के विपरीत विभाग द्वारा कराया गया निर्माण कार्य वैधानिक है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लिये दोषी अभियन्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1998-99 में दी गयी थी।

जी हां ।

जी नहीं ।

जांच करायी जायेगी ।

जांच पूरी होने तथा उत्तरदायित्व निर्धारित होने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र में सीमेन्ट फैक्ट्री इण्टर कालेज डाला के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन न दिये जाने के कारण

68—श्री विनोद मणि–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम, यूनिट डाला सीमेंट फैक्ट्री डाला सोनभद्र द्वारा सन् 1970 से संचालित एवं वित्तपोषित दी यू०पी० एस० सी० सी० इण्टर कालेज, डाला से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को जुलाई, 1998 से वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त अवधि के बकाया वेतन का भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

सीमेंट फैक्ट्री इण्टर कालेज डाला सहायता प्राप्त विद्यालय है । परन्तु डाला के प्राथमिक विद्यालय वित्तपोषित नहीं हैं । इन प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान का प्रबंध उ० प्र० राज्य सीमेंट निगम द्वारा स्वयं किया जाता है । निगम की इकाईयों में सीमेंट उत्पादन कार्य बंद हो जाने से निगम के अन्य कर्मचारियों की भांति इन प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 12-7-1998 तक के वेतन का भुगतान हो पाया है । इसके पश्चात् इसके किसी भी कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका है ।

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने 8-12-99 के पारित निर्णय/आदेश द्वारा उ० प्र० राज्य सीमेन्ट निगम के परिसमापन संबंधी आदेश पारित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही हेतु आफीशियल लिक्वीडेटर, इलाहाबाद को निगम का लिक्वीडेटर नियुक्त कर दिया है । अतएव निगम के कर्मचारियों सहित इन प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 8-12-99 तक के देय वेतन आदि का भुगतान निगम के लिक्वीडेटर द्वारा ही किया जाना है ।

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र के अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी गढ़िया रंगीन मार्ग के नवीनीकरण कार्य की जांच की मांग

69—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-9-99 जो विधान सभा क्षेत्र तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी गढ़िया रंगीन मार्ग के कि०मी० 4 और 5 में कराये गये नवीनीकरण कार्य की जांच कराये जाने विषयक था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-1-99 मा० मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में 17-9-99 को प्राप्त हुआ था ।

इस सम्बन्ध में जांच के आदेश दिये गये हैं । जांच आख्या प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

70—डा० सरजीत सिंह डंग–

[6ठे गुरुवार में अता० प्र० सं० 83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

71—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[7वें बुधवार में अता० प्र० सं० 186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आजमगढ़ में स्वीकृत नहर पटरी योजना हेतु लोक निर्माण विभाग से धन आवंटित करने की मांग

72—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सत्र 1999–2000 में स्वीकृत नहर पट्टी को पिच रोड बनाने की योजना लम्बाई 30 कि०मी० (जनपद आजमगढ़) के लिये धन का आवंटन हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार वित्तीय वर्ष 1999–2000 में स्वीकृत नहर पटरी योजना (जनपद आजमगढ़) को लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण करने के लिये धन का आवंटन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में जनपद–आजमगढ़ के अन्तर्गत नहर पटरी योज़ना का कोई कार्य स्वीकृत नहीं है अतः पूर्ण कराने के लिए धनावंटन का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में बहराइच-आजमगढ़ मार्ग के भगोहर बौगड़ा जमनहा सम्पर्क मार्ग हेतु स्वीकृत धनराशि को अवमुक्त किये जाने की मांग

73—श्री राजेश कुमार सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में बहराइच–आजमगढ़ मार्ग के कि०मी० 88 के भगोहर बौगड़ा जमनहा सम्पर्क मार्ग हेतु वर्ष 1997-98 में रु० 23 लाख (तेइस लाख) का धन स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क हेतु सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण 23.00 लाख की लागत पर वर्ष 1997-98 में स्वीकृत किया गया था ।

जी नहीं ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त नहीं की जा सकी है ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहदर में आफताब हैदर सहायक अध्यापक प्राइमरी पाठशाला धुघेरा की सेवाकाल में मृत्यु के कारण देय अवशेषों के भुगतान की मांग

74—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के वि० ख० बेहदर में आफताब हैदर (सहायक अध्यापक) प्रा० पाठशाला धुघेरा की सेवा काल के दौरान दि० 29-5-1998 को मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनके अवशेष प्रावीडेन्ट फण्ड तथा बीमा धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? समस्त अवशेषों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी

स्व० आफताब हैदर की मृत्यु दिनांक 29-5-1998 को हुयी थी ।

जी नहीं ।

दिवंगत अध्यापक द्वारा सेवाकाल में नामांकन पत्र न भरने तथा उनके आश्रितों द्वारा सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र न प्रस्तुत करने के कारण अवशेष देयकों का भुगतान नहीं किया जा सका ।

उनके आश्रितों द्वारा सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान हो सकेगा ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड सन्तुलित विकास निधि से अवमुक्त धनराशि द्वारा शहर की मुख्य सड़कों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

75—श्री बाबूलाल कुशवाहा–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बांदा के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड सन्तुलित विकास निधि से वर्ष 1998-99 में बांदा शहर की मुख्य सड़कों की मरम्मत हेतु 40 लाख (चालीस लाख) रुपये अवमुक्त किये गये थे ? यदि हां, तो अवमुक्त धनराशि से क्या सड़कों का निर्माण कार्य करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? निर्माण कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

बुन्देलखण्ड संतुलित विकास निधि से बांदा शहर की पांच सड़कों पर बी०एम०/एस०डी०सी० कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को 40 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये थे ।

कार्य प्रगति में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्माण कार्य जून, 2000 तक पूरा कराने का लक्ष्य है ।

जनपद इलाहाबाद में जूनियर हाई स्कूल मलाक चौधरी सोरावं के सेवा निवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पेंशन न देने का औचित्य

76—श्री रंग बहादुर पटेल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाईस्कूल मलाक चौधरी सोरावं इलाहाबाद के सेवा निवृत्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री भगवती प्रसाद यादव को वर्ष 1994 में सेवा निवृत्ति के पश्चात् पेंशन प्रदान की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार विलम्ब करने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

श्री भगवती प्रसाद यादव, नियत वेतन पर परिचारक पद पर कार्यरत थे । नियत वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन दिये जाने का प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

मंगरौरा प्रतापगढ़ एवं ब्लाक पट्टी में भारत सिंह बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं ठा० चन्द्र बहादुर सिंह बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्वीकृति की मांग तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

77—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा० मुख्य मंत्री के आदेश सी०एम/वि०को०/एम–5/10721/प्रतापगढ़/98, दिनांक 15-5-98 एवं पत्र संख्या 11318 दिनांक 26-5-98 जो भारत सिंह बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं ठा० चन्द्र बहादुर सिंह बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ब्लाक पट्टी एवं मंगरौरा प्रतापगढ़ की स्वीकृति विषयक था, प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

दोनों विद्यालय असेवित विकास खण्ड योजना के अन्तर्गत खोलने हेतु अनुरोध किया गया था । दोनों विकास खण्ड–पट्टी एवं मंगरौरा सेवित थे । अतः प्रश्नगत दोनों विद्यालय स्वीकृत किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक जैतीपुर, ग्राम मड़ई के प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

78—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 12-9-1999 जो ग्राम मड़ई, ब्लाक जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर के प्रा० पाठशाला के अध्यापक द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग किये जाने की जांच कराये जाने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

संदर्भगत पत्र प्राप्त नहीं हुआ । प्रकरण में पत्र दिनांक 8-9-99 तथा 29-8-99 में प्राप्त हुये हैं ।

उक्त पत्रों के आधार पर जांच करायी गयी और यह पाया गया कि विद्यालय भवन में प्लास्टर, फर्श, खिड़की तथा दरवाजे का कार्य अपूर्ण है । अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में डी० पी० ई० पी० योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों की जांच

79—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में डी० पी० ई० पी० योजना के अन्तर्गत कितना धन दि० 1-4-1998 से 10-2-2000 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ ? इसमें से कितना-कितना धन निर्माण कार्यों में कहां-कहां खर्च हुआ तथा कितना धन प्रशिक्षण में खर्च हुआ एवं कितने अध्यापक प्रशिक्षित हुए ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त अवधि में जनपद शाहजहांपुर में डी० पी० ई० पी० योजना के अन्तर्गत कोई भी कार्य नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त योजना पर किये गये व्यय तथा उससे किये गये कार्यों की जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

डी० पी० ई० पी० योजनान्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, शाहजहांपुर को प्रश्नगत अवधि में कुल धनराशि रु० 5,30,81,450.00 (रुपये पांच करोड़ तीस लाख इक्यासी हजार चार सौ पचास मात्र) प्राप्त हुई ।

उपर्युक्त से 132 प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण पर रु० 1,00,84,800.00, 75 जर्जर भवनों के निर्माण पर रु० 57,30,000.00, 688 शौचालयों के निर्माण पर रु० 82,56,000.00 तथा 185 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण पर रु० 1,01,77,500.00 खर्च हुआ । डी० पी० ई० पी० योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु प्राप्त हुई कुल धनराशि रु० 77,94,600.00 में से प्रशिक्षण पर रु० 54,18,342.00 खर्च हुआ । इसके अन्तर्गत 7344 अध्यापक तथा 23650 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य प्रशिक्षित हुये ।

कृत कार्यों का विवरण ऊपर इंगित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा, में नगर पंचायत मनकापुर के अध्यक्ष द्वारा लोक निर्माण खण्ड–4 की मुख्य सड़क से अवैध निर्माण हटवाने विषयक दिया गया पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

80—श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर, जनपद गोण्डा में नगर पंचायत मनकापुर के अध्यक्ष द्वारा लोक निर्माण खण्ड–4 की मुख्य सड़क के किनारे अवैध निर्माण को हटवाने एवं दोषियों के विरुद्ध जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम/वि०को०/एम–2/29835/गोण्डा/00, दिनांक 4-1-2000 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

अतिक्रमण हो हटाये जाने सम्बन्धी वाद मा० न्यायालय सिविल जज (सी० डी०) गोण्डा के समक्ष विचाराधीन है । प्रकरण की जांच मुख्य अभियन्ता (भवन) लो० नि० वि०, लखनऊ के द्वारा की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में क्षतिग्रस्त मनकापुर–बभनान मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

81—श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में मनकापुर–बभनान मार्ग और मसकनवा–सिकन्दरपुर मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत दोनों मार्ग ब्रिक बैलास्ट पर लेपित हैं इन पर चलने वाले यातायात के दबाव की तुलना में इनकी क्रस्ट कम है जिससे ये मार्ग क्षतिग्रस्त होते रहते हैं ।

उपलब्ध संसाधनों के अनुसार मरम्मत कराई जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उधम सिंह नगर स्थित जसपुर स्पिनिंग मिल्स के पुनर्वास हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धन के सम्बन्ध में जानकारी

82—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जसपुर स्पिनिंग मिल्स उधम सिंह नगर के पुनर्वास हेतु योजना आयोग की संस्तुति पर केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 के लिये कितना धन दिया गया ? क्या वर्तमान में उक्त मिल चालू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम लि०, की जसपुर एवं काशीपुर स्थित कताई मिलों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय योजना आयोग, भारत सरकार से रुपये 12.00 करोड़ (बारह करोड़ रुपये मात्र) की धनराशि मिली है ।

जी नहीं ।

निरन्तर हानि में चलने एवं कार्यशील पूंजी के अभाव में जसपुर कताई मिल अक्टूबर, 1998 से बन्द है ।

जनपद कन्नौज, ब्लाक सौरिख, हरभानपुर मौजा गोरखपुर ग्राम सर्वा में प्राथमिक विद्यालय निर्माण कराने की मांग

83—श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सर्वा मौजा–गोरखपुर हरभानपुर ब्लाक सौरिख, जनपद–कन्नौज में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी नहीं ।

असेवित ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु मैदानी क्षेत्र में 1.5 कि०मी० की दूरी तथा 300 की आबादी का मानक निर्धारित है । ग्राम सर्वा से 1 कि०मी० की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय गोरखपुर दक्षिणी संचालित है । अतः मानकानुसार सेवित होने के कारण प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं है ।

जनपद गोण्डा के रामगढ़ टिकरी रेंज के विभागीय कर्मचारियों के सहयोग से वन माफियाओं द्वारा अवैध कटान तथा दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

84—श्री राम विशुन आजाद–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के रामगढ़ टिकरी रेंज में विभागीय कर्मचारियों के सहयोग से वन माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध कटान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार करौंदी, मनीपुर, कटहर, बुटहनी, रामगढ़, गनेशपुर आदि बीटों की काम्बिंग करवा कर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

प्रश्नगत रेंज में बड़े पैमाने पर अवैध कटान करने का मामला प्रकाश में नहीं आया है । विभागीय अधिकारियों की जांच में करदा कक्ष–1 ए में आठ साखू के वृक्ष अवैध रूप से काटे पाये गये । अवैध कटान के सम्बन्ध में श्री राम बिहारी शुक्ला, वन दरोगा तथा वन रक्षक सर्वश्री राम अधार सिंह एवं कन्हैया सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान दोनों वन रक्षकों को निलम्बित भी किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा में वन विभाग के बैरियर पर ट्रैक्टर एवं ट्रक पर अवैध धन की वसूली के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र

85—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-2-98 जो जनपद शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा में वन विभाग के बैरियर पर ट्रैक्टर एवं ट्रक पर अवैध धन वसूली करने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उन्होंने उस पर दि० 5-2-1998 को प्रमुख सचिव, वन को जांच के लिये आदेशित किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

प्रश्नकर्ता का संदर्भित विषय में पत्र, दिनांक 28-12-97 मुख्यमंत्री कार्यालय से दिनांक 5-2-98 को प्राप्त हुआ था ।

पत्र पर जांच के कोई विशिष्ट आदेश नहीं थे ।

पत्र में इंगित शिकायतों की जांच प्रभागीय निदेशक, प्रशिक्षण, सुचना एवं रिपोटिंग प्रभाग, लखनऊ से करायी गयी जिसमें आरोप सही नहीं पाये गये ।

जनपद देवरिया के शक्ति निकेतन, प्राथमिक विद्यालय उरदौली अहिरौली लाल, के प्रबन्धक के स्थान पर प्रधानाचार्य द्वारा गलत ढ़ग से मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से धन का भुगतान

86—श्री अफजाल अहमद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि श्री भृगुनाथ प्रबन्धक, शक्ति निकेतन, प्राथमिक विद्यालय उरदौली अहिरौली लाल, जनपद देवरिया के नाम से मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से विद्यालय के भवन निर्माण हेतु फरवरी, 1995 में धन स्वीकृत हुआ था ? क्या उक्त भुगतान जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा किया गया था ? क्या यह सही है कि प्रबन्धक का भाई जो प्रधानाचार्य है के द्वारा अपनी फोटो लगाकर स्वयं प्रबन्धक बनकर धन का भुगतान प्राप्त कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रधानाचार्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर फर्जी भुगतान प्राप्त करने के आरोप में दण्डित करते हुए व्यय किये गये धन की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रश्नगत विद्यालय को रु० 50,000 (रु० पचास हजार मात्र) की स्वीकृति दिनांक 24-5-95 को प्रदान की गई थी ।

जी हां । धनराशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट सं० 870342 दिनांक 11-7-95 द्वारा श्री भृगुनाथ यादव, प्रबन्धक, शान्ति निकेतन प्रा० वि० उरदौली, अहिरौली, देवरिया को क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक बेलिया कला देवरिया के खाता सं० सी०ए० 29 के माध्यम से किया गया है ।

प्रश्नगत धनराशि का भुगतान प्रबन्धक के बैंक खाते के माध्यम से हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इटावा के श्री किसान माध्यमिक विद्यालय अटसू, औरैया पूर्व के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान

87—श्री लाल सिंह वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 20 फरवरी, 1995 के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद श्री किसान माध्यमिक विद्यालय, अटसू, औरैया पूर्व जनपद इटावा के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का मार्च, 1991 से मार्च, 1996 तक का बकाया वेतन अब तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

विद्यालय के शिक्षक/कर्मचारियों का अवशेष वेतन का मूल आगणन आदि सहित प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

यथाशीघ्र ।

जनपद इटावा के जनता माध्यमिक विद्यालय कामेत, ब्लाक बढ़पुरा, के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मांग

88—श्री लाल सिंह वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16-12-1998 को 220–अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के बालक/बालिकाओं की अनुदान सूची निर्गत हुई थी ? क्या उसमें जनता माध्यमिक विद्यालय कामेत, ब्लाक बढ़पुरा, जिला इटावा भी सम्मिलित था ? यदि हां, तो क्या जनता

माध्यमिक विद्यालय, कामेत, इटावा के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त का वेतन भुगतान कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां।

कार्यवाही गतिमान है।

जनपद लखनऊ के ग्राम करेंद, डाकघर गहदो में स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय दिव्य शिक्षा समिति संस्थान (नाबा) में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मांग

89—श्री समर पाल सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अन्तर्राष्ट्रीय दिव्य शिक्षा समिति संस्थान (नाबा) राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2(20) 27 तथा 44 के अधीन स्थापित संस्था है ? क्या यह बी० टी० सी० एन० पत्राचारी प्रशिक्षण संस्था है ? क्या इसके कार्यालय कोठी ठाकुर गोपाल सिंह, ग्राम करेंद, डाकघर गहदो, जनपद–लखनऊ में वर्ष 1996 से लगभग 50-60 कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या उनको विगत चार वर्षों से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त अवशेष वेतन कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ के कार्यालय में अपर सचिव के पद पर नियमित नियुक्ति की मांग

90—श्री बेचन राम–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ का कार्यालय कार्यवाहक अपर सचिव द्वारा वर्ष 1995 से लगातार चलाया जा रहा है ? क्या इस पद पर किसी नियमित अपर सचिव की नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त नियमित नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अपर सचिव का कार्य शासन के अधिकारी को सौंपा गया है।

जी हां।

शासन के उच्च शिक्षा सचिव, परिषद् के सदस्य-सचिव पदेन हैं। परिषद् की शैश्वावस्था तथा वित्तीय भार को दृष्टिगत रखते हुए, अपर सचिव का कार्य, शासन के अधिकारी को सौंपा गया है।

परिषद् की आवश्यकतानुसार की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती आदर्श श्रीवास्तव, म० नं०–645 निकट ग्रेज स्कूल आगा कालोनी, सीतापुर को माध्यमिक अध्यापक कल्याण कोष से प्रतिमाह सहायता की धनराशि का भुगतान

91—श्री रमेश राही–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती आदर्श श्रीवास्तव नि० म०न०–645 निकट ग्रेज स्कूल आगा कालोनी, सीतापुर को निदेशालय के पत्रांक सं०–अ०स०/3498-94/2-5/1/9-4-1995 दिनांक 29-9-1994 द्वारा माध्यमिक अध्यापक कल्याण कोष से 150/- प्रतिमाह की

सहायता स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसका नियमित भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां, एक वर्ष के लिये रु० 150/- प्रतिमाह की सहायता स्वीकृत की गयी थी ।

जी नहीं, यह सहायता अनावर्तक थी और श्रीमती आदर्श श्रीवास्तव को रु० 150/- प्रतिमाह की दर से 12 माह का कुल रु० 1800/- तीन किश्तों में भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग, उन्नाव निर्माण खण्ड–1 में मृतक आश्रितों को नियमित अधिष्ठान में रखने की मांग

92—श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग, उन्नाव निर्माण खण्ड नं०–1 में शासनादेश सं० 2052/23-4/93 एन० जी०/93, दिनांक 17-6-93 द्वारा अधिशासी अभियन्ता उन्नाव को मृतक आश्रितों को नियमित अधिष्ठान में रखे जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1988–89 से अब तक कितने मृतक आश्रितों को नियमित अधिष्ठान में रखा गया है ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 17-6-93 में प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय के निर्देश दिये गये हैं कि जिन कार्मिकों को विनियमितीकरण करके सरकारी कर्मचारी का स्तर प्रदान कर दिया गया हो, उनको मृतकों के आश्रित कर्मचारी नियमावली 1974 का लाभ अनुमन्य होगा ।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड नं०–1, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव द्वारा वर्ष 1988-89 से अब तक मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित 11 कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में रखा गया है ।

93–श्री कृपा शंकर सिंह–

[दिनांक 11-4-2000 को अता० प्र० सं०–128 द्वारा उत्तरित]

94—श्री कृपा शंकर सिंह–

[दिनांक 11-4-2000 को अता० प्र० सं०–127 द्वारा उत्तरित]

प्रान्तीय खण्ड उन्नाव, लोक निर्माण विभाग में कार्यरत समस्त बेलदार एवं मेटों को पंचम वेतन आयोग के अनुसार वेतन भुगतान की जानकारी

95—श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रान्तीय खण्ड उन्नाव, लोक निर्माण विभाग में कार्यरत समस्त बेलदार एवं मेटों को पंचम वेतन आयोग के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त कर्मचारियों को वेतन वृद्धि, नकदीकरण एवं बोनस का भी भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

समस्त नियमित बेलदारों एवं मेटों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगदीकरण के अतिरिक्त अन्य भुगतान कर दिये गये हैं।

अवकाश नगदीकरण को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 27-12-99 द्वारा स्थगित कर दिया गया था।

वित्त विभाग के आदेश जब तक प्रभावी हैं तब तक भुगतान करना सम्भव नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार।

कार्यालय आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ के मुख्यालय से सम्बद्ध कर्मचारियों को क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ किया जाना

96—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय हेतु कर्मचारियों के अलग-अलग कितने पद स्वीकृत हैं ? वर्तमान समय में मुख्यालय पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि समादेश मुख्यालय पर 109 कर्मचारी सम्बद्ध हैं ? यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों के पद भी मुख्यालय से सम्बद्ध हैं ? यदि नहीं, तो इनका वेतन बिना पद के मुख्यालय से कैसे निकाला जा रहा है ? क्या इन 109 कर्मचारियों को सम्बद्ध करने से पूर्व वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप शासकीय स्वीकृति प्राप्त की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इन 109 सम्बद्ध कर्मचारियों को क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थ किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना के मुख्यालय हेतु विभिन्न संवर्गों के 71 स्थाई व 62 अस्थायी कुल 133 पद तथा क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु 197 स्थायी व 1548 अस्थायी कुल 1745 पद विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत हैं।

वर्तमान में शारदा सहायक समादेश मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गों के 176 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन 176 पदों में 43 कर्मी सरप्लस स्टाफ के सापेक्ष समादेश मुख्यालय पर कार्यरत हैं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी में प्रबन्धकीय व्यवस्था के तहत बालिका विद्यालय स्थापित करने हेतु धन उपलब्ध कराने की मांग

97—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी में प्रबन्धकीय व्यवस्था के तहत बालिका विद्यालय स्थापित करने हेतु धन उपलब्ध कराने विषयक मुख्य मंत्री के आदेश संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–3/13250/प्रतापगढ़/98, दिनांक 11-7-98 का पालन प्रमुख सचिव, शिक्षा एवं जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

मा० मुख्य मंत्री के आदेश प्रमुख सचिव शिक्षा को दिये गये थे जिनके द्वारा आदेश का अनुपालन कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उदय प्रताप स्वायत्तशासी महाविद्यालय वाराणसी को एम०एस०सी० (कृषि) रसायन एवं मृदा विज्ञान विषय को स्थायी मान्यता दिये जाने की मांग

998—श्री श्याम देव राय चौधरी—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उदय प्रताप स्वायत्तशासी महाविद्यालय, वाराणसी को एम० एस०सी० (कृषि) रसायन एवं मृदा विज्ञान विषय की स्थायी मान्यता दिये जाने हेतु निरीक्षण मण्डल की स्पष्ट आख्या दिनांक 14/24 मार्च, 1995 को प्राप्त हो गयी थी ? यदि हां, तो उसे स्थायी सम्बद्धता कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार दिनांक 14/24 मार्च, 1995 की आख्या कुल सचिव पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के पत्र दिनांक 21-12-98 के साथ संलग्नक के रूप में शासन को दिसम्बर, 1998 में प्राप्त हुयी थी ।

श्री कुलाधिपति जी द्वारा 20-6-2000 तक अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान कर दी गयी है ।

उप प्रभागीय वनाधिकारी (विधूना), इटावा के विरुद्ध आरोपों की जांच

999—श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊर्जा मंत्री के शिकायती-पत्र 4608/ वी०आई०पी०, दिनांक 10-11-2000 जो उप प्रभागीय वनाधिकारी (विधूना) इटावा के विरुद्ध आरोपों की जांच के संबंध में था, मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ??

श्री राजधारी सिंह—

जी हां ।।

शिकायती-पत्र में वर्णित आरोपों की जांच मुख्य वन संरक्षक (मध्य क्षेत्र) उ० प्र०, लखनऊ के माध्यम से वन संरक्षक कानपुर से करायी गयी । जांच आख्या में तत्कालीन रेंज अधिकारी, विधूना श्री सी० डी० बाजपेयी, के कार्यकाल का एक वृक्षारोपणण असफल पाया गया । इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु मुख्य वन संरक्षक (मध्य क्षेत्र) को निर्देशित कर दिया गया है ।।

प्रश्न नहीं उठता ।।

विद्युत/यांत्रिक खण्ड गोरखपुर में कार्यरत सहायक अभियन्ता, श्री ए० पी० मिश्रा के विरुद्ध जांच विषयक कार्यवाही

1000—श्री स्वामी प्रसाद मौर्य—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विद्युत/यांत्रिक खण्ड, गोरखपुर में कार्यरत सहायक अभियन्ता, श्री ए० पी० मिश्रा के इलाहाबाद के कार्यकाल के दौरान की गयी जांच में दोषी पाये जाने के बाद शासनादेश संख्या–1574(1)/23-6-5(1)ई०एम०/83, दिनांक 24 मई, 1989 द्वारा श्री ए० पी० मिश्रा को अकार्यकारी पद पर रखने के आदेश दिये हैं ? क्या गोरखपुर क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या–3322/5 गो० मंडल स० अ० दिनांक 20-3-90 द्वारा उन्हें कोई कार्य न देने के भी आदेश हुए हैं ?? क्या श्री ए० पी० मिश्र के खिलाफ वर्तमान में टी० ए० सी० द्वारा जांच चल रही है ?? यदि हां, तो श्री मिश्रा जिनका मुख्यालय बस्ती है उन्हें गोरखपुर, बस्ती एवं सन्त कबीरनगर का

कार्यभार दिये जाने के क्या कारण हैं ? इस प्रकरण में दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । ऐसे आदेश तत्समय दिये गये थे एवं श्री ए० पी० मिश्रा को अकार्यकारी पद पर तैनात किया गया था ।

जी हां ।

जी हां ।

वर्ष 1994 में श्री मिश्रा का स्थानान्तरण पूर्व आदेशों को संशोधित करते हुए प्रमुख अभियन्ता द्वारा किया गया था ।

प्रकरण की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रान्तीय खण्ड उन्नाव द्वारा सड़कों के टेन्डर में की गई अनियमितताओं की जांच

101—श्री कृपाशंकर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रान्तीय खण्ड उन्नाव द्वारा 4 जून, 1999 को सात सड़कों के टेण्डर विभागीय दर से 25 प्रतिशत ऊंची दर पर किये गये थे ? क्या प्रश्नकर्ता की शिकायत पर उक्त टेण्डर विभागीय दर पर बाद में पूर्ण कर दिये गये ? यदि हां, तो क्या अन्य खण्डों में 20 से 25 प्रतिशत कम दर पर टेण्डर स्वीकार किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या टेण्डर स्वीकार करने में प्रान्तीय खण्ड उन्नाव द्वारा अनियमिततायें की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या पुनः टेण्डर कराये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

जी नहीं । विभाग ने स्वयं निविदादाताओं से निगोशिएट करके दरें घटवाई तथा विभागीय दर से कम दर पर कार्य हुए ।

जी हां, कुछ टेण्डर स्वीकृत हुए हैं ।

जांच कराई जायेगी ।

जी नहीं ।

निविदायें पहले ही स्वीकृत हो चुकी है तथा निर्माण कार्य प्रगति में हैं ।

प्रान्तीय खण्ड उन्नाव लो० नि० वि० के अधिकारियों द्वारा पुरवा पाटन मार्ग की मरम्मत हेतु चोरी से तारकोल बेचने की जांच

102—श्री कृपाशंकर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रान्तीय खण्ड उन्नाव लो० नि० वि० के अधिकारियों द्वारा पुरवा पाटन मार्ग की मरम्मत हेतु नवम्बर, 1998 से अप्रैल, 1999 के मध्य 20 मीट्रिक टन तारकोल निकालकर चोरी से बेचने की शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा 20 अगस्त, 1999 को प्रमुख सचिव, लोक निर्माण से की गयी थी ? यदि हां, तो क्या इसकी कोई जांच कराई गयी है? यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

टी० ए० सी० से जांच कराई गई है।

जांच आख्या परीक्षणाधीन है।

जनपद लखनऊ के ग्राम सुगामऊ थाना गाजीपुर स्थित बंसल ब्रिक फील्ड के मालिक द्वारा वन विभाग की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

103—श्री अफजाल अन्सारी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना–गाजीपुर, ग्राम–सुगामऊ, जनपद–लखनऊ स्थित बंसल ब्रिक फील्ड के मालिक श्री सुरेन्द्र अग्रवाल अपने निजी कार्य हेतु पिकनिक स्पाट (वन विभाग) में रास्ता बनाकर वन विभाग की सम्पत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उक्त मार्ग बन्द कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

ग्रामीणों के उपयोग हेतु काफी समय पूर्व से उक्त वनभूमि से लोक निर्माण विभाग की सड़क तक आने जाने हेतु जो रास्ता बना है उसे बन्द करने का प्रश्न नहीं है क्योंकि इससे जनता को असुविधा होगी।

जनपद आजमगढ़ में महराजगंज जियनपुर-मुबारकपुर मार्ग व जियनपुर–आजमगढ़ नदवा सराय एवं आजमगढ़ अमिला क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

104—श्री राम प्यारे सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में महराजगंज ज़ियनपुर–मुबारकपुर मार्ग व जियनपुर अजमतगढ़ नदवा–सराय एवं अजमतगढ़ अमिला मार्ग इस वर्ष की बरसात में जगह-जगह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

मार्गों की मरम्मत करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी मण्डल एवं मिर्जापुर मण्डल में शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति द्वारा भरा जाना

105—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मण्डल एवं मिर्जापुर मण्डल में शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों में वरिष्ठ सहायक (वेतनमान रु० 4500–7000) में कितने पद इस समय रिक्त है ? क्या रिक्त पदों पर विभाग में नियुक्त लिपिकों की पदोन्नति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

वाराणसी मण्डल में 12 तथा मिर्जापुर मण्डल में 8 पद वरिष्ठ सहायक के रिक्त हैं ।

जी हां ।

पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में मनकापुर मसकनवा बभनान मार्ग के मरम्मत की टी० ए० सी० जांच

106—श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1999–2000, में मनकापुर मसकनवा-बभनान मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल के मरम्मत हेतु कितना धन आवंटित किया गया है ? क्या आवंटित धनराशि का सदुपयोग मानक के अनुसार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार टी० ए० सी० जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत पुल की मरम्मत हेतु वर्ष 1999-2000 में रु० 4.75 लाख आवंटित किया गया ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वन विभाग द्वारा औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों को तेन्दू पत्ता आवंटित करने का अधिकार दिया जाना

107—श्री बांकेलाल सोनकर–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों को वन निगम से तेन्दू पत्ता आवंटित करने का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-1-2000 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्र के संदर्भ में उ० प्र० वन निगम के पत्र सं०–एम–91–से० प० अवशेष, दिनांक 3-3-2000 द्वारा वस्तुस्थिति में मा० सदस्य, विधान सभा (प्रश्नकर्ता) को अवगत करा दिया गया है कि तेंदूपत्ता के आवंटन का प्राविधान नहीं है, वरन् तेंदूपत्ता की बिक्री नीलाम/निविदा द्वारा की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के ग्राम मेहरावां स्थित जूनियर हाईस्कूल के भवन का निर्माण

108—श्री बांकेलाल सोनकर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वि० क्षे० शाहगंज, जनपद जौनपुर के ग्राम मेहरावां स्थित जूनियर हाईस्कूल के भवन के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-6-99 तथा 27-1-2000 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मा० सदस्य का पत्र उपलब्ध नहीं है । कन्या जूनियर हाई स्कूल मेहरावां, विकास क्षेत्र शाहगंज के भवन निर्माण का प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा अनुमोदित हो चुका है और भवन निर्माण हेतु प्रथम किश्त भी अवमुक्त की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, कलाध्यापक, सर्वोदय इण्टर कालेज किसौली जनपद मुरादाबाद का चयन वेतनमान में वेतन का निर्धारण

109—श्री भारत सिंह रावत–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, कलाध्यापक, सर्वोदय इण्टर कालेज किसौली जनपद–मुरादाबाद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 26-2-2000 जो दिनांक 1-1-86 से स्नातक वेतनमान के चयन वेतनमान में वेतन निर्धारित करने हेतु था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस सम्बन्ध में विशेष सचिव शिक्षा का अर्द्ध शासकीय प० सं० 2503/15–12–98–1600(69)/98 दिनांक 24-7-98 शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ० प्र०, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र के क्रम में श्री वीरेन्द्र पाल सिंह का चयन वेतनमान में वेतन निर्धारित कर अवशेष का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

उक्तवत् ।

जी हां ।

जी नहीं ।

शासनादेश संख्या–669/15-12-99-1600(69)/97 दिनांक 13 मई, 2000 द्वारा प्रदत्त आदेशों के अनुसार कार्यवाही की गयी ।

सन्त कबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल के अन्तर्गत सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाना

110—श्री अब्दुल कलाम–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज़नपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र मेहदावल में अभी तक कोई मार्ग गड्ढा मुक्त किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है

कि हेमा-सेमिरियावां मार्ग बस्ती-मेंहदावल मार्ग, खलीलाबाद-मेंहदावल बांसी मार्ग जगह-जगह से कट जाने के कारण चलने लायक नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

सड़कों को गड्ढामुक्त करना एक सतत् प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल के सभी राज्य मार्गों, प्रमुख जिला मार्गों व अन्य जिला मार्गों को गड्ढामुक्त करने का कार्य सतत् प्रक्रिया के रूप में किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत मार्गों में से खलीलाबाद–मेंहदावल बांसी मार्ग को छोड़कर कोई भी मार्ग कटा हुआ नहीं है । खलीलाबाद मेंहदावल बांसी मार्ग दो स्थानों पर कटा है जहां दो पुलों का निर्माण अपेक्षित है । इन दो स्थानों पर डाइवर्जन बनाये गये हैं जिन पर सूखे के मौसम में यातायात की सुविधा उपलब्ध रहती है: उपलब्ध संसाधनों के अनुसार सड़कों को गड्ढामुक्त रखने का प्रयास किया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला उन्नाव के प्राथमिक विद्यालय अलीपुर मिचलौला, विकास खण्ड औरास में छात्रों को पुष्टाहार वितरण में अनियमितता की जांच

111—श्री ज़गदीश नारायण राय–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालय अलीपुर मिचलौला, विकास खण्ड औरास जिला उन्नाव के अध्यापकों द्वारा छात्रों के लिये प्राप्त पुष्टाहार के वितरण में अनियमितता किये जाने विषयक वहां के ग्राम प्रधान सहित अन्य निवासीगण का शिकायती रजिस्टर्ड पत्र डाक संख्या–5807 दिनांक 23 फरवरी, 2000 जिलाधिकारी उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र की जांच किसके द्वारा करायी गयी और जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये ? दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

शिकायत की जांच सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उप बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव से कराई गयी । माह दिसम्बर, 99 से खाद्यान्न का वितरण विद्यालय एवं कोटेदार की वितरण पंजिका से प्रमाणित हुआ । स्थलीय जांच के समय उपस्थित ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत तथा अन्य निवासियों ने शिकायती पत्र पर उपलब्ध अपने हस्ताक्षरों से इन्कार किया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आर० आई० डी० एफ०–5 की सड़कों का बनाया जाना

112—श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आर०आई०डी० एफ० 5 की सड़कों को बनाये जाने के कितने और कौन

प्रस्ताव लम्बित है ? क्या सरकार उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत कर पेन्टिंग स्तर तक सड़कें बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वित्तीय वर्ष 99-2000 में जनपद मैनपुरी के निर्वाचन क्षेत्र भोगांव के आर० आई० डी० एफ० फेज 5 योजना के अन्तर्गत निम्न मार्गों के प्रस्ताव विचाराधीन थे :–

1–हन्नूखेड़ा से नगला मिलकर मार्ग ।

2–भोगांव-रजवाना मार्ग से देवीपुर मार्ग ।

नाबार्ड की सहमति तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

113—कुं० रेवती रमण सिंह–

[7वें गुरुवार में अता० प्र० सं०–25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मोअल्लिम–ए–उर्दू उपाधि धारकों की नियुक्ति की मांग

114—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधि धारकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-6-99 या इसके आस-पास मुख्य मंत्री तथा शिक्षा राज्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा के दूनागिरी मन्दिर द्वाराहाट परिसर में पेड़ों के अवैध कटान की जांच

115—श्री बावन सिंह–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि दूनागिरी मंदिर द्वाराहाट जनपद–अल्मोड़ा में मंदिर परिसर में खड़े सैकड़ों पेड़ का अवैध कटान वर्ष 1999 में किया गया है ? यदि हां, तो कुल कितने पेड़ों का अवैध कटान किया गया है ? क्या सरकार उसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

दिनांक 16-10-99 को जांच करने पर पाया गया कि मंदिर ट्रस्ट की भूमि पर विभिन्न प्रजाति के 19 वृक्षों का अवैध कटान किया गया है तथा 124 वृक्षों की साख तरासी की गयी है ।

जांच में दोषी पाये जाने पर मंदिर परिसर के व्यवस्था समिति के सचिव तथा कार्यकारी प्रबन्धक के विरुद्ध वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया तथा अपराधियों से रुपया 10,000/- की वसूली की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ में समूह 'ग' की भर्ती के सम्बन्ध में जानकारी

116—श्री अफजाल अहमद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ में समूह ''ग'' की भर्ती हेतु दिनांक 13-12-1998 को आयोजित परीक्षा तथा टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का न तो साक्षात्कार हुआ और न ही उनकी नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर उनकी नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

अभी प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया में डी० ए० वी० इण्टर कालेज बेल्थरा रोड की प्रबन्ध समिति द्वारा की गयी अनियमित नियुक्ति की जांच

117—श्री अफजाल अहमद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी०ए०वी० इण्टर कालेज बिल्थरा रोड, बलिया की प्रबन्ध समिति द्वारा वर्ष 1999 में दो प्रवक्ता, एक लिपिक व एक चौकीदार की नियुक्ति की गई है ? क्या इसके लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह शासनादेश का उल्लंघन है ? यदि हां, तो क्या इन नियुक्तियों को निरस्त करते हुए इस अनियमितता में दोषी प्रबन्ध समिति के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा आहरित वेतन की रिकवरी प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों से करने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

118—श्री अजय कुमार पोइया–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राज्य सम्पत्ति, निदेशालय उत्तर प्रदेश में अधिकारियों/कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि के रखरखाव की जांच

119—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति निदेशालय, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों/अधिकारियों के सम्बन्ध में सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का लेखा जोखा एवं ब्याज का रख-रखाव किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों और इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारी कर्मचारी कौन-कौन हैं ? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि भविष्य निर्वाह निधि के रख-रखाव हेतु सम्बन्धित कर्मचारी को विशेष वेतन दिये जाने का प्राविधान है ? क्या सम्बद्ध कर्मचारी द्वारा किये जाने वाले रख- रखाव की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां। राज्य सम्पत्ति निदेशालय उत्तर प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का लेखा संबंधी कार्य वर्ष 1988-89 से किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं, किन्तु भविष्य निधि के रखरखाव हेतु संबंधित कर्मचारी को 25 पैसे प्रति लेखे प्रतिमास की दर से प्रोत्साहन भत्ता देने का प्राविधान है।

रखरखाव की जांच का कार्य कराया जा रहा है।

प्रदेश के असेवित विकास खण्ड तथा असेवित न्याय पंचायतों में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना हेतु धन का आवंटन

120—श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश में असेवित विकास खण्ड और असेवित न्याय पंचायतों में एक-एक कन्या इण्टर कालेज की स्थापना और सफल संचालन हेतु 20 लाख रुपया स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रदान करने की कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं को धन आवंटन के क्या कोई मानक सरकार ने निर्धारित किये हैं ? यदि हां, तो वह मानक क्या हैं और उसके तहत कितने कन्या इण्टर कालेजों की स्थापना प्रदेश में की गई है ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रदेश में असेवित विकास खण्डों में एक तथा एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की मात्र एक अन्य न्याय पंचायत में कन्या विद्यालय की स्थापना की योजना है।

जी हां।

योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने वाले विद्यालयों को पहले रुपये 10 लाख, रुपया 5 लाख की दो समान किश्तों में स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था थी, जिसे दिनांक 20-8-98 को बढ़ाकर फिलहाल रुपये 20 लाख, रुपये 10-10 लाख की दो समान किश्तों में स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है। असेवित विकास खण्डों में कन्या विद्यालय स्थापना योजनान्तर्गत पुरानी दर से 278 एवं नई दर से 83 कुल 361 विद्यालयों के स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों की प्रोन्नति की जानकारी

121—श्री बाबू खां–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बेसिक शिक्षा-परिषद् के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों और सामान्य अध्यापकों की क्या सेवा नियमावली अलग-अलग बनायी गयी है ? क्या प्रशिक्षित वरिष्ठ उर्दू अध्यापकों की प्रोन्नति प्रधानाध्यापक के पद पर की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

रानी महेन्द्र कुमारी सरदार बल्लभ भाई इण्टर कालेज जनपद सुल्तानपुर में पुस्तकालय हेतु आवंटित धन के भौतिक सत्यापन की मांग

122—श्री ओम प्रकाश गुप्ता–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानी महेन्द्र कुमारी सरदार बल्लभ भाई इण्टर कालेज, दियरा, जनपद-सुल्तानपुर को वर्ष 1990 से फरवरी, 2000 तक पुस्तकालय हेतु कुल कितना धन प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त धन से खरीदे गये सामानों का भौतिक सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

वाचनालय फण्ड्स की कैश बुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 से फरवरी, 2000 तक रु० 80,947.32 की प्राप्ति हुई ।

जी नहीं ।

विद्यालयों के छात्र निधियों से क्रय की गयी सामग्री का भौतिक सत्यापन सामान्यतः जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नहीं किया जाता है ।

रानी महेन्द्र कुमारी सरदार बल्लभ भाई इण्टर कालेज जनपद सुल्तानपुर में टंकण मशीन की खरीद

123—श्री श्याम प्रकाश–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि रानी महेन्द्र कुमारी सरदार बल्लभ भाई इण्टर कालेज, दियरा, सुल्तानपुर को मेसर्स एजूकेशनल ट्रेडर्स डिपो–315, अरविन्द मार्केट, प्रतापगढ़ द्वारा बिल संख्या–44 दिनांक 1-6-98 को कोई टंकण मशीन खरीदी गयी थी ? यदि हां, तो उसका मूल्य और गारन्टी का समय क्या था और वह किस कम्पनी की बनी है ? क्या गारन्टी की अवधि में मशीन की कोई बनवाई दी गयी थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

मूल्य रु० 11,633.00, गारन्टी अवधि एक वर्ष, कम्पनी का नाम रैमिंगटन ।

गारन्टी अवधि में मशीन की कोई बनवाई नहीं दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में पर्यटक विकास हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

124—श्री बांकेलाल सोनकर–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में पर्यटक विकास हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-1-2000, मंत्री जी तथा उपाध्यक्ष, उ० प्र० पर्यटन निगम को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री अशोक यादव–

जी हां ।

सन्दर्भित पत्र में निहित बिन्दुओं तथा स्थान विशेष का निरीक्षण कराया गया । पर्यटकों का आवागमन नगण्य होने के कारण उस क्षेत्र की पर्यटन विकास की योजना पर विचार फिलहाल समीचीन नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रान्तीय खण्ड उन्नाव द्वारा बनवायी गयी सड़कों की जांच तथा दोषी लोगों की विरुद्ध कार्यवाही की मांग

125—श्री कृपाशंकर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रान्तीय खण्ड उन्नाव द्वारा बनवाई गई सड़कें, पुरौना, मर्दनपुर, पनई खुर्द एवं पिपरासर की मोटाई आठ से०मी० के लगभग है ? क्या इनकी मोटाई लगभग 17 से०मी० होनी प्रस्तावित थी ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्गों की जांच टी०ए०सी० से करायी जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर जांच के परिणाम के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

126—श्री कृपाशंकर सिंह–

[दिनांक 9-5-2000 को अता०प्र०सं०–63 द्वारा उत्तरित]

शिक्षा विभाग द्वारा उर्दू बी०टी०सी० में प्रशिक्षित अध्यापकों को सामान्य अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति पर विचार

127—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उ०प्र० में उर्दू बी०टी०सी० के चार प्रशिक्षण केन्द्र आगरा, मवाना, सकलडीहा, लखनऊ में स्थापित है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1998–99 में उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित शिक्षकों को उ० प्र० के जनपदों में शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य अध्यापकों के पदों पर नियुक्त किया गया गया है ? क्या यह सही है कि जामियां उर्दू, अलीगढ़ द्वारा संचालित परीक्षा मोअल्लिम–ए-उर्दू बी०टी०सी० के समकक्ष है ? यदि हां, तो क्या उनकी नियुक्तियां की गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उर्दू बी०टी०सी० के प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों के आधार पर सामान्य अध्यापकों के पदों पर उनकी नियुक्तियां करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं । उक्त स्थानों पर सम्प्रति उर्दू बी०टी०सी० प्रशिक्षण केन्द्र पृथक से स्थापित नहीं हैं बल्कि स्थापित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में एन०सी०टी०ई० के द्वारा निर्धारित सीटों में ही समेकित रूप से उर्दू विषयक छात्र भी बी०टी०सी० प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित होते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वीकृत पदों में से ही उर्दू विषय के अध्यापन हेतु आवंटित पदों के अन्तर्गत नियुक्ति की व्यवस्था विद्यमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वन विभाग के गार्ड श्री फौजीराम जनपद मथुरा के पक्ष में मा० उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की जानकारी

128—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग में गार्ड के पद पर कार्यरत एवं वर्तमान में निलम्बित श्री फौजीराम निवासी—बसौती पो० राधाकुण्ड, मथुरा के पक्ष में मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक—सी०एम०/वि०को०/एम—2/27470/मथुरा/99, दिनांक 6-11-1999 प्रमुख सचिव/सचिव, वन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कब तक सुनिश्चित करा दिया जायेगा ?

श्री राजधारी सिंह—

जी हां ।

चूंकि वादी श्री फौजीराम ने रिट याचिका संख्या—37793/1999 में दिनांक 6-9-99 को पारित मा० न्यायालय के निर्देशों के अनुसार संगत अभिलेख/प्रत्यावेदन नहीं उपलब्ध कराये हैं, इस कारण याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण नहीं हो सका है, फिर भी मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के लिए सक्षम प्राधिकारी प्रभागीय निदेशक, सा०वा०, वन प्रभाग, मथुरा को आदेश संख्या—1726/चौदह—3-12(वि०स०प्र०)/2000, दिनांक 9-5-2000 द्वारा निर्देश दे दिये गये हैं ।

इन्स्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग, यू०पी० लखनऊ के कार्यरत कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान की मांग

129—श्री श्याम किशोर यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्स्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग, यू० पी० लखनऊ के कार्यरत कर्मचारियों को विगत जुलाई, 1997 से बकाया वेतन का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्या उक्त वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री राम प्रकाश—

जी नहीं ।

यह संस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में इण्डो-जर्मन सहयोग से की गयी थी । इस संस्था के आवर्ती व्यय हेतु राज्य सरकार द्वारा गत वर्षों में अनुदान स्वीकृत किया जाता रहा है । इस संस्था की आय की तुलना में व्यय भार अधिक होने एवं इसके परिणाम स्वरूप धनाभाव हो जाने के कारण इसके कर्मचारियों को जुलाई, 1997 से वेतन आदि का भुगतान सम्भव नहीं हो पाया है ।

जनपद आगरा में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत 1000 की आबादी वाले ग्रामों को सड़कों से जोड़ने की मांग

130—श्री विजयपाल सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में 1999-2000 में जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत मझारा से कुतुबपुर (रोहई), शमशाबाद फतेहाबाद मार्ग से कल्याणपुर ए०बी० के मार्ग से भरापुरा तथा ग्राम चनौरा से थाप महदवारी व लखरानी 1000 की अधिक से आबादी वाले ग्रामों को जोड़े जाने हेतु प्रस्तावित थे ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों को चालू वित्तीय वर्ष में जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में प्रश्नगत मार्गों में से केवल शमशाबाद-फतेहाबाद मार्ग से कल्यानपुर सम्पर्क मार्ग, नाबार्ड वित्त पोषित योजना आर०आई०डी०एफ० फेज–5 में प्रस्तावित था ।

जी नहीं ।

उपरोक्त मार्ग का प्रस्ताव नाबार्ड को भेजने की कार्यवाही विचाराधीन है । नाबार्ड की स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी की जायेगी ।

131—डा० वकार अहमद शाह–

[दिनांक 4-5-2000 को अता०प्र०सं०–122 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के घाटे वाले निगमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों में पुनर्वास हेतु धन की व्यवस्था की मांग

132—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के जो निगम घाटे के कारण बन्द होने के कगार पर हैं उनके खर्च के बोझ को कम करने हेतु उक्त निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए क्या स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2000–2001 में उक्त योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुनर्वास हेतु कितने धन की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय नारायन तिवारी–

प्रदेश के सार्वजनिक उद्यमों/निगमों में कार्यरत अतिरिक्त (सरप्लस) कर्मचारियों को कम करने के उद्देश्य से शासन द्वारा उनके प्रशासनिक विभागों की पूर्व सहमति से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना कार्यालय ज्ञाप संख्या–258(पीआरसी)/44–1/93-85/90, दिनांक 08 जून, 1993 की शर्तों के अनुसार लागू किये जाने की व्यवस्था है ।

वित्त विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2000-2001 में अनुदान संख्या–62 के अन्तर्गत रुग्ण निगमों आदि को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु कर्ज के अन्तर्गत रुपये 200 करोड़ की धन की व्यवस्था की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इन्दिरा नगर, लखनऊ के सेक्टर–5 स्थित आफिसर्स कालोनी में वर्ष 1997-98 में आवासों की मरम्मत में खर्च धनराशि की जानकारी

133—श्री बावन सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा नगर, लखनऊ के सेक्टर–5 स्थित आफिसर्स कालोनी में वर्ष 1997–98 में किन-किन आवासों में मरम्मत सम्बन्धी कार्य कराए गए तथा उस पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

श्री राम प्रकाश–

वर्ष 1997-98 में लगभग सभी 83 आवासों में कुछ न कुछ मरम्मत सम्बन्धी कार्य कराये गये जिन पर रु० 1.15 लाख का व्यय हुआ है ।

कन्हैया लाल इण्टर कालेज, गोण्डा में सहायक अध्यापक की अवैधानिक नियुक्ति की जांच विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

134—श्री बावन सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्हैया लाल इण्टर कालेज, करनैलगंज, गोण्डा में श्री जे०बी० सिंह, सहायक अध्यापक की अवैधानिक नियुक्ति को निरस्त कर जांच कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1 मार्च, 2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद को जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा व फिरोजाबाद में वन प्रभाग द्वारा 1997-98, 1998-99 में बिना निविदा आमंत्रित किये वृक्षारोपण में लाखों रुपये के भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

135—श्री विजय पाल सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा वन प्रभाग व फिरोजाबाद में वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 एवं चालू वित्तीय वर्ष में कितने वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया तथा उस पर कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह सही है कि बिना निविदा के आमंत्रित किये ही लाखों रुपये का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो दोषियों के प्रति कोई कार्यवाही की गई ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

आगरा एवं फिरोजाबाद, वन प्रभाग में वर्ष 1997-98, 1998-99 एवं 1999-2000 में निम्नानुसार वृक्षारोपण किया गया एवं धनराशि व्यय की गयी :–

वर्ष	किया गया वृक्षारोपण (हे० में)	रोपित पौध (लाख में)	व्यय धनराशि (लाख में)
	आगरा वन प्रभाग		
1997-98	193.17	2.945	81.93
1998-99	771.0	9.30	106.51
1999-2000	610.0	6.65	44.71
	फिरोजाबाद वन प्रभाग		
1997-98	356.0	4.296	91.48
1998-99	691.0	9.996	132.44
1999-2000	748.01	10.474	56.38

उक्त वृक्षारोपण कार्य प्रभागों में निविदा आमंत्रित कर नहीं कराया जाता है बल्कि प्रभाग के प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा ही दैनिक श्रमिकों के माध्यम से वृक्षारोपण कार्य सम्पादित करवाये जाते हैं।

कोई दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

बाबू बनारसी दास नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट लखनऊ में पेड सीट के अन्तर्गत जमा धनराशि की वापसी की मांग

136—श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाबू बनारसी दास नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी एण्ड मैनेजमेण्ट, लखनऊ में पेड सीट के अन्तर्गत लिए गये दाखिला के उपरान्त अन्य कालेज में दाखिला लेने के कारण जमा की गई फीस रुपये 60,000.00 वापस करने सम्बन्धी मा० हरदेव सिंह विधायक का पत्र दिनांक 7-2-2000 जो कि मुख्य सचिव, उ०प्र० एवं निदेशक, बाबू बनारसी दास नेशनल इन्स्टीट्यूट एण्ड मैनेजमेण्ट, लखनऊ को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां।

बाबू बनारसी दास नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी एण्ड मैनेजमेंट, लखनऊ में सशुल्क सीट के अन्तर्गत दिये गये प्रवेश के पूर्व में अन्य कालेज में प्रवेश के समय छात्रों से ली गयी शुल्क रुपया 60 हजार वापसी के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य अभियंत्रण प्रवेश परीक्षा समिति को निर्देश जारी कर दिये गये हैं तथा शासन द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से भी अनुरोध किया जा चुका है।

जनपद उन्नाव के बांगरमऊ अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग के निर्माण के उपरान्त शेष धनराशि को अवमुक्त कराने की मांग

137–श्री राम शंकर पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र, बांगरमऊ, जनपद–उन्नाव के अन्तर्गत गंज मुरादाबाद बल्लापुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 43 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था तथा निर्माण के दौरान बरती गयी अनियमितताओं के कारण लगभग 20 लाख की धनराशि रोक दी गयी थी ? क्या वह धनराशि अभी तक आवंटित नहीं की गयी ? यदि हां, तो कितने वर्षों में जांच पूरी होगी तथा अवशेष धनराशि कब तक अवमुक्त कर दी जायेगी ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत कार्य वर्ष 1993 में रु० 42.00 लाख की लागत पर स्वीकृत हुआ था वर्ष 2000-2001 में प्रश्नगत कार्य हेतु रु० 10.7 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

अनियमितताओं की जांच यथा शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी, स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि भी इसी वित्तीय वर्ष में अवमुक्त कर दी जायेगी।

जनपद लखनऊ के इन्दिरानगर स्थित सेक्टर–5 स्थित आफीसर्स कालोनी में वर्ष 1998-99 में आवासों की मरम्मत में खर्च धनराशि की जानकारी

138–श्री जटा शंकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा नगर, लखनऊ के सेक्टर–5 स्थित आफीसर्स कालोनी में वर्ष 1998-99 में किन-किन आवासों में कितनी-कितनी धनराशि से अनुरक्षण सम्बन्धी मूल कार्य तथा विशेष मरम्मत कार्य कराये गये ?

श्री राम प्रकाश–

इन्दिरानगर सेक्टर–5 स्थित आफीसर्स कालोनी में वर्ष 1998-99 में निम्न आवासों में विशेष मरम्मती कार्य कराये गये :–

क्रम	आवास संख्या	धनराशि
1	बी–32	रु० 9,906.00
2	बी–36	रु० 12,357.00
3	बी–42	रु० 1,864.00
4	बी–105	रु० 10,000.00
5	बी–101	रु० 6,620.00
6	बी–111	रु० 3,275.00
7	बी–44	रु० 14,845.00
8	बी–137	रु० 2,580.00

वित्तीय वर्ष 98-99 में किसी आवास में मूल कार्य नहीं कराया गया ।

जनपद लखनऊ स्थित आफीसर्स कालोनी, इन्दिरानगर की दूसरी मंजिल पर जलापूर्ति कराने की मांग

139–श्री जटा शंकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सेक्टर–5 इन्दिरा नगर, लखनऊ स्थित आफीसर्स कालोनी में पहली तथा दूसरी मंजिल पर पानी न पहुंचने के कारण अन्थंटियों को जलापूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो इसके निराकरण हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं । कम पानी मिल रहा है ।

वित्तीय व्यवस्था होने पर निराकरण की कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

महर्षि दयानन्द शिक्षा संस्थान, मथुरा को स्थाई मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

140–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महर्षि दयानन्द शिक्षा संस्थान, सौंख, मथुरा को स्थाई मान्यता प्रदान करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/

एम/29719/मथुरा/00, दिनांक 1-1-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

141–श्री विजय कुमार–

[छठे गुरुवार में अता० प्र० सं०–99 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम के अभियंत्रण अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी नियमों की जानकारी

142–आचार्य रामदेव वैश्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या–3408ई०जी०/23–लो०नि०–5–1994, दिनांक 12-9-1994 द्वारा उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति कर लिए जाने वाले अभियंत्रण अधिकारियों के वेतनमान के आधार पर "पदनाम" न देकर उनके मूल विभाग के पद एवं सेवा अवधि के आधार पर "पदनाम" दिये जाने का आदेश है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार का आदेश उ० प्र० राजकीय सेतु निगम के लिए भी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

सेतु निगम में इसकी आवश्यकता नहीं है ।

लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये अभियंत्रण अधिकारियों को उनके मूल विभाग राजकीय निर्माण निगम को वापस करने से सम्बन्धित जानकारी

143–आचार्य रामदेव वैश्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में कितने अभियंत्रण सेवा में अधिकारी लोक निर्माण विभाग से प्रति नियुक्ति पर एक निश्चित अवधि के लिए आये थे ? क्या ऐसे अधिकारियों का संविलयन समाप्त करके उन्हें अपने पैतृक विभाग में वापस भेजने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

लोक निर्माण विभाग से अभियंत्रण सेवा के 223 अधिकारी अब तक उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये थे।

निर्माण निगम में केवल पांच अधिकारियों का नियमानुसार संविलयन किया गया है। इनमें से तीन अधिकारी सेवानिवृत्त हो गये हैं। संविलयन से आच्छादित शेष दो अधिकारियों को पैतृक विभाग में वापस भेजना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

यदि किसी अधिकारी का निगम में संविलयन हो जाता है तो उसे उसके पैतृक विभाग में वापस भेजना नियमानुसार सम्भव नहीं है।

144–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[छठे बुधवार में अता० प्र० सं०–188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों को पाली में चलाने की मांग

145–श्री राम औतार शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश में गत शिक्षा सत्र, 1999 में कठिनाइयां शासन के संज्ञान में आई थीं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निदान हेतु दो पाली में शिक्षा संस्थाओं को चलाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

राजाज्ञा संख्या–1871/15-8-99/3056/99 दिनांक 9 अगस्त, 1999 द्वारा छात्रों के प्रवेश की समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री किशोरी रमण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा के शिक्षकों के वेतन भुगतान की जानकारी

146–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री किशोरी रमण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा के समस्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि०को०/एम०–31222/मथुरा/2000, दिनांक 9-2-2000 प्रमुख सचिव, शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां।

अशासकीय सहायता प्राप्त एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय में एल० टी० प्रशिक्षण समाप्त किये जाने के बाद उक्त विद्यालयों में बी० एड० पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने के बाद शासकीय सहायता देने तथा शिक्षकों के सेवा संबंधी मामलों और दावों का निपटारा किये जाने के संबंध में विचार करने हेतु कमेटी का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मथुरा स्थित राजकीय भारतीय विद्यालय का उच्चीकरण कराने की मांग

147–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अड़ींग (जनपद मथुरा) स्थित राजकीय भारतीय विद्यालय के उच्चीकरण करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि०को०/एम०–1/29517/मथुरा/99, दिनांक 28-12-1999 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

राजकीय भारतीय विद्यालय अड़ींग जनपद मथुरा को उच्चीकृत करने के संबंध में शिक्षा निदेशक से कुछ बिन्दुओं पर और सूचना मांगी गई है । वर्ष 2000-2001 में जिला योजना के परिव्यय की स्थिति भी अभी स्पष्ट नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

148–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[दिनांक 9-5-2000 को अता० प्र० सं०–114 द्वारा उत्तरित]

जनपद शाहजहांपुर के वन रेंजर तिलहर के विरुद्ध अवैध कटान कराने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

149–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-12-97 जो वन रेंजर तिलहर जि० शाहजहांपुर के विरुद्ध अवैध कटान के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसे दि० 15-12-97 को वन मंत्री को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-12-97 जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित है तथा वन रेंजर, तिलहर, जिला शाहजहांपुर के विरुद्ध अवैध कटान के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ।

शिकायत पर जांच करवाई गई तथा दोषी पाये जाने पर संबंधित वन क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

प्रदेश के बी०एड० बेरोजगारों को विशिष्ट बी०टी०सी० का प्रशिक्षण देकर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त करने की मांग

150–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सत्ताइस हजार बी० एड० बेरोजगारों को विशिष्ट बी० टी० सी० प्रशिक्षण देकर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति दिये जाने की योजना पर सरकार कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो अब तक कितने बी० एड० योग्यताधारी अभ्यर्थियों ने बी० टी० सी० विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया ? शेष अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची कब तक जारी होगी ? क्या सरकार इस योजना को बन्द करने जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रश्नगत विशिष्ट व्यवस्थान्तर्गत बी०एड०, एल०टी०, सी०पी०एड०, डी०पी०एड० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को श्रेष्ठता के निर्दिष्ट मापदण्ड के आधार पर तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची में से विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है।

विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण की लिखित परीक्षा में 23,161 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए।

उक्त विशिष्ट व्यवस्था एक बार के लिये थी जो पूरी हो चुकी है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली, लालगंज भितरी स्थित लोन नदी पर बने पुल के पुनर्निर्माण की मांग

151–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद रायबरेली तहसील लालगंज भितरी स्थित लोन नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बस आदि बड़े वाहनों के आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त नदी के पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई स्थित आइडियल माण्टेसरी जूनियर हाई स्कूल को अनुदान की धनराशि की जानकारी

152–श्री लाखी राम जोशी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई स्थित मान्यता प्राप्त आइडियल मान्टेसरी जूनियर हाईस्कूल को वित्तीय वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में कितनी अनुदान राशि दी गई तथा उक्त धनराशि से अध्यापक/अध्यापिकाओं को वेतन आदि के रूप में कितनी धनराशि व्यय की गई ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

विद्यालय शासन द्वारा अनुदानित नहीं है।

जनपद हरदोई स्थित आइडियल माण्टेसरी जूनियर हाईस्कूल सण्डीला के अध्यापकों को बैंक के माध्यम से वेतन दिलाने की मांग

153–श्री लाखी राम जोशी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत मान्यता एवं सहायता प्राप्त आइडियल मान्टेसरी जूनियर हाईस्कूल सण्डीला में प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक/अध्यापिकाओं को मात्र तीन सौ तथा पांच सौ रुपये वेतन देकर वेतन वितरण रजिस्टर पर दो हजार तथा तीन हजार रुपये पर हस्ताक्षर कराकर अध्यापकों का शोषण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर संबंधित विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए बैंक के माध्यम से वेतन वितरण कराये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

उप बेसिक शिक्षा अधिकारी की जांच में पाया गया कि जो वेतन प्रतिमाह दिया जाता है उतनी की ही प्राप्ति के हस्ताक्षर कराये जाते हैं।

(ख) वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से करने हेतु प्रबन्धक को निर्देशित कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ स्थित श्री ठाकुर जी पूर्व माध्यमिक विद्यालय वेलकुण्डा में की गयी अनियमितता की जांच की मांग

154–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ठाकुर जी पूर्व माध्यमिक विद्यालय, वेलकुण्डा, आजमगढ़ में की गई अनियमितता की जांच कराये जाने हेतु विद्यालय की प्रबन्ध समिति के दो तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर युक्त शिकायती–पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ को दिनांक 24-11-1996 को दिया गया था ? क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांचोपरान्त विद्यालय के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं। संदर्भित दिनांक को कोई शिकायती-पत्र नहीं दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

155–श्री अजय कुमार पोइया–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

156–श्री अजय कुमार पोइया–

[दिनांक 9-5-2000 को अता० प्र० सं० 42 द्वारा उत्तरित]

जनपद आगरा के फतेहाबाद स्थित 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

157–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1999-2000 में पूरे प्रदेश में 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के कोई आदेश हैं ? यदि हां, तो आगरा के विधान सभा क्षेत्र, फतेहाबाद के भरापुरा, सांकुरी कलां, कल्याणपुर कुतुबपुर (रोहई), लखुरानी, थाप महदवारी आदि ग्रामों को मुख्य सड़क से न जोड़े जाने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त ग्रामों को चालू वित्तीय वर्ष में मुख्य सड़क से जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं।

आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के ग्राम कुतुबपुर (रोहई) को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु जिला योजना सामान्य के अन्तर्गत 2.15 कि०मी० लम्बाई का मार्ग गिट्टी से लेपन स्तर तक स्वीकृत है। 2.1 किमी० लम्बाई में प्रथम सतह लेपन स्तर तक निर्माण कार्य करा दिया गया है। प्रश्नगत शेष ग्रामों के संबंध में वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर एक हजार से अधिक आबादी के ग्रामों को वर्ष 2005 तक पक्के मार्गों से जोड़ने की योजना अन्तर्गत चयनित होने पर सम्पर्क मार्ग निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

158–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

[दिनांक 11-4-2000 को नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

159–श्री गोपाल कृष्ण–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद हरदोई की ग्राम पंचायत तरौली को मुख्य सड़क से जोड़ने के संबंध में जानकारी

160–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि०क्षे० के विकास खण्ड बिलग्राम की ग्राम पंचायत तरौली को मुख्य सड़क से जोड़ने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

ग्राम पंचायतों को मुख्य सड़क से जोड़ने की शासन की कोई योजना नहीं है । शासन की वर्तमान नीति के अनुसार वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के गांवों को 2005 तक तथा समस्त गांवों को 2010 तक लेपित सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की योजना है ।

उ० प्र० प्रेस प्रतिनिधि मान्यता नियमावली के अनुसार तहसील संवाददाताओं को सुविधा प्रदान करने के संबंध में जानकारी

161–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०.प्र० प्रेस प्रतिनिधि मान्यता नियमावली, 1978 तथा संशोधित 1979/1981–1986 एवं 1990 में संशोधित नियमों के अधीन तहसील स्तरीय संवाददाताओं को मान्यता प्रदान करते हुए नियमानुसार सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश प्रेस प्रतिनिधि मान्यता नियमावली (1978 यथा संशोधित 1979–1981–1985–1986–1990) के नियम–27 में संशोधन कर तहसील स्तरीय पत्रकारों को मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश प्रेस प्रतिनिधि नियमावली (1995 तक संशोधित) में नियम–27(5) के अन्तर्गत प्राविधान किया गया है । आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर संशोधित नियम के अनुसार ऐसे पत्रकारों को मान्यता कार्ड दिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1996 से वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों/कर्मचारियों के अवशेष वेतन का भुगतान

162–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों/कर्मचारियों को जनवरी, 1996 से वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अवशेष वेतनादि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

विद्यालयों से नये वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के आधार पर अवशेष वेतन के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

जी हां । यथाशीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों/कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ देने की मांग

163–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक तथा बेसिक (परिषदीय) विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों पर सामूहिक बीमा योजना लागू है ? यदि हां, तो क्या सरकार सहायता प्राप्त जू० हाईस्कूलों के शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

सम्प्रति प्रश्नगत प्रकरण में शासन की नीति नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पौड़ी गढ़वाल के पूर्व माध्यमिक कन्या विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तन की जानकारी

164–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी गढ़वाल की जिला शिक्षा समिति ने दि० 6-4-1998 को पूर्व माध्यमिक कन्या विद्यालय, कलसी कोठार विकास क्षेत्र, दारिखाल को सामान्य पूर्व माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित करने हेतु निदेशक, बेसिक शिक्षा, लखनऊ को कोई प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रश्नगत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पौड़ी गढ़वाल के जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों के पदों को सृजित करने की मांग

165–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद के जूनियर हाईस्कूलों में कितने ऐसे विद्यालय हैं जिन में तीन ही अध्यापकों के पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के तीन पदों के स्थान पर पांच पदों की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सम्प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये प्रधानाध्यापक का एक पद तथा सहायक अध्यापक के दो पदों अर्थात कुल तीन पदों का ही सृजन किया जाता है । तद्नुसार जनपद पौड़ी के सभी विद्यालय के लिये पद सृजित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके वेतनमान के अनुरूप सरकारी आवास आवंटन की मांग

166–श्री सीताराम निषाद–

क्या सरकार को जानकारी है कि उ० प्र० सरकार के अधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मकान किराये की कटौती उनके वेतनमान के आधार पर की जाती है ? क्या सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवास सुविधा उनके वेतनमान एवं संवर्ग के अनुरूप प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जिन्हें उनके वेतन के अनुरूप आवास के अभाव में निचली श्रेणी के आवासों में रहना पड़ रहा है, से स्टैण्डर्ड रेट की ही धनराशि काटकर शेष धनराशि वापस करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

मकान किराये की कटौती लिविंग एरिया के आधार पर निर्धारित फ्लैट रेट रेन्ट की दर से की जाती है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

लिविंग एरिया के आधार पर निर्धारित फ्लैट रेट रेन्ट की दरें किराया लिए जाने के कारण धनराशि वापसी का प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

उप शिक्षा बेसिक अधिकारी बहराइच के सेवानिवृत्ति के उपरान्त उनके समस्त देयों के भुगतान की मांग

167–डा० वकार अहमद शाह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री धीरेन्द्र नाथ उप शिक्षा बेसिक अधिकारी, बहराइच के पद से दिनांक 30-6-1996 को सेवा निवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो क्या उनके समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो उक्त देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी०पी०एफ० का भुगतान किया जा चुका है । पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण, अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति की जा चुकी है । शीघ्र भुगतान हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच को निर्देश दिये गये हैं ।

शीघ्र भुगतान करने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच को निर्देश दिये गये हैं ।

जनपद महराजगंज स्थित सिंहपुर–धरौली मार्ग का निर्माण न कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

168–श्री विनोद मणि–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज के फरेंदा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष1997–98 में जिला योजना में (स्पेशल कम्पोनेन्ट) के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम–सिंहपुर–धरौली को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी ? क्या वर्ष 1997–98 में धरौली–बुजुर्ग गांव अम्बेडकर गांव योजना में चयनित था ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड महराजगंज द्वारा अम्बेडकर ग्राम सिंहपुर–धरौली के स्थान पर ग्राम धरौली बुजुर्ग में मिट्टी से लेपन स्तर तक सड़क का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम धरौली बुजुर्ग के सड़क का निर्माण स्वीकृति के विपरीत कराया गया है? यदि हां, तो क्या इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1998-99 में दी गई थी ।

जी नहीं ।

जी हां ।

जांच कराई जायेगी ।

जांच कराई जायेगी ।

जांच पूरी होने तथा उत्तरदायित्व निर्धारित होने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के इटौली–गोपामऊ मार्ग के निर्माण में अनियमितता की टी०ए०सी० जांच

169–श्री श्याम प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के इटौली–गोपामऊ मार्ग से लिलवन सम्पर्क मार्ग (लगभग चार कि०मी०) पर लगभग 50% पत्थर की सप्लाई लेकर विभाग द्वारा ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया गया है ? क्या सरकार उक्त मार्ग पर की गयी अनियमितता की जांच टी०ए०सी से कराकर दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रकरण की टी०ए०सी० से जांच करायी जायेगी ।

जांच आख्या के प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में हरिहरपुर–जैराजपुर सम्पर्क मार्ग निर्माण में अनियमितता की जांच

170–श्री श्याम प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद–हरदोई विधान सभा क्षेत्र, अहिरौरी के अन्तर्गत ग्राम–हरिहरपुर से जैराजपुर सम्पर्क मार्ग के किलोमीटर एक से दो व तीन से चार में सोलिंग मरम्मत का फर्जी कार्य दिखाकर विभाग द्वारा रुपया 1,92,535/-रु० (एक लाख, बानवे हजार पांच सौ पैंतिस मात्र) तथा रु० 1,74,903/-रु० (एक लाख, चौहत्तर हजार नौ सौ तीन मात्र) के भुगतान में वित्तीय अनियमितता की गयी है ? क्या सरकार उक्त अनियमितता की जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण राज्य सेक्टर से स्वीकृत है जिसमें मार्ग की पुरानी ईंटों की क्षतिग्रस्त तथा गायब सोलिंग को नयी ईंटों से मरम्मत का प्राविधान था जिसे निविदायें आमंत्रित करके कराया गया । तद्नुसार कि०मी० 1 व 2 में रु० 1,92,535/–का तथा कि०मी० 3 व 4 में रु० 87340.80 का भुगतान सोलिंग कार्य की मरम्मत हेतु किया गया । इस कार्य की जांच करायी जायेगी जांच के परिणामों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के बाबा राघवदास महिला डिग्री कालेज, बरहज की मान्यता समाप्त कर दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

171–श्री अक्षयवर लाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने हेतु क्या भूमि तथा भवन का होना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बाबा राघवदास महिला डिग्री कालेज, बरहज, देवरिया के लिये भूमि तथा भवन उपलब्ध न होने के बावजूद एक दूसरे विद्यालय बाबा राघवदास भगवानदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय की भूमि एवं भवन पर वर्ष 1998-99 में उक्त विद्यालय को खोलकर बड़े पैमाने पर अनियमितता की गयी है ? यदि हां, तो बिना भूमि के महाविद्यालय की मान्यता एवं धन उपलब्ध कराने के लिये कौन-कौन लोग दोषी हैं ? क्या सरकार पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर उक्त महिला महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करके दोषी जनों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

इस प्रकरण की शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई गयी थी और जांच में यह तथ्य सही पाया गया कि बाबा राघवदास भगवानदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय की भूमि पर बाबा राघवदास महिला महाविद्यालय बरहज का भवन बना हुआ है ।

जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जांच आख्या के अनुसार कार्यवाही की जा रही है और इस महिला महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त करने आदि के संबंध में कारण बताओ नोटिस दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कन्नौज के ग्राम रतनपुर को सड़क मार्ग से जोड़ने की मांग

172–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम रतनपुर ब्लाक छिबरामऊ जनपद कन्नौज में जाने के लिये कोई पक्की सड़क निर्मित हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां पक्की सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत ग्राम में जाने के लिये कोई पक्की सड़क नहीं है ।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को वर्ष 2005 तक तथा समस्त ग्रामों को 2010 तक लेपित मार्ग से जोड़ने की योजना है । उक्त योजना में प्रश्नगत ग्राम के चयनित होने पर पक्की सड़क का निर्माण कराया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद कन्नौज के ग्राम अटिया को सड़क से जोड़ने की मांग

173–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम अटिया ब्लाक–छिबरामऊ जनपद कन्नौज आने जाने हेतु कोई पक्की सड़क का निर्माण कराया गया हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां के आने-जाने हेतु पक्की सड़क बनवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को वर्ष 2005 तक तथा समस्त ग्रामों को वर्ष 2010 तक लेपित मार्गों से जोड़ने की योजना है । अटिया एक मजरा है और मजरों को लेपित मार्गों से जोड़ने की अभी कोई योजना नहीं है ।

जनपद कन्नौज के ग्राम चन्दरा में प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग

174–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम चन्दरा मौजा सलेमपुर ब्लाक खड़िनी जनपद–कन्नौज में कोई प्राथमिक विद्यालय स्थापित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रश्नगत ग्राम में सम्प्रति प्राथमिक विद्यालय नहीं है ।

प्रश्नगत ग्राम प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर से, जो इस ग्राम से 1.25 कि०मी० की दूरी पर से सेवित है । मानक के अनुसार सेवित है । अतः विद्यालय की स्थापना का औचित्य नहीं है ।

सचिवालय में कार्यरत आई०ए०एस० अधिकारियों के कक्षों में लगे एयर कंडीशन की जानकारी

175–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय में कार्यरत आई०ए०एस० अधिकारियों के कक्षों में एयर कण्डीशन लगाने के मानक क्या हैं ? लखनऊ स्थित विधान भवन, बापू भवन, जनपथ भवन में कितने आई०ए०एस० अधिकारियों के कक्ष में वर्तमान समय में एयरकंडीशन लगें हैं ? क्या सरकार, प्रदेश की जर्जर आर्थिक स्थिति तथा बिजली की कमी को देखते हुये एयरकंडीशनरों की सुविधा समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

कोई मानक निर्धारित नहीं है ।

लखनऊ स्थित विधान सभा, बापू भवन, जनपद भवन में 58 आई०ए०एस० अधिकारियों के कक्ष में एयर कंडीशनर लगे हैं ।

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद देवरिया में खड्डा से सोहरौना मार्ग निर्माण में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

176–श्री दीपलाल भारती–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कुशीनगर के दिनांक 29-2-2000 के पत्रांक 10/1 सी० के अनुसार खड्डा से उत्तर रेलवे ढाला–सोहरौना मार्ग निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित प्रकरण में नथमल डालमियां पुत्र बद्रीदास इत्यादि नामक व्यक्ति द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है ? यदि हां, तो दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत 500 मीटर लम्बाई में लेपन स्तर तक स्वीकृत है । मार्ग का निर्माण उपलब्ध चकरोड पर कराया जा रहा है जिसमें से 100 मीटर लम्बाई में आपसी समझौते से मिट्टी मिलने में अवरोध उत्पन्न हो रहा है । अभिलेखों के आधार पर चकरोड को अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु उप जिलाधिकारी, पडरौना से अनुरोध किया गया है ।

यह अभिलेखों के आधार पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो जिला प्रशासन के सहयोग से उसे हटाये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश के मैदानी एवं तराई क्षेत्रों में शीशम के वृक्षों की हो रही कमी पर चिन्ता

177–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के मैदानी व तराई क्षेत्र में पाये जाने वाला बहुमूल्य वृक्ष शीशम का ह्रास अन्य वृक्षों से ज्यादा हो रहा है ? यदि हां, तो क्या इस प्रजाति का वृक्ष लुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वृक्ष के ह्रास का पता लगाने हेतु विशेषज्ञों की समिति गठित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

शीशम के वृक्षों के सूखने के कारणों की जानकारी प्राप्त करने, प्रभावित वृक्षों का सर्वेक्षण करने तथा इसकी रोकथाम हेतु उपाय करने से सम्बन्धित कार्य विभाग द्वारा किये गये हैं, जो संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

(अ) शीशम के वृक्षों पर लगने वाली बीमारी व इसके कारण वृक्षों के सूखने की सूचना विभिन्न श्रोतों से प्राप्त होने पर वृक्षों के सूखने के कारण एवं निवारण सम्बन्धी एक नोट सम्बन्धित वन अधिकारियों को परिचालित किया गया ।

(ब) शीशम के पेड़ों पर लगने वाली बीमारी (एवं कीड़ों) के उपचार हेतु उपाय ढूंढने के उद्देश्य से वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून तथा वन विभाग, उ० प्र० के अनुसंधान शाखा के विशेषज्ञों की एक 7 सदस्यीय टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्रों, जिसमें बरेली, लखनऊ, मनकापुर, गोण्डा, तुलसीपुर, आनन्दनगर तथा गोरखपुर क्षेत्र सम्मिलित हैं, का भ्रमण कर शीशम के पेड़ों पर लगी बीमारी तथा कीट से प्रभावित शीशम के पेड़ों का अध्ययन किया गया । शीशम के पेड़ों पर लगने वाली बीमारी के कारण शीशम के पेड़ बहुत अधिक संख्या में सूख रहे हैं । यह बीमारी उत्तर प्रदेश ही नहीं, वरन् सम्पूर्ण उत्तर भारत जिसमें बिहार, पंजाब तथा हरियाणा भी सम्मिलित है, में फैली है । इसलिये वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के वैज्ञानिकों द्वारा भी अध्ययन किया गया ।

(स) शीशम के पेड़ों पर लगने वाली बीमारी तथा उससे पेड़ों के सूखने सम्बन्धी क्षेत्रों का विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन करने के उपरान्त 11 जनवरी, 2000 को वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें भारत सरकार, विश्वविद्यालय, कृषक, उद्योगपति, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून तथा विभिन्न राज्यों से वन विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया तथा अवगत कराया गया कि शीशम के पेड़ों के सूखने का मुख्य कारण बिल्ट रोग है, जो ''फ्यूजेरियम सोलनई'', तथा ''मैनोडर्मा'' आदि फंगस से फैलता है । यह रोग जलवायु में परिवर्तन, असामयिक वर्षा, जल भराव तथा अत्यधिक मात्रा में खेतों में रसायनिक खाद के प्रयोग व सिंचाई के कारण मृदा के भौतिक गुणों के परिवर्तन से फैलता है, जिसके लिये प्रभावित क्षेत्रों के दीर्घकालीन जलवायु तथा जल चक्र से सम्बन्धित आंकड़ों को देखते हुये शीशम के रोपण के लिये उपयुक्त स्थल चयन, रोपण तकनीक तथा वनबर्धन प्रणाली पर ध्यान देने के निर्देश क्षेत्रीय अधिकारियों को दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच ग्राम भरहा में अधिग्रहीत भूमि के गजट में प्रकाशन की जानकारी

178-डा० वकार अहमद शाह-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच में वन प्रभाग, पूर्वी रेन्ज, चकिया के ग्राम भरहा में वन विभाग द्वारा अधिग्रहीत भूमि का भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 का गजट में नोटीफिकेशन हुआ है ? यदि हां, तो उसका गाटा नम्बर तथा रकबा क्या है ?

श्री राजधारी सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक जैतीपुर में कराये गये वृक्षारोपण में अनियमितता की जांच

179-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-9-99 जो शाहजहांपुर जनपद के ब्लाक जैतीपुर में गत वर्ष कराये गये वृक्षारोपण में अनियमितता की जांच कराये जाने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह-

इस विषय पर मा० सदस्य का पत्र दिनांक 8-9-99 मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र दिनांक 22-9-99 द्वारा जिलाधिकारी शाहजहांपुर को परीक्षण कराकर समुचित कार्यवाही हेतु भेजा गया ।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा मा० सदस्य की शिकायत के आधार पर विकास खण्ड जैतीपुर के वृक्षारोपण की जांच मा० सदस्य के प्रतिनिधि की उपस्थिति में भूमि संरक्षण अधिकारी से कराई गई । जांच आख्या दिनांक 9-5-2000 में वर्ष 1998 के वृक्षारोपणों की सफलता 55 से 65 प्रतिशत के मध्य बताई गई है । जिलाधिकारी द्वारा इस रिपोर्ट को प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

छोटी गण्डक नदी के कप्तानगंज छितौनी घाट पर सेतु निगम द्वारा पुलों का निर्माण

180-श्री दीपलाल भारती-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि छोटी-गण्डक-नदी के कप्तानगंज घाट, बेलवा घाट, छितौनी-घाट पर सेतु निगम द्वारा पक्का पुल निर्माण हेतु धन स्वीकृत हो गया है ? यदि हां, तो कितना ? उक्त निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

प्रश्नगत सेतुओं में से केवल कप्तानगंज छितौनी मार्ग पर छितौनी घाट पर सेतु निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

उक्त स्वीकृत कार्य को रु० 130.67 लाख लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है ।

उक्त स्वीकृत कार्य का निर्माण कार्य अप्रैल, 2000 से प्रारम्भ कर दिया गया है ।

लखनऊ इण्टर कालेज, लखनऊ में अनुसूचित जाति के अध्यापक की नियुक्ति की मांग

181–श्री अब्दुल कलाम–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ इण्टर कालेज, लखनऊ में स्नातक वेतन क्रम के आरक्षित (अनु० जाति) जीव विज्ञान अध्यापक पद को आरक्षण नियमों व शिक्षा अधिनियमों की अवहेलना कर सामान्य श्रेणी के विज्ञान अध्यापक के एकल स्थानान्तरण से माह फरवरी, 1998 में भरा गया है ? यदि हां, तो आरक्षण व शिक्षा अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं ? उक्त अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

अपर शिक्षा निदेशक (मा०) को जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद देवरिया के श्रीकृष्ण इण्टर कालेज बरहज में 18 वर्ष से कम उम्र की सहायक अध्यापिका की नियुक्ति पर कार्यवाही

182–श्री अक्षयवर लाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण इण्टर कालेज बरहज देवरिया से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापिका की सरकारी अभिलेखों के अनुसार जन्म तिथि क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त अध्यापिका की दिनांक 11-1-88 को बिना प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव से 18 वर्ष की आयु पूर्ण न होने पर भी नियुक्ति कर ली गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसके लिए दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

दिनांक 20-1-70 (बीस जनवरी, सन् उन्नीस सौ सत्तर)

जी हां ।

प्रकरण निस्तारित किया जा चुका है ।

उक्तवत् ।

उक्तवत् ।

183–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[8वें मंगलवार के लिये स्थगित]

जिला गौतमबुद्ध नगर में बादलपुर पालीटेक्निक कालेज की स्थापना हेतु किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग

184–श्री नवाब सिंह नागर–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बादलपुर पालीटेक्निक कालेज, जिला–गौतमबुद्ध नगर की स्थापना समारोह वर्ष 1999 में तत्कालीन प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने किसानों को ग्रेटर नोयडा के

आधार पर मुआवजा देने पर विचार करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

(क) जी नहीं ।

(ख) शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत एवं शाहजहांपुर में संस्कृत अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

185–श्री गोपाल कृष्ण–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद पीलीभीत तथा शाहजहांपुर में त्रिभाषा सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूलों में वर्तमान समय में कितने संस्कृत अध्यापक के पद रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि संस्कृत अध्यापकों के अभाव में छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो सरकार उन रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०) की प्रदत्त आख्यानुसार जनपद पीलीभीत तथा शाहजहांपुर में त्रिभाषा सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में वर्तमान समय में अध्यापक के पद रिक्त नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

186–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद जौनपुर स्थित डा० भीमराव अम्बेडकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिकरारा की पंजीकृत संस्था की जांच

187–श्री श्रीराम यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर स्थित डा० भीमराव अम्बेडकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय खाना पट्टी ,(यादवगंज) सिकरारा को दिनांक 9-6-99 को "बी" श्रेणी की मान्यता बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर द्वारा प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त मान्यता को सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल, वाराणसी द्वारा विद्यालय के नाम की समिति पंजीकृत एवं एक परिवार की व्यक्तिगत संस्था होने के आधार पर दिनांक 25-10-99 को अनियमित रूप से निरस्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त संस्था की पंजीकृत समिति की संख्या क्या है ? क्या सरकार इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर दोषी सहायक निदेशक (बेसिक) वाराणसी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां । मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-7-99 के अनुपालन में स्थलीय जांच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर स०शि०नि० (बे०) वाराणसी ने दिनांक 25-10-99 को मान्यता निरस्त कर दी ।

संस्था का पंजीकरण संख्या–864 दिनांक 14-5-93 है ।

तथ्यों की जांच की जा रही है ।

जांचोंपरान्त अग्रिम कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

बादशाह नगर कालोनी, लखनऊ के आवासों में कराये गये कार्यों की जानकारी

188–श्री दीप लाल भारती–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1998-99 में बादशाह नगर कालोनी लखनऊ में किन-किन आवासों में कितनी-कितनी धनराशि से अनुरक्षण सम्बन्धी मूल कार्य तथा विशेष कार्य कराए गए ? किन-किन आवासों हेतु प्रस्तावित कार्य अस्वीकृत किये गये हैं ?

श्री राम प्रकाश–

वर्ष 1998-99 में बादशाह नगर कालोनी लखनऊ में निम्न आवासों में मूल कार्य कराये गये हैं ।

आवास संख्या	मूल कार्य की लागत
1–एल–16/6	रु०–8760.00
2–एल–4/7	रु०–3318.00

वर्ष 1998-99 में निम्न विशेष मरम्मत कार्य बादशाह नगर कालोनी में कराये गये ।

आवास संख्या	विशेष मरम्मत कार्य की लागत
1–एल–15/2	रु०–12508.00
2–यू–20/2	रु०–12865.00
3–यू–20/2	रु०–14845.00
4–एन–2/3	रु०–3885.00
5–यू–19/2	रु०–12860.00
6–एन–3/6	रु०–2310.00
7–यू०–8/2	रु०–6320.00
8–एल–9/2	रु०–7770.00
9–यू–12/5	रु०–12461.00
10–एन–6/1	रु०–11263.00
11–यू–15/2	रु०–10570.00
12–एल–3/4	रु०–2674.00
13–एल–9/7	रु०–10608.00
14–एल–8/5	रु०–4485.00
15–यू–4/3	रु०–6285.00

1	2
16–एल–14/5	रु०–10610.00
17–एल–8/3	रु०–15000.00
18–यू–2/1	रु०–11387.00
19–एल–17/4	रु०–6591.00
20–यू–13/1	रु०–15059.00
21–एल–16/1	रु०–4434.00
22–एन–6/2	रु०–13270.00
23–यू–16/2	रु०–13068.00
24–यू–8/2	रु०–8850.00
25–एल–1/9	रु०–12440.00
26–एल–8/4	रु०–9636.00
27–एल–6/7	रु०–5490.00
28–एल–16/4	रु०–10140.00
29–एल–10/3	रु०–3170.00
30–एल–7/1	रु०–14931.00
31–एल–13/4	रु०–4726.00
32–यू–3/4	रु०–6383.00
33–यू–7/4	रु०–8000.00
34–यू–3/3	रु०–23457.00
35–एल–16/9	रु०–3863.00
36–एल–15/7	रु०–4914.00
37–यू–10/4	रु०–5000.00
38–एल–2/8	रु०–5531.00
39–एल–6/6	रु०–8000.00
40–एल–4/1	रु०–13090.00
41–एल–7/5	रु०–4685.00
42–यू–20/2	रु०–12763.00
43–एल–1/4	रु०–16580.00
44–एल–10/	रु०–18500.00
45–एन–7/4	रु०–3052.00
46–एल–7/1	रु०–7581.00
47–यू–13/2	रु०–16500.00

वर्ष 1998-99 में निम्न आवासों के आगणन धनाभाव के कारण स्वीकृत नहीं हुए हैं ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

विशेष मरम्मत

आवास संख्या

1—यू–20/6
2—एल–17/4, एन–1/3
3—यू–3/1
4—एन–4/8
5—यू–17/1
6—यू–8/2, 10/1
7—यू–8/5
8—एन–6/1
9—एल–13/10
10—एल–4/3
11—एन–2/11
12—एन–3/3
13—एल–5/2
14—यू–18/5
15—यू–1/4
16—यू–18/3
17—एल–9/8
18—एल–2/6
19—यू–9/1
20—यू–13/2
21—यू–9/6
22—एल–3/1
23—यू–9/1
24—यू–1/2
25—बादशाह नगर कालोनी
26—एल–12/1
27—एल–2/7
28—एन–6/5
29—एन–2/6
30—एल–17/2

उत्तर प्रदेश विधान सभा

31—यू–9/2

32—एल–16/1

33—यू–15/3

34—एल–9/1

35—यू–18/5

36—एल–14/7

37—यू–13/1

(मूल कार्य)

1—यू–13/1

2—यू–15/3

3—एल टाइप के ब्लाक संख्या–11, 12, 13, 14

4—एन–2/1

5—यू–11/4

6—एल–4/8

7—यू–18/3

8—एल–18/8

9—यू–13/1

10—एल–11/1

189–डा० ज्ञानवती सिंह–

[7वें बुधवार में अता० प्र० सं० 146 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव में रिक्त पड़े सहायक अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति की मांग

190–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव में सहायक अभिलेख अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण वहां अनेक वाद लम्बित हैं ? यदि हां, तो सहायक अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में नियुक्ति कर दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा

जनपद अम्बेडकर नगर के प्राथमिक पाठशाला दिलावतपुर में अतिरिक्त कक्ष बनाने की मांग

191–श्री धर्मराज निषाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में डी० पी० ए० पी० योजना के अन्तर्गत चयन समिति ने प्राथमिक पाठशाला, दिलावतपुर, विकास खण्ड भीटी, जनपद अम्बेडकर नगर में अतिरिक्त कक्ष बनाने का चयन किया है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष बनाने हेतु धन कब तक आवंटित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के लालगंज में राजकीय कन्या विद्यालय की स्थापना की जानकारी

192–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के लालगंज, नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय कन्या विद्यालय स्थापित करने के लिये मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 23-2-2000 को बजट में प्राविधान करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय के निर्माण हेतु बजट 2000-2001 में प्राविधान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 23-1-2000 को अगले बजट में प्राविधान करने के आदेश दिये थे ।

जी नहीं ।

बजट प्राविधान कराने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग भेजा गया था किन्तु नगर पंचायत क्षेत्र लालगंज में स्कूल की स्थापना होने पर बच्चों की कक्षाओं हेतु काम चलाऊ भवन उपलब्ध नहीं था । अतः वित्त विभाग ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्नकर्ता ने नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या–2 के माध्यम से पूछा था कि "माननीय सार्वजनिक उद्यम मंत्री जी से कि वे बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों प्रशासकों/चेयरमैनों की नियुक्ति हेतु कोई मानक निर्धारित है ।" निश्चित रूप से अल्पसूचित प्रश्न के रूप में ही यह प्रश्न पूछा गया था शासन को 25-2-2000 को भेजा गया था और इसका उत्तर आया था कि–"सूचना एकत्र की जा रही है" । मेरा यह आरोप है कि यह

उपक्रम और निगमों के सम्बन्ध में जो भी सूचनाएं हैं इस पर कोई विस्तृत विवरण भी नहीं था । इसी तरह से 301 में सूचना 98 में नयीं थी अभी तक उसका भी जवाब नहीं आया है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सार्वजनिक उपक्रम विभाग जानबूझकर अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिये विधान सभा के अन्दर पूरा उत्तर नहीं दे रहे हैं । आपकी व्यवस्था चाहते हैं कि यह जो इनकी प्रवृत्ति हो गई है वह खेदजनक है । इस प्रश्न का व सूचना का उत्तर कल तक दिलवा दीजिये । इससे पहले भी कई सवाल किये गये जो यह टालते रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

तारांकित प्रश्न, अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि "सूचना एकत्र की जा रही है " इतना उत्तर आ जाता है । इस पीठ से कई बार आग्रह किया जा चुका है, निर्देश जा चुके हैं कि इस प्रकार के उत्तर नहीं आने चाहिए । माननीय सदस्यों की जो अपेक्षा रहती है प्रश्नों के माध्यम से उसका उत्तर आ जाना चाहिए । भविष्य में इस पुनरावृत्ति पर अंकुश लगना आवश्यक है ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, हमने धर्म स्थल विधेयक पर 311 में सूचना दी थी । यह तय हुआ था कि प्रश्नकाल के फौरन बाद उसको सुना जायेगा हमको अभी सुन लें । हमें धर्मस्थल विधेयक पर सुन लिया जाए ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का निश्चित मत है कि धर्मस्थल विधेयक पर पुनर्विचार कर लिया जाए ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आज निधन के निदेश लेने हैं तो पहले निधन के निदेश ले लें फिर बुनियाद हुसैन अंसारी जी कह रहे हैं इसको ले लें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न संख्या–9 पर मेरा प्रश्न लगा है मैंने प्रश्न उठाया था क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रदेश के उद्योग शून्य जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें रिपोर्ट आ गई कि लघु उद्योग 18 वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या–3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया जाए । मैंने सिर्फ यह पूछा है कि उद्योग शून्य जिलों के विकास के लिए क्या योजना बनाई है इसका उत्तर देने के लिए भी सरकार अपनी योजना अभी तक नहीं बना पाई और लिख दिया स्थानान्तरित कर दिया जाए चिन्ता का कारण है उद्योग विभाग का बजट पेश हुआ उसमें नीति बनाई होगी, तो इसको सुनिश्चित करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें व्यवस्था देने की विषय वस्तु नजर नहीं आती है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जिन नीतियों के बारे में सरकार को पहले से मालूम है उन जिलों के विकास के लिए मेरा प्रश्न है इसका जवाब आना चाहिए । जवाब न देना यह उचित नहीं आप तुरन्त जवाब का निर्देश दें ।

(व्यवधान)

श्री इकबाल महमूद–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

निधन के निर्देश के बाद आपकी व्यवस्था ली जायेगी ।

श्री इकबाल महमूद–

मैं इसी सम्बन्ध में कह रहा हूं । मान्यवर, जब इस हाउस के किसी माननीय सदस्य का निधन हो जाता है तो हम लोग शोक संवेदनायें प्रकट करते हैं तो जिस तरह से आदमी की जिन्दगी में आखिरी पहलू, मरने का आता है उसी तरह से एक पहलू खुशी का आता है, तो इसमें आपकी व्यवस्था जानना चाहूंगा कि अगर किसी माननीय सदस्य की शादी हो तो क्या इसके लिए भी सदन में हम खुशी जाहिर करेंगे, माननीय सदस्य मुन्ना चौहान जी की शादी हुई है ।

श्री अधिष्ठाता–

कभी कुछ ऐसे क्षण होते हैं कि हर्ष और विषाद के क्षण उपस्थित हो जाते हैं । आप व्यक्तिगत रूप से उन्हें शादी की बधाई दे दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

कन्फर्म तो करा लें शादी हुई भी है या नहीं ? लेकिन हुकुम सिंह जी को कन्फर्म कराने मत भेजिएगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपके गम्भीर विषय की गम्भीरता से सभी परिचित हैं ।

भूतपूर्व सदस्य श्री शिव कुमार मिश्र एवं श्री राम करन सिंह के निधन पर शोकोद्गार

श्री अधिष्ठाता–

मैं निधन के निदेश की सूचना ले रहा हूं ।

* संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है हमारे सदन के दो पूर्व सदस्य श्री शिव कुमार मिश्र और श्री रामकरन सिंह हमारे बीच में नहीं हैं । श्री शिवकुमार मिश्र का निधन 9 अप्रैल, 2000 को नई दिल्ली में हो गया वह लगभग 88 वर्ष के थे । इनका जन्म 1912 में हुआ यह बहुत ही वरिष्ठ सदस्य थे यह पहली बार 1948 में जिला शाहजहांपुर से निर्वाचित हुए । 1952 तथा 1969 में कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए । 1984 से 1990 तक यह राज्य सभा के सदस्य रह चुके हैं । इन्होंने 18 वर्ष की आयु में राजनीति में प्रवेश किया । यह 1930 से 1932 तक जेल में रहे भारत छोड़ो आन्दोलन में 1942 में भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत बन्द रहे । वे शाहजहांपुर में जिला कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रह चुके थे । निश्चित रूप से उनके निधन से शाहजहांपुर ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खो दिया है और एक कुशल राजनीतिक और समाजसेवी खोया है । मान्यवर, श्री राम करन सिंह का निधन 4 मई, 2000 को गोरखपुर में हुआ । वे 72 वर्ष की आयु के थे । उनका जन्म 1928 में हुआ था । वे 1967 में निर्वाचन क्षेत्र सहजनवां, जिला गोरखपुर से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । 1969 में पुनः विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वर्ष 1988 में विधान परिषद् सदस्य निर्वाचित हुए । वे आजीवन समाजवादी आन्दोलन से जुड़े रहे । वे विभिन्न दलों सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस व जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रह चुके थे । वे जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेम्बर भी रह चुके थे । सामाजिक कार्य में उनकी रुचि थी । उनके निधन से गोरखपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया दिया है । हम इस दुखद घटना से अपने को तथा अपने दल की वेदना प्रकट करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं हमारी श्रद्धांजलि इन दोनों माननीय सदस्यों के शोक–संतप्त परिवार जनों तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि लगातार हमारे बीच से ऐसे लोग विदा लेते चले जा रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस देश की आजादी के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री शिव कुमार मिश्र जी अब हमारे बीच में नहीं है। उनकी आयु 88 वर्ष थी और 18 वर्ष की आयु से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। इस देश को आजाद कराने में उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, यातनाएं सही, अपनी जवानी को जेल में कैद रखा लेकिन उन्होंने कभी भी अंग्रेजों से क्षमा याचना नहीं की। वे इस सदन में 48 में शाहजहांपुर से सदस्य निर्वाचित होकर आये थे और उसके बाद 52 और 69 में इस सदन के सदस्य रहे। राज्य सभा के सदस्य 84 से 90 तक रहे। वे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समाजसेवी थे। उनके न रहने से हमारे इस प्रदेश को बहुत क्षति हुई है और स्वतंत्रता संग्राम का योद्धा और समाजसेवी खो दिया है। मैं उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसी के साथ ही साथ श्री राम करन सिंह जी भी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उन्होंने सोशलिस्ट आन्दोलन को गति दी, स्वाधीनता लाने के लिए भरसक प्रयास किया। सारा जीवन गरीबों और शोषितों की मदद करते रहे। उनकी अगुवाई करते रहे और इस आन्दोलन में अगुवाई करते हुए बहुत यातनाएं सहीं। वे इस सदन के सदस्य 1967 में निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 1988 में वे विधान परिषद् के सदस्य भी रहे। श्रीमन्, इन दोनों महान विभूतियों ने इस प्रदेश में और इस सदन में समाज सेवा के लिए बहुत से कार्य किये। हम उनके विचारों से लाभान्वित होते रहे। आज हमारे बीच में नही हैं। मान्यवर, हर व्यक्ति के अपने-अपने विचार और काम करने का माददा अलग–अलग होता है। व्यक्ति नहीं रहता है, जगह की भरपाई होती है लेकिन जो क्षमता जिस व्यक्ति में होती है कार्य करने का जो तरीका होता है उस तरीके और क्षमता वाला व्यक्ति बड़ी आसानी से मिलने वाला नहीं होता है। इन दोनों व्यक्तियों के समाज में न रहने से समाज में रिक्तता आ गयी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे उनकी आत्माओं को शास्वत शांति प्रदान करें। मैं अपने दल और अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे दल की ओर से और समस्त सदन की ओर से शोक–संवेदनायें उनके परिवार जनों तक भिजवाने का कष्ट करें।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने माननीय नेता विरोधी जी ने सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री शिव कुमार मिश्र व श्री राम करन सिंह के निधन पर जो संवेदनायें व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्री शिव कुमार मिश्र जी का जन्म 1912 में हुआ था वे शाहजहांपुर के रहने वाले थे। 3 बार विधान सभा के सदस्य चुने गये भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान वर्ष 1942 में भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत वे नजरबन्द रहे। मान्यवर, श्री मिश्र के निधन से जनपद शाहजहांपुर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ और समाज सेवी खो दिया है।

मान्यवर, श्री राम करन सिंह जी को मैं अच्छी तरीके से जानता था वे संघर्षशील और जुझारू व्यक्ति थे। जनता की आवाज को विधान सभा में जोरदार ढंग से उठाते थे और उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते थे। मान्यवर, ये सहजनवां, जिला गोरखपुर से विधायक रहे। विधान परिषद् के भी सदस्य चुने गये। उनके निधन से जनपद गोरखपुर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ, समाजसेवी खो दिया है। मैं और मेरा दल इन दोनों व्यक्तियों के निधन पर अपनी शोक–संवेदनायें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यक्त करता है और आपसे आग्रह है कि उनके शोक–संतप्त परिवार जन तक हमारी श्रद्धांजलि पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, सदन के भूतपूर्व सदस्य भी शिव कुमार मिश्र व श्री राम करन सिंह जी के निधन पर जो शोक संवेदनायें माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल व माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी ने व्यक्त किये हैं मैं भी अपने को तथा अपने दल को उनसे जोड़ता हूं। मान्यवर, आज हमारे बीच बहुत ही कम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बचे हैं। एक–एक करके हमारे बीच से उठते जा रहे हैं। श्री शिव कुमार मिश्र जी ने आजादी की लड़ाई से लेकर सामाजिक आर्थिक क्रांति की लड़ाई में अन्त तक लड़ते रहे और आजादी के बाद समाज को जोड़ने के लिए और देश को आदर्श बनाने के लिए और जनता की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए वे संघर्ष करते रहे वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। हम शासन से यह भी अनुरोध करेंगे कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे बीच से उठते चले जा रहे हैं उनके क्षेत्रों में कुछ ऐसी यादगार छोड़े जिससे आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती रहें।

श्री राम करन सिंह जी ने जनता की सेवा की वे आज हमारे बीच नहीं है। मैं और मेरा दल इन दोनों ही नेताओं के निधन से बहुत दुखी है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारजन पर जो यह कष्ट आया है उनमें उनको झेलने की ताकत आये। मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि मेरे और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवार जन तक भेजने का कष्ट करें।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं बहुत दुःखी मन से आज अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहा हूं। मान्यवर, माननीय शिव कुमार मिश्र जी की स्मृति आते ही उनके गौर वर्ण का आकर्षक व्यक्तित्व सामने आता है जिनको देखते ही श्रद्धा उमड़ पड़ती थी। भारत की आजादी में उन्होंने जवानी खपा दी और आजादी के बाद देश के निर्माण में जो कुछ उनके पास था लगा दिया। मान्यवर, वे विधान सभा और राज्य सभा के भी सदस्य रहे। मान्यवर, जिस अवसर पर और जिस–जिस पद पर उन्हें कार्य करने का मौका मिला उन्होंने हमेशा समाज के लिए, देश के लिए अपने को समर्पित किया और देश के नव निर्माण में अपना पूरा योगदान दिया। मान्यवर, उनके निधन से एक युग का अन्त हो गया। मान्यवर, सम्पूर्ण जीवन में वे विभिन्न पदों पर रहे उनका बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व था। उनके व्यक्तित्व ने ही उनको सब लोगों के बीच में बड़ा ही प्रिय और आदरणीय बना दिया था। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से शोक प्रकट करता हूं। मान्यवर, मेरे ऊपर उनकी बहुत ही कृपा रही। कृपया हमारी शोक–संवेदनायें उनके दुःखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, माननीय श्री राम करन सिंह जी के साथ भी मुझे काम करने का अवसर मिला। मान्यवर, उनके निधन से गोरखपुर ने एक समाज सेवी और कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से शोक संवेदनायें अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी शोक–संवेदनायें दुःखी परिवारजन तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, माननीय श्री शिव कुमार मिश्र जी और श्री राम करन सिंह जी दोनों ही इस सदन के सदस्य रह चुके हैं। मान्यवर, उनके निधन से उनके क्षेत्र, उनके जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कमी रह गयी है कृपया मेरी और मेरे दल की ओर से शोक–संवेदनायें उनके परिवार जन तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राम जग–

मान्यवर, इस सदन के भू०पू० सदस्य श्री शिव कुमार मिश्र जी तथा श्री राम करन जी इस सदन के सम्मानित सदस्य रह चुके हैं। श्री शिव कुमार मिश्र जी राष्ट्रीय आजादी के आन्दोलन में जेल भी गये और उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई और उसके बाद मान्यवर, राजनीतिक जीवन में वे लगातार गरीबों के लिए अपना योगदान देते रहे।

मान्यवर, श्री राम करन सिंह जी के बारे में लोग भली–भांति जानते हैं कि यह सोसलिस्ट आन्दोलन में अग्रणी नेता थे और इन्होंने देश के दूसरे हिस्सों में भी आन्दोलन में बढ़चढ कर भाग लिया। मान्यवर, इन दोनों नेताओं के निधन से देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। हमारी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और हमारे अन्य साथी जो भी यहां मौजूद हैं इन दोनों नेताओं के निधन से बहुत दुःखी हैं। मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की है कि वे देश की आजादी की रक्षा होना बहुत आवश्यक है जो मौजूदा खराब आर्थिक स्थिति है उसका सुधारा जाना आवश्यक है। हम लोग इनके आन्दोलनों से सबक लें। आज सही मायने में इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब देश की आजादी की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए हम सब संकल्प लें। मान्यवर, इन दोनों नेताओं के निधन से जो अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं और मेरा दल जो शोक प्रस्ताव रख रहा है कृपया उसको उनके शोक–संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं कई बार आग्रह कर चुका हूं और अब निधन के निर्देश पर इस तरह का आचरण उचित नहीं है और शोभनीय नहीं है। अगर पत्रकार दीर्घा में इस प्रकार से साहित्य देंगे जब कि निधन का निदेश चल रहा है तो इसको किसी प्रकार से शोभनीय नहीं कहा जा सकता।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आज यह अत्यन्त दुःख की घड़ी है जब यह सम्मानित सदन अपने 2 भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। श्रीमन् भूतपूर्व सदस्य श्री शिव कुमार मिश्र और श्री राम करन सिंह जी अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, श्री शिव कुमार मिश्र जी का निधन 9 अप्रैल, 2000 को हो गया। वह विगत 1948, 1952 और 1969 में कांग्रेस के टिकट पर तीन बार इस सम्मानित सदन के सदस्य निर्वाचित होकर आये थे। श्री मिश्र स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 1930, 32 और 42 में भारत छोड़ो आन्दोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी रही जिसके कारण उन्हें लम्बी जेल यातना सहन करनी पड़ी। वह गांधी जी के विचारों के प्रति समर्पित थे। उनके निधन से न केवल जनपद शाहजहांपुर को अपूर्णीय क्षति हुई है बल्कि उत्तर प्रदेश ने एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खो दिया है। श्री मिश्र के निधन पर हम अपनी ओर से और अपने दल की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी शोक–संवेदना श्री मिश्र के परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

इसी क्रम में श्री राम करन सिंह जी जो इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे। वह दो बार इस सदन में विगत 67 में और 69 में प्रजा सोसलिस्ट पार्टी के टिकट पर सहजनवां, गोरखपुर, से निर्वाचित होकर आये थे। श्री सिंह का सम्पूर्ण जीवन समाजवादी आन्दोलन के लिए समर्पित था। वह आजीवन समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे। वह विगत् सन् 1988 में विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उनके निधन से जनपद गोरखपुर में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक शून्यता आई है। श्री सिंह के निधन से आज हम सब दुःखी हैं। हम और हमारा दल उनके प्रति शोक–संवेदना प्रकट करता है और

मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारी और हमारे दल की शोक–संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

* श्री राजेन्द्र यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री शिव कुमार मिश्र का निधन 9-4-2000 को हो गया और श्री राम करन सिंह जी का निधन 4-5-2000 को हो गया। इन दो भूतपूर्व सदस्यों के निधन से जनपद शाहजहांपुर और गोरखपुर की जनता ही दुःखी नहीं है पूरे प्रदेश की जनता दुःखी है। मान्यवर, इन दोनों भूतपूर्व सदस्यों के निधन से जो रिक्ति उत्तर प्रदेश में हुई है उसकी पूर्ति निकट भविष्य में नहीं दिखाई देती। मान्यवर, इन दोनों सदस्यों के प्रति जो शोक–संवेदनायें नेता सदन की तरफ से, संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता कांग्रेस पार्टी, नेता लोकदल, नेता सीपीएम, नेता जनतांत्रिक बहुजन समाज पार्टी तथा अन्य नेताओं ने जो शोक–संवेदना, शोकोद्गार व्यक्त किये हैं उंससे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए और अपने दल की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि हमारीं और हमारे दल की शोक-संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, स्वर्गीय श्री राम करन सिंह जी हमारे क्षेत्र से चुनकर आतें थे, हम आपसे उनके निधन पर शोक व्यक्त करने की अनुमति चाहते हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, स्वर्गीय श्री राम करन सिंह जी हमारे क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़कर के वह क्षेत्र की जनता की सेवा किये इम्प्लायमेन्ट आफिस में नौकरी करते हुए उन्होंने अपना जीवन प्रारम्भ किया था।

(श्री भीम प्रसाद सोनकर, सदस्य विधान सभा ने निधन के निदेश के समय सभा मण्डप के रास्ते से प्रेस दीर्घा में बैठे प्रतिनिधियों को कुछ पर्चे बांटे)

सहजनवां की गरीब जनता और वहां की बदहाली, उपेक्षा को देखते हुये नौकरी से त्याग–पत्र देकर समाजवादी आन्दोलन से जुड़ें और वहां की जनता की सेवा की। जनता का अपार स्नेह उन्हें प्राप्त था। निश्चित तौर पर स्व० श्री राम करन सिंह जी गरीबों के नेता थे, जो पीड़ित शोषित, उपेक्षित थे, उनकी मदद करना उनके जीवन का लक्ष्य था। स्वर्गीय श्री राम करन सिंह जी का जो निधन हुआ है, उससे केवल सहजनवां गोरखपुर ही नहीं बल्कि मैं तो कहता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरे प्रदेश को, इस सदन की बहुत बड़ी क्षति हुई है ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि मेरी तरफ से उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पूर्व सदस्य श्री शिव कुमार मिश्र के निधन से वास्तव में केवल अपने प्रदेश को नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी किसी प्रदेश या किसी क्षेत्र से बंधे लोग नहीं होते, सम्पूर्ण देश की क्षति हुई है। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिये अल्प आयु से जिस प्रकार संघर्ष किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विधान सभा और राज्य सभा के माध्यम से देश और प्रदेश की सेवा की और अपनी सक्रियता के कारण जिस प्रकार का स्थान समाज में बनाया, वह अपने आप में एक अप्रतिम उदाहरण है। निश्चित रूप से उनके निधन से प्रदेश की, देश की अपूर्णनीय क्षति हुई है। इसी प्रकार से श्री राम करन सिंह जी भी समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहकर जनता की अहर्निश सेवा करते रहे, जीवन पर्यन्त सेवा करते रहे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा सदस्य के रूप में, विधान परिषद् सदस्य के रूप में भी अत्यन्त सक्रिय रहे । इन दोनों माननीय पूर्व सदस्यों के निधन से निश्चित रूप से हम सभी शोक संतप्त हैं । भौतिक शरीर इसका नाम ही शरीर है, जिसका क्षरण होना है, वह चला जाता है, किन्तु व्यक्ति का कृतित्व और यश शरीर शाश्वत किसी न किसी रूप में हमारे सामने विद्यमान रहता है और हमारे लिये प्रकाश स्तम्भ का कार्य करता है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एवं अन्य दल के माननीय नेताओं ने एवं श्री शुक्ल ने शोक-संवेदना के जो विचार प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने आपको सम्बद्ध करते हुये, आपकी यह संवेदना उनके परिवार तक प्रेषित करूंगा । अब मैं आग्रह करूंगा कि हम सब उनकी आत्मा की शान्ति के लिये दो मिनट का मौन धारण करें ।

(दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए)

निधन के निर्देश के समय पर कुछ दल के नेताओं द्वारा सदन से अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न पर दलीय नेताओं की बैठक बुलाने हेतु कार्यवाही

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने कृपापूर्वक सदन की गरिमा के लिये एक सदस्य को इंगित किया और कहा कि जिस वक्त निधन के निर्देश चल रहे हों, उस समय उन्हें वह आचरण नहीं करना चाहिये । मैं आपको पीठ का ही एक आदेश याद दिलाना चाहता हूं । जब कुछ भूतपूर्व सदस्यों के लिये निधन के निर्देश के माध्यम से शोक-संवेदना व्यक्त कर रहे थे । कुछ ऐसे दल हैं, जिनमें केवल मंत्री हैं और मंत्री के अलावा कोई नहीं है, किन्तु वह बिल्कुल संवेदना शून्य हो गये हैं, संवेदनहीनता आ गई है कि इस अवसर पर जब उन्हें अपने विचार, उन सदस्यों के प्रति व्यक्त करने होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे, कभी न कभी इस सदन के सदस्य रहे हैं, वह स्वयं मौजूद नहीं रहते हैं और अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को भी यह जिम्मेदारी नहीं सौंपते हैं कि दल की तरफ से उनका विचार आ जाय । आपकी पीठ से यह अपेक्षा की गई थी कि निधन के निर्देश के समय पूरी संवेदनशीलता दिखानी चाहिये । यह दूसरी बार लगातार हो रहा है, जब तीन राजनैतिक दल, जो भाजपा गठबंधन में सहयोगी हैं, तीनों दल के लोग मौजूद नहीं हैं और निधन के संदेश के समय उनके विचार नहीं आ सके हैं । मैं अपेक्षा करूंगा कि इस सदन की गरिमा के लिये कृपापूर्वक उनसे यह अपेक्षा करें कि वह कम से कम ऐसे अवसर पर अवश्य उपस्थिति रहें और सदन की पुरानी परिपाटी, सदन की पुरानी परम्पराओं का अनुपालन करें, यही मैं अपेक्षा करूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

दलीय नेताओं की बैठक करके उन सबसे आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर पूरी संवेदनशीलता का परिचय देगें ।

(इसके तुरन्त बाद विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर धर्मस्थल विधेयक के संबंध में अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपने स्थान पर जायें ।

माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा और समाचार पत्रो में भी नहीं छपेगा तथा अंकित भी नहीं किया जायेगा ।

(घोर व्यवधान एवं वेल में आए हुए विपक्ष के सदस्यों के नारों के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया मेरा निवेदन सुने, यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

(वेल में आए हुए विपक्ष के सदस्य [धर्मस्थल विधेयक वापस लो, "अल्पसंख्यक विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी", "काला कानून वापस लो"] नारे लगाते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(वेल में आए विपक्ष के सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 12 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर रहा हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण 12 बजे श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 15 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 12 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है । 12 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभा पतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 16 मई, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई । क्रमशः एक में श्री रणधीर सिंह, क्रमशः दो में श्री प्रदीप बालियान एवं श्री इन्द्रदेव सिंह, क्रमशः तीन में श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर के अनुपस्थित रहने पर प्रतीक्षा सूची से श्री संजय गर्ग एवं श्री भीम प्रसाद की सूचनाएं स्वीकृत की गई ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई)

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा के ग्राम मवई बुजुर्ग में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा के ग्राम मवई बुजुर्ग में पानी अनुपलब्ध को देखते हुए जल निगम द्वारा हैण्ड पम्पों व कुओं के पानी का परीक्षण कराया गया था जिसके अनुसार पानी खारा एवं फ्लोराइट युक्त पाया गया जिससे अनेकों बीमारियां बढ़ रही थी इस ग्राम को पानी उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने ग्राम महोखर में पानी की टंकी व नलकूप बनाकर पेयजल आपूर्ति प्रस्तावित की तथा धन अवमुक्त कर कार्य भी करा दिया गया है । टंकी व नलकूप तैयार हो चुके हैं पाइप लाइन भी बिछ चुका है मात्र विभाग की लापरवाही के कारण यह परियोजना नहीं चल सकी है जल निगम द्वारा इस परियोजना के न चलाने से मवई बुजुर्ग के निवासी बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं तथा खारा फ्लोराइट युक्त पानी पीकर बीमार व विकलांग हो रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कृपा करें ।]

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में विद्युत केन्द्र की भूमि पर किये जा रहे अवैध कब्जे/निर्माण पर रोक लगाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूर्णमासी पंकज–

[मान्यवर, कृपया जनपद सन्त रविदास नगर भदोही सिविल लाइन में विद्युत केन्द्र स्थापित हैं । जहां से पूरे जनपद में विद्युत आपूर्ति की जाती है । विद्युत केन्द्र स्थापित है । जहां से पूरे जनपद में विद्युत आपूर्ति की जाती है । विद्युत केन्द्र से संबंधित कई प्रोजेक्ट वहां पर निर्मित किये जाने हैं । उक्त विद्युत केन्द्र मौजा जलालपुर स्थित आराजी नं० 276/3 व 278/3 जो 16 विश्वा खाली पड़ी है । जो सड़क के किनारे हैं खाली पड़ी भूमि यह वर्तमान समय में काफी कीमती है । किन्तु विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण अवैध ढंग से कब्जा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है तथा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कराया जा रहा है जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष एवं क्षोभ हैं । जनता के व्यापक आक्रोश को देखते हुए अवैध कब्जे पर रोक लगाना अत्यावश्यक है ।

अतः कृपया जनहित को ध्यान में रखकर विद्युत केन्द्र भदोही की भूमि पर किये जा रहे अवैध कब्जे /निर्माण पर यथाशीघ्र रोक लगाने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें ।]

मथुरा सहित प्रदेश के वित्त विहीन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों से निर्धारित शुल्क लेने तथा शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान देने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अजय कुमार पोइया–

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

उत्तर प्रदेश में वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थियों से जबरन अवैध फीस वसूली जा रही है प्रदेश में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को स्थायी एवं अस्थायी मान्यता दे रखी है, विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं संचालकों को जारी करते समय प्रमाण-पत्रों स्पष्ट उल्लेख है कि सरकार द्वारा निर्धारित फीस ही विद्यार्थियों से वसूली जाय साथ ही निर्धारित वेतन शिक्षकों को दिया जाय, ठीक इसके विपरीत प्रदेश में हो रहा है, विद्यार्थियों से 40 रु० से लेकर 500 रुपये प्रति माह शुल्क वसूला जा रहा है जब कि शिक्षकों को 300 से लेकर 1500 तक कुल भुगतान किया जा रहा है । जिसके कारण शिक्षक विद्यालयों में पूर्ण मनोयोग से शिक्षण कार्य कम करके ट्यूशन खोरी पर परिवार को चलाने के लिए आतुर रहते हैं विद्यालयों के संचालकों द्वारा एवं प्रबन्धकों द्वारा शासनादेश पत्रांक संख्या मान्यता 8304–8/82–83 दिनांक 25-1-1983 तथा पत्रांक संख्या–शि०स०/6080–85 दिनांक 18-10-1997 का खुला उल्लंघन किया जा रहा है । जबकि शिक्षकों को बैंक द्वारा भुगतान कराया था नहीं किया जा रहा है शिक्षकों को परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की भांति महंगाई भत्ता, मकान भत्ता एवं छुट्टियां प्रदान नहीं की जाती है इसके कारण विद्यालयों का वातावरण सम्पूर्ण विधाध्ययन के पवित्र स्थल के स्थान पर अखाड़ा हो गया है । मारपीट, अनुशासनहीनता, छात्रों, अभिभावकों, प्रबन्धक तथा शिक्षकों के मध्य हो गया है इसी कारण विद्यालयों में कम वेतन पर अप्रशिक्षित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के विद्यार्थियों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है जबकि नियमानुसार प्रशिक्षित बी०टी०सी०–एल०टी०बी०एड० प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों से शिक्षण कार्य कराया जाना चाहिए ।

अतः मैं चाहूंगा कि सम्पूर्ण प्रदेश मथुरा सहित वित्तविहीन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की उच्च स्तरीय सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित हो तथा विद्यार्थियों से शासन के निर्धारित शुल्क की वसूली तथा शिक्षकों को वेतन पूर्ण वेतनमान के अनुरूप मिले जिससे पूर्व मनोयोग से शिक्षण कार्य कर सके ।]

सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड उ० प्र० लखनऊ में व्याप्त कथित अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० वकार अहमद शाह एवं श्री सौलत अली एडवोकेट–

[मान्यवर, सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, उ० प्र० लखनऊ में हो रहे गंभीर घपलों और अनियमितताओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि इस विभाग में चीफ इक्जीक्यूटिव आफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री शौकत अली त्यागी को तीन साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर पोस्ट किया गया था यह बहुत ही ईमानदार और कर्मठ अधिकारी थे । डिपुटेशन में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इनका डिपुटेशन तीन साल के लिए है या फिर गठित बोर्ड द्वारा किसी दूसरे अधिकारी की स्थायी नियुक्ति तक ये काम करेंगे । श्री शौकत त्यागी ने बोर्ड में होने वाले बहुत से घपलों का पर्दाफाश किया और बहुत सी अनियमितताओं को रोका तथा बोर्ड को होने वाले करोड़ों रु० के घाटे को स्वार्थ सिद्ध न होने से वक्फ मंत्री उ० प्र० ने अनियमित रूप से श्री शौकत त्यागी को हटाकर बिना किसी आधार के दूसरे अधिकारी को अस्थायी तौर पर नियुक्त कर दिया ।

विशेष ध्यान योग्य बात यह है कि वक्फ सं०–102ए, 133 ए मुरादाबाद को बेचने की कार्यवाही चल रही थी और बोर्ड तथा मंत्री द्वारा इस सेल को नियमित करने का दबाव पड़ रहा था खासतौर से उन मेम्बरों का द्रबाव ज्यादा था जिन्हें मंत्री जी ने खुद नियुक्त किया था । इसको श्री त्यागी ने रोक लगायी दरगाह, बहराइच में नियुक्त प्रशासक, अब्दुल हलीम के खिलाफ विजिलेन्स जांच चल रही है यह जांच आगरा/फैजाबाद से संबंधित है, परन्तु उन्हें हटाया नहीं गया ।

इसमें लाखों-करोड़ों अल्पसंख्यकों के हितरक्षा की बात है । अतः शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए, अनुरोध है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर श्री शौकत अली त्यागी को फिर से नियुक्त कराने तथा पूरे प्रकरण की जांच कराने का कष्ट करें ।]

सहारनपुर नगर के मध्य धोबी घाट के समीप पांव धोई नदी पर बने पुल के अत्यधिक सकरा एवं जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग–

[महोदय, नगर सहारनपुर के बीचो बीच से पांव धोई नदी बहती है, जिसने एक बड़े नाले का रूप ले लिया है । इसके एक छोर पर धोबी घाट के पास वर्षों पुराना निर्मित पुल जर्जर अवस्था में पहुंच गया है तथा बहुत कम चौड़ा है, जिससे नागरिकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है । पुल के ऊपर से चौपहिया (कार आदि) वाहनों का निकलना भी असंभव है । इसलिए नागरिकों को लम्बा सफर तय करके घने बाजारों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे हमेशा ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रहती है, तथा दुर्घटनाएं होने का अंदेशा बना रहता है । इस कारण नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है । कई बार धरना, प्रदर्शन एवं आन्दोलन भी हो चुके हैं ।

अतः उपरोक्त पुल के पुनर्निर्माण हेतु शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे जनता को राहत मिल सके ।]

अम्बेडकर नगर के जहांगीर गंज क्षेत्रान्तर्गत कतिपय स्थानों पर बाढ़ के प्रकोप से बचाने हेतु कटान को रोकने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[महोदय, आपके संज्ञान में अति लोक महत्व तथा अविलम्बनीय प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं जुलाई, अगस्त से बरसात शुरू हो जाती है और घाघरा नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती है । कई हजार एकड़ जमीन घाघरा नदी के कटान से कटकर नदी में विलीन हो जाती है किसान खेती से विहीन हो जाते हैं । उनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं बच पाती है । तो आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इन सब किसानों का सर्वे कराकर उन सबको खेती कराने का कार्य करें तथा जिनके 1999 में कटान के दौरान बरसात में घर गिर गये हैं उनका भी सर्वे कराकर इन्दिरा आवास की व्यवस्था तत्काल करें । कारण कि 1999-2000 में जिन लोगों के मकान गिरे थे अभी तक उन सबको इन्दिरा आवास नहीं मिल पाया है जैसे–याम बहादुर निषाद, ग्राम–बलरामपुर, पो०–राजेसुल्तानपुर, राजकुमार जायसवाल ग्राम व पो० ओम प्रकाश सोनकर, रामराज भर, राजदेव प्रजापति, त्रिवेनी नाई, श्रीमान् मौर्य, राम लखन कहार, नेबू लाल सोनकर, श्यामलाल निषाद, छट्टू कुम्हार, नक्सेर सोनकर, इत्यादि ग्राम व पोस्ट–बलरामपुर राजेसुल्तानपुर तथा ज्वाला प्रसाद सोनकर, राम विलास सोनकर, जगदेव सोनकर, आदि ग्राम–राजेपुर, पोस्ट राजेसुल्तानपुर साथ ही साथ मान्यवर मगरू धोबी, फूलचन्द्र धोबी, झिनकू धोबी, घुरहू धोबी, ग्राम–बलरामपुर पोस्ट राजेसुल्तानपुर का मकान सड़क से बहुत नीचे पड़ता है और पानी के निकासी के लिए कोई रास्ता न होने से बरसात के समय घर में पानी घुस जाता है । मकान गिरने की संभावना बनी रहती है । इसलिए इनके लिए भी आपसे मांग करता हूं कि इनको तत्काल इन्दिरा आवास की व्यवस्था बरसात के पहले करके निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित कराये इन्हीं बातों में संबद्ध करते हुए इस ग्राम सभा बलरामपुर में महिला सुलभ शौचालय न होने के कारण महिलाओं के शौचालय के लिए तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इसे भी बनवाने के लिए आपसे मांग करता हूं ।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें तथा उक्त बातों पर ध्यान देते हुए निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें । आपकी महान कृपा होगी ।]

श्री अधिष्ठाता–

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं उनके नाम इस प्रकार से है श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री भोला शंकर मौर्य, श्री जगदीश नारायण राय, डा० सरजीत सिंह डंग, श्री बाबू लाल, श्री सुशील शाक्य, श्री राम नरेश यादव, श्री फरीद महफूज किदवई, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री शिव सिंह

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

चक, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री राम विशुन आजाद, श्री अफजाल अहमद, श्री काशी राम, श्री श्रीराम पाल, श्री परवेज हलीम, श्री दीपलाल भारती, श्री रूप चौधरी, श्री रामाधार सिंह तथा श्री रघुबर दयाल वर्मा ।

ओ०सी०आर० में लिफ्ट खराब होने से उत्पन्न कठिनाई के सम्बन्ध में जानकारी

(मद सं०–4 पुकारे जाने पर।)

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

*श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, माननीय विधायकगण यहां पर विधायी कार्य करने के लिये आते हैं । उनकी सुविधा के लिये यहां पर विभिन्न विधायक निवास बने हैं उनमें से एक ओ०सी०आर० है । इसके बी ब्लाक में 3 लिफ्टें डेढ़ वर्ष पूर्व लगीं थी । 50 लाख रुपये का बजट इसके लिये था । इसमें से एक लिफ्ट 97 में दुर्घटनाग्रस्त हुयी थी जिसमें माननीय अमित अग्रवाल जी घायल हो गये थे । इन लिफ्टों के लिये तकनीकी निविदायें मांगी गई थीं और वाणिज्यिक निविदायें मांगी गयीं थीं । जो 35 लाख रुपये की लिफ्ट लगी हैं वह परसों से बन्द है । कल प्रातः डेढ़ बजे तक वह बन्द रही है । विधायकगण लिफ्ट के कारण यहां नहीं आ सके । जो लिफ्टें खरीदी गयीं उनके लिये एक शर्त यह थी कि उनका कार्यालय लखनऊ में होना चाहिये और उनको 14 मंजिल भवन में लिफ्ट लगाने का अनुभव होना चाहिये । इस मामले की जांच सतर्कता विभाग से हो रही है । इस सम्बन्ध में जो दोषी अधिकारी हैं उनसे जिस धन का अपव्यय हुआ है उसकी वसूली की जाय । इसके अलावा जो प्रतिष्ठित फर्में हैं उनसे लिफ्ट सम्बन्धी कार्य कराया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैं शासन को निर्देश दे रहा हूं कि शासन गम्भीरता से इसको दिखवाये और जो विधायकों को कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जाय ।

(उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रीज फैसिलीटेशन काउन्सिल नियमावली, 2000) तथा अधि० सूचना सं०–173/18-5-2000–18 (एसपी)–92, दि० 22 जनवरी, 2000 †

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से लघु उद्योग अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या–172/18-5-2000-18 (एसपी)–92, दिनांक 22 जनवरी, 2000 द्वारा प्रकाशित "उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्री फैसिलीटेशन काउन्सिल नियमावली, 2000" तथा अधिसूचना संख्या–173/18-5-2000-18(एसपी)–92, दिनांक 22 जनवरी,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

† छापी नहीं गयीं ।

2000, को लघु आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को बिलम्बित संदाय पर ब्याज अधिनियम, 1993 की धारा–7 ग की अपेक्षानुसार सदन की पटल पर रखता हूं।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन 1994-95 ††

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन–1994-95 को, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा–12 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–23 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के "संकलित प्रमाणित वार्षिक चिट्ठा–1990-91"††

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राजाराम पाण्डेय)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के "संकलित प्रमाणित वार्षिक चिट्ठा, 1990-91" को, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा–30(5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (तेइसवां संशोधन) नियमावली, 1999 †

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से आबकारी अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–1102 ई–2/13-99--8-95 टी०सी०–III, दिनांक 01 अप्रैल, 1999 द्वारा प्रकाशित, उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (तेइसवां संशोधन)नियमावली, 1999 को, बिलम्ब के कारणों सहित, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क–(1) के अधीन, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण विभाग लिमिटेड की 11वीं वार्षिक रिपोर्ट 1985-86 से 22वीं वार्षिक रिपोर्ट 1996-97††

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की, 11वीं वार्षिक रिपोर्ट 1985-86 से 22वीं वार्षिक रिपोर्ट 1996-97 तक को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए) के अधीन, सदन के पटल पर रखता हूं।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–1 की अधिसूचना ††

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम लखन पासी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–334/64-1-2000-46-95, दिनांक 10 मार्च, 2000 को, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा–14 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापे नहीं गये।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 10 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1999-2000) का 21वां प्रतिवेदन †††

श्री शिव बहादुर सक्सेना–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1999-2000), उक्त समिति का 21वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1999-2000) का 22 वां प्रतिवेदन ††††

श्री शिव बहादुर सक्सेना–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1999-2000), उक्त समिति की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1999-2000), उक्त समिति का 22 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मुरादाबाद के नगर पालिका बिलारी में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु वाटर टैंक बनवाये जाने विषयक श्री मुन्ने आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †††

श्री अकबर हुसैन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से–(1) जनपद मुरादाबाद के नगरपालिका बिलारी में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु वाटर टैंक बनवाये जाने विषयक श्री मुन्ने तथा श्री मो० अहमद निवासीगण जनपद–मुरादाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद रामपुर की तहसील शाहाबाद के ग्राम सफनी में गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री शराफत हुसैन आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††††

श्री अकबर हुसैन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद रामपुर की तहसील शाहाबाद के ग्राम सफनी में गागन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री शराफत हुसैन तथा श्री मो० हफीज निवासीगण जनपद रामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में मण्डी भवन निर्माण कराये जाने विषयक श्री अनिल कुमार शर्मा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††††

श्री शिव सिंह चक–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से–(1) जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में मण्डी भवन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव, निवासीगण जनपद–फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

††† छापी नहीं गयी।

†††† छापी नहीं गयी।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में पीने के पानी की समस्या का निदान कराये जाने विषयक श्री अरूण कुमार शर्मा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††††

श्री शिव सिंह चक–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में पीने के पानी की समस्या का निदान कराये जाने विषयक श्री अरूण कुमार शर्मा तथा श्री शंकर सिंह सोलंकी निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज के तेंदुवाई कला में गन्ना मिल स्थापित कराये जाने विषयक श्री जमुना प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††††

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज के तेंदुवाईकला में गन्ना मिल स्थापित कराए जाने विषयक श्री जमुना प्रसाद, निवासी जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत छोटी गडंक नदी घाट व मकुनही घाट पर पक्का पुल बनवाये जाये विषयक श्री राजेश्वर राव आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††††

श्री दीप लाल भारती–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत छोटी गंडक नदी पर जोर घाट व मकुनही घाट पर पक्का पुल बनवाए जाने विषयक श्री राजेश्वर राव तथा श्री भगवान सिंह व अन्य निवासी गण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा अन्तर्गत ग्राम नौतार जंगल के उत्तर तुर्कहा नाले पर पक्का पुल बनवाये जाने विषयक श्री विन्ध्याचल निषाद आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††††

श्री दीप लाल भारती–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा अन्तर्गत ग्राम नौतार जंगल के उत्तर तुर्कहा नाले पर पक्का पुल बनवाए जाने विषयक श्री विन्ध्याचल निषाद तथा श्री पारसनाथ यादव निवासीगण जनपद कुशीनगर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सिटी के अन्तर्गत हरई नहर तथा वीरपुर माइनर के किनारे बसे ग्रामों के किसानों का वर्ष 1999-2000 का सिंचाई टैक्स समाप्त किये जाने विषयक श्री हरि नारायण पाण्डेय आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††††

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मीरजापुर के विकास खण्ड सिटी के अन्तर्गत हरई नहर वीरपुर माइनर के किनारे बसे ग्रामों के किसानों का वर्ष 1999-2000 का सिंचाई टैक्स समाप्त किए जाने विषयक श्री हरिनारायण पाण्डेय तथा श्री बंशीधर उपाध्याय, निवासीगण जनपद मीरजापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

†††† छापी नहीं गयी।

जनपद संत रविदास नगर में निर्माणाधीन भदोही से सुरियावां तक 33 के०वी० की विद्युत लिंक लाइन पक्की कराये जाने विषयक श्री भगौती प्रसाद आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††††

श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद सन्त रविदास नगर में निर्माणाधीन भदोही से सुरियावां तक 33 के०वी० विद्युत लिंक लाइन पूर्ण कराए जाने विषयक श्री भगौती प्रसाद तथा श्री नन्द लाल गुप्ता निवासीगण जनपद सन्त रविदास नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद जौनपुर विकास खण्ड सुजानगंज के अन्तर्गत बेलवार घाट पर सई नदी पर पुल बनवाये जाने विषयक श्री सुभाष चन्द्र तिवारी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††††

श्रीमती सीमा द्विवेदी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सुजानगंज के अन्तर्गत बेलवार घाट पर सई नदी पर पुल बनवाएं जाने विषयक श्री सुभाष चन्द्र तिवारी तथा श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

जनपद हरदोई के 90 बिलग्राम क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक हरपालपुर में रामगंगा नदी पर बेड़ी जोर में पीपे का पुल बनवाये जाने विषयक श्री राम बाबू सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††††

श्री गंगा सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद हरदोई के 90 बिलग्राम क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक हरपालपुर में राम गंगा नदी पर बेड़ीजोर में पीपे का पुल बनवाए जाने विषयक श्री राम बाबू सिंह तथा श्री राम करन त्यागी निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सहजनवां के न्याय पंचायती खजुरी के ग्राम रानीपुर छपिया में एक कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने विषयक श्री सुबाष मिश्र आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††††

श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सहजनवां के न्याय पंचायत खजुरी के ग्राम रानीपुर छपिया में माध्यमिक विद्यालय स्थापना योजनान्तर्गत एक कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराए जाने विषयक श्री सुबाष मिश्र तथा श्री गिरीश सिंह निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–22, मद संख्या–23, मद संख्या–24 में कुछ नहीं है।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 16–5–2000 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुई। माननीय अध्यक्ष द्वारा चयनित एक सूचना तथा शलाका के आधार पर चुनी गई एक सूचना मिलाकर कुल सूचनाओं का विवरण निम्नवत् है। पहली सूचना श्री राम सिंह सैनी की।

---

†††† छापी नहीं गयी।

श्री राम सिंह सैनी–

अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, यह आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि नियमों को शिथिल करते हुए सदन की कार्यवाही को रोककर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई जाए। उत्तरांचल के लोग अलग से अपना स्टेट बनाने के लिए संघर्षरत थे हमें खुशी थी हम लोगों ने भी यहीं की विधान सभा में तीन बार प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा। विधान सभा में चर्चा हुई तो पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने उसमें भाग लिया और 16 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन ने इस पर अपनी मुहर लगा दी। परन्तु एक बार भी हरिद्वार उसमें शामिल करने की कोई बात नहीं की गई। इससे पहले भी केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने प्रस्ताव किया तो उसमें मूल क्षेत्र को लाने की बात की गई यही नहीं राष्ट्रपति महोदय ने विधान सभा की राय जानने के लिए प्रस्ताव यहां भेजा और विधान सभा ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मेरे क्षेत्र को भी उत्तरांचल में शामिल नहीं किया जाय। कुछ लोगों ने वहां पर दबाव बनाया और अब यह प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने पास कर दिया कि हरिद्वार को उत्तरांचल में सम्मिलित कर दिया जाय। इससे हरिद्वार की जनता में आक्रोश व्याप्त है जनता आन्दोलित हो रही है। उत्तरांचल के लोगों की प्रारम्भिक मांग थी कुमाऊं और गढ़वाल डिवीजन की। हरिद्वार मेरठ मण्डल का अंग था। एक कुचक्र के तहत हरिद्वार को उत्तरांचल में शामिल किया गया है। उधम सिंह नगर के संदर्भ में एक कमेटी बना दी गई और रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडीज जनता की राय जानने जा रहे हैं। यहां के मुख्य मंत्री को पता नहीं क्या हो गया है मैं कुछ कह भी नहीं सकता वे बहुत ही सम्मानित सदस्य है। उन्होंने कहा कि जो केन्द्र का निर्णय होगा वही मान्य होगा। पंजाब के मुख्य मंत्री ने संघर्ष किया वे अपने लिये संघर्ष कर रहे हैं। यहां के मुख्य मंत्री जी को कम से कम हरिद्वार की जनता की भावनाओं का आदर करना चाहिए था। आप हरिद्वार की जनता की राय ले लें जनमत संग्रह करवा लें इससे ज्यादा लोकतंत्र और क्या होगा। आप हरिद्वार की जनता पर कोई निर्णय थोप तो नहीं सकते। नरेश अग्रवाल जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली में कहा कि अगर हरिद्वार को उत्तरांचल में मिलाया गया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि इससे यहां की सरकार सकते में आ जायेगी। लेकिन मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सरकार की हमें नहीं उन्हें ज्यादा चिन्ता है। इसका मतलब यह हुआ कि नरेश अग्रवाल जी को सरकार की ज्यादा चिन्ता है। हरिद्वार के लोग आन्दोलित हैं। यदि उत्तरांचल में हरिद्वार को शामिल किया गया तो हरिद्वार की सड़कों पर खून बहेगा। हम संघर्ष करेंगे लेकिन किसी भी हालत में उत्तरांचल में हरिद्वार को नहीं जाने देंगे। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस अति महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, हमको सुन लिया जाय। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हमको नियम–56 के अन्तर्गत सुना जायगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी सम्भवतः उस समय आप सदन में थे कि नहीं थे परन्तु माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि सबसे पहले इसे सुन लिया जायेगा। इसलिये जिन माननीय सदस्यों ने लिखकर दिया है, उन्हें आप सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

केवल एक माननीय सदस्य के हस्ताक्षर हैं ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि नियम 311 नहीं ले रहा हूं परन्तु 56 में आपको सुना जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री अम्बरीष कुमार जी को मैं सुन लेता हूं परन्तु यह उदाहरण नहीं बनेगा ।

(श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा के खड़े होने पर)

नियम–56 की कार्य-स्थगन की सूचना होती है । उस पर सत्ता पक्ष के बोलने का कोई औचित्य नहीं होता है । इसलिये कृपा करके आप अपना स्थान ग्रहण करें । वैसे इसमें न काजी साहेब के हस्ताक्षर हैं और न ही अम्बरीष जी के ।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, वह बिल यहां से पास होकर चला गया । अब उसमें हरिद्वार शामिल हो या उधमसिंह नगर शामिल हो, यह तो केन्द्र सरकार का अधिकार है । प्रदेश सरकार का कोई अधिकार अब उस पर नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह कोई श्री अम्बरीष कुमार जी का सवाल नहीं है । आप प्रोसिंडिंग मंगवाकर देख लें । माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि 311 नहीं लिये जायेंगे परन्तु उन्हें मैं 56 में परिवर्तित कर देता हूं और फिर सुन लूंगा । 4 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं । इन्हें आप सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, मैं कार्यवाही देख लेता हूं ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, आज एक गम्भीर मामला सदन के सामने है । सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह सदन है । लोगों की इच्छा से प्रजातंत्र देश में चलता है, लोगों की इच्छा से ही प्रदेश में सरकार है, लोगों की इच्छा से ही केन्द्र में सरकार है । उत्तर प्रदेश के 16 करोड़ लोगों ने और विधान सभा ने इस आधार पर कि हरिद्वार का उत्तरांचल से किसी भी प्रकार से न कोई सांस्कृतिक सम्बन्ध है, न कोई ऐतिहासिक सम्बन्ध है, न कोई सामाजिक सम्बन्ध है, न कोई प्रशासनिक सम्बन्ध है और न कोई उसका ऐसा इतिहास रहा है न भाषा का हमारा सम्बन्ध रहा है । भौगोलिक सम्बन्धी एक दूसरे से वस्तुस्थिति भिन्न है । सबसे बड़ी बात यह है कि जब पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिये उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने ऐसा प्रस्ताव पास किया । केन्द्र ने भी उसको स्वीकार किया कि पृथक उत्तरांचल राज्य की स्थापना होनी चाहिए तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में दूसरे मापदण्ड कैसे अपनाये जा रहे हैं । एक तरफ पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की भावनाएं हैं और दूसरी तरफ हरिद्वार जनपद के 15 लाख लोगों और जनप्रतिनिधियों की भावनाएं हैं । आप यह अन्तर क्यों करना चाहते हैं । मैं नहीं जानता वो कौन से राजनैतिक कारण हैं । चुनाव आप इलाहाबाद से लड़ते हैं, पार्लियामेन्ट का चुनाव जौनपुर से लड़ते हैं तो फिर हरिद्वार में क्या रुचि है । यह मेरी जिज्ञासा का प्रश्न है । मैं चुनौती देना चाहता हूं उन नेताओं को जहां से वे चुनाव लड़कर आते हैं, उस क्षेत्र का मामला नहीं था तो फिर हरिद्वार जो कि उनका क्षेत्र नहीं है उसके बारे में बात करने का अधिकार उनको नहीं है । कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी । क्योंकि

पहले इस देश में कश्मीर बना, नागालैंड बना मिजोरम बना, बंगाल बना जहां लोग आज भी खून बहाते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिये । सरकार उत्तरांचल के नाम पर एक नया विवाद क्यों खड़ा करना चाहती है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सदन साक्षी है । यहां से प्रस्ताव पास हुआ था । आज मान्यवर, हरिद्वार के लोग बहुत उत्तेजित हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी स्थिति वहां भयानक घट सकती है । आज जो पहाड़ के यह लोग उत्तर प्रदेश में रहने को तैयार नहीं हैं इन लोगों से कह दिया जाय कि यह पहाड़ चले जायं । यह एक प्रतिष्ठा का सवाल है । हरिद्वार के लोग नहीं चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चाहती है फिर क्या उत्तर प्रदेश से निकालेंगे इसे .....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

एक प्रस्ताव यहां से पास होकर केन्द्र में चला गया तो फिर यहां क्यों चर्चा कर रहे हैं । जो कुछ कहना हैं केन्द्र सरकार को कहें । माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसे अधिष्ठाता जी कार्यवाही का हिस्सा न बनायें ।

(कई सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह कोशिश जारी रही तो हरिद्वार का बच्चा-बच्चा बलिदान देगा और इस निर्णय को स्वीकार करने का काम नहीं करेगा । मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार जिसने यह संकल्प यहा प्रस्तुत किया था जो माननीय सदस्य हरिद्वार को उत्तरांचल में शामिल करने का समर्थन करते हैं । यह सदस्य भी यहां थे जो हरिद्वार उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए का समर्थन किया था आज इनको यह अधिकार नहीं है कि इसका विरोध करें । हरिद्वार उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए यह भी सरकार की जिम्मेदारी है कि आज इस प्रश्न पर हरिद्वार के लोगों के साथ खड़ी हो और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ हो, जो संकल्प पारित हुआ था उसको पारित कराने के लिये केन्द्र सरकार के ऊपर दबाव डाले । मान्यवर, सारे नियमों को, कार्यों को स्थगित करके इस पर चर्चा करायें ।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में पहले ही इस प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है और प्रस्ताव पास होकर केन्द्र सरकार को चला गया है । क्या श्रीमन्, उसी बिन्दु पर चर्चा यहां दोबारा हो सकती है ? इसका औचित्य क्या है ? अब यह केन्द्र सरकार का अधिकार है ।

(कई सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें । अन्तर समझ लें । इस सूचना पर जो लोगों के विचार आ रहे हैं वह ग्राह्यता के सन्दर्भ में हैं न कि चर्चा के रूप में । इसलिये कृपया बीच में व्यवधान न करें ।

श्री राम ललित चौधरी–

जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें हरिद्वार की बात नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना चयनित है । इस पर जिन माननीय सदस्यों को ग्राह्यता पर विचार रखने हैं, अनुमति मिल जायेगी ।

श्री हरवंश कपूर–

माननीय सदस्य ने अपने भाषण में जो असंसदीय अशोभनीय शब्द कहे हैं उनको कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

इस प्रकार के असंसदीय और अशोभनीय शब्द होंगे तो वह कार्यवाही से निकाल दिये जायेंगें ।

काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन–

यह प्रजातंत्र का दौर है यह [x x x] इस प्रदेश .....

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान)

(श्री अजय भट्ट, श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा एवं श्री रघुनाथ सिंह चौहान आदि सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय काजी साहब हो सकता है आपको शब्दों के चयन में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़े ।

माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें ।

काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन–

[x x x] कहा असंसदीय है, अगर पहाड़ असंसदीय है तो मैं इन्हें मैदानी कहे देता हूं ।

(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय शब्द कहना उचित होगा । [×××] शब्द का उपयोग न करें ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

जो पहाड़िया मार्केट लिखा गया उसको कटवा दें ।

नोट :–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

पर्वतीय और [×××] में कोई अन्तर नहीं है ।

(व्यवधान)

मेरी पूरी बात सुन लें, लेकिन किसी सामान्य शब्द से किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो सावधान रहना चाहिए और इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन–

इस विधान सभा ने तीन बार प्रस्ताव कर दिया कि हरिद्वार उत्तरांचल में नहीं जाएगा, जबकि उधमसिंह नगर के लिए यह प्रस्ताव किया कि वह जाएगा, मुझे खेद है कि हमारे मुख्य मंत्री भी वहां गए और शेरे पंजाब प्रकाश सिंह बादल भी वहां गए, उन्होंने वहां जाकर धमकी दी कि उधमसिंह नगर की बिना राय जाने नहीं दिया जा सकता है केन्द्र सरकार राजी हो गई, कि वहां की राय जो है उसको भेजेंगे । मुझे खेद है हमारे मुख्य मंत्री [x x x] जिस प्रदेश की नुमाइन्दगी कर रहे हैं, सर्वसम्मति से तीन बार पास किया जाए, इन्होंने कह दिया केन्द्र जो करे, यह इस प्रदेश के, इस विधान सभा के नुमाइन्दें बनकर गए तो कहना चाहिए था कि हम अपनी विधान सभा का अपमान नहीं होने देंगे । मैं बधाई देना चाहता हूं पंजाब के मुख्य मंत्री को [x x x] हर चीज का आधार होता है सोशल हो, जोग्रेफिकल हो, उत्तराखण्ड से अलग हमारा रहन-सहन है, खाने का तरीका अलग है, पहनने का तरीका अलग है, उनके रहने का अलग अंदाज है हम उनकी तरह नहीं रह सकते हैं, अम्बरीष जी, और रामसिंह सैनी जी ने भी कहा, प्रजातंत्र के मामले में जनरल जियाउलहक और मुर्शरफ की तरह फैसला किया जाएगा जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाएगा हम तो जाना नहीं चाहते हैं और यह हमको जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं । अगर हम कहते हैं कि हजूर हमें माफ कर दो हम यहां रहना नहीं चाहते हैं तो वह हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है । जब हम वहां 2 प्रतिशत होंगे [x x x] तो आपसे हमारी गुजारिश है कि जो हमारी भावनाएं हैं, इस प्रदेश की और इस सदन की भावनाएं हैं वह प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का कष्ट करें । यह सारे प्रदेश की भावनाएं हैं । कृपया हरिद्वार को उत्तराखण्ड से अलग रखें और उत्तर प्रदेश में रखें । यदि हम को यह रखना ही चाहते हैं तो इसमें सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल और मेरठ मंडल को ले लें ताकि हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें ग्राह्यता का एक शब्द भी नहीं है । कृपया ग्राह्यता पर बोलें ।

काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन–

मान्यवर, इसमें सारे शब्द ग्राह्यता के हैं । यहा से हम मांग कर चुके हैं तो फिर सेन्ट्रल में क्यों तब्दील कर रहे हैं । हमारा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के लोगों की भावनाएं वहां पर पहुंचायें ।

संस्कृति पूर्त एवं धर्मस्व मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सदन को जानकारी दी है उसके बारे में कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने उधमसिंह नगर के बारे में लोगों की अभिव्यक्ति जानने के लिए कोई कमेटी नहीं भेजी और न

नोट :–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

ही निर्देश दिया । यह कहना यहां पर ठीक नहीं है और तथ्यों से परे हैं । यह सदन को गुमराह करने वाला वक्तव्य है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांत रहें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जार्ज फर्नाडीज उस कमेटी के चेयरमैन हैं और वहां गये थे यह जानने के लिए कि उधमसिंह नगर को मिलाया जाय । उन्होंने कहा कि कोई अधिकार नहीं है .....

श्री अधिष्ठाता–

अधिकार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

वह उस कमेटी के चेयरमैन है और उनके मुत्तालिक वह गये हैं ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, वह उस कमेटी के चेयरमैन थे । लेकिन जो बिल व्यपगत हो गया, जो बिल है ही नहीं तो फिर उस कमेटी का कोई औचित्य नहीं है । लेकिन बात है वह जा रहे होंगे उस कमेटी के संदर्भ में यहां पर यह कहना सदन को गुमराह करने वाला है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

यदि यह कमेटी नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, यह खत्म हो चुकी है और उस बिल का अस्तित्व नहीं है तो फिर मुख्य मंत्री जी कौन सी बैठक में शामिल हुए ?

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, यह कहा गया कि जार्ज फर्नाडीज की कोई कमेटी कंस्टीट्यूट की गयी है । सदन में माननीय मंत्री जी की बात पर सवाल उठाया गया । आज की तारीख में भारत सरकार ने जार्ज फर्नाडीज की कोई कमेटी ऊधमसिंह नगर के लिए गठित नहीं की है ।

जो कमेटी थी, पिछली सरकार की थी, वर्तमान में ऐसी कोई कमेटी गठित नहीं है । भारत सरकार के मंत्री कहीं दौरा करें मंत्रि-परिषद् के सदस्य कहीं जायें भारत सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई है । लिहाजा हम सदन में बड़े जोर के साथ कहना चाहते हैं कि ऊधमसिंह नगर के ऊपर भारत सरकार ने कोई कमेटी गठित नहीं की है । ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार को शामिल करने का जो निर्णय लिया गया है उस पर भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं ।

* श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाया गया है उत्तरांचल के संबंध में उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, हरिद्वार पूर्व में सहारनपुर का हिस्सा था, गंगा जमुना की संस्कृति जो पूरे पश्चिम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में है उसमें एक रोल अदा करती है उसमें हरिद्वार का अहम स्थान है। मान्यवर, मैं सदन से 16 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं। सदन ने तीन बार प्रस्ताव यहां से प्रस्तावित कर केन्द्र को भेजा उसमें निश्चित रूप से हरिद्वार को अलग करते हुए केन्द्र को भेजने का काम किया है। केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल ने आज की मौजूदा सरकार ने इस लोकतांत्रिक ढांचे का मखौल उड़ाते हुए अधिनायकवादी रवैया अपनाते हुए जिस तरह से उत्तरांचल के अन्तर्गत हरिद्वार को शामिल करने की बदनियती जाहिर करने का काम किया है, केन्द्रीय नेतृत्व और जनतांत्रिक गठबन्धन की सरकार की उत्तरांचल को पृथक राज्य बनाने की नीयत साफ नहीं है चूंकि वह लगातार कभी ऊधम सिंह नगर को और कभी हरिद्वार को शामिल करके और आपस में अन्तर्विरोध करके सामंजस्य की स्थिति पैदा नहीं करने देना चाहती है। आपकी स्थिति को देखते हुए जो माननीय रक्षा मंत्री की कमेटी बनी है। मान्यवर, जो 16 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन का फैसला रहा है उनका प्रतिनिधित्व जिस शर्मनाक ढंग से माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां किया और जो फर्ज की अदायगी उन्हें करनी थी और जन भावनाओं को वहां रखना था माननीय नेता सदन ने वहां रखने का काम नहीं किया। हम चाहते हैं कि उत्तरांचल अलग प्रदेश बने, लेकिन उसके साथ-साथ उसकी संस्कृति और विधि अलग है। हरिद्वार की संस्कृति अलग है।

मान्यवर, इससे पहले भी उत्तरांचल प्रदेश की घोषणा की बातें हुई जिस तरह का फैसला लेने का काम केन्द्रीय नेतृत्व करता है, उस निर्णय से पहले उत्तर प्रदेश के लोगों की राय जानने का काम किया गया होता। उस निर्णय से पहले ही पुनर्गठन आयोग गठित करके और उसमें तमाम लोगों की राय जान कर इस तरह के फैसले को लेने का काम केन्द्रीय नेतृत्व को करना चाहिए। (व्यवधान) परन्तु लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके कभी किसी हिस्से को शामिल करने का और कभी नहीं शामिल करने जो इस तरह का मखौल मौजूदा लोकतंत्र में केन्द्रीय नेतृत्व ने किया है वह शर्मनाक है उसकी जितनी निन्दा की जाय कम है। मौजूदा लोकतंत्र में क्या हरिद्वार के लोगों के भावनाओं की कद्र नहीं होनी चाहिये क्या जनमत संग्रह नहीं लेना चाहिये कि उन्हें स्वीकार है कि नहीं। मान्यवर, निश्चित रूप से हरिद्वार के लोगों की भावनाओं की कद्र होनी चाहिये।

(सत्ता पक्ष के श्री अजय भट्ट, श्री मोहन सिंह गांववासी आदि सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर) (घोर व्यवधान)

श्री संजय गर्ग–

सत्ता पक्ष में बैठे लोग केन्द्र में बैठा उनका केन्द्रीय नेतृत्व इस तरह लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे यह उसकी नियति बन गयी है इसलिये मान्यवर, आपसे चाहता हूं कि निश्चित तौर पर लोगों की भावनाओं की कद्र होनी चाहिये। हम उस प्रदेश में जाय या न जाये इस पर लोगों की राय जानी जाय अगर कोई राय नहीं जानी जायेगी तो वहां अलगाववादी ताकतें उभरेंगी इससे वहां के नौजवानों की भावनाओं का भड़कना स्वाभाविक है। हम फिर किस तरह के समाज की संरचना करेंगे।

मान्यवर, आज पूरे हरिद्वार में हाहाकार मचा हुआ है। इस बात का फैसला हो चुका है (व्यवधान) मान्यवर, इस पर चर्चा कराकर निश्चित रूप से इसकी जानकारी केन्द्रीय नेतृत्व को भेजने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

श्री गर्ग के अपने विचार होंगे मगर इस देश में संस्कृति राष्ट्रीय संस्कृति हैं, पूरे देश की संस्कृति एक है। भौगोलिक दृष्टि से भाषा की दृष्टि से और रीति-रिवाज की दृष्टि से हम बाहर से भिन्न लगते होंगे लेकिन भारत की अपनी एक राष्ट्रीय संस्कृति है, हमें इस पर विश्वास रखना चाहिये।

श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

मान्यवर, हम अपने पितरों का पिण्डदान वहां करते हैं तो इससे इनको क्या लेना-देना । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस प्रकार का तर्क रखने में नियंत्रण रखा जाय तो बड़ी कृपा होगी हम रामेश्वरम् जाते हैं, कन्याकुमारी जाते हैं तो इस प्रकार की भाषा न बोलें जो किसी के मन को चुभे । मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि ग्राह्यता पर अपनी बात रखें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है आप नियम देख लें जो विषय सदन के समक्ष विचाराधीन है उससे संबंधित व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है मैं आपसे कृपा पूर्वक यह संरक्षण चाहता हूं । अभी माननीय सदस्यों ने सदन को गुमराह करने की बात कही कि जार्ज फर्नाडीज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित है कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां की संस्कृति अलग है ?

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपके विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं दूंगा । आप ग्राह्यता पर अपने को सीमित रखेंगे

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप सिंह–

बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग हरिद्वार जनपद से संबंध रखते हैं और उत्तरांचल में शामिल नहीं होना चाहते हैं, यह लोग और केन्द्र की सरकार उनके लोकतंत्रीय अधिकारों का हनन करना चाहते हैं, क्या वहां प्रजातंत्र नहीं है । हरिद्वार जनपद की जनता को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है । जब सदन के अन्दर यह स्थिति है यह किस तरह से [× × ×] फैलाना चाहते हैं ।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, कृपया [× × ×] शब्द को कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं देख लूंगा । यदि कार्यवाही में ऐसी कोई बात है, जिससे किन्हीं माननीय सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है तो उसे मैं कार्यवाही से निकलवा दूंगा ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, इस विधान सभा ने कई बार उत्तरांचल के नाम से और कई बार उत्तराखण्ड के नाम से प्रस्ताव पास करके भेजा है, जिसमें हरिद्वार जनपद का कोई जिक्र नहीं है । केन्द्र सरकार ने हठधर्मी दिखाते हुए, लोकतंत्र का हनन करके, तानाशाही का प्रतीक फैसला दिया है ।

(सत्ता पक्ष की ओर से पुनः टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री राम स्वरूप सिंह–

यहां की विधान सभा ने कभी भी हरिद्वार को उत्तराखण्ड में शामिल करने का प्रस्ताव नहीं किया । केन्द्र की सरकार द्वारा जबरन इसे उत्तरांचल में शामिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका मुझे दुर्ख और अफसोस है । मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि उत्तरांचल में हरिद्वार को कभी भी शामिल नहीं किया जाना चाहिये, अगर यह विधान सभा का सम्मान चाहते हैं, यही मेरी अपील है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने ग्राह्यता पर एक भी वाक्य नहीं बोला ।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

मुझे शासन का पक्ष सुनने दें । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । कार्यवाही के संबंध में मैं अपनी व्यवस्था पहले ही दे चुका हूं ।

* संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, बहुत उत्तेजना सदन में हुई । पहले तो जो बधाई दी है, उनको धन्यवाद देता हूं । दो माननीय सदस्यों ने बधाई दी है, एक ने प्रदेश सरकार को दी है और एक ने केन्द्र सरकार को । दोनों सदस्य समाजवादी पार्टी के हैं । श्री राम सिंह सैनी जी ने नरेश अग्रवाल को बधाई दी और मुन्ना चौहान ने केन्द्र सरकार को बधाई दी । नरेश अग्रवाल को बधाई दे रहे हैं तो आप हमारी सरकार को बधाई दे रहे हैं, तो मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं । यह स्थिति बार-बार नहीं आती और शायद आपको कभी नसीब नहीं हुई है कि यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की सरकार है और वहां पर भी हैं, दोनों को बधाई दे रहे हैं । इसलिए कह रहा हूं । मान्यवर, दो विषय हैं, एक तो राजनैतिक विषय है, हमारे तीनों सम्मानित सदस्य जो हरिद्वार से आते हैं, तीनों विधायकों ने अपनी बात कही कि हरिद्वार को नहीं जाना चाहिए, आप चूंकि इस अधिकार से बोल रहे हैं क्योंकि आप वहां की जनता के विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं । प्रतिनिधि एक और भी हैं जो 5 विधान सभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं । मान्यवर, आप सम्मानित विधायक हैं, एक सम्मानित सांसद हैं वहां के, माननीय सांसद ने इस बात के ऊपर बल दिया है कि हरिद्वार वहां जाना चाहिए तो वहां जनभावना क्या है । माननीय अम्बरीष जी, आप नाराज हो रहे हैं, श्री मुन्ना जी, लोकतंत्र में सुननी चाहिए ।

मान्यवर, जब एक ऐसी स्थिति बन जाती है, जब आप जनभावना की बात कहतें हैं, वहां के निवासियों की बात कहते हैं, वह तो हमारे सामने आ गयी । रहा यहां का मामला आप जो कहते हैं कि प्रस्ताव पास करके भेजा, स्थिति स्पष्ट है कि लेकिन पार्लियामेंट को यह अधिकार है, किसी नए राज्य के गठन का और राज्यों की सीमाओं का संशोधन करने का, लेकिन उस अधिकार के ऊपर प्रतिबन्ध है कि अधिकारों को इस्तेमाल करने से पहले हमें महामहिम राज्यपाल की अनुमति और जो राज्य प्रभावित है उस राज्य के विधान मण्डल से राय जानने की बात है । एक बार नहीं यहां से तीन बार राय जा चुकी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है, हमारी और जो पहले थे, उनकी राय चली गयी । मान्यवर, अभी तक पार्लियामेंट में गया नहीं है, अभी लोक सभा में मामला गया नहीं है, अभी केन्द्र सरकार ने अपनी सिफारिश की है, पार्लियामेंट में जायेगा, वहां पर एक अवसर प्राप्त होगा, सारी बातों को रखने का भी प्रस्तुत करने का भी मौका मिलेगा, एक चर्चा होगी । जैसा यहां हुआ है, इसलिए उत्तेजना पैदाकर के आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति करना ठीक नहीं होगा । केन्द्र सरकार के ऊपर टीका-टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा । हमने अपना दायित्व निभाया था, पार्लियामेंट अपना दायित्व निभायेगी, जो जनभावना होगी उसका पूरा ध्यान रखा जायेगा । उत्तरांचल के होंगे और उत्तर प्रदेश के भी होंगे, उनकी संख्या जैसे आप बैठे हैं उसी अनुपात में वहां भी संख्या पर विचार किया जायेगा और उसके बाद निर्णय होगा । जिस रोज हम राय दे रहे थे, चर्चा हुई थी, कम ही अवसर ऐसे होते हैं जब ऐसी चर्चा होती है । पूरे तर्क-वितर्क के साथ चर्चा हुई । दोनों पक्षों के तर्क आए और एक प्रस्ताव पारित होकर गया तो वहां भी चर्चा का अवसर आने दें । यह आपका अधिकार है कि आप उसे माने या न मानें, यह संविधान में दिया हुआ है लेकिन कम से कम यहां पर बैठकर तब तक शांत रहे, वहां तक न जायें कि उत्तेजना फैले । मान्यवर, यह नियम–56 का विषय बनता नहीं है इसलिए इसको निरस्त किया जाये ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी कल दिल्ली बैठक में शामिल हुए, उसमें क्या हुआ, इस मुद्दे पर क्या बात हुई, मैं अपेक्षा करता हूं कि मुख्य मंत्री जी सदन को बतायें चूंकि वह सदन के नेता हैं, अथवा संसदीय कार्य मंत्री जी के माध्यम से सदन को अवगत करायें अथवा स्वयं उपस्थित होकर वह जानकारी देने का कष्ट करें ? मान्यवर, उस कमेटी में जिसका अखबारों में चित्र छपा है, हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री, पंजाब के मुख्य मंत्री श्री बादल, और रक्षा मंत्री उस बैठक में शामिल हुए, बैठक में क्या चर्चा हुई, क्या निर्णय हुआ और क्या विचार-विमर्श हुआ उसे यह सदन जानना चाहता है इसलिए मुख्य मंत्री जी अथवा संसदीय कार्य मंत्री जी बताने का कष्ट करें ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं भी इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री पाल जी, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । कृपया आप बैठ जायं । बिना मेरी अनुमति के आप बोलेंगे तो आपका भाषण नहीं लिखा जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप बैठ जायं । आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं इसलिए आपका नहीं लिखा जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

मैंने आपको अनुमति नहीं दिया है, आप बैठ जायं । यह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपको अनुमति नहीं दिया है, इसलिए यह नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

(व्यवधान के मध्य) मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि उनकी क्या राय है लेकिन सदन में जब आपने कार्य स्थगन की अनुमति दिया है तो संसदीय कार्य मंत्री जी के माध्यम से जानने का हक बनता है कि इस सरकार का क्या दृष्टिकोण है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने निर्देश दिया था कि कार्यवाही में अंकित नहीं होगा फिर भी ठाट के साथ आप अपनी बात कहेंगे । आप पूरी शक्ति के साथ अपनी बात कह रहे हैं । कम से कम आप जैसे वरिष्ठ सदस्य से यह अपेक्षा नहीं की जाती है ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यदि आप स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दे दें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप मुझे स्पष्टीकरण करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं इसके विरोध में मैं सदन से बर्हिगमन करता हूं ।

(श्री जगदम्बिका पाल सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं । यह बात एक बार नहीं अनेक बार स्पष्ट की जा चुकी है कि प्रदेश सरकार की जो भावना थी, हमने अपनी भावना को प्रस्ताव के माध्यम से पहुंचा दिया जो निर्णय केन्द्र सरकार का होगा उसको यह दल, और यह सरकार मानेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री अम्बरीष कुमार, काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री संजय गर्ग एवं अन्य माननीय सदस्यों को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

(श्री अम्बरीष कुमार, श्री राम विशुन आजाद, श्री रामसिंह सैनी आदि कई सदस्य सदन के वेल में आ गये ।)

श्री राम विशुन आजाद–

[× × ×]

श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

वेल में खड़े हुये माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह अंकित नहीं किया जायगा और यह कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगा । हर बात में वेल में आने की परम्परा ठीक नहीं है ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया अपने आसन पर चलें ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

डा० धर्मेश मिश्र–

[× × ×]

श्री अम्बरीष कुमार–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें ।

(सदस्यों के अपने आसन पर न जाने पर ।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिये स्थगित कर रहा हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण 1 बजकर 37 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिये स्थगित कर दी । 2 बजे अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

अधिष्ठाता महोदय, अभी उत्तराखण्ड को हरिद्वार में जोड़ने से सम्बन्धित प्रकरण यहां सदन में चल रहा था । श्रीमन्, इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्यमंत्री और अम्बिका चौधरी जो हमारे उप नेता हैं, दोनों का कथन आपके समक्ष रखते हुये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि मैंने तो हरिद्वार को उत्तराखण्ड से अलग कर उत्तर प्रदेश में ही रहने के लिये दो-तीन बार प्रस्ताव किये हैं लेकिन हमारी सरकार ने जो निर्णय कर दिया वह शिरोधार्य है । इससे साफ जाहिर होता है कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह निर्देशित किया कि आप उत्तर प्रदेश विधान सभा से यह आदेश करा दीजिये कि हरिद्वार उत्तर प्रदेश में रहेगा जिससे उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र समझ न सके जो हम चाहते हो वही हो, आज सारे प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार को उत्तर प्रदेश में नहीं रखना चाहती है ।

केन्द्र सरकार का सहारा लेकर के यह यहां पर गुमराह करने की बात कर दी है कि केन्द्र सरकार का जो निर्णय है वह अन्ततोगत्वा शिरोधार्य है । आज फिर हमारे अम्बिका जी ने जो कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं हरिद्वार की सारी जनता चाहती है कि हरिद्वार उत्तर प्रदेश का ही अंग रहे और अगर हिम्मत हो तो वहां जनमत संग्रह करवा लीजिये । अगर वहां की जनता नहीं चाहती है तो जबरदस्ती हरिद्वार को उत्तराखण्ड में जोड़ने का औचित्य क्या है ? अम्बिका जी ने जो कहा कि समाजवादी पार्टी का निर्णय पहले भी था और आज भी है किसी भी कीमत पर हरिद्वार उत्तराखण्ड में नहीं जाना चाहिए । भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केन्द्र और प्रदेश में है, चन्द महीनों की सरकार है यह न यहां रहेंगे न वहां रहेंगे । हिम्मत हो तो भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत हो तो पुनः एक प्रस्ताव करें केन्द्र सरकार के लिये कि हरिद्वार में जनमत संग्रह कराया जाये और जनता की जो आवाज है उसी आधार पर निर्णय लिया जाये । संसदीय कार्यमंत्री जी से आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आज सदन में घोषणा करें कि हम विपक्ष और पक्ष के लोग यह प्रस्ताव करते हैं और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करें । सम्भव है कि कुछ लोग अपने स्वार्थवश इसका विरोध करें लेकिन जब 90 प्रतिशत लोग इस बात के लिये राजी हो जायें तो फिर उसी के अनुसार केन्द्र सरकार निर्णय लेने के लिये बाध्य हो । यह मेरा अनुरोध है । इस तरह का निर्देश संसदीय कार्यमंत्री जी को देने का कष्ट करें । एक प्रस्ताव करें जिनमें जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाये और उसी के अनुसार निर्णय ले ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हुकुम सिंह––

इस विधान सभा से प्रस्ताव तो तीन बार गया है। जब आप आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर तो मैं आपसे आग्रह करता हूं आप इसको अन्यथा न लें कि उत्तरांचल के बारे में आपको कोई बात कहने का अधिकार नहीं है, आप जनभावनाओं की बात करते हैं 2 अक्टूबर, 1994 को जो जघन्य अपराध किया उन निर्बल वर्गों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया उनके मूवमेंट को खत्म करने का काम किया आपके कृत्य रामपुर तिराहे पर सदैव अंकित रहेंगे कि ऐसी सरकार भी आ सकती है जो निर्दोष आदमियों पर गोली चलवा सकती है।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के कई सदस्य वेल में आ गए)

श्री अम्बरीष कुमार–

संसदीय कार्यमंत्री मुख्य इशू को डायवर्ट करना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपना आसन ग्रहण करें।

श्री अम्बरीष कुमार–

जो विषय यहां विचाराधीन है उससे ध्यान हटाने का काम संसदीय कार्यमंत्री जी कर रहे हैं।

श्री धनीराम वर्मा–

मैंने जो जनमत संग्रह की बात कही है उसका उत्तर आना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

पहले आप अपने सदस्यों से कहें कि वह अपने आसन पर जाएं।

श्री धनीराम वर्मा–

संसदीय कार्यमंत्री गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। इस मुद्दे पर हरिद्वार के लोगों की राय लेनी चाहिए।

श्री धनीराम वर्मा–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान उचित नहीं है। .....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विपक्ष आप प्रक्रिया से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। आप विद्वान सदस्य हैं। एक अनुरोध कर रहा हूँ कि जब आपकी बात संसदीय कार्यमंत्री जी ने सुनी तो कृपया उनकी बात पूरी तो सुन लें। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आपसे अनुरोध है कि आप माननीय अध्यक्ष जी से बात कर लें। श्री अम्बरीष जी आपसे भी अनुरोध है कि आप भी माननीय अध्यक्ष जी से बात कर लें।

श्री धनीराम वर्मा–

आप सदन को स्थगित करने की बात है, आपका अधिकार सुरक्षित रहेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, जब तक इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जी स्वयं यहां आकर यह बयान नहीं देते कि हरिद्वार को उत्तराखण्ड में नहीं जाने दिया जायेगा तब तक सदन चलाने से कोई फायदा नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं हरिद्वार जाकर जनमत संग्रह करा लें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय अम्बरीष जी आपके लिए मेरे पास निदेश है कि आप माननीय अध्यक्ष जी से उनके कक्ष में बात कर लें।

(घोर व्यवधान जारी)

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के सदन के वेल में बैठे रहने के कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग नियम–56 में ग्राह्यता पर बोलते हैं और कार्यवाही रोकने की बात करते हैं और कहते हैं कि इस पर चर्चा करा ली जाय।

मैं सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिये स्थगित कर रहा हूँ।

(इसके बाद श्री अधिष्ठाता ने 2 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 25 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 2 बजकर 25 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन क स्थगन 2 बजकर 35 मिनट तक बढ़ा दिया है। 2 बजकर 35 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 45 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है। 2 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापत्तित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर बोलने लगे जिससे व्यवधान बना रहा)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोग जो बोल रहे हैं वह अंकित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं। अगली सूचना श्री काशीराम जी की है। माननीय सदस्य बोलें।

(माननीय सदस्य के खड़े होकर न बोलने पर)

मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं। अब मैं अगली सूचना जो कि विशेष उल्लेख के रूप में श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी की है, को ले रहा हूं।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, सदन तो व्यवस्थित करिये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं । अब मैं अगली सूचना, जो कि कुंवर रेवती रमण सिंह जी की है, को ले रहा हूं ।

(माननीय सदस्य के खड़े होकर न बोलने पर)

मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं । मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर जायें । माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया माननीय सदस्यों को अपने आसन पर ले जायें ।

(नेता विरोधी दल के प्रयास से समाजवादी पार्टी के सदस्य वापस अपने स्थान पर चले गये ।)

श्री धनीराम वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, इस गम्भीर प्रकरण पर, हरिद्वार उत्तर प्रदेश का अंग रहे, इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव माननीय सदन ने एक बार नहीं तीन-तीन बार केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है । श्रीमन्, केन्द्र में मंत्रिमण्डल ने फैसला ले लिया है । केन्द्रीय सरकार या संसद का कोई निर्णय नहीं हुआ है, लोकसभा का निर्णय नहीं है, मंत्रिमंडल ने फैसला किया है, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह अपेक्षा करता हूं और अपनी तरफ से यह प्रस्ताव पेश करता हूँ कि हम सभी लोगों की भावनाएं यह है कि हरिद्वार उत्तर प्रदेश में ही रखा जाय और पूर्व के प्रस्ताव में इन भावनाओं को जोड़ते हुए पुनः केन्द्र सरकार के पास हम लोगों की भावनाएं भेज दी जायें कि उनको दृष्टिगत रखते हुए वहां कोई निर्णय लिया जाये जो हम लोगों की भावनाओं के अनुरूप हो । इस तरह का प्रस्ताव इस सदन द्वारा पुनः कराया जाना चाहिए मेरा आपसे अनुरोध है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस सदन की भावना प्रस्ताव के माध्यम से केन्द्र को भेजी गई । एक बार नहीं तीन बार भेजी गई और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इस बात पर बल दिया है कि पुनः केन्द्र सरकार को अवगत कराया जाये जो भावना सभी माननीय सदस्यों की है तो पूरे सदन के माननीय सदस्यों की भावना है, अवगत हैं । जिस रूप में आप चाहेंगे आगे अवगत करा देंगे ।

श्री धनीराम वर्मा–

ठीक है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह पहले ही स्थगित की जा चुकी है । श्री अरविन्द गिरि ।

*श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, 20-22 साल के नौनिहालों पर छात्रों पर गैंगस्टर का मुकदमा लगाया गया उनका भविष्य पुलिस के माध्यम से स्थानीय सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। [×××] मान्यवर, देवेश अग्निहोत्री उम्र 22 वर्ष बी०ए० द्वितीय वर्ष का छात्र है, विड्डू आदि लड़कों के ऊपर जो कि बिल्कुल निर्दोष हैं पिछले 10 अप्रैल को सायंकाल की पाली में परीक्षा दे रहे थे परीक्षा 6 बजे छूटती है और घटना 6 बजकर 5 मिनट पर घटित होती है, इन्हें नामजद किया जाता है। मान्यवर, बिजली को लेकर गोला में आन्दोलन हुआ था थोड़ी टूट-फूट हुई थी उसी राजनीतिक क्रम में यह बातें जोड़ी गई और गोला की स्थानीय पुलिस ने इन छात्रों के ऊपर गैंगस्टर ऐक्ट लगाने का काम किया। मान्यवर, जो छात्र हैं भविष्य बिल्कुल अंधकारमय हो जायेगा। मान्यवर, सत्ता के इशारे पर यह घृणित काम किया गया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष वहां गये थे और इन छात्रों को जेल में देखा था और उनकी स्थिति से आंकलन लगाया कि ये निर्दोष हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। मान्यवर, यह डिग्री कालेज का विद्यालय है उसका भी एक प्रमाण–पत्र दिया गया कि परीक्षा में थे। मान्यवर, गोला के सी०ओ० जो और स्थानीय पुलिस जानती थी कि वह निर्दोष है लेकिन यह किसी के इशारे पर किया गया है और गैंगेस्टर ऐक्ट लगाकर उसके जीवन को बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए मैंने यह सूचना रखी जहां इस घटना से छात्रों में रोष है, सैकड़ों लोगों पर झूठे मुकदमें लगते रहे हैं इसी सदन में हमने भी तीन वर्ष के अन्दर सरकार के नुमाइन्दों द्वारा चार बार जेल भेजने का कार्य किया गया है अगर और कोई मुकदमा लगता तो नहीं कहता लेकिन गैंगेस्टर का मुकदमा लगाकर उनका जीवन बर्बाद करने का काम किया गया है इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी के इशारे पर यह घृणित कार्य पुलिकर्मियों ने किया है उनको दंडित करने का काम किया जाए और झूठा मुकदमा बापस लिया जाए। इसकी जांच कराकर जिन्होंने किसी के इशारे पर झूठा मुकदमा कायम किया है उनको दंडित किया जा सके, मैं इस सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

*श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, जिस प्रकरण को अभी नियम 56 के अन्तर्गत हमारे माननीय सदस्य अरविन्द गिरि जी ने उठाया उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं उन्होंने जो विचार रखे हैं अपने में पूर्णतः सत्य हैं। मैं भी लखीमपुर गया था बहुत से लोगों से मैंने जानकारी की थी, जेल में भी लोगों से मिलने गया वहां भी जानकारी की निश्चित तरीके से वहां की पुलिस और सीओ ने इन बच्चों को झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए कुछ लोगों के दबाव में यह सब किया है। श्रीमन्, सरकारें आती है चली जाती हैं व्यक्ति ही जब स्थाई नहीं है तो सरकार के स्थाई रहने का सवाल ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति पर नाजायज तरीके से दबाव डालकर किसी निर्दोष को फंसाने का काम कभी नहीं करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री जी से अपेक्षा करता हूं जो वह छात्र हैं या वहां के व्यवसायी हैं जिनको जेल में बन्दकर रखा है इसकी पूर्णतः जानकारी कर लें और अगर आपसी थोड़ी बहुत मारपीट की घटना है और उसमें वह बेचारा छात्र था भी नहीं, परीक्षा देकर लौट भी नहीं पाया घर पर, उसको तो अनावश्यक फंसा दिया गया है मैं ज्यादा बात न बढ़ाकर चाहता हूं कि संसदीय कार्यमंत्री जी कोई ऐसा वक्तव्य न दे कि जिससे यह मामला उलझे इसको सुलझाने का काम किया जाए और पता लगा दिया जाए कि अगर निर्दोष हैं, अपराधी नहीं तो फिर अपराधिक हिस्ट्री न बनाई जाए न गैंगेस्टर और अन्य मकुदमें लगाकर उसके जीवन से खिलवाड़ किया जाए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक मुझे जानकारी है। विशेष उल्लेख के लिए आपने अनुमति दी है इसमें हर एक के लिए मुझे कहना आवश्यक नहीं है। मैं इसकी जानकारी प्राप्त कर लूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना माननीय राम विशुन आजाद की है।

* श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए व्यसन पर अंकुश लगाने के लिए इस सरकार ने आज तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है। आज अगर देखा जाए तो स्कूलों के पास पान की ढाबलियों पर पान गुटखा, पान मसाला और सिगरेट आदि पीने का चलन बढ़ गया है। वह पान, गुटखा, पान मसाला खा रहे हैं जिससे कई बीमरियां जैसे मुख का कैन्सर, अलसर, जबड़े का सिकुड़ना ह्रदरगति में बढ़ोत्तरी की चपेट में आ रहे हैं जिससे कई नौजवानों की जानें जा चुकी हैं। तम्बाकू का सेवन तीन प्रकार से होता है, एक तो पान में डालकर दूसरे चबाकर और तीसरे ग्रामीण क्षेत्रों में हुक्के के द्वारा। इस सबके वजह से प्रदेश के नौजवानों में मुख का कैन्सर बड़े पैमाने पर फैल रहा है। एक तरफ प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियां इन नौजवानों का चारित्रिक विकास रोक रही हैं, दूसरी तरफ इन सब चीजों का दुष्परिणाम नौजवानों को भुगतना पड़ रहा है। यह चीजें उन जगहों पर खासकर बेची जा रही हैं, जहां स्कूल हैं, हास्टल हैं। यह लोक महत्व का प्रश्न है और संसदीय कार्य मंत्री आज इस सदन में यह घोषणा करें कि इस पर तत्काल रोक लगाई जायेगी। जिससे करोड़ों नौजवानों की जिन्दगी बच सके और उनका चारित्रिक, मानसिक विकास हो सके। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सवाल पर इस सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता है।

*श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर, मैं आभारी हूं, आपने मुझे बोलने का समय दिया। आज पूरे प्रदेश में तम्बाकू, गुटखा एक कैन्सर का रूप धारण करता जा रहा है। लोग अच्छी तम्बाकू न बनाकर खराब तम्बाकू बनाते हैं जिससे तरह-तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इसे निश्चित रूप से बन्द किया जाय, गरीब लोग इसका ज्यादा सेवन करते हैं और दवा सुचारु रूप से न हो पाने के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है, इसीलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि तत्काल इस पर रोक लगायी जाये और अगर इस पर रोक नहीं लगा सकते तो अच्छी तम्बाकू की बिक्री करावें जिससे रोग पैदा न हों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हुकुम सिंह–

यह जो सूचना है वह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि सुपारी, तम्बाकू इस प्रदेश में और देश में भयंकर बीमारी, जैसे कैन्सर के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन शायद माननीय सदस्य को स्मरण नहीं रहा। 25 जून, 98 को स्वयं हमने ही इसमें संकल्प प्रस्तुत किया था और सर्वसम्मति से विधान सभा ने और विधान परिषद् ने इसे केन्द्र सरकार को भेजा है, इसलिए भेजा है कि इस दिशा में एक विस्तृत कानून बनाया जाय ताकि पूरे प्रदेश में एक कानून हो, उस कानून के माध्यम से ऐसे सुपारी, तम्बाकू जिससे सभी को नुकसान हो रहा है, उस पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाने का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काम किया जाय । इस विषय को लेकर दिनांक 8 मई, 2000 को वक्तव्य भी दिया गया था जिसमें विस्तार से उल्लेख किया गया और जे० के० कैन्सर संस्थान की रिपोर्ट भी शामिल की गयी थी, इसमें वर्ष 96, 97, 98, 99 के आंकड़े भी दिये गये थे कि किस प्रकार इसका भयंकर प्रकोप हो रहा है । क्योंकि विशेष उल्लेख के रूप में उठाया है इससे पहले ही प्रदेश सरकार की ओर से, इस सरकार की ओर से कार्यवाही की जा चुकी है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह नियम–56 में नहीं आता इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं ।

*श्री श्याम किशोर यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका ध्यान और इस पूरे सदन का ध्यान एक गम्भीर घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । इसी लखनऊ जनपद में हमारे विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर क्षेत्र में 14 तारीख को दो छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी । उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उनकी बाग में, पड़ोस में रहने वाला जो बाहर से आकर के बसा है रत्तीपाल, उसने छात्रों को सिर्फ इसलिए मारा कि उसने आम तोड़ने और टट्टी करने से मना किया था । जब लड़के उलाहना लेकर उसके घर गये तो उसने दौड़ा-दौड़ा कर मारा और गोली से भून दिया । मान्यवर, एक राम विलास जो हाई स्कूल का और धमेन्द्र नाइंथ का छात्र है, सैनिक स्कूल के छात्र थे । उसकी मां और बहिन को भी गोली लगी है जो बलरामपुर अस्पताल में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं । मैंने रात में ही अधिकारियों को सूचना दी । लखनऊ से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी होते हुए भी उत्तर प्रदेश के इस जम्बो मंत्रि-मण्डल का एक भी मंत्री संवेदना व्यक्त करने तक नहीं गया । जिलाधिकारी भी नहीं गये । अन्तिम संस्कार में 10 हजार लोगों की भीड़ थी और इतना दबाव था कि कोई हादसा न हो जाये, हमने वह सब सम्पन्न कराया । मैंने परसों ही मांग की थी कि मृतक परिवारों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाए । मान्यवर, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी खराब है । उसी का यह परिणाम है । दूसरी तरफ मैं अनुरोध करना चाहता हूं । मान्यवर, परसों वह घटना हुई जिससे दो छात्र मरे आज मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में उतरठिया गांव में सिख परिवार यहां पर फार्म बनाकर रह रहा था, उस सिख परिवार के 6 सदस्यों की हत्या आज कर दी गयी उसकी सूचना मैं सदन को दे रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

एक घटना विशेष के लिए आपकी नोटिस है ।

श्री श्याम किशोर यादव–

मान्यवर, मैं लखनऊ की कानून व्यवस्था पर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । यह गम्भीर घटना है...

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री श्याम किशोर यादव–

आज सबेरे स्वचालित हथियारों से पूरे परिवार को भून दिया गया और उस परिवार के 6 के 6 सदस्य मर चुके हैं । यह गम्भीर मामला है । कानून व्यवस्था इस सरकार के रहते कितनी खराब हो गयी है । इसलिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री और सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो मृतक छात्र हैं उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपये का तत्काल मुआवजा दिया जाए और जो घायल हैं उनके इलाज के लिए उनके परिवार को 50-50 हजार रुपये दिये जायें और जिस तरह से आज उतरठिया के फार्म के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरदारों को मारा गया है, उनके परिवार के जो बचे लोग हैं उनकी सुरक्षा की जाए और 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, यह मैं मांग करता हूं।

श्री उदय राज यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, किस तरीके से लगातार दिन प्रतिदिन लखनऊ में राजधानी में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, मान्यवर, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मान्यवर, भारतीर जनता पार्टी की सरकार जो लगातार दावा करती है कि हमारी सरकार बहुत संवेदशील है, अपराधों पर रोक लगाने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, परसों 14 मई, 2000 को सरोजनी नगर थाने के अन्तर्गत गौरी ग्राम में जिस तरीके से 2-2 छात्रों की एक सेना के सेवानिवृत्त सिपाही और उसके सहयोगियों द्वारा निर्मम हत्या की गयी इससे ज्यादा सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि आज विधान सभा से मुश्किल से 15 कि०मी० की दूरी पर स्थित गौरी गांव है, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी और कक्षा 9 और एक कक्षा 10 के छात्र की हत्या के बाद और कई लोगों के घायल होने के बाद भी न तो इस जनपद के जिलाधिकारी या पुलिस विभाग का कोई बड़ा अधिकारी घटना स्थल पर जानकारी करने के लिए पहुंचा और न ही वर्तमान सरकार में जहां 96 मंत्री बैठे हुए हैं, एक भी मंत्री ने जाकर वहां छात्रों के परिवार वालों को आश्वासन तक देने का काम नहीं किया है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करके कहना चाहता हूं यद्यपि मेरी सूचना में नहीं है किन्तु आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि निष्क्रियता के कारण, इस सरकार के कार्यकाल में अपराध बढ़े हैं और अपराधियों को सरकार पक्ष का संरक्षण मिल रहा है तथा अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। उतरठिया जो यहां से 10-12 कि०मी० पर है, वहां सुबह साढ़े पांच बजे एक परिवार के 6 लोगों की हत्या की जाती है, 10-12 घण्टे बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। संसदीय कार्य मंत्री जी कहेंगे मुझे जानकारी नहीं है। मान्यवर, इसी तरह सरोजनी नगर में दो छात्र मारे गये हैं, इसलिए मैं मांग करता हूं कि दो-दो लाख रुपये मृतक के परिवार वालों को और 50-50 हजार रुपया घायल लोगों को इलाज के लिए दिलाया जाय। अपराधियों को अविलम्ब गिरफ्तार किया जाय। उतरठिया काण्ड में मैं सरकार से मांग करता हूं कि 24 घण्टे में अपराधियों को गिरफ्तार किया जाय। मान्यवर, आज जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं इससे अत्यधिक महत्व का दूसरा कोई प्रश्न नहीं हो सकता है, इसलिए सदन के सारे कार्यों को रोककर आप इस पर चर्चा करायें।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसे अग्राह्य कर रहा हूं।

श्री श्याम किशोर यादव–

मान्यवर, सरोजनी नगर में दो-दो छात्र मारे गये हैं इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जी से इसमें उत्तर दिलवा दें।

श्री धनी राम वर्मा–

मान्यवर, जिस घटना का उल्लेख श्री श्याम किशोर यादव जी ने किया है जिसमें दो छात्र मारे गये हैं इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जी से आप वक्तव्य दिलवा दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह घटना दो परिवार की है जिसमें छोटी सी बात को लेकर, आम तोड़ने की बात को लेकर, घटना घटी है। मान्यवर, कभी-कभी आदमी अपना संयम खो देता है और आम तोड़ने की छोटी सी बात पर दो व्यक्तियों की जान ले लेना इससे गम्भीर बात और क्या हो सकती है ? जो आपने कहा

है उसको छोड़कर कि सरकार निष्क्रिय हो गयी है और संवेदनशील नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने संवेदनशील आप हैं उससे कम हम नहीं हैं । आप देखें मुकदमा कायम हुआ है और सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है । जिन्होंने अपराध किया है उनके विरुद्ध निश्चितरूप से कार्यवाही की जा चुकी हैं और आगे भी प्रयास होगा ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप लोग बैठ जायं । मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है और संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य भी आ गया है ।

सदन में अव्यवस्था के कारण श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की सूचना को स्थगित किया था इसलिए उसको भी आप ले लें ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सूचना को आप ले रहे हैं लेकिन इससे भी अव्यवस्था बढ़ती है ।

(व्यवधान)

श्री श्याम किशोर यादव–

मान्यवर, उतरठिया के बारे में तथा सरोजनी नगर में जो दो छात्र मारे गये हैं जिनके सम्बन्ध में सरकार मुआवजा देने से मुकर रही है । परम्परा रही है इस तरह की घटनाओं में पूर्व की सरकारों की तरफ से मुआवजा दिया जाता रहा है और संवेदना व्यक्त की जाती है लेकिन जो जवाब मंत्री जी की तरफ से दिया गया है उसके विरोध में मैं सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री श्याम किशोर यादव सदन त्याग कर चले गये)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कार्य सूची को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं । कार्य स्थगन के बाद महत्वपूर्ण बजट हैं जिसमें माननीय सदस्यों के सुझाव आने हैं । श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव को आधा घण्टा चाहिए, मेरा आग्रह है कि कार्य सूची पर बजट में गम्भीर चर्चा हो इसलिए यदि आप इन्हें समय देंगे तो साढ़े तीन बजेगा फिर और कार्यक्रम हैं तो 12 बजे रात तक सदन चलना उचित नहीं है । मान्यवर, पूर्वांचल विकास निधि के लिए न जाने कितने अवसर आ चुके हैं और आगे आने वाले समय में भी अवसर मिलेगा ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुज्ञा प्रदान की । मान्यवर, प्रदेश सरकार के दोषपूर्ण नियोजन के चलते और प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के चलते आज प्रदेश का संतुलित विकास नहीं हो पा रहा है प्रदेश का सन्तुलित विकास पूर्णतया ठप्प है और प्रदेश में क्षेत्रीय विषमता विस्फोटक स्थिति में पहुंच गयी है । प्रदेश सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि वह क्षेत्रीय विषमता व असन्तुलन को दूर करेगी विगत वर्ष 1990-91 में प्रदेश में व्याप्त क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए 2 निधियों का गठन किया गया एक पूर्वांचल विकास निधि और दूसरी बुन्देलखण्ड विकास

निधि । पूर्वान्चल विकास निधि को 20 करोड़ रुपये से और बुन्देलखण्ड विकास निधि के 5 करोड़ रुपये से स्थापना की गयी थी । श्रीमन्, सरकार ने सदन में यह निर्णय लिया था कि दोनों निधियों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी । 91-92 एवं 92-93 में इसमें 50-50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई किन्तु उसके बाद के वर्षों में विगत वर्ष 99-2000 तक केवल 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दोनों निधियों में हुई । यह पहली सरकार है जिसने अपने बजट में एक पाई भी वृद्धि इन निधियों में नहीं की । पूर्वांचल की लगभग 7 करोड़ जनता की जिन्दगी से जुड़ा हुआ यह सवाल है । 2000-2001 के बजट में केवल 150 करोड़ रुपयों का प्राविधान पूर्वांचल विकास निधि में और 50 करोड़ रुपये का प्राविधान बुन्देलखण्ड विकास निधि में किया गया है । बुन्देलखण्ड में प्रदेश की 5 प्रतिशत आबादी रहती है और पूर्वांचल में प्रदेश की आबादी के 38 प्रतिशत लोग निवास करते हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 3 हजार रुपये से भी कम है । पहाड़ की आबादी 59 लाख है और वहां प्रति व्यक्ति वार्षिक आमदनी 5000 रुपये से भी अधिक फिर भी विगत वित्तीय वर्ष में उत्तरांचल को 1140 करोड़ रुपये दिये गये और इस वर्ष के बजट में सरकार ने 1290 करोड़ रुपये दिये हैं । इस वर्ष 150 करोड़ रुपये नई मांगों के माध्यम से दिये गये हैं । उत्तरांचल की आबादी केवल 59 लाख है और वहां के लिए इतनी अधिक धनराशि दी गयी है और पूर्वांचल विकास निधि में मात्र 150 करोड़ रुपये की धनराशि दी गयी है जबकि पूर्वांचल की आबादी लगभग 7 करोड़ है ।

श्री अधिष्ठाता–

समय सीमा के अनुशासन का पालन करें, कृपया बैठ जायं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

श्रीमन्, प्रदेश सरकार का जो बजट में प्राविधान है वह क्षेत्रीय असन्तुलन को और बढ़ा देने वाला है । अन्त में एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब कृपया बैठें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

प्रदेश सरकार को एक सुझाव देकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं । इस प्रदेश सरकार को पूर्वांचल के लिये उसकी जनसंख्या के सापेक्ष राज्य के वार्षिक योजना परिव्यय का 38 प्रतिशत धन प्राविधानित करना चाहिए । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार हुई हैं वे हैं श्री रामजग, श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री संजय गर्ग, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री बाबूलाल, श्री बनारसी दास चान्दना, श्री धनीराम वर्मा, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, डा० वकार अहमद शाह, श्री मुराद लारी, श्री अकबर हुसैन, श्री फरीद महफूज किदवई, श्री जगदम्बिका पाल, डा० अम्मार रिजवी, श्री संजय सिंह, श्री अब्दुल मन्नान, श्री राम औतार शाक्य, श्री प्रमोद कुमार, श्री राम ललित चौधरी, श्री इकबाल महमूद, श्री वसीम अहमद, श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री अम्बरीष कुमार, श्री रामकुमार एडवोकेट, श्री उदयराज यादव, श्री सौलत अली एडवोकेट, श्री कौकब हमीद, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम ललित चौधरी, श्रीमती उर्मिला यादव, श्रीमती विजमा यादव, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद एवं श्री विनोद मणि ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, सरकार का बयान तो इस पर आ जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

यह विशेष उल्लेख के जरिये था । इस पर बयान नहीं आना है । अब मैं अगली मद ले रहा हूं ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री विनोद मणि अपने-अपने स्थान से बोलते रहे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है इस पर सरकार का पक्ष आना चाहिए ।

(श्रीमती गौरी देवी अपने हाथ में आमी नदी का पानी बोतल में लेकर वेल की तरफ बढ़ने लगी)

श्री अधिष्ठाता–

आप अपने स्थान पर चलें । आपकी सूचना नियम–51 में स्वीकृत हो गयी है ।

(श्रीमती गौरी देवी सदन की वेल में आ गयीं ।)

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, यह आमी नदी का प्रदूषित पानी है, हमको समय दिया जाये ।

(श्री विनोद मणि, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री जगदम्बिका पाल अपने-अपने स्थान पर बोलते रहे जिससे व्यवधान/शोर जारी रहा ।)

(व्यवधान/शोर के मध्य)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेशन) (संशोधन) विधेयक, 2000

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक 2000 पर विचार किया जाय ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री विनोद मणि सरकार के बयान की मांग करते हुये सदन की वेल में आ गये ।)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, इतना गम्भीर मामला है । क्षेत्रीय समस्या विस्फोटक स्थिति में है ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, सदन की परम्परा रही है कि जब एक ही विषय पर सूचना होती है तो उस माननीय सदस्य को भी सुन लिया जाता है ।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, हमारे यहां बहुत ही गम्भीर समस्या है, यह जो मैं पानी लायी हूं यह आमी नदी का है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल, माननीय सदस्या की सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हो गयी है । कृपा करके सहयोग करिये । अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रत्तर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्याबनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (छ) में शब्द "प्रथम श्रेणी" के स्थान पर शब्द "वातानुकूलित टू टायर" रख दिये जायेंगे ।

धारा 5 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 5 में, द्वितीय परन्तुक में, शब्द "प्रथम श्रेणी" के स्थान पर शब्द "वातानुकूलित टू टायर" रख दिये जायेंगे ।

धारा 17-क का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 17-क में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि यदि किसी ऐसे सदस्य को एक प्रयोजन के लिये स्वीकृत किया गया अग्रिम और उस पर देय ब्याज प्रतिसंदत्त कर दिया गया हो तो उस सदस्य को दूसरे प्रयोजन के लिये भी अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है ।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाए ।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्य वेल में आ गए ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–95
उत्तरांचल विकास विभाग

उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री मातवर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–95 उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,10,78,53,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

(व्यवधान जारी)

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–95 उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,10,78,53,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या–60
वन विभाग

श्री अधिष्ठाता–

मेरा वेल में उपस्थित सदस्यों से पुनः अनुरोध है कि वह कृपया अपने-अपने आसन पर जाएं ।

(व्यवधान बना रहा)

वन मंत्री (श्री राजधारी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–60 वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,18,80,07,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर ।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–60 वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,18,80,07,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

वेल में उपस्थित सदस्य कृपया अपने-अपने आसन पर जाएं ।

(वेल में उपस्थित सदस्य वेल में बने रहे ।)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,28,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,28,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–68
विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,97,11,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,97,11,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–69
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–69 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 93,75,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–69 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 93,75,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान जारी)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–90
संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,46,99,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,46,99,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–91
संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,94,28,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,94,28,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान जारी)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–23
गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

* गन्ना विकास मंत्री (श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,91,65,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव और श्री विनोदमणि के साथ कई सदस्य वेल से उठकर अपने स्थान पर खड़े हो गये और एक साथ बोलने लगे जिससे व्यवधान बना रहा ।)

श्री अधिष्ठाता–

कोई मा० सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखेंगे ?

(कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,91,65,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

गन्ना विकास मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग चीनी उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,97,65,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कृपया हमारी बात सुनें ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

कोई माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ?

(कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत न होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति

के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,97,65,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जायं ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–92
संस्कृति विभाग

* संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–92 संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,61,39,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ?

(कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत न होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–92 संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,61,39,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान जारी)

श्री अधिष्ठाता–

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी तथा श्री विनोद मणि जी कृपया आप अपने स्थान पर जायें ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव तथा श्री विनोद मणि जी सदन के वेल में बैठे रहे और कई विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया ।) (घोर व्यवधान के मध्य)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय की मृत्यु की जांच परीक्षण हेतु एक आयोग गठित किये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–29 को स्थगित किया जाता है ।

प्रदेश में निरीह पशुओं के अवैध रूप से काटे जाने पर प्रभावी रूप से नियंत्रण न लगाये जाने के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–30 को स्थगित कर रहा हूं ।

प्रदेश में हैजा, आंत्रशोथ (गेस्ट्रोइन्ट्राइटिस) आदि संक्रामक रोगों के फैलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी आदि द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–31 को स्थगित कर रहा हूं ।

कानपुर विकास प्राधिकरण की हजारों करोड़ रुपये मूल्य की पचास हजार एकड़ भूमि के लुप्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बाल चन्द्र मिश्र द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–32 को स्थगित कर रहा हूं ।

प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के गिरते स्तर को उठाने हेतु प्रभावी नीति बनाये जाने के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–33 को स्थगित कर रहा हूं ।

(मद संख्या–34 पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिये इसे निरस्त किया जाता है ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता-

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी तथा श्री विनोद मणि जी कृपा करके आप अपने स्थान पर चले जायं ।

(इस समय 3 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं । माननीय श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी तथा श्री विनोद मणि जी कृपया सुन लें । देखिये आज विपक्ष के कई माननीय विधायक मुझसे मिले थे और उन्होंने धर्म स्थल विधेयक के संबंध में

इस सदन में अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति मांगी थी । सदन शान्तिपूर्वक चले और धैर्यपूर्वक हम सब बैठें । माननीय सदस्यों की बात आ जायं । इसलिये मैंने एक निर्देश दिया था ।

मद संख्या–27 और 28 के बीच में उसे ले लिया जायेगा । माननीय सदस्यों ने मेरी बात मान ली थी । उस पर जो लोग भाग लेना चाहते हैं, अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं उसकी सूची भी दे दी थी । संसदीय कार्य मंत्री जी से भी कहा था कि इसको उस समय ले लें । माननीय सदस्यों से इतनी अपेक्षा जरूर करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने सूची दी है बहुत संक्षेप में अपनी बात रख देंगे उसके बाद अगली मद ली जायेगी ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इस सदन में अनेकों अवसर ऐसे आते हैं जब माननीय सदस्यगण उत्तेजित भी होते हैं और अपनी बात को मनवाने के लिये कहीं न कहीं कोई सीमा भी लांघनी पड़ती है । सदन फिर अव्यवस्थित भी हो जाता है । दुर्भाग्य यह है कि इतनी बड़ी संख्या में माननीय सदस्यगण बैठे हुए हैं सबकी भावनाओं की उपेक्षा करते हुए, अनदेखी करते हुए 1, 2, 4 सदस्य सारे सदन को [× × ×] कर लें ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव और श्री विनोद मणि सदन के फ्लोर पर ही थे)

श्री विनोद मणि–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करिये ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जा रहा है । कुछ लिखा नहीं जायेगा जो आप बोल रहे हैं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

देखिये, सदन के अन्दर बात कहने का अधिकार नियमों के अन्तर्गत है और यह कोई आवश्यक नहीं है कि जितने माननीय सदस्य जितनी सूचनाएं दे उसे स्वीकार कर लिया जाय और सब पर उनके विचार आये । समय सीमित होता है इसलिये उसका विनियमन करना होता है । आपकी सूचना आई । कुछ बातें आपने कहीं और कुछ नहीं कहीं लेकिन यह तरीका नहीं है । इसलिये मैं अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया अपने स्थान पर जायं ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

सदन का अन्तिम दो दिन है। कल अंतिम दिन है। कोई कठोर कार्यवाही की आवश्यकता ईश्वर न करे कि पड़े।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इस माननीय सदन में बार-बार यह चिन्ता व्यक्त की गई है कि कम से कम 90 दिन सत्र चलना चाहिए। हम लोगों का यह आग्रह होता है। हम लोगों से अपेक्षा रहती है जनता की। हम लोग चुनकर आते हैं और चाहते हैं कि अधिक से अधिक विचार, अधिक से अधिक कठिनाइयों का, अधिक से अधिक जनता की समस्याओं के बारे में हम यहां बैठकर विचार विमर्श करें। प्रतिपक्ष और शासन के भी विचार सुने जायं लेकिन बहुत खेद से कहना चाहता हूं कि जो लोग इसके प्रति बहुत आग्रह दिखाते हैं सदन का सत्र चलता रहता है तो ठीक व्यवस्थित सदन चलते में दुराग्रहपूर्ण हरकत करते हैं जिससे बार-बार व्यवधान पैदा होता है। यह बजट चल रहा था। आज भी बहुत महत्वपूर्ण बजट थे। मंत्रीगण तैयारी करके आये थे। कटौती का प्रस्ताव रखने वाले सदस्य भी तैयारी करके आये थे और बाकी सदस्य भी तैयारी के साथ आये थे। जिस विषय को माननीय सदस्य कहना चाहते हैं उस पर आपने स्वीकृति भी दी थी लेकिन इस तरह से दुराग्रह पूर्ण ढंग से 1/2/4 सदस्य नित्य प्रति आकर सदन में व्यवधान करते हैं। मैं पिछले एक सप्ताह से देख रहा हूं चार सदस्य आकर खड़े हो जाते हैं और सदन व्यवस्थित नहीं हो पाता है। कार्य मंत्रणा समिति ने तय किया कल सत्र का अन्तिम दिन होगा। मान्यवर, क्या यह परम्परा ठीक है कि सदन में इस तरह की स्थिति पैदा हो। मेरे हृदय की व्यथा है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। कोई तो सीमा रेखा बनानी होगी, बाटम लाइन बनानी होगी। इस बात की बराबर अपेक्षा करते हैं और शासन से कहा जाता है कि सत्र कम से कम 90 दिन तो चलना चाहिए। जब सत्र चलता है तो इस तरह का कार्य करते हैं। जो यहां का एक दिन का कार्य होता है उसमें लाखों रुपये खर्च होता है। यह प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। प्रदेश की सारी जनता टकटकी लगाकर देख रही है।

श्री अध्यक्ष–

बात आ गई है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, कहीं न कहीं कोई एक लकीर बनानी होगी, एक लक्ष्मण रेखा बनानी होगी। उस लक्ष्मण रेखा से जो बाहर जाय नियमावली के अनुसार दण्ड का प्राविधान है।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों के विवेक पर भी बहुत सारी चीजें छोड़ देता हूं। सदन इस समय शान्त हो गया है और बात आ गई है। मैं समझता हूं माननीय सुबाष जी अपने स्थान पर चलिये। जो कहना था, जो सन्देश देना चाहते थे, वह पहुंच गया है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, सन्देश देना नहीं चाहते थे।

श्री अध्यक्ष–

जिद करके अपनी बात कहना भी अधिकार नहीं है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

डा० डंग ने इतनी बड़ी बात कही तब भी असर नहीं हुआ ।

(व्यवधान)

जो आप बोल रहे हैं लिखा नहीं जायेगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

पूर्वांचल का किसी एक व्यक्ति का ठेका नहीं है । मैं भी पूर्वांचल का हूं ।

श्री अध्यक्ष–

बुनियाद जी आप बोलना शुरू कर दें । 4.45 पर इसको समाप्त कर दूंगा ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

इनको तो बैठाइए ।

श्री अध्यक्ष–

यह बैठे हैं तो बैठा रहने दीजिए, जब मेरा अनुरोध भी नहीं मान रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

धर्म-स्थल विधेयक .....

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध है जो माननीय सदस्य इस विषय पर विचार व्यक्त करें, 4.45 पर इसको समाप्त कर दें स्वयं अपने समय का विनियमन कर लें ।

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मौलिक अधिकार पर बहुत प्रभाव पड़ेगा मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

भईया बोल लेने दो (श्री सुबाष जी और श्री विनोद मणि जी को संबोधित करते हुए)

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुरोध कर लिया है, बैठे हैं तो बैठा रहने दीजिए ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं सुबाष जी से आग्रह करना चाहता हूं पूर्वांचल विकास निधि के संबंध में सरकार की तरफ से उत्तर आ जाए .....

श्री अध्यक्ष–

मेरे अनुरोध को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं तो बैठने दीजिए, मैं बल प्रयोग नहीं करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

सारा सदन जिस निगाह से देख रहा है। उसको सब देख रहे हैं। भर्त्सना की निगाह से देख रहे हैं।

(व्यवधान)

(श्री प्रमोद कुमार, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री विनोदमणि जी को सदन के फ्लोर पर आकर समझाने लगे कि वे अपने स्थान पर वापस चले जायं)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव और श्री विनोद मणि जी को संबोधित करते हुए) भईया हाथ जोड़ रहे हैं आ जाओ।

(श्रीमती गौरी देवी सदन के फ्लोर पर आ गई)

मान्यवर, (श्रीमती गौरी देवी फ्लोर से) हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, इतना महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है सुन लेंगे लेकिन अपने स्थान पर जाएं।

(श्रीमती गौरी देवी वापस अपने स्थान पर चली गई)

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर,हमारी बात भी सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने स्थान पर जायें। हम इसके बाद आपको सुन लेंगे।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव व विनोद मणि जी अपने स्थान पर वापस चले गये)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, अनुच्छेद 19 में दिये गये मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत भारत के किसी भी नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त है उसे स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह धर्म स्थल विधेयक यदि कानून बन गया तो मौलिक अधिकारों का हनन

होगा । अगर यह सरकार खुले दिल से सबके लिए लायी है तो हम भी गौर करने के लिए तैयार हैं । लेकिन हमको यह बता दीजिये कि यह कहकर कि मुसलमानों के मदर से और मस्जिद आई०एस० आई० के गढ़ हैं, यह बात नाकाबिले बरदास्त है । मान्यवर, मुसलमान के लिये मजहब यह हुकुम है वतन से, मुहब्बत से और वफादारी हमारे ईमान का हिस्सा है । यह इलजाम लगाकर मजहबी मामले में हस्तक्षेप किया है कि यह आई०एस०आई० का गढ़ है, अगर यह आई०एस०आई० का गढ़ है, तो साबित करें और अगर सबूत नहीं दे सकते हैं तो [×××] तो सरकार यह समझ लें कि आपके वोट 23 प्रतिशत से ज्यादा है और बाकी सारा हिन्दुस्तान सैक्यूलर है । मैं यह कहना चाहता हूं कि [×××] यह टिप्पणी कि यह मदरसे और मस्जिद आई०एस०आई० के गढ़ हैं, मैं यह उम्मीद नहीं करता था कि यह लोग इतनी गैर जिम्मेदारी से यह बात करेंगे । [×××] यह हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हैं, वह [×××] कितने मदरसों को इन्होंने पकड़ा और ताला डलवाया, कितनी मस्जिदें इन्होंने सील करायीं । अगर नहीं करायी तो इनको क्या कहने का अधिकार है कि वह आई०एस०आई० के गढ़ हैं । आप सत्ता में हैं इस पर रोक लगाईये । यह बात हुकूमत के लिए शर्म की बात है और यह बात [×××] आज यह मजहब की बुनियाद में मुल्क बट जायेगा तो नफरत का माहौल पैदा हो जायेगा । मान्यवर, जब यह बिल कानून की शक्ल ले लेगा तो किसी भी जगह मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारे और चर्च बढ़ाना और मरम्मत कराने का कार्य बगैर डी०एम० की परमीशन के नहीं होगा । मान्यवर, मैं तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । मान्यवर, जैसे जुम्मे की नमाज, ईद की नमाज और ईदुलजुहा की नमाज सड़क पर पढ़ी जाती है, कोई यात्री अगर रेलवे में सफर कर रहा है तो उसे जब मौका मिल जाता है तो वह रेलवे स्टेशन पर जान मालबिछाकर नमाज अदा करता है, तो यह कानून बन जाने के बाद मुसाफिर नमाज पढ़ने के लिए डी०एम० से इजाजत लेगा ।

[x x x] मान्यवर, आज यह बिल नफरत का माहौल बना देगा अगर मुसाफिर नमाज अदा करना चाहे तो पहले डी०एम० से परमीशन ले आये वरना जेल हवालात में जायें । मान्यवर, इस बिल के पास होने से अकलियत की आबादी का ट्रांसफर होगा । हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई एक ही कालोनी में रहते हैं मस्जिद मंदिर इबादत गृह एक ही जगह बनते हैं जब यह बिल कानून का रूप धारण कर लेगा तो मुस्लिम सोचेगा कि मुस्लिम आबादी में जायं । हिन्दू भाई सोचेगा कि जहां पर मंदिर हो वहां जायं । मान्यवर, जो हिन्दू मुस्लिम सब मेल मोहब्बत के साथ रहते हैं इससे नफरत का माहौल पैदा हो जायेगा दूसरे असलियत के लोग अपने मोहल्ले में जाना पसन्द करेंगे जिससे मुल्क की एकता को नुकसान होगा । इसमें यह व्यवस्था है कि विवाद होगा तो मामला डी०एम० के पास जायेगा अपील सिर्फ कमिश्नर के पास जा सकती है उसके बाद आप किसी अदालत में नहीं जा सकते हैं । तो यह कौन सा कानून है यह काला कानून [× × ×] क्योंकि किसी को न्यायालय जाने की इजाजत नहीं होगी । आपने आज अपने आई०ए०एस० अफसरों को निहत्था छोड़ दिया है उन पर अंकुश लगाने का काम बिल्कुल नहीं है वे आजाद हो जायेंगे जिस पर चाहेंगे जुल्म करेंगे । मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक जो किसी भी इन्सान को आजादी का हक है अपनी मजहब की आजादी का हक है वह पूरी तरह से छिन जायेगा । जो बिल पास करके भेजा गया है वह वापस मंगाया जाय उस पर पुनर्विचार करके यह काला कानून जो बनना है उस पर रोक लगायें [x x x] (घोर व्यवधान) सत्ता पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें ।

नोट :–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । मैंने प्रारम्भ में अनुरोध किया था कि कोई उत्तेजना की बात नहीं होगी गंभीरतापूर्वक अपनी बात कहें । इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा तो क्या होगा ?

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, जब यह कहा जाता है कि यह [× × ×] तो अगर हम इस तरह की बात करते हैं तो इन्हें बर्दाश्त करना चाहिए और सुनना चाहिए

नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, यह 5 जनवरी को पारित हुआ है । अभी तक किसी सड़क का रंग बदला नहीं है ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा ।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहिए, माननीय संसदीय कार्यमंत्री खड़े हुए हैं, मैंने उन्हें अनुमति दी है ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मेरा आग्रह यह है मुझे आशंका थी और वह आशंका सामने आ रही है मैंने सुझाव दिया, कुछ कारण थे, आपके आदेश हुए हमने शिरोधार्य किया । मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस फोरम से विधान सभा को यहां शान्ति व्यवस्था को कायम रखने में आपस के सौहाद्र में इस्तेमाल करेंगे या इस प्रकार का भाषण देकर शान्ति व्यवस्था को बिगाड़ेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

यह सारे भाषण का आपत्तिजनक अंश न लिया जायेगा और न प्रेस में छापा जायगा ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

यह चाहे लिखा जाये या न लिखा जाये लेकिन सुना तो जाये ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

मान्यवर, ये सुनेंगे भी नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, 12-13 मिनट हो गये हैं । (व्यवधान)

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । 5 जनवरी, 2000 को जब से यह बिल पास हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में और हिन्दुस्तान के जितने भी अल्पसंख्यक हैं खासतौर से मुसलमानों में शक और शुबह पैदा होने लगी है अपने मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के लिए कि सरकार हमारे

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मौलिक अधिकारों को खत्म कर रही है । मान्यवर, हिन्दुस्तान की आजादी से अब तक जितने लोगों ने अपनी जाने दी हैं उसमें मुसलमान की संख्या कहीं भी कम नहीं है ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहिये । देखिये, मैं स्वयं भी माननीय सदस्य के भाषण को सुन रहा हूं । मैं फिर अनुरोध करता हूं कि अपने मन की बात बिना किसी आपत्तिजनक शब्दों को इस्तेमाल किये हुए, बड़े अच्छे अल्फाज में कही जा सकती हैं और बिना कुछ ऐसे हाव-भाव दिखाये कहीं जा सकती है, आपके विचार भी आ जायं और किसी की भावनाओं को ठेस भी न पहुंचे, सभी पढ़े-लिखे लोग हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने नाम लिखकर दिया, धर्मस्थल विधेयक के सम्बन्ध में । मेरी आपसे अपेक्षा है कि अवसर आने पर उचित समझें तो हम लोगों को भी विचार प्रकट करने का अवसर मात्र दे दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मेरा एक आग्रह है कि जो भी बात करेंगे, हमारे मौलिक अधिकार, एक समुदाय विशेष के मौलिक अधिकार । मैं एक चीज इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं । यह अधिनियम किसी समुदाय विशेष के लिये नहीं है, किसी मजहब विशेष के लिये नहीं है, यह विधेयक उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिये है । यह विधेयक केवल मुसलमान के लिये नहीं है, सिख के लिये नहीं है, बल्कि सभी हिन्दू, ईसाई सभी के लिये है । जो लोग इस तरह की बातों को करके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वह नहीं होना चाहिये ।

डा० वकार अहमद शाह–

मुल्क की आजादी में जितना किसी भी आदमी का हिस्सा हो सकता है, उसमें कहीं भी कम हिस्सा मुसलमान का नहीं रहा है । इस विधेयक से हमारे हकूक में कटौती हो रही है, हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है । मैं बहराइच जनपद का रहने वाला हूं, यह क्षेत्र नेपाल से मिला हुआ है । वहां बार्डर सिक्योरिटी फोर्स, रा० एल० आई० यू० है । मैं आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूं कि एक भी आदमी ऐसा पकड़ा गया हो जो आई० एस० आई० का एजेंट हो, बता दीजिये । कोई भी एक मदरसे का नाम बता दीजिये, जिसमें आई० एस० आई० की गतिविधियां चल रही हों । मैं वायदा करता हूं, शपथ लेकर कहता हूं कि अगर ऐसा आप बता देंगे तो हम इस विधेयक को कबूल कर लेंगे, आपके बिल को मान लेंगे ।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शान्त रहें ।

डा० वकार अहमद शाह–

हमारे मजहब में कोई भी सच्चा मुसलमान अपने मुल्क के खिलाफ गद्दारी की बात नहीं कर सकता । आप एक का भी नाम बता दीजिये, हम इस बिल को मंगूर कर लेंगे । इस बिल के रहते मदरसे कैसे बनेंगे, मस्जिदें कैसे बनेंगीं, हम नमाज कैसे अदा करेंगे, क्या नमाज पढ़ने के लिये डी० एम० की परमीशन लेने जायेंगे । आजादी के 50 साल हो गये, सी० आर० पी० सी० और आई० पी० सी० में

अब भी वही चीजें निहित हैं फिर इस बिल की आवश्यकता क्या थी, आपकी नीयत क्या है, आपकी नीति क्या है । यह बिल केवल मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया गया है और सरकार की नीयत साफ नहीं है । मान्यवर, हमारी वतन की मोहब्बत को शुबहा किया जा रहा है, हमारे मदरसों को शक की नजर से देखा जा रहा है । जब भी कोई मुसलमानों के सम्बन्ध में बात आती है तो कह दिया जाता है कि आई० एस० आई० की गतिविधियां हैं । बस्ती में मौलाना को बन्द कर दिया गया, मौलाना को पता नहीं क्या हुआ । [X X X] इस बिल को वापस ले लीजिए जो बिल हमारे हुकूक की पमाली कर रहा है । मान्यवर, आप देख लें बार्डर पर रहने वाले मुसलमान पर कितना अत्याचार हो रहा है, आप रिकार्ड मंगा लें । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बिल का दुरुपयोग हो रहा है, इस पर पुनर्विचार कर लें, उसके बाद जो उचित समझें करें ।

(सत्तापक्ष एवं विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

एक सूचना दे दूं जितने माननीय सदस्यों ने पहले सूचना दी थी, एक क्रम से, ये सभी उधर के हैं, मैं चाहता हूं कि उसके बाद इधर के माननीय सदस्यों को सुन लूंगा तो दोनों ओर के विचार एक साथ आ जायेंगे ।

(व्यवधान)

फिर मुझे थोड़ा सा समय बढ़ाना पड़ेगा । मैंने अभी एक घण्टा कहा था इसलिए मुझे थोड़ा सा समय बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, पहले उधर के 2-3 सदस्य उसके बाद इधर के 2-3 सदस्य, और वही मेरा अनुरोध है कि संयत भाषा ही प्रयोग करें ।

* श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन–

मान्यवर, जहां तक हिन्दू और मुसलमान का तालुक है, धर्म से कोई गद्दार होता है न वफादार होता है, कई मुसलमान गद्दार हो सकते हैं, मैं यह मानता हूं कई सिक्ख भी हो सकते हैं, कई हिन्दू भी हो सकते हैं, लेकिन उससे न हिन्दू धर्म पर आरोप लगाया जा सकता है और न सिक्ख धर्म पर और न इस्लाम धर्म पर आरोप लगाया जा सकता है । मान्यवर, 1857 के बाद से आप इन मदरसों की हिस्ट्री उठाकर देख लें, दारुल उलूमदेवबंद, सैकड़ों को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया । जब देश का बंटवारा होने लगा, मुस्लिम लीग बनी और एक तरफ कांग्रेस थी, जो लोग इस देश का बंटवारा नहीं चाहते थे उनमें कितने थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना मदनी, मेरे ताया मुहम्मद अहमद काजमी और जो बंटवारा चाहते थे उनमें थे नवाब जादा लियाकत अली खां और मु० जिन्ना जैसे लोग । वह यूनीवर्सिटियों में पढ़े थे और जो लोग इस देश को एक रखना चाहते थे, वह मदरसों के पढ़े लोग थे, काश, आप यूनीवर्सिटियों में ताला लगवाते । उस समय हम लोगों ने इन मदरसों के पढ़े लोगों में इस देश की एकता और सुरक्षा के लिए काम किया है । इन मदरसों पर पथराव किया गया और उनको बुरी निगाह से देखा जाता है तो जिन्होंने बलिदान दिया है वे आज यह देखकर उनकी रूहें तड़प रही होंगी । मैं नहीं कह सकता कि बिल पेश करते समय क्या नीयत थी । हो सकता है कि इनकी मंशा सही हो । लेकिन यह कहना कि मदरसों में आई० एस० आई० के लोग शिक्षा पाते हैं तो मेरा कहना है कि आपको उन्हें लोकेट करना चाहिए और यदि वे पकड़ में आते हैं तो उनको हैंग करना चाहिए । लेकिन

नोट :–[X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया ।

किसी एक मदरसे में कोई खराब व्यक्ति हुआ तो सारी संस्थाओं को, सारे मदरसों को शक की निगाह से देखना उचित नहीं होगा। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख के वास्ते कानून है, तो मेरी गुजारिश है कि हम लोग यहां अपने आपको कमजोर महसूस करते हैं। कमजोर जब होता है तो उसे सर्दी में तकलीफ होती है और गर्मी में भी लू लगने का डर रहता है। मान्यवर, गौ संरक्षण का कानून बना है और गौ की हत्या करना गलत है, और इस पर सजा है। मान्यवर, श्री हुकुम सिंह जी हमारे पड़ोसी मंत्री हैं इनका क्षेत्र किशनपुर है। वहां की बात मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोग बैल खरीदने हरियाणा गये और वहां से वापस आ रहे थे तो उसमें कुछ मुसलमान और कुछ गैर मुस्लिम काश्तकार थे। तो मुस्लिम काश्तकार के बैल छीन कर पुलिस ने बन्द कर दिया। वे लोग हमारे पास आये, मंत्री जी वहां नहीं थे, मैं सहारनपुर के एस० पी० से मिला और उनसे कहा तो उन्होंने रोज के दो-दो सौ रुपये खाने के दिलाये और तब बैलों को छोड़ा गया। दूसरी तरफ गैर मुस्लिम लोग जो बैल ले जा रहे थे उनको पुलिस द्वारा नहीं रोका गया। तो यह कहना कि कानून सबके लिए है ठीक नहीं है। इसलिए हम अल्पसंख्यक लोग महसूस करते हैं कि इसकी गाज कमजोर पर पड़ेगी।

(इस समय 4 बजकर 19 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

मान्यवर, यह भी कहा गया कि विधान परिषद् में यह बिल इन्ट्रोड्यूज करते हुए कहा गया कि आई० एस० आई० के लोग इन मदरसों में पनपते हैं और यही चीज यहां भी कही गयी। यदि कहा गया है तो उसे कार्यवाही को निकाल कर आप देख लें। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। मान्यवर, जहां तक इस कानून की बात है नगरपालिकाओं में कानून है कि कोई मकान बिना परमीशन के नहीं बना सकता है। इसी प्रकार ग्राम समाज की भूमि में कानून है कि मकान बनाने के लिए एस०डी०एम० से परमीशन ली जाती है। इसलिए इस विधेयक की कोई जरूरत नहीं थी, यह अनावश्यक है। इसलिए आपसे अनुरोध है और संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इससे भ्रम फैल रहा है इसलिए यदि इस पर ठण्डे दिमाग से विचार कर लें तो इस कानून को वापस लेने की कृपा करें।

(डा० सरजीत सिंह डंग को पुकारे जाने पर।)

डा० वकार अहमद–

मान्यवर, यह तय हो गया था कि हम लोग ही बोलेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

यह बात तय नहीं हुयी थी, तय हुआ था कि दोनों तरफ के लोग बोलेंगे।

* ऊर्जा मंत्री(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

श्रीमन्, वैसे तो मैं यह नहीं समझ पाया कि किन नियमों के अन्तर्गत यह चर्चा हो रही है क्योंकि इस सदन में 4 घंटे चर्चा हो चुकी है और माननीय राष्ट्रपति जी के पास स्वीकृति के लिये यह विधेयक पड़ा है। जब चर्चा हो रही है तो मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि मैं अपने विचार रखूं। श्रीमन्, काजी जी की कुछ बातों की मैं ताईद करता हूं कि किसी धर्म में पैदा होने से कोई व्यक्ति न तो वफादार होता है और न मददगार होता है। हर कौम में तमाम सिरफिरे मिलते हैं जिन्होंने कौम पर कलंक लगाया और तमाम लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कौम के नाम को आगे बढ़ाया। इस देश का कल्चर रहा है और आज भी है। मुसलमान कौम का नेता हिन्दू हुआ ही है मुसलमान नहीं हुआ है। मुसलमानों ने मुसलमानों पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विश्वास नहीं किया । शब्दों को राजनीतिकरण किया जाय । धर्म निरपेक्ष शब्द का राजनीतिकरण किया गया । जब तक लोग हमारे साथ थे धर्म निरपेक्ष रहें, जब हमसे अलग हो गये तो हमें सांम्प्रदायिक कहने लगे । मान्यवर, इस विधेयक पर एक पूरे दिन चर्चा होनी चाहिये और खाली उत्तर प्रदेश के धर्म स्थल विधेयक पर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल के विधेयकों पर भी विचार होना चाहिये, एक साथ विचार करना चाहिये ताकि सत्यता सामने आ सके । अगर सत्यता सामने नहीं आयेगी और इसका राजनीतिकरण किया जायगा तो हो सकता है कि किसी कौम के लोगों को कोई ठेस लगे । जब हम लोग आये थे तो हमने कहा था कि हम लोग जब तक सरकार में हैं किसी को यह नहीं सोचना चाहिये कि हम किसी कौम या किसी धर्म के साथ हैं अगर किसी कौम या किसी धर्म के साथ ज्यादती होती है तो हम आज भी विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी कौम या धर्म के साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे । श्रीमन्, कुछ ऐसे क्षण हुआ करते हैं जब इस देश के लोगों को आगे बढ़कर बोलना चाहिये । देश की एक मस्जिद के इमाम ने जुम्मे की नमाज के बाद जिन शब्दों को कहा उसके विरोध में तमाम जन प्रतिनिधियों को निकल कर आना चाहिये था । इस सदन में निंदा का प्रस्ताव लाते तो ज्यादा अच्छा होता । हम लाना चाहते थे लेकिन नहीं लाये । अगर कोई यह कहता है कि हम आई०एस०आई० के एजेंट हैं, कोई कानून हो तो हमारे खिलाफ कार्यवाही करे, मैं कहना चाहता हूं कि अभी सरकार इतनी कमजोर नहीं हुयी है, लेकिन हमने सिरफिरो के खिलाफ बहुत ज्यादा कार्यवाही करने के लिये नहीं सोचा है । हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम देखें कि हमारा कर्तव्य देश और प्रदेश के प्रति क्या है । हम खाली किसी कौम के नेता नहीं हैं । काजी मुहिउद्दीन साहब ने कहा कि पहले हिन्दू हिन्दू को वोट देता था और मुसलमान मुसलमान को देता था लेकिन आज यह व्यवस्था नहीं है । हम सब एक साथ खड़े होकर इस देश और प्रदेश की जिम्मेदारी संभाले हुये हैं । जिस तरह से बुनियाद भाई ने कहा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सदन साम्प्रदायिकता भड़काने के लिये नहीं है सदन सबको साथ लेकर चलने की जगह है, इन विचारों को आप अपने दिमाग से निकाल दें । इस विधेयक की एक-एक धारा पर विचार करना चाहिये खाली जनरल भाषण से फायदा होने वाला नहीं है । एक-एक बिन्दु पर बात करिये हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर इस विधेयक में कहीं कोई ऐसी बात होगी तो लोकतांत्रिक कांग्रेस सबसे पहले आपका साथ देगी । अगर आप इसका राजनीतिकरण करेंगे तो हम भी विरोध करेंगे । हम चाहते हैं कि इसको सार्वजनिक चर्चा का बिन्दु बनना चाहिये, मेरा अनुरोध है कि इस पर जब चर्चा हो रही है तो कानूनी चर्चा करे और एक-एक धारा पर विचार करें । आप स्वीकार करें, एक दिन सम्पूर्ण का स्पेशल सदन हो जाय और चारों विधेयक रख दिये जायं और यहां पर चर्चा हो जाय कि कौन-कौन दल साम्प्रदायिक हैं और कौन धर्मनिरपेक्ष है और किसके क्या विचार हैं और उसके बाद आप इस पर निर्णय दें । तो मैं समझूंगा कि सही निर्णय हुआ । मैं फिर विश्वास दिलाता हूं कि न कोई साम्प्रदायिक दल है, न कोई धर्मनिरपेक्ष दल है । खाली किसी कौम में पैदा होने से न कोई साम्प्रदायिक हो जाता है न धर्म निरपेक्ष हो जाता है । मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार की विचार धारा बिल्कुल ठीक है । इसका राजनीतिकरण मत करिये । हम सब मिलकर चलें तो अच्छा है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

श्रीमन्, क्या यह तथ्य नहीं है कि यहां जितने माननीय सदस्य बैठे हैं या मैं इसकी सीमा का विस्तार करूं जितने मनुष्य इस धरती पर बैठे हुये हैं उसमें से किसी ने मां की कोख अपनी मर्जी से नहीं चुनी है । इसके कारण मनुष्य का वर्तमान वर्गीकरण नैसर्गिक व प्राकृतिक नहीं है । जो यह वर्गीकरण धर्म जाति, मजहब, सब–कास्ट के रूप में किया है, वह हमारा किया हुआ है, ईश्वर का किया हुआ नहीं है । इसको लेकर पूर्वाग्रह में रहना, इसको लेकर असुरक्षा का भाव उत्पन्न करना, इसको लेकर समाज को वर्गों में बांटने की चेष्टा करना इससे जघन्य काम और कोई नहीं हो सकता । मान्यवर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बुनियाद साहब को । भाई बुनियाद अंसारी जी ने ''मादरे–वतन'' का नाम लिया, क्या यह सच

नहीं है कि हमारे सदन में बैठा हुआ एक-एक राष्ट्र भक्त माननीय सदस्य के विचारों के बिल्कुल विपरीत ऐसे लोग भी इस देश में है कि "वन्दे मातरम्" कहने में उनकी जुबान जल जाती है। क्या ऐसे लोगों को लगाम लगाने की कोशिश किसी ने की, किसी ने निन्दा की, भर्त्सना की। अगर नहीं किया है तो एक तरफा कर्तव्य पालन से नहीं चलेगा, मगरमच्छ के आंसू बहाने से नहीं चलेगा। मादरे वतन बड़ा है, धर्म, सम्प्रदाय, जाति, राजनीतिक पार्टी छोटे हैं। राष्ट्रद्रोही की कोई जाति नहीं होती, कोई सम्प्रदाय नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई उसकी पार्टी नहीं होती। राष्ट्रभक्त की भी कोई जाति, मजहब और पार्टी नहीं होती है। मुझे विश्वास है कि सदन में बैठा हुआ एक-एक व्यक्ति भारत के संविधान के माध्यम से चुनकर जनता की इच्छा के अनुसार आया है। एक-एक व्यक्ति कट्टर राष्ट्र भक्त है। अगर कठिनाई कहीं पैदा होती है तो वह सारा खेल वोटों का है। हममें से कई लोग, कई दल इस बात के ठेकेदार बनने लगते हैं कि हम तो फलाने मजहब के पक्षधर हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं सारे राजनीतिक दलों से कि दल की दल-दल से ऊपर उठें और केवल जुबान से न कहें दिल में यह बात होनी चाहिए कि यह हमारा राष्ट्र है, हमारा मादरे वतन है, मेरी राष्ट्रभूमि है, मेरी भारत माता है।

मान्यवर, बहुत कष्ट है मुझे इसी प्रकार का विधेयक मध्य प्रदेश में भी आया, पश्चिम बंगाल में भी आया, राजस्थान में भी आया। क्या इस प्रदेश का अपराध इतना है कि भाजपा नीति की सरकार यहां पर चल रही है। इसलिये यहां सारी राजनीतिक गोटियां खेली जा रही हैं। क्यों नहीं इन प्रदेशों में आवाज उठायी गयी, चर्चा क्यों नहीं की गयी, इसलिए कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है इसलिये लोगों की जुबान बन्द थी। अपनी अन्तर्रात्मा में झांककर देखना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार अगर कोई देशद्रोही गुरुद्वारे में बैठा होगा तो उसकी गिरफ्तारी की जायेगी, उसको दण्डित किया जायेगा, अगर कोई देशद्रोही मस्जिद में बैठा होगा तो उसको भी दंडित किया जायेगा, अगर कोई देशद्रोही गिरजाघर या बौद्ध मठ में बैठा होगा तो उसे भी बख्शा नहीं जायेगा। देशद्रोही को बख्शा नहीं जा सकता। धर्म स्थल विधेयक के बारे में आपने चिन्ता व्यक्त की है जो पुराने धर्म स्थल बने हैं उन पर तो यह लागू नहीं होता आज के बाद जो कोई धर्म स्थल बनेगा उसके बारे में यह है। आगे के लिए आपको संदेह क्यों है क्या कोई गलत काम करने जा रहे हैं जो जिलाधिकारी से डरें अरे सही काम करने के लिए जिलाधिकारी क्या जो सबसे बड़ा अधिकारी ईश्वर भी बैठा हो अगर आप सत्य पर अड़े रहे सही काम करना चाहते हैं तो दुनियां की कोई ताकत आपको सही काम करने से नहीं रोक सकती। आप मन में क्यों भ्रम पाले हुए हैं। यहां देवबन्द की चर्चा हुई अलीगढ़ की चर्चा हुई यहां के मौलानाओं और आलिमों ने देश की स्वतंत्रता के युद्ध में सक्रिय और प्रशंसनीय योगदान दिया लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने में सहयोग दिया। कायदे आजम जिन्ना पाकिस्तान के लिए मसीहा हो सकते हैं लेकिन हिन्दुस्तान के लिए विभाजन कराने वाले राक्षस थे। इन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने पहचाना था राष्ट्र द्रोही शक्तियां कौन हैं इस संबंध में उन्होंने शाट्स आन पाकिस्तान लिखी है उसको पढ़ लेना चाहिए उसमें 30-40 पेज के डाकूमेंट हैं राम मनोहर लोहिया के पक्षधर यहां बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी अपने को उनका अनुयायी कहते हैं उन्होंने धर्मनिरपेक्षता पर अपने विचार रखे हैं क्या उन्होंने लोहिया जी, श्री राम, शंकर, कृष्ण पर लिखा साहित्य पढ़ा है ? यह बड़े लोग देश की बात करते थे इन बड़े लोगों की बड़ी दृष्टि थी जो छोटे लोग होते हैं उनकी छोटी और संकुचित दृष्टि होती है। राष्ट्र को उन्नति के शिखर तक ले जाने के लिए बड़ा दिलो दिमाग चाहिए। मैं किसी माननीय सदस्य की राष्ट्र भक्ति पर संदेह प्रकट नहीं करता मगर इसी सदन में जब आई० एस० आई० का नाम आता है तो लोग भड़क क्यों उठते हैं इसी देश के अन्दर भारत और पकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच जब होता है तो उसमें पाकिस्तान के जीतने पर कुछ लोग आतिशबाजी क्यों छुड़ाते हैं, खुशियों की दीवाली क्यों मनाते और भारत के जीतने पर गम क्यों मनाते हैं ? अगर जो लोग ऐसा करते हैं उनकी इसी सदन में निन्दा भी होनी चाहिए। अगर किसी माननीय

सदस्य ने उनकी निन्दा की होती तो मुझे प्रसन्नता होती । धर्म स्थल विधेयक जब बन रहा था तब चर्चा में सदस्यों ने भाग क्यों नहीं लिया था इसी सदन को छोड़कर चले क्यों गए थे । जो राजनीतिक दल कहा करते हैं कि वह अल्पसंख्यकों अक्लियतों के पक्षधर हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस समय उनको लकवा क्यों मार गया था । उस समय इन लोगों ने क्यों नहीं अपने विचार प्रकट किए थे । मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जरा संकुचित आधार पर न सोचकर मादरे वतन के आधार पर सोंचे । निजी सोचना बन्द कर दें जाति पांति मजहब सम्प्रदाय वर्ग इन सबको एक किनारे रख दीजिए । मैं विश्वास दिलाता हूं कि धर्म स्थल विधेयक से न तो किसी मस्जिद के तासीर को कोई कठिनाई आएगी न मंदिर बनने में कोई कठिनाई आएगी, न गिरजाघर न गुरुद्वारा न बौद्ध मठ बनने में कोई अड़चन पैदा होगी दिल साफ होना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, जो सूचना है उस पर सभी दलों के नेताओं के हस्ताक्षर हैं कृपया सबको समय दे दें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, देख लीजिए मेरी हस्ताक्षरित सूचना है मुझे समय दे दें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जांच करवा ले इन्हीं के हस्ताक्षर हैं या किसी और के ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, आज हम इस सदन में धर्म विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं । इस सदन में बड़ी-बड़ी चर्चायें हुई हैं चाहे वह 87 मेरठ दंगे की चर्चा हो या बाबरी मस्जिद की शहादत की बात हो । यकीनन जो सभी सदस्य यहां बैठे हैं सब भाई-भाई हैं । मगर चिन्ता तब होती है जब कोई छोटे भाई खौफ के माहौल में जी रहे हैं । मान्यवर, यह विधेयक इस तरह से पास हुआ है कि जब उसका इन्ट्रोडक्शन किया जाय तो यह कहा जाय कि क्योंकि इन मदरसों के अन्दर आई० एस० आई० के लोग रहते हैं इनके ताल्लुकात आई० एस० आई० से हैं इसलिए यह विधेयक लाया गया है । अभी डंग साहब ने कहा कि ना गुरुद्वारे पर, ना मस्जिद पर, ना मंदिर पर किसी पर आंच नहीं आयेगी इस विधेयक से सबका निर्माण होगा । मैं जानकारी दे दूं उन्हें, शायद उन्हें न मालूम हो कि इस धर्म विधेयक के इंट्रोडक्शन के पहले भी मस्जिद बनाने के लिए डी० एम० से इजाजत लेनी पड़ती थी ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह सब धर्मस्थलों के लिए है ।

श्री कौकब हमीद–

हो सकता है कि जो यह कह रहे हैं सही हो । सवाल यह नहीं है कि हम मादरेवतन के हामी हैं या नहीं । यह हमारा मुल्क है । हम 20–25 करोड़ या जितनें भी हो हम आज यहां इसलिए हैं क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं । हम सरकार के सामने खड़े हैं बता रहे हैं कि हमें यह दर्द है । हमें उस वक्त दर्द नहीं हुआ जब हमारी नौकरियां घटाकर पांच प्रतिशत से आज एवरेज में 2 से 1 प्रतिशत पर आ गई है । हमसे वादे किये गये चाहे जो भी सरकार आई हो किसी ने हमें जब कुछ नहीं दिया नौकरियों में हम 1.5 प्रतिशत पर आ गये । हमें फिर भी तकलीफ नहीं है हम जिन्दगी गुजार रहे हैं । मगर हमें तकलीफ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है जब हमें यह पूछना पड़ेगा कि मस्जिद की मीनार कितनी ऊंची होगी, कितना ऊंचा उसका गुम्बद होगा और किधर को रुख करके नमाज पढ़नी होगी । अगर हम सरकार को नहीं सुनायेंगे तो किसको सुनायेंगे । सरकार तो हमारी है । जिस समय यह बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय यह विचार दिये गये कि नैपाल बार्डर पर बने हुए मदरसों में आई० एस० आई के लोग रह रहे हैं इसलिये हम इसे इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं । अगर यह तय करना है कि जंगे आजादी में कितने मुसलमानों ने कुर्बानी दी तो फिर आपको जलियांवाला बाग काण्ड में भी जाना होगा, जहां पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, वहां पर भी आपको मुसलमानों के नाम मिलेंगे । काकोरी में भी जाना होगा, जहां पर आपको अशफाक उल्ला खां सारेब का नाम मिलेगा । 1948 में जम्मू-कश्मीर की लड़ाई में ब्रिगेडियर उस्मान की भी बात कहनी होगी, 1975 में अब्दुल हमीद की बात भी कहनी होगी और कारगिल के 116 उन मुस्लिम शहीदों की बात भी करनी होगी । अभी डाक्टर साहेब ने कहा कि हम किसी की भी पूजा कर लेते हैं । हमारे यहां महात्मागांधी जी की जो यह तस्वीर है, जिसके नीचे हम लोग बैठे हैं, उनको मारने वाले की भी पूजा की जाती है । यह तो हिन्दुस्तान है, यहां कौन क्या करता है इसका यकीन कैसे दिलवाया जाय । चार विधेयकों की बात कही गई । मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश के बिल की बात यहां हुई । वेस्ट बंगाल का जो बिल इन्ट्रोड्यस हुआ, वह यह कहता है कि जो डिस्प्युटेड लैण्ड हैं.....

श्री हुकुम सिंह–

वहां बिल इन्ट्रोड्यूस नहीं हुआ, वहां तो ऐक्ट बन चुका है ।

श्री कौकब हमीद–

जो डिस्पयूटेड बील्डिंग्स हैं, उनकी मरम्मत के लिये गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी । 1984 में जो राजस्थान में हुआ, हालांकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने वह अच्छा नहीं किया परन्तु मैं बता हूं कि उस वक्त उसमें आई० एस० आई० की गतिविधियों के लिये यह बिल इन्ट्रोड्यूस किया जा रहा है, ऐसा नहीं था । यह कहना आसान है कि जो पुरानी मस्जिदें हैं वह नहीं बनेंगी । आपको अगर कोई शामियाना लगाकर किसी कब्रिस्तान के अन्दर कोई मस्जिद टूट गई है और या उसके अन्दर कोई मदरसा है तो उसकी मरम्मत के लिये डिस्ट्रिक्ट मजिस्टेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी । तो इस बिल के अन्दर जो है उसमें और मध्य प्रदेश, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में जो है उसमें फर्क है । जमीन आसमान का फर्क यूंही नहीं । और सबसे बड़ी बात यह कि आपकी नीयत में फर्क है । जब आप इसको ऐसे ही इन्ट्रोड्यूस कर देते कोई दिक्कत नहीं थी । मगर सरकार ने जब इसको इन्ट्रोड्यूस किया तो उसके बारे में कहा नरेश जी उठकर चले गये हैं, वह कहते हैं कि हम भी साथ देते आकर । उस चिन्ता को रोकने जिसमें 400 कि०मी० नेपाल हिन्दुस्तान बार्डर है वहां पर जो मदरसे आये हैं उन्हें आई० एस० आई० की गतिविधियों का केन्द्र कह दिया । मान्यवर, इतने दिन हो गये बिल पास नहीं हुआ । एक भी आदमी आपने वहां से पकड़ा हो ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया सहयोग करें । खत्म करें । सूची बहुत बड़ी है ।

श्री कौकब हमीद–

[xxx] मैं अपनी बात खत्म करने से पहले यकीन दिलाना चाहाता हूं कि हम सब उसी मुल्क के प्रहरी हैं । उत्तर प्रदेश के प्रहरी हैं । किसी आदमी से कम वफादार नहीं हैं । हमारी रगों में हिन्दुस्तान के लिए उतनी ही बेचैनी है जितनी उधर बैठे लोगों के और बाहर बैठे लोगों के अन्दर है ।

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रमोद जी, कृपया समय का ध्यान रखते हुए सहयोग करियेगा इतना निवेदन है ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक अत्यन्त सम्वेदनशील और असंवैधानिक विधेयक के विरुद्ध बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं चाहता हूं कि जिस समय मैं अपनी बात रख रहा हूं उस समय लोग अपनें दिलों पर हाथ रखकर यह देखे कि इस देश की संस्कृति क्या रही है, वसूल क्या रहे हैं, इतिहास क्या रहा है ? मान्यवर, मैं बड़े ताज्जुब के साथ सुन रहा था हमारे एक साथी बोल रहे थे, उस पर मैं बाद में आऊंगा । पहले मैं संविधान की तरफ बताना चाहता हूं । संविधान का अनुच्छेद 19 हो या 25 दोनों बड़े स्पष्ट हैं । इसमें हर व्यक्ति को अपनें धर्म के अनुसार पूजा करने की, इबादत करने का अधिकार है और यह विधेयक उस आर्टिकिल 19 व 25 का सीधा-सीधा उल्लंघन करता है । इसीलिये मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आपने इसे बहुमत के सहारे पारित कर दिया फिर महामहिम राज्यपाल ने उसको रोक क्यों दिया, स्वीकृति नहीं प्रदान की । इसको राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया । आपकी तमाम कोशिशों के बाद महामहिम राज्यपाल ने स्वीकृति नहीं दी है । एक रास्ता हो सकता है कि आप उसको वापस कर दें । दूसरा यह कि अगर आपको शर्म हया है तो इतने दिन रोकने के बाद पुनर्विचार करें और अपने आप उसको वापस ले लें । संविधान आपको इसकी इजाजत नहीं देता । राज्यपाल महोदय ने इसकी स्वीकृति नहीं दी और राष्ट्रपति महोदय ने उसको रोक रखा है । सरकार के अन्दर विवेक हो तो इसको वापस ले लें । राजस्थान, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल की बात करते हैं । वहां इसके अन्दर क्या है ? मध्य प्रदेश में जब यह लाया गया था तो वहां तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक मुस्लिम संगठन की मांग पर जिसकी जमीन विवादित हो गयी थी उसकी रक्षा के लिये लाये थे । वहां जब लाया गया था विधेयक देते वक्त किसी मंत्री ने नहीं कहा था कि हम इसको आई० एस० आई० गतिविधियों को रोकने के लिये ला रहे हैं । यह भी नहीं कहा था कि देश की सुरक्षा के लिये ला रहे हैं, मंदिर और मस्जिद की हिफाजत के लिये ला रहे हैं । कांग्रेस अध्यक्ष का खुला ऐलान है कि अगर कोई भी इस बारे में अपनी राय इत्तेफाक नहीं करता है, हमारे पास सुझाव है, हम सरकार कुर्बान कर देगें । लोगों की भावनाओं का अहित नहीं होने देगें जो भी परिवर्तन करना होगा करेंगे । यहां कौन सी सरकार लाई है ? उस दल की सरकार लाई है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया । जिसने लोक सभा में वादा किया और विधान सभा में वायदा करने के बाद 6 दिसम्बर की मनहूस घड़ी थी जो कुछ घटित हुआ, आयोग गठित है और उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है जो लोग मदरसों में हैं उनकी नेकनीयती का, उनकी वफादारी का, सुबूत आप मांग रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देश का इतिहास उठाकर देख लें, आप देश का इतिहास पढ़ लें मदरसे न होते तो ब्रिटानिया की सरकार न जाती, जिन लोगों ने मदरसों में तालीम हासिल की, मदरसों के पढ़े हुए लोगों ने ही उसको यहां से निकाला है, आप यह क्यों भूल जाते हैं ? इनको इस तरह से साम्प्रदायिकता का माहौल नहीं बनाना चाहिए, उधर से किसी ने कहा कि क्रिकेट का मैच होता है तो कुछ साथी उदास हो जाते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत को हाकी में आखिरी स्वर्ण पदक दिलाने वाला व्यक्ति असलम शेर खान था, असलम शेर खान के कारण ही भारत को हाकी में आखिरी स्वर्ण पदक मिला । भारत ने अजहरुद्दीन के नेतृत्व में कई क्रिकेट मैच जीते हैं, अपराध अपराध होता है, लखनऊ दिल्ली में एयर वाइस मार्शल पकड़े गये हैं, वह किस जाति के हैं, बहुत ही अफसोस की बात है कि धार्मिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है इसके परिणाम दुखद होंगे । मैं कहना चाहता हूं मुसलमान भाईयों से, अपनी वतनपरस्ती का सबूत इनको न दें जिन्होंने 1942 में ब्रिटानिया फौज में भर्ती होने का काम किया था, ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है कि वह मुसलमानों से उनकी बफादारी का, उनकी वतनपरस्ती का सबूत मांगें सामने ऊपर महात्मा गांधी जी का चित्र लगा हुआ है, उनका हत्यारा कौन था ? अगर गोडसे था, तो उसके नाम से मुम्बई में

सम्मेलन क्यों कराया गया ? शिवसेना के साथ जिनका गठबंधन है वह वतनपरस्ती का सबूत मांगना चाहते हैं, उनकी वफादारी का सबूत चाहते हैं मान्यवर, अब्दुल हमीद तीन-तीन टैंकर बम सीने के बल अकेले रोक रहा था जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, जब गर्वनर जनरल ने कहा था दोपहर का खाना लाहौर में खाया जाएगा और शाम की चाय दिल्ली में पी जायेगी । बीकिलर ईसाई था, सिख और सरदार थे, जो देश के लिए लड़े । यह सरकार कुछ करने के पहले जितने लोग बैठे हैं प्रस्ताव पारित करा लें यह आई० एस० आई० के सबूत रखें, सभी चाहते हैं, इस तरह से हल निकलने वाला नहीं है । जम्मू कश्मीर के ऊर्जामंत्री मारे गये किन ताकतों से लड़ते हुए मारे गये, उनका मजहब धर्म बताने की आवश्यकता नहीं है । मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं ऐसी ताकतें जो हिन्दू और मुसलमान को बांटकर अपना मतलब सिद्ध करना चाहती है उनके प्रतिनिधित्व के रूप में इसको लाया गया है, यह देश को जोड़ने वाले नहीं हैं यह देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं जब तक एक भी हिन्दुस्तानी जिन्दा रहेगा तब तक इसका विरोध करते रहेंगे । यह हमारा वायदा है । और इस सरकार को हटाकर जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारा पहला काम होगा धर्मस्थल विधेयक, को वापस करना, जो हिन्दू मुस्लिम एकता को तोड़ने के उद्देश्य से इसको लाया जा रहा है ऐसे लोगों के साम्प्रदायिक इरादों को खत्म करके, हम इसको वापस लेंगे । यह हमारा वायदा है, यह हमारा दृढ़ संकल्प है । धर्मस्थल विधेयक के द्वारा गुरुद्वारा बनाने पर पाबन्दी है, मन्दिर मस्जिद क्या होता है ? बिड़ला अगर मन्दिर बनायेंगे तो उनका पांच करोड़ का कांट्रेक्ट होगा और उनका नक्शा पास हो जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दें । गरीब मुसलमान और हिन्दू बनायेगा तो वह चन्दे से बनायेगा । यह बतायें कि जो एक रुपये से, दो रुपये के चन्दे से मस्जिद या मन्दिर बना रहे हैं वह डी० एम० से कैसे नक्शे को पास करायेगा । मान्यवर, मस्जिद बनती है, हम क्षेत्रों में जाते हैं पहले जमीन पर नमाज पढ़ते हैं चद्दर बिछाकर, फिर एक दीवाल दूसरी दीवाल तीसरी दीवाल और तब जाकर पूरी मस्जिद बनती है । मान्यवर, आपने कहा कि अपराध हुआ करते हैं आई एस० आई० की गतिविधियां हुआ करती हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अपने मंत्रिमंडल में झांककर देखिये कितने [xxx] आपके मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, उनकी रिपोर्ट आयी है कि यह [xxx] है तो आप उन्हें क्यों नहीं निकाल देते हैं । क्यों आप उनको बगल में बैठाये हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा । मान्यवर, जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो मुसलमान कट्टरपंथी विचारों के मजहबी थें वह पाकिस्तान चले गये और वहां पर उनको बड़ी-बड़ी ज़ायदादें मिल गयी, कारोबार मिल गये और जो [xxx] यहां पर धर्म स्थल विधेयक लाया गया और प्रस्तुत करते वक्त यह बात कही गयी कि नैपाल की सीमाओं पर जो मदरसे चल रहे हैं वहां से आई० एस० आई० की गतिविधियां चल रही हैं । यही बात सीनियर काबीना मंत्री

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लालजी टण्डन ने कहीं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही । एक बात समझ में नहीं आती है कि हमारे कांस्टीट्यूशन में हमें यह अधिकार है कि हर नागरिक को ...

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसका समय और बढ़ा दें । क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी ने इसका समय पौने पांच तक रखा था ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसका समय 15 मिनट बढ़ा दिया जाय ।

(सदन की सहमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री सौलत अली एडवोकेट–

तो मैं यह कह रहा था कि हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी । मान्यवर, केशवानन्द भारती जी के केस में सुप्रीमकोर्ट ने यह तय किया था कि ऐसा कानून नहीं बनेगा जिससे धार्मिक स्वतंत्रता छीने उसके बाद इस विधेयक को लाने का औचित्य क्या है ? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जैसा कहते हैं कि आई० एस० आई० की गतिविधियों को रोकने के लिये लाये हैं, मान्यवर, हर रिएक्शन से पहले एक्शन हुआ करती है । रिएक्शन के लिए इसका होना जरूरी है । आपने यह कहा कि आई० एस० आई० के एजेन्ट बढ़ रहे हैं तो उनकी कहीं कोई सूची, कार्यवाही, कोई नाम, लिस्ट आपने दिखायी कि यह एक्शन हुआ था इसको रोकने के लिये यह बिल लाये हैं । ऐसा कोई आधार नहीं है । कितने मदरसे ऐसे हैं, आपने आज तक कोई मदरसा इंगित नहीं किया है केवल आरोप लगाये हैं । आपने मौलाना अतीकुर्रहमान के साथ खिलवाड़ किया और उनका अपमान किया गया । एक रेप्यूटेड व्यक्ति जिसके पूरे प्रदेश में मदरसे चल रहे हैं जहां से पढ़ कर लोग बड़ी बड़ी जगहों पर जा रहे हैं इस सरकार को तो खुशी होनी चाहिये आप तालीम दे नहीं पा रहे हैं रोजगार दे नहीं पा रहे हैं अगर यह आपकी परेशानी को बांट रहे हैं तो आपको तो उनको बढ़ावा देना चाहिये उनको रिक्गनाईज करना चाहिये लेकिन आप तो सोच रहे हैं इन मदरसों को बन्द करने के लिये खत्म करने के लिये । बिल में क्या है आप परमिशन लेना चाहेंगे धार्मिक स्थल बनाने के लिये मरम्मत करनी होगी उसकी परमिशन लेनी होगी कब्रिस्तान के लिये परमिशन मांगनी होगी अगर परमिशन नहीं मिलती है तो अंतिम अपील कमिश्नर के यहां ही हो पायेगी और कहीं फिर सुनवाई नहीं होगी । इसमें सब कुछ आप ही हैं । गांव में कहावत है मां और धी गाने वाली बाप पूत कराही 5 जनवरी को आपका पूरा बिल यहां से पारित हो गया 8 जनवरी को मुरादाबाद में मेरे क्षेत्र के ग्राम कल्छपुरा हरदोडांडी में पहले से बन रही एक मस्जिद का निर्माण रोक दिया गया कहा गया कि अभी कानून तो पास नहीं हुआ । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कब्रिस्तान की बाउन्ड्री को रोक दिया गया है अगर बदनीयती का सबूत नहीं है तो ऐसा फिर क्यों हो रहा है आपको जिला प्रशासन से पूछना चाहिये । आप सदन में सफाई देते हैं । मान्यवर, इस बिल के विरोध में जगह जगह आन्दोलन हुए, बाजारें बन्द हुई, पूरे प्रदेश में रिएक्शन हुआ सारी पालिटिक्ल पार्टी ने रिएक्ट किया है । मान्यवर, इस मुल्क में लगभग 20 करोड़ मुसलमान हैं आपको हर जगह मुसलमानों की जरुरत हुई है । मुल्क की आजादी के समय अशफाकउल्लाह, मो० अली जौहर और खान गफ्फार खान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जब मिलेट्री में जरुरत पड़ी तो बिग्रेडियर उस्मान व अब्दुल हमीद, क्रिकेट में पटौदी और अजरुद्दीन की जब आवाज की जरुरत पड़ी तो मुहम्मद रफी की फिल्मों में दिलीप और शाहरुख खान और परमाणु शक्ति सम्पन्न देश बनने की जुरुरत पड़ी तो डा० अब्दुल कलाम की जरुरत पड़ी । कहीं हमारे बगैर सफलता तो है नहीं । आप हमें अलग करना चाहते हैं शक की निगाह से देखना चाहते हैं । यह मुस्लिमों का मुल्क, हिन्दुओं का मुल्क, सभी धर्मों का मुल्क है । हमें जब जाना था तब हमने मुल्क को नहीं छोड़ा (व्यवधान) । आप हमें शक की निगाह से मत देखो अगर यही नजर रही तो फिर मुश्किल हो जाएगी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपकी बात नहीं लिखी जायेगी ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

[x x x]

श्री वसीम अहमद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने धर्मस्थल विधेयक पर बोलने का मौका दिया, मैं आभारी हूं। मान्यवर, बार-बार कहा जाता है, मैं इस सदन में कई बार सुन चुका हूं कि आई० एस० आई० का जमावाड़ा यहां से लेकर नैपाल के बार्डर तक है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर नैपाल हिन्दू राष्ट्र होने के कारण, अगर कोई दुनिया में हिन्दू राष्ट्र कहा जाता है तो वह नैपाल कहा जाता है तो एक हिन्दू राष्ट्र से आई० एस० आई० यहां कैसे आते हैं उसको क्यों नहीं रोक पाते हैं ? हमारे बड़े भाई बहुत सीनियर हैं डंग साहब, उन्होंने कहा कि आई० एस० आई० के नाम पर लोग खड़े हो जाते हैं तो हम एक बार नहीं हजार बार खड़े होंगे जब शक की निगाह से पूरे हिन्दुस्तान के मुसलमानों को देखा जायेगा। डंग साहब अगर सुनते होंगे तो इस बात को सुन लें कि मान्यवर, जब इन्दिरा गांधी जी मारी गयी थीं तो एक सिरफिरे ने मारा था, एक सरदार ने मारा था लेकिन सारे सरदार ने अपनी अपनी दाढ़ियां बाल-मुड़वाकर घूमने का काम किया था सारे के सारे सरदारों को शक की निगाह से देखना निन्दनीय है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, यह जो धर्मस्थल विधेयक आया है, मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है इसलिये विरोध करता हूं। डंग साहब कहीं चले गये हमारी बातों का जबाब देते, [x x x]

श्री अधिष्ठाता–

अब आपकी बात नहीं खिली जायेगी, मैंने इकबाल महमूद जी को बुला लिया है। कृपया स्थान ग्रहण करें। अब नहीं लिखा जायेगा।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, यह धर्मस्थल विधेयक जब लाया गया और उसको सदन में इन्ट्रड्यूज किया गया तो संसदीय कार्यमंत्री जी ने शुरू में ही दो बातें बताई एक तो इस बिल को लाने के लिये पहले तो यह बताया कि मदरसों में आई०एस०आई० के लोग रहते हैं और उनको खुफिया विभाग ने रिपोर्ट दी है कि देशद्रोही का काम वहां चल रहा है दूसरी बात यह बताई कि मुरादाबाद के बिलारी ने अपनी जगह पर मस्जिद बनाने के लिये हाईकोर्ट की शरण ली उसमें हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि किसी धर्मस्थल में मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाना असंवैधानिक नहीं है जबकि उसका मालिक वह खुद बनाने वाला हो। उन्होंने इस बात को बताया कि जब हाईकोर्ट ने यह बात कही थी तो इस चीज की रोकथाम कैसे की जायेगी तो उन्होंने यह काला कानून लाकर इसको रोकने का काम किया है। मान्यवर, हिन्दुस्तान के अन्दर हिन्दू, मुस्लिम, सिख और इसाई सब मिलकर रह रहे हैं। एक दूसरे के अन्दर एक दूसरे की इज्जत और प्यार है लेकिन राजनीति कुछ ऐसी है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने यह चक्कर चलाया कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है। आने वाले चुनाव के दिनों में किस तरह से वोट मांगेंगे। इसलिये यह बिल लाये हैं। केवल अपनी कुर्सी को बचाने के लिये यह कार्य किया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, पहले हम लोग सोचा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हिन्दुस्तान की धरती से प्यार करती है लेकिन जब सत्ता में आई तो मुझे मालूम हुआ कि इन्हें केवल गद्दी से प्यार है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, इसी के साथ मैं संसदीय कार्य मंत्री से कहूंगा कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और इस काले कानून को वापस ले।

श्री केशो मेहरा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं तो माननीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर सदन में आज चर्चा कराई। माननीय नरेश जी ने कहा कि पूरे दिन चर्चा होती तो अच्छा होता। मैं तो कहता हूं कि इसके लिये एक दिन विशेष सदन बुला लिया जाय और प्रत्येक बिन्दु पर सबके विचार आ जाय। क्योंकि केवल जजबाती भाषणों से काम नहीं चलेगा। प्रमोद कुमार जी ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो विधेयक हैं, वह तो मस्जिदों की हिंफाजत के लिये है और यहां का विधेयक मस्जिदों को नेस्तनाबूत करने के लिये है। मैं तो चाहता हूं कि एक दिन बिन्दुवार चर्चा हो जाय और पता लग जाय कि कौन कितने पानी में हैं ? प्रमोद कुमार ने यह भी कहा कि मुसलमानों को उन लोगों के सामने अपनी वफादारी का साबूत देने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं भारत सरकार के प्रकाशन विभाग की पुस्तिका है, जिसमें देश के पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृहमंत्री, लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल ने अपना एक भाषण दिया था, उसी के अंश मैं आपको सुना रहा हूं। यह भाषण उन्होंने जनवरी, 1948 में लखनऊ में दिया था और मुसलमानों से कहा था, "ए मुसलमानों मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद सितम्बर, 1947 में पाकिस्तान से आकर यहां काश्मीर पर हमला किया, तुम्हारी जुबान तब बंद क्यों रही हमने अपनी आवाज बुलन्द क्यों नहीं करी। हम भारत के प्रति वफादार हैं, यह तुमको सिद्ध करना पड़ेगा।" यह मेरे शब्द नहीं हैं, यह देश के पहले गृहमंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल के शब्द हैं। मान्यवर, शक की दवा हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, यह दाल में काला क्यों नजर आ रहा है ? मान्यवर, थाट्स आफ पाकिस्तान, में भारत रत्न भीम राव अम्बेडकर ने कहा था कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन का जो पहला प्रस्ताव था, वह इस पुस्तक का पहला अध्याय है। उसमें मुस्लिम लीग से कहा था कि भारत के जो मुसलमान बहुल जिले हैं, वह स्वतंत्र, पूर्ण सार्वभौमिक सत्ता के रूप में हमें दिया जाय और जहां मुसलमानों की आबादी कम है, वहां हमें अधिक अधिकार दिया जाय। सौलत अली जी ने कहा कि हम 20 करोड़ हो गये हैं, अगर [x x x] हो गये तो क्या होगा ? भारत रत्न अम्बेडकर ने जो कहा था और उनकी यह टिप्पणी यदि मानी होती तो उन्होंने कहा था कि ग्रीस और अस्ट्रिया ने छोटी-छोटी समस्या का एक समाधान ढूंढ़ा था और वह था आबादी की अदला-बदली, तो यह समस्या नहीं होती। मैं किसी सदस्य के ऊपर संदेह व्यक्त नहीं करना चाहता हूं। इसलिये हमारी सरकार यह जो बिल लायी है उस पर भी किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिये।

(श्री अधिष्ठाता ने श्री अफज़ाल अहमद का नाम पुकारा किन्तु श्री रिफाकत हुसैन चौधरी ने बोलना शुरू कर दिया)

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रिफाकत हुसैन चौधरी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

(कई सदस्यों के साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री रिफाकत हुसैन चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है तब से हम देश के लिये हमेशा वफादार रहे हैं, सबसे बड़ी आशंका इसलिये है कि इस बिल का दुरुपयोग हो रहा है, होगा। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बछरायूं में एक साल से मस्जिद का निर्माण हो रहा था वहां नमाज भी होती है, अजान भी होती है ...

श्री अधिष्ठाता–

मैंने अफजाल अहमद को बुलाया था।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

क्या इसके लिये और समय बढ़ाया जाये ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक घण्टे से सवा घण्टे भी हो गया, अब कितना समय बढ़ेगा ? अभी उत्तर भी तो आयेगा।

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

अधिष्ठाता महोदय, बहुत से सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं अनुरोध है कि आधे घण्टे का समय और बढ़ा दिया जाए जिससे बहुत से माननीय सदस्य जो बोलना चाहते हैं, अपने विचार रख सकें।

श्री अधिष्ठाता–

पहले एक घण्टे का समय दिया था, इसके बाद 15 मिनट और समय बढ़ा है। अभी ढेर सारी चर्चाएं भी शेष हैं, यदि यह सूची बढ़ती जायेगी तो कैसे होगा।

(कुछ सदस्यों द्वारा दूसरे सदस्यों को बोलने की अनुमति देने के लिये सिफारिश करने पर)

आप सभी सदस्य स्वयं सक्षम हैं, वह अपनी बात कह लेंगे सब निर्वाचित सदस्य हैं, आप सिफारिश न करें, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस चर्चा में 15 मिनट का समय और बढ़ा दें तो 2-4 माननीय सदस्य अपनी बात कह लेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी हम चाहते हैं जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा है 15 मिनट का समय और बढ़ा दें ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जैसा आप उचित समझें वह कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल के अनुरोध पर इस चर्चा का समय 15 मिनट के लिये मैं और बढ़ा देता हूं।

(सदन की सहमति से 15 मिनट का समय और बढ़ाया गया।)

* श्री अफजाल अहमद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे धर्म स्थल विधेयक पर जो चर्चा हो रही है उसमें बोलने का समय दिया। मान्यवर, धर्म स्थल विधेयक से पूरे प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुत दुखी है। हिन्दू समाज जो हमारा बड़ा भाई है और हम मुसलमान उनके छोटे भाई हैं इस विधेयक से हम सभी चिन्तित क्यों हैं ? मान्यवर, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है ? हम चाहते हैं कि हम लोगों, मुसलमानों को, आई० एस० आई० के नाम से जो सम्बोधित करते हैं उस पर हम लोगों को एतराज है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी का कत्ल किसने किया नाथू राम गोडसे ने किया था। हिन्दुस्तान में इन्दिरा गांधी का कत्ल किसने किया–श्री बलवीर सिंह, सतवंत सिंह, कहर सिंह ने किया था। हिन्दुस्तान का जंग का नक्शा 1965 में पाकिस्तान के हाथ किसने बेचा। लेफ्टीनेंट श्री डी० एम० कपूर ने बेचा था। हिन्दुस्तान की गोपनीयता किसने भंग किया–पं० कुमार नारायण शर्मा ने भंग किया था। हिन्दुस्तान का गोपनीय दस्तावेज किसने बेचा–पं० राम स्वरूप ने बेचा था। मैं पूछना चाहता हूं क्या इसमें कोई मुसलमान था ? यह गद्दारी का सर्टिफिकेट इन लोगों के हाथ में है जिन्होंने देश के साथ गद्दारी किया। इसलिये मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता है, इसका कोई इतिहास नहीं है, यदि होगा तो मैं इस सदन से त्याग-पत्र दे सकता हूं। इसलिये धर्म स्थल विधेयक को वापस लें। मान्यवर, इससे पूरे प्रदेश को सोची समझी साजिश के तहत डुबाने का कार्य किया जा रहा है और साम्प्रदायिक भावना को भड़काया जा रहा है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अफजाल अहमद जी आपका समय समाप्त हो गया, आप कृपया बैठ जायं। (व्यवधान) माननीय सदस्य आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अब्दुल कलाम (वाराणसी)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे धर्म स्थल विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो यह विधेयक लायी है इसको लाने के पीछे कारण यह है कि जब भा०ज०पा० ने देखा कि उनकी साख प्रदेश में गिर रही है तो अपनी गिरती साख को बचाने के लिये इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा तो धर्मस्थल विधेयक पारित करने का काम इन्होंने किया। धर्मस्थल विधेयक कि पीछे इनकी मंशा क्या है और यह हम लोगों को आई० एस० आई० का एजेंट कहकर क्यों पुकारते हैं इसके पीछे एक साजिश है। इस सदन के अन्दर यह कहा गया कि नैपाल के रास्ते से हिन्दुस्तान में आई० एस० आई० के एजेंन्ट आते हैं और वहां पर सीमा पर जमीन खरीद कर मस्जिद और मदरसे बनाये जा रहे हैं। नाम लिया गया नेपाल के बार्डर पर और लागू किया गया। इस विधेयक को पूरे प्रदेश में। आप किन किन चीजों पर हम पर शक करेंगे। हिन्दुस्तान के अन्दर महात्मागांधी जिनकी प्रतिमा आपकी पीठ के ऊपर लगी है उनकी हत्या करने वाला कोई मुसलमान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं था । इन्दिरा गांधी की हत्या करने वाला कोई मुसलमान नहीं था । हिन्दुस्तान के गोपनीय कागजात और खुफिया ठिकानों के नक्शे बेचने वाला कोई मुसलमान नहीं था यह लोग हिन्दू थे । आजादी की जंग में हो, खेल का मैदान हो, जंग का मैदान हो, साईंस का मैदान हो सब जगह मुसलमानों ने देश का नाम रोशन किया है । मो० शाहिद ने हाकी में स्वर्ण पदक दिलाने का काम किया और देश की इज्जत बढ़ाई । क्रिकेट के मैदान में मो० अजहरुद्दीन ने देश की इज्जत बढ़ायी । जब जंग की बात आयी तो जंग के मैदान में हिन्दुस्तान के लिये खून बहाने का काम वीर अब्दुल हमीद ने शहीद होकर किया और अब्दुल कलाम ने मिसाईल बनाकर देश का वर्चस्व दुनिया में कायम किया किन-किन बातों पर मुसलमानों पर शंका की जायगी । हिन्दुस्तान के अन्दर जो आई०एस०आई० के एजेन्ट हैं वह सरकार में बैठे हुये हैं । रिपोर्ट आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनके बारे में रिपोर्ट आई है लेकिन उस रिपोर्ट को ओपोन नहीं किया गया है । [x x x] जो गोण्डा के रहने वाले हैं, सांसद हैं उनके बारे में रिपोर्ट आयी है कि वह दाउद के इशारे पर कत्ल करवाते हैं और आई०एस०आई० के एजेंट हैं । पूरा हिन्दुस्तान इस बात को जानता है । गवर्नमेंट में हिम्मत नहीं है कि उसको गिरफ्तार कर ले । मुसलमानों की वफादारी पर शक नहीं करना चाहिये । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि धर्मस्थल विधेयक को वापस लें और हम लोगों पर किसी तरह, वफादारी पर किसी तरह की शंका न करें । हमारे मदरसे देश के खिलाफ साजिश चला रहे हैं तो आप साबित करें कि कौन से ऐसे मदरसे या मस्जिदें हैं जहा आई०एस०आई० के अड्डे हैं पनप रहे हैं । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस विधेयक को वापस लें ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें । अनिश्चित समय तक इस पर सदन का समय नहीं बढ़ाया जा सकता ।

श्री जगदम्बिका पाल–

[xxx] मैंने आपसे कई बार अनुरोध किया लेकिन आपने समय नहीं दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बीच में चलें गये थे । 5-6 सदस्यों को इधर से बुला चुका हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

हमने भी सूचना पर हस्ताक्षर किये हैं । आपने समय नहीं दिया है । [x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आप 2 मिनट में अपनी बात कह दें ।

श्री धनीराम वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, धर्मस्थल विधेयक पर चर्चा में पक्ष और विपक्ष के बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया । विस्तार में हम नहीं जाना चाहते । बहुत संक्षेप में अपने विचार रखना चाहते हैं । श्रीमन्, यह प्रकृति का नियम है और राजनीति शास्त्र के विद्वानों ने भी कहा है कि हमेशा कमजोर के लिये कानून होता है, कभी भी कानून किसी शक्तिशाली व्यक्ति के लिये नहीं हुआ है, न शक्तिशाली पर कानून लागू

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

हुआ है । इस बात की पुष्टि के लिये मैं कहना चाहता हूं कि आज जो धर्मस्थल विधेयक पास हुआ है, हम लोगों ने घोर विरोध किया लेकिन बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे पास करा लिया । लेकिन मैं प्रशंसा करना चाहूंगा महामहिम राज्यपाल महोदय का कि उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया और वहां वह कई महीनों से लम्बित है । यह निश्चित है कि उसमें जरूर कोई आपत्तिजनक अंश महामहिम राज्यपाल महोदय ने और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने देखें होंगे, उन्हें जरूर शंका हुई होगी जिससे अभी तक उसे मंजूरी नहीं दी है । यह सोचकर के कि अल्पसंख्यकों को दहशत में डालने वाला विधेयक है, उनकी आजादी पर अंकुश लगाने वाला विधेयक है । धार्मिक स्वतंत्रता संविधान में सबके लिये है चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिक्ख या ईसाई हो, सबको मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाकर पूजा करने का अधिकार है । जब संविधान में यह अधिकार दिया गया है तो श्रीमन्, संविधान विरोधी कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है क्योंकि यह फासिस्टवादी हमेशा कमजोर का शोषण करके शक्तिशाली बनने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं यहां बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना इरादा छोड़ दे जो इरादा धर्मस्थल विधेयक को लेकर पूरा करना चाहती है वह कभी सफल नहीं होगा । हिन्दू और मुसलमान एक होकर इन फासिस्टवादी और पूंजीपतियों का विरोध करेंगे और इन्हें नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे । जब चुनाव होगा तो स्पष्ट हो जायेगा । "सोरों" का जो बाई-इलेक्शन हो रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी में कूवत हो तो जीतकर दिखा दे । भारतीय जनता पार्टी का यह धर्मस्थल विधेयक और इनके काले कानून के बदौलत निश्चित तरीके से इनकी जमानत जब्त होगी, न हो जाये तो आप देख लीजियेगा । मैं आज घोषणा करता हूं कि यह सदन सारा बैठा हुआ है 27-28 को रिजल्ट आ जायेगा तब आप देख लेना । मान्यवर, ज्यादा न कहकर इतना निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जरा भी शर्म और हया है तो फिर इस विवादित धर्मस्थल विधेयक, जिसको महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने रोक रखा है, इसको वापस ले लें और इस काले कानून को मुसलमानों को दहशत में डालने के लिये इसे भविष्य में कभी न लाये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, धर्मस्थल विधेयक को ले करके बहुत लम्बी चर्चा हुई । कोई माननीय सदस्य तो ऐसे थे जो बहुत ही जोशीले भाषण दिये, वह यहां नहीं हैं । जो बिन्दु उठाये गये, मैं उन्हीं तक सीमित रहूंगा । कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता । जब बिल को इन्ट्रोड्यूस किया जा रहा था तब यह बात क्यों कहीं गई कि इसकी जरुरत इसलिये पड़ी कि आई० एस० आई० की गतिविधियां बढ़ रही हैं । ऐसी बात कही गई सरकार की तरफ से खास तौर से मेरे नाम का उल्लेख किया गया कि इन्होंने ऐसा कहा कि आई० एस० आई० के एजेंट मदरसों, मस्जिदों में पनाह पा रहे हैं । यह बात साफ हो जानी चाहिये इसको जनता में तोड़ मरोड़ कर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है । इस देश में चार लड़ाई लड़ी गई 1948, 1965 की 1971 की 1999 की चारों लड़ाइयों में हमारे पड़ोसी मुल्क ने मुह की खाई परास्त हुआ परास्त होने के बाद में एक संगठन ऐसा खड़ा कर दिया गया कि लड़ाई में हारने के बाद कैसे इस देश की अर्थ व्यवस्था को चौपट करें, कैसे यहां की सुरक्षा व्यवस्था को चौपट करें, बहुत ही सिलसिलेवार प्रयास किया जाता रहा उस संगठन के द्वारा उसके आदमी आकर कहीं बम विस्फोट करा देते, ट्रेनों को उड़ाएं, बैंकों को उड़ाएं, मेरे पास अनेकों घटनाओं का विवरण है जिसमें आई० एस० आई० के लोगों ने आकर हमारे देश की अर्थ व्यवस्था को यहां की रक्षा व्यवस्था को चौपट करने का प्रयास करने का काम किया । मैं इस बात को मानता हूं कि खासतौर से मदरसों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, पुलिस और सुरक्षा बल नहीं जाते क्योंकि यह पवित्र जगहें हैं अतः ऐसे लोग जो देश द्रोह का काम करें डाके डालें, उनको घरों में संरक्षण अगर नहीं मिलता है तो वह कोशिश करते हैं कि ऐसी पवित्र जगहो पर संरक्षण मिले । वह किसी न किसी बहाने से धर्मस्थलों में प्रवेश करके संरक्षण

प्राप्त करने का प्रयास करते हैं । यह पवित्र जगहें हैं, जिनके मन मे देश प्रेम होगा राष्ट्र प्रेम होगा, वह कभी भी वहां जाकर गलत काम करने का प्रयास नहीं करेगा । जो आई० एस० आई० एजेंट हैं जो बाहर से किसी मकसद से यहां आयेगा उसका प्रयास होगा कि इन मुकद्दस जगहों पर सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयास करें । कई वर्षों से इण्डो नैपाल बार्डर पर जिसके बारे में अनेकों बार यहां प्रश्न आए हैं उस बार्डर से आई० एस० आई० गतिविधियां बढ़ी हैं, 23 जिले इसकी चपेट में हैं ऐसी स्थिति में क्या मकसद था मैं एक कारण बता रहा हूं इस सम्बन्ध में यह देखें कि ऐसा कोई मौका नहीं मिलना चाहिए जिससे देशद्रोहियों को वहां पर जगह मिल सके । इस सम्बन्ध में यह कहना कि मैंने यह कहा था कि वहां मदरसों की संख्या बढ़ रही है इसलिए आई० एस० आई० गतिविधियां बढ़ रही हैं यह मैंने नहीं कहा । जब आई० एस० आई० की गतिविधियां वहां बढ़ रही हैं तो हमारे लिए यह लाजिमी है कि हम देखें कि ऐसी गतिविधियों को संरक्षण न मिल सके । इसलिए यह बिल लाया गया ताकि हम उसको रेगुलेट कर सकें । इन्तजाम कर सकें ।

मान्यवर, आप लोगों से कौन सबूत मांग रहा है आपकी वतनपरस्ती पर, आपके देशप्रेम पर, कौन ऊंगली उठा रहा है । इस हाउस में, मैं मुसलमान, मैं हिन्दू, मैं सिख में आपस को बांटने से काम नहीं चलेगा । राजनीतीकरण करने के लिए हम पर इल्जाम लगता है, अभी नेता प्रतिपक्ष ने कहा चुनाव आयेंगे तब देख लेंगे । जमानत जब्त हो जायेगी । देखिये इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता । इसका किसी ने ठेका नहीं ले रखा है । हमारे कार्यक्रम जनता के बीच में जायेंगे । लेकिन हम किसी भी कीमत पर प्रदेश की देश की जनता के साथ समझौता नहीं करेंगे । एक बात और कहना चाह रहा हूं अभी कौकब साहब ने कहा वे बड़े विद्वान व वरिष्ठ सदस्य हैं कहा कि पश्चिम बंगाल का उदाहरण क्यों दिया गया । वेस्ट बंगाल ऐक्ट 22 आफ 1985 इसकी धारा तीन पढ़ लें । "बाई शैल कांस्ट्रक्शन ओर कन्वर्जन ।"

श्री धनीराम वर्मा–

हम तो चाहते हैं कि तीनों राज्यों के विधेयक वापस हो जायं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैंने वेस्ट बंगाल की नहीं राजस्थान की बात की है ।

श्री हुकुम सिंह–

वेस्ट बैंगाल की बात हमारे कौकब साहब ने की आपने नहीं । इसका सेक्शन 5 पढ़ें आप । "नो परसन शैल फस्ट ओब्टेनिंग राइट विदाउट परमीशन आफ कलक्टर आफ द डिस्ट्रिक्ट आर कमिश्नर आफ पुलिस आफ केलकटा, कंस्ट्रक्ट एनी पब्लिक रिलीजियस बिल्डिंग ।" कोई व्यक्ति बिना जिलाधिकारी या पुलिस आयुक्त की अनुमति के किसी सार्वजनिक धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं करेगा । यह पश्चिम बंगाल का ऐक्ट है । इसे नकारा नहीं जा सकता । एक सबसे बड़ी कठिनाई हमारे समाज को दूषित कर रही है हम लोगों को बाटने का काम कर रही है और हमारी आंखों पर चश्मे लग जाते हैं कि हम एक ही मजहब तक अपने आप को सीमित रखकर सोचते हैं । कारण क्या है ? एक देश हमारा पड़ौसी है और एक समय वह इस देश का हिस्सा था । वह तकसीम हो गया और आधार था मजहब । मजहब के आधार पर वह तकसीम हो गया । वहां देखिये और यहां देखिये । माननीय कौकब अहमद साहेब, माननीय श्री सौलत अली जी, माननीय डा० वकार अहमद जी तथा सभी सम्मानित माननीय सदस्यगण जी, आज मजबूती के साथ हम अपनी बात यहां रखते हैं यह लोकतंत्र का एक प्रमाण है । क्या 50 साल के जीवन में किसी भी प्रदीप बालियान को, किसी वीरेन्द्र सिरोही जी को या किसी राम किशन को पाकिस्तान में एक भी शब्द बोलने का अवसर मिला क्या ?

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, पाकिस्तान का नाम लेना शर्मनाक बात है । पाकिस्तान में क्या हो रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है । मतलब है कि हमारे घर में क्या हो रहा है ? हमें अपने घर को देखना है । हमारे घर में विवाद पैदा करने की कोशिश की गई है । [xxx] कोई तथ्यपरक बात कही जाये तो उसे सुना जाये इस काले कानून को लाकर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं । इसलिये हमारा दल सदन से बहिर्गमन करता है ।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष की पीड़ा का मुझे एहसास है । पाकिस्तान का नाम लेने से उनको पीड़ा हो गई । पाकिस्तान का नाम इसलिये लिया था कि आई० एस० आई० का नाम लिया था । आई० एस० आई० का जन्म पाकिस्तान में हुआ । इस देश के होनहार नौजवानों एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, हजार नहीं, अपितु लाखों लोगों ने, चार युद्ध हुए, उनमें अपनी जान गंवाई । इस देश पर बराबर हमले किये जान रहे हैं आई० एस० आई० के माध्यम से । आज इनके पेट में दर्द हो रहा है ।.....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री केशो मेहरा–

[x x x]

(श्री राम ललित चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी का भाषण हो जाय उसके बाद आपको अनुमति दूंगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि मैं अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नीतियों की बात नहीं करता । तकलीफ है इस देश के नवजवानों के मन में । जो लोग नीतियां सिखाना चाहते हैं वे इतिहास में चले जायं पन्ने पलट लें देखें कि कश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा था । सरदार बल्लभ भाई पटेल की बात मान ली गई होती और इसे यू० एन० ओ० में न सौंप दिया गया होता । यह नीतियों की बात सिखाते हैं, जिनकी गलत नीतियों से सारे देश और राष्ट्र बर्बाद हुआ । आज इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी । इस चर्चा का समापन करते हुए आपसे आग्रह करता हूं और इन लोगों से भी अपील करता हूं कि इस हिन्दुस्तान की, इस भारतवर्ष की, इस राष्ट्र की सोचो । कम से कम गलत बयानी करके मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास मत करो । इन्हें भी प्रहरी समझो, इस देश का नागरिक समझो । केवल एक मतदाता न समझो ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं उन्हीं बातों पर जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कही हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आई० एस० आई० की गतिविधियां 23 जिलों में हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब 23 जिलों में आई० एस० आई० की गतिविधियां हैं तो पूरे प्रदेश में इस नियम

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

को क्यों लागू किया जा रहा है । दूसरी बात मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस्लामी मदरसों में आई० एस० आई० के बारे में चर्चा बड़े जोर के साथ की गई । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे मदरसे हैं जहां से आपने आई० एस० आई० के एजेन्ट पकड़े । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी बात का जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी देंगे ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

तीसरी बात आपने यह कही कि नेपाल और हिन्दुस्तान के बार्डर से आई० एस० आई० की गतिविधियां होती हैं । मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नेपाल और हिन्दुस्तान के बार्डर पर आई० एस० आई० गतिविधियां रोकने के लिये आपने अब तक कौन से उपाय किये हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

एक सवाल यह किया गया कि 23 जिलों में आई० एस० आई० की गतिविधियां पाई गई तो वहीं का कानून बनना चाहिये था, पूरे प्रदेश के लिये कानून क्यों बना, अभी तक जब भी कोई कानून बना है तो वह प्रदेश को इकाई मानकर बना है, अलग-अलग जिलों के लिये नहीं बना है 23 जिलों में जानकारी मिली है, स्पष्ट कर दूं आई० एस० आई० के कारण और भी मुख्य रूप से कारण यह भी है कि बहुत से लोगों ने धर्मस्थल को केवल व्यवस्था करने के लिये, बनाना शुरु कर दिया, धर्मस्थल बनाकर, दुकान और मकान बनाकर, आम लोगों को असुविधा देना शुरू कर दिया । पुलिस प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा था । जहां पर एक धर्मस्थल पहले से मौजूद था वहां शान्ति भंग नहीं होती थी लेकिन बहुत से लोग जिद्द में आकर दूसरा धर्म स्थल बनाकर शान्ति भंग करने का प्रयास करते । उच्च न्यायालय में गया उन्होंने रोक दिया, देश में कोई कानून ऐसा नहीं है, इसके अलावा दर्जनों कारण ऐसे हैं ।

(व्यवधान)

* श्री फरीद महफूज किदवई–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति दुनिया के बड़े विद्वानों में से हैं, जो बिल यहां सदन से पास होकर गया है, इसमें फण्डामेंटल राइट्स क्लैच कर रहे हैं दूसरे कई क्लैचेज हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी का गरिमामयी सियासी कद होने के नाते मुझे पूरा यकीन है कि वह इस बिल को वापस कर देंगे, वह बिल जब वापस सोलह आने आयेगा तो क्या इस बिल के लिये गल्ती मानते हुए दुबारा ड्राप करा दिया जायेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

दो बातें पूछी हैं एक बात यह बता दूं कि तजुर्बा यह है कि तीन प्रदेशों के लिये कानून चल रहा था वहां कोई कठिनाई नहीं है किसी वर्ग को कोई कठिनाई नहीं आई । एक प्रदेश में 35 साल से दूसरे प्रदेशों में 10-10 साल से चल रहा था, वहां मौलिक अधिकार में कोई कठिनाई नहीं आई । आपने कहा मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है । तीनों राज्यों में कानून लागू है वहां चल रहा है आम जनता ने कभी आक्रोश व्यक्त नहीं किया कि मौलिक हनन हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में हनन का प्रश्न नहीं है दूसरा सवाल जो इन्होंने किया है वह काल्पनिक है । राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, हम तो आश्वस्त हैं कि यह वहां से पास होकर आएगा ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री समरपाल सिंह–

मुझे नहीं बोलने देंगे क्या ?

श्री अधिष्ठाता–

स्थान ग्रहण करें । पाल जी आप स्पष्टीकरण पूछ लें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मुझे इस चर्चा में भाग लेना चाहिये था मेरे हस्ताक्षर थे, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, इसलिये मैं स्पष्टीकरण नहीं पूछूंगा ।

(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह–

मुझे अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं मैंने क्या खता की है ? मान्यवर, मैंने क्या खता की है यह बता दें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह मेरे विवेक पर है ।

*श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, हमारे भी अधिकार है । आप उनका संरक्षण करें । मैं, आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा कि प्रदेश के अन्दर आई० एस० आई० की गतिविधियां बढ़ रही हैं उसको रोकने के लिये एक कदम आपने उठाया और यह धर्म स्थल विधेयक लाये और उसे पारित करके भेज दिया है । मान्यवर, अगर आई० एस० आई० की गतिविधियां बढ़ रही हैं तो यह सरकार की असफलता है । तमाम दूसरे उपाय है, सी० आई० डी०, एल० आई० यू० या पुलिस बल को मजबूत करना चाहिये । [x x x]

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करिये । मैंने आपसे स्पष्टीकरण पूछने को कहा था लेकिन आप तो भाषण करने लगे । यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म स्थल का सम्मान करने का अधिकार है । ये मौलिक अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं । इन्होंने कहा कि आई० एस० आई० की गतिविधियां बढ़ रही हैं इसलिये यह विधेयक लाये हैं । यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी हैं और उनके हितों की रक्षा नहीं कर रही है इसलिये हम इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री समरपाल सिंह अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो धर्म स्थल विधेयक का स्वरूप है उसमें मजिस्ट्रेट की अनुमति के बगैर पुलिस को अधिकार नहीं है। किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट का प्रोविजन शामिल नहीं किया। अगर अपील मा० उच्च न्यायालय में हो सकती है तो उसको क्यों समाप्त किया ? दूसरा आपने कहा कि आई० एस० आई० की 23 जिलों में इनकी गतिविधियां सक्रिय है। तो क्या कानून व्यवस्था भंग होने के कारण, नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कि कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाये, यह त्याग-पत्र देने की घोषणा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस प्रदेश में लगभग 13 वर्षों से कुछ संगठन ऐसे हैं जो प्रदेश और देश के हितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आई० एस० आई० भी ऐसा ही संगठन है। 13 वर्षों में जो सरकारें रही हैं उन्होंने प्रदेश की बहबूदी के लिये बात नहीं की। यह पहली सरकार है जिसने नियंत्रण करने का काम किया है। इसके लिये तो इन्हें बधाई देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं इस चर्चा को समाप्त कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शिव सिंह चक जी आपका नाम पुकारा गया था उस वक्त आपने आवाज नहीं दी थी। कृपया चर्चा आरम्भ करें।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं किसी को चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, यह मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं कर रही है इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप लोग बैठें मैंने अगली मद बुला ली है। इस पर चर्चा समाप्त हो गयी।

प्रदेश में शीत गृह मालिकों द्वारा आलू उत्पादक किसानों से आलू भण्डारण प्रभार लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री शिव सिंह चक–

मान्यवर, आलू उत्पादक किसानों की समस्या के बारे में अपने विचार रखना चाहते हैं।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, चर्चा जारी रखें ।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी रहेगी ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन पर नियम 216(4) के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री केशो मेहरा—

मान्यवर, जो यह सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का विशेष प्रतिवेदन है ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, चर्चा जारी रखें ।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी रहेगी ।

प्रदेश में नकली दवाओं के तेजी से पनपते व्यापार/उद्योग से जनजीवन पर हो रहे हानिकारक प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री राम कुमार एडवोकेट—

मान्यवर, प्रदेश में नकली दवाओं के तेजी से पनपते व्यापार .....

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इस पर चर्चा जारी रखें ।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी रहेगी ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 16-5-2000 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुयीं ।

पहली सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र की (नियम 56 में प्राप्त) प्रदेश में पंचायतों के चुनाव में नामांकन के समय कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से धन की वसूली किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । दूसरी सूचना श्री गोपाल कृष्ण की (नियम 56 में प्राप्त) जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत आवासित विस्थापित बंगालियों को आरक्षण के तहत प्रदत्त सुविधाओं का लाभ दिलाये जाने के संबंध में हैं, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । तीसरी सूचना (नियम 56 में प्राप्त) श्री राम अचल राजभर व श्री लालमणि प्रसाद की जनपद अम्बेदकर नगर के थाना मालीपुर परिसर स्थित मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । चौथी सूचना श्रीमती गौरी देवी की (नियम 56 में प्राप्त) संजय पेपर मिल खलीलाबाद के प्रदूषित उत्प्रवाह से गोरखपुर में आमी नदी का जल प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । पांचवीं सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की वाराणसी नगर के विशेष महत्व को देखते हुए विद्युत कटौती से मुक्त करने के संबंध में है । ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । छठी सूचना श्री पूर्णमासी पंकज की जनपद

संत रविदास नगर (भदोही) के चकटोडर में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शीघ्र स्थापित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । सातवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा में सिंचाई विभाग द्वारा की जा रही मनमानी तथा भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । आठवीं सूचना डा० वकार अहमद शाह की जनपद बहराइच के बहराइच विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत केसवापुर पजावा तथा बहराइच भिन्गा मार्ग पर ग्राम नेवरिया तक के मार्ग को पिच स्तर तक बनवाये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । नवीं सूचना श्री सौलत अली एडवोकेट की रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) में अतिक्रमण हटाने के बहाने जिला प्रशासन की पक्षपातपूर्ण कार्यवाही से उत्पन्न आक्रोश के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है दसवीं सूचना श्री रूप चौधरी की जनपद गाजियाबाद के खेकड़ा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पेयजल की कमीं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । ग्यारहवीं सूचना श्री शिशुपाल सिंह यादव की एटा शहर में सीवर लाइन बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । बारहवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जौनपुर गौरा बादशाहपुर, मुफ्तीगंज केराकत, थाना गद्दी होते हुए वाराणसी तक परिवहन विभाग द्वारा बसें चलाये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । तेरहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया की जनपद गाजियाबाद में आई० एस० आई० की बढ़ती गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हैं, चौदहवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विद्युत/यांत्रिक संवर्ग के फालतू खण्डों, घोषित खण्डों के विस्थापित अभियन्ताओं को आरक्षण प्राविधानों के अधीन समायोजित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है, पन्द्रहवीं सूचना श्री रामाधार सिंह की जनपद हमीरपुर के राठ क्षेत्रान्तर्गत राठ–रजबाहा में जल रिसाव से किसानों की फसल को हो रही क्षति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । सोलहवीं सूचना श्री रामवीर सिंह की जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड एका अन्तर्गत ग्राम मदाना को अनुसूचित जाति के परिवारों के आवासहीन होने के बावजूद संतृप्त ग्राम घोषित किये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । सत्रहवीं सूचना श्री ओंकार सिंह यादव की जनपद बदायूं के सहसवान क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी की बाढ़ से कटी कतिपय ग्रामों के प्रभावित परिवारों को सहायता व मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । अट्ठारहवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की जनपद मैनपुरी अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की पुरानी तथा गिट्टी स्तर तक की सड़कों का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । उन्नीसवीं सूचना श्री श्रीराम पाल की जनपद जालौन में पशु रोगों की रोकथाम व उपचार हेतु दवायें तथा वैक्सीन उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है । बीसवीं सूचना श्री भोला शंकर मौर्य की जनपद बदायूं के थाना उघौती अन्तर्गत ग्राम रघुनाथपुर पिपरी में पड़ी डकैती के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :–

पहली सूचना श्री हरपाल सिंह की, दूसरी सूचना श्री संजय गर्ग की, तीसरी सूचना श्री अरविन्द गिरि की, चौथी सूचना श्री सतीश जतारिया, पांचवीं सूचना श्री राम जग की, छठी सूचना श्री विश्वनाथ की, सातवीं सूचना श्री लालमणि प्रसाद की, आठवीं सूचना श्री तेजभान सिंह की, नवीं सूचना श्री बाबू लाल की, दसवीं सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र की, ग्यारहवीं सूचना श्री काशी राम की, बारहवीं सूचना श्री विजय पाल सिंह की, तेरहवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की, चौदहवीं सूचना श्री आचार्य रामदेव वैश्य की, पन्द्रहवीं सूचना श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की और सोलहवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की है ।

जनपद एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मा० विधायकों के सुरक्षा कर्मियों के असलहे बदले जाने से उनको खतरा होने की आशंका से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना

श्री शिशुपाल सिंह यादव–

मान्यवर, मैं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूं। हमारे यहां के एस०एस०पी० शीतला प्रसाद मिश्र हैं और ये बुरी तरह से हमें त्रस्त किये हुए हैं और आये दिन कोई न कोई झूठी रिपोर्ट करा देते हैं और यहां तक कि हमारी जानकारी में आया है कि हमारी हिस्ट्रीशीट बिना किसी कारण के खुलवाना चाहते हैं। एस०एस०पी० एटा ने एक सूचना जारी की है और वह प्रत्येक थाने में भिजवाया है, क्षेत्राधिकारी को भिजवाया है और उसमें लिखा है कि एटा के दो विधायक रामेश्वर सिंह यादव और शिशुपाल सिंह यादव यह एटा के अन्दर टुंडला जैसा कांड कराना चाहते हैं और इस आरोप को सभी थानो में लिखित रूप से भेजा गया है और इस तरह से बुरी तरह से, हम लोगों की छवि को बिगाड़ा जा रहा है मान्यवर, इसकी कापी मेरे पास है जिसका हवाला दिया है। मान्यवर, इसे प्रत्येक थाने में दिया है केवल इसलिये कि हमें बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाय। हमारे गनर के पास जो कारबाइन थी उसको बदलकर बिल्कुल रद्दी टाइप का असलहा दे दिया गया है जिससे सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। 9 तारीख के बाद के पेपर अमर उजाला, दैनिक जागरण सभी में पूरी तरह से निकला है जिससे हमारी छवि खराब हो रही है। मेरी मांग है कि इस तरह के एस०एस०पी० को हटाकर तत्काल उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

* श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, हमारे राजनीतिक जीवन में यह पहली घटना है जब एस० एस० पी० किसी मौजूदा विधायक के खिलाफ एक विज्ञप्ति जारी करे और जो अखबारों में छपे और इस तरह की विज्ञप्ति जिसका कोई आधार नहीं है, विज्ञप्ति को देखकर आपको खुद हैरत होगी कि इस तरह की विज्ञप्ति किसी एस० एस० पी० ने आपके राजनीतिक जीवन काल में कभी न निकाली होगी इसमें ऊपर लिखा है कि ज्ञात हुआ है कि शिशुपाल सिंह विधायक, एटा तथा श्री राम सिंह यादव, विधायक (अलीगंज) एटा ने कहा है कि यदि एटा जनपद के एस०एस०पी० और डी० एम० नहीं हटेंगे तो टूण्डला जैसा काण्ड कर देंगे। मान्यवर, इस तरह की विज्ञप्ति अखबारों में जाय, लिखित रूप में थानों में जाये तो यह लोकतंत्र के लिये बहुत बड़ा कलंक है। मेरे याददाश्त में ऐसी बात कभी सुनी नहीं गई, जब नौकरशाही का इतना शिकन्जा हो। हम विपक्ष में हैं, यह सही है। उधर बैठने वाले माननीय सदस्य सरकार में हैं। हम विपक्ष में हैं तो इसका यह मतलब नहीं है, हमारी सारी इज्जत, सारी मर्यादायें, सारे अधिकार, सारे के सारे समाप्त हो गये। मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस तरह की टिप्पणी एस० एस० पी० करे और उसके तत्काल बाद उसकी कोई जांच, या पूछताछ न हो तो मैं इसे लोकतंत्र का दुर्भाग्य ही समझूंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, संसदीय इतिहास में इस तरह की कभी टिप्पणी सुनी नहीं गई कि एस० एस० पी० इस तरह से अखबार में एक विधायक के खिलाफ दे। जबकि इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। हम टूंडला जैसा कार्य कर देंगे, यह कोई आरोप नहीं है। क्या विधायक डकैती करेगा ? माननीय सदस्य जो विधान सभा में चुनकर आते हैं, इस तरह का कार्य करेंगे ? माननीय संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में जब यह बात लाई गई थी, तो उन्हें पूछना चाहिये था, जानकारी करनी चाहिये थी। मेरा आरोप है कि सरकार की शह पर हम लोगों को प्रताड़ित करने के लिये कार्यवाही हो रही है, सरकार अपने अधिकारियों को प्रोत्साहित कर रही है, यह बहुत ही खतरनाक और भयानक है। मैं कहना चाहता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि इसमें सरकार की मंशा कुछ भी हो, लेकिन ऐसे अधिकारी, जिसके खिलाफ डी० आई० जी० ने रिपोर्ट भेजी, आई० जी० ने भेजी कि यह एस० एस० पी० भ्रष्ट है, बेईमान है, यह अब देखना सरकार का काम है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है । हम लोगों पर जो हमला हो रहा है, उसके सम्बन्ध में हम सरकार की मंशा जानना चाहते हैं । सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे । यह जो विज्ञप्ति जारी की गई है, उसकी मंशा क्या है, वह इनकी इच्छा से है, इनकी अनुशंसा से है या एस० एस० पी० इतना निरकुंश हो गया है कि वह अपने मन से यह सब कर रहा है । इस सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री का मन्तव्य जानना चाहता हूं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने एवं उनके खड़े न होने पर या मद संख्या 38 पुकारे जाने पर)

श्री बाबूराम यादव–

हम अपना अनुरोध आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि एस० एस० पी० जो विज्ञप्ति जारी कर रहा है, उसमें सरकार की मंशा क्या है, यह सरकार की इच्छा से है, अनुशंसा से है, आज्ञा से कर रहा है, या इतना निरंकुश हो गया है कि अपने आप कर रहा है ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मैंने कुछ न कहने की बात इसलिये रखी थी कि नियम–51 के साथ माननीय सदस्य अपनी समस्या रखते हैं, इसमें उनको केवल कहने का अवसर दिया जाता है, उसके तहत मैंने ऐसा कहा था । बाबूराम जी ने जो कहा था, मैं भी यहां मौजूद हूं, सदन के संज्ञान में बात आ गई है और इसका संज्ञान भी लिया गया है, परन्तु तुरन्त प्रतिक्रिया व्यक्त करूं, यह जरूरी नहीं है उसका संज्ञान लिया गया है, उसको देखा जायेगा जो बात होगी ।

मेरठ महानगर की तक्षशिला कालोनी में तीन व्यक्तियों की नृशंस हत्या तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[माननीय सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई थी कि दिनांक 28/29-4-2000 की रात्रि में मेरठ नगर के थाना मेडिकल क्षेत्रान्तर्गत स्थित तक्षशिला कालोनी में डा० अग्रवाल, उनके पुत्र जो मेडिकल कालेज में चतुर्थ वर्ष का छात्र था, तथा एक चौकीदार की हत्या कर दी गयी ।

वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि दिनांक 29-4-2000 को सूर्योदय से पूर्व 4 अज्ञात बदमाशों ने, जो कच्छा-बनियान पहने हुए और हाथ में लाठी, डन्डे, सरिया आदि लिये हुए थे, बी–36, तक्षशिला कालोनी में डा० ओम बाबू अग्रवाल के घर में घुसकर डा० ओम बाबू, उनके पुत्र श्री अनुपम अग्रवाल, जो मेडिकल कालेज का छात्र था, व पुत्रवधू श्रीमती रीना अग्रवाल पत्नी श्री संदीप अग्रवाल को मार पीटकर घायल कर दिया व लूटपाट की । गम्भीर चोटों के फलस्वरूप डा० ओम बाबू अग्रवाल व उनके पुत्र अनुपम अग्रवाल की मृत्यु हो गई । घटना घटित करने से पूर्व बदमाशों ने कालोनी के चौकीदार राम बहादुर की भी हत्या कर दी थी ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

घटना के सम्बन्ध में श्रीमती रीना अग्रवाल की सूचना पर थाना मेडिकल पर मु०अ०सं० 121/2000 धारा 394/302 भा०द०वि०, बनाम अज्ञात चार बदमाश पंजीकृत किया । वादिनी के स्वस्थ्य होने पर अभियोग धारा 396 में तरमीम किया गया । घटना स्थल का निरीक्षण पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ द्वारा किया गया एवं थानाध्यक्ष मेडिकल को अभियोग की विवेचना सौंपी गई । घटना स्थल के निरीक्षण से स्पष्ट हुआ है कि विगत वर्षों में इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं, उनमें डण्डे-सरिया का प्रयोग करते हुए सिर में चोट पहुंचा कर गम्भीर रूप से घायल किया गया व हत्या की गई ।

इसी आधार पर जनपद मुजफ्फरनगर, बिजनौर, गाजियाबाद, उधमसिंहनगर, मुरादाबाद, गौतमबुद्धनगर, आगरा, ज्योतिबाफुले नगर में पुलिस पार्टियां भेजकर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई । घटना के अनावरण हेतु एक टीम भी गठित की गई जो पुलिस अधीक्षक (नगर), मेरठ के पर्यवेक्षण में कार्य कर रही है । अभी तक कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो पाया है । विवेचना प्रचलित है ।

प्रदेश स्तर पर दिनांक 6-5-2000 को की गई कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मेरठ व मुरादाबाद के मण्डलायुक्तों तथा पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ को अपराध नियंत्रण हेतु ठोस कार्यवाही सुनिश्चित कराने के लिए कड़े निर्देश दिये गये हैं ।]

प्रदेश में हजारों की संख्या में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन नियुक्त उर्दू सहायक अध्यापकों की अन्य सामान्य अध्यापकों की तरह प्रोन्नति न होने के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य विधान सभा, श्री राम औतार शाक्य, द्वारा विधान सभा में नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 8 मई, 2000 के अनुसार प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन हजारों की संख्या में कार्यरत उर्दू सहायक, अध्यापकों की प्रोन्नतियां नहीं हो रही हैं, जबकि अन्य सामान्य अध्यापकों की प्रोन्नतियां वरिष्ठता क्रम से की जा रही हैं । यह विसंगति का प्रकरण है इससे पूरे प्रदेश में उर्दू सहायक अध्यापकों में रोष/क्षोभ व्याप्त है ।

2–इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत उर्दू अध्यापक भी अन्य सहायक अध्यापकों की भांति समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 से प्रशासित होते हैं । उक्त संवर्ग में अध्यापकों की वरिष्ठता के अवधारण के लिए नियम-22 में निम्नांकित प्रविधान है :–

"22–ज्येष्ठता–(1) इसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रूप में उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी :

परन्तु दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्ति किए जायं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम-17 या नियम-18 में निर्दिष्ट सूची में आये हो ।

टिप्पणी–(1) सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह विधिमान्य कारणों से बिना कार्यभार ग्रहण करने में

विफल रहे । किसी विशिष्ट मामले में कारण विद्यमान है या नहीं इसके सम्बन्ध में विनिश्चय नियुक्त प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

(2) किसी अध्यापक की, जिसे नियम 21 के उपबन्धों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम, स्थानान्तरण का आदेश जारी किए जाने के दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानान्तरण किया गया है, सम्बन्धित तत्स्थानी वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रख दिया जायेगा । ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा ।''

3–उपर्युक्त सेवा नियमावली के नियम सभी अध्यापकों पर समान रूप से प्रभावी हैं । सेवा संवर्ग में पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया के अन्तर्गत पदोन्नति के लिए मानदण्ड, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता अवधारित है । इन्हीं नियमों का अनुशीलन करते हुए प्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों की प्रोन्नतियां वरिष्ठता के आधार पर की जा रही हैं । अतः इसमें कोई भी विसंगति नहीं है ।]

प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को 10 से 20 वर्ष तक की निरन्तर सेवा के उपरान्त स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम बिशुन आजाद, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[प्रदेश के राजकीय शिक्षकों का स्थायीकरण सतत् चलने वाली प्रक्रिया है, जो ज्येष्ठता के आधार पर, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए की जाती है । शासन ने स्थायीकरण हेतु कोई निर्धारित सेवा अवधि नियत नहीं की है कि 18 या 20 वर्ष होने पर पदधारकों को स्थायी कर दिया जाय ।

सामान्य रूप से पदों का स्थायीकरण, कार्य की प्रकृति एवं निरन्तरता को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है । जो पद जिस संवर्ग में स्थायी होते हैं उन्हीं पदों के प्रति अथवा पदधारकों के सेवानिवृत्त होने से रिक्त पदों के प्रति पात्र शिक्षकों के स्थायीकरण की कार्यवाही की जाती है । शासन द्वारा पूर्व में ही यह प्राविधान किया गया है कि तीन वर्ष से निरन्तर चल रहे अस्थायी पदों को परिस्थितियों के अनुसार स्थायी करने की कार्यवाही की जाये । समय-समय पर उक्त अस्थायी पदों के सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की संस्तुति प्राप्त होने पर शासन अस्थायी पदों को शासन द्वारा समय-समय पर स्थायी किया जाता है । अस्थायी पदों को सर्वप्रथम स्थायी किया जाता है और तदुपरान्त उक्त स्थायी पदों के समक्ष पात्र अभ्यर्थियों को स्थायी किया जाता है । सम्प्रति प्रवक्ता वेतनमान के शिक्षकों की सन्तोषजनक निरन्तर सेवा के दृष्टिगत 347 प्रवक्ताओं को स्थायी किया जा चुका है तथा 221 प्रवक्ताओं की परिवीक्षाकाल की अवधि समाप्त होने पर उनके स्थायीकरण की कार्यवाही पूर्ण की जा रही है ।

एल० टी० वेतनमान व अन्य वेतनमान के राजकीय शिक्षकों के नियुक्त प्राधिकारी, मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक होते हैं, जो इन शिक्षकों की स्थायी पद की उपलब्धता होने पर पात्र शिक्षकों को स्थायी करने की कार्यवाही अपने स्तर से पूर्ण करते हैं । इन कार्यवाहियों को समय-समय पर पूर्ण कराने हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा इन अधिकारियों को निरन्तर निर्देश प्रसारित किये जाते हैं ।

इस सम्बन्ध में एक तथ्य यह भी उल्लेखनीय है कि स्थायीकरण न होने से पदधारकों को प्रोन्नति/चयन वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान तथा पेंशनरी लाभ पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है । क्योंकि

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अस्थायी कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों की भांति उपरोक्त समस्त लाभ दिये जा रहे हैं । अतः अस्थायी राजकीय शिक्षकों की कार्यकुशलता पर कुप्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।]

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों के सापेक्ष लागू अतिथि प्रवक्ता व्यवस्था विरोधी विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री बनारसी दास चांदना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह) –

[प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रवक्ता के रिक्त पदों के सापेक्ष आमंत्रित अतिथि प्रवक्ताओं द्वारा स्थायी समायोजन की मांग से खिन्न होकर सेवानिवृत्त/सक्रिय सेवा के लोगों व 25 वर्ष के लम्बे अनुभवधारी चिकित्सकों को आमंत्रित कर इन्हें पेंशन वेतन के साथ मानदेय दिया जाना विधि विपरीत एवं वित्तीय अनियमितता बताते हुए पूर्व से आमंत्रित अतिथि प्रवक्ताओं को स्थायी रूप से समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में मा० सदस्य की मांग के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में छात्र/छात्राओं को समुचित शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु, महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग, उ०प्र० इलाहाबाद से चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्त होने तक, कालेजों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों के सापेक्ष अतिथि प्रवक्ताओं के आमंत्रण की व्यवस्था को और अधिक कारगर बनाये जाने हेतु शासनादेश संख्या-447-सेक-4/इकहत्तर/2000-6/98 दिनांक 20 अप्रैल, 2000 द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों के उपलब्ध न होने पर ख्यातिलब्ध चिकित्सकों जिनकी प्रैक्टिस 25 वर्षों से अधिक की हो व आमंत्रित किये जाने वाले विषय में उनकी विशिष्ट जानकारी हो, को भी सम्मिलित करते हुए अतिथि प्रवक्ताओं के आमंत्रण हेतु पैनल गठित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है । ऐसे आमंत्रित प्रवक्ताओं को रूपये 150 प्रति व्याख्यान की दर से एक माह में अधिकतम 20 व्याख्यान देने की व्यवस्था है ।

यह एक वैकल्पिक एवं नितान्त काम चलाऊ व्यवस्था है । राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वीकृत नियमित प्रवक्ता को पद लोक सेवा आयोग, उ०प्र० के परिधिगत है । उक्त पद से जुड़े समस्त हित एवं अधिकार लोक सेवा आयोग से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों हेतु सुरक्षित है । होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर चयन हेतु शासनादेश संख्या-3771-सेक-4/इकहत्तर/98-60/91 दिनांक 20-11-98 द्वारा लोक सेवा आयोग, उ०प्र० इलाहाबाद को अधियाचन भेजा जा चुका है । अतएव शासनादेश दिनांक 20-4-2000 को वापस/निरस्त किये जाने तथा पूर्व में आमंत्रित अतिथि प्रवक्ताओं के स्थायी समायोजन की मांग संगत नहीं है ।]

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी बालिका विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षिकाओं के पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु तथा उसी विद्यालय की असहायता प्राप्त की अवधि की अर्हकारी सेवा में जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री गोमती यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद सं०-42 के स्थगन का अनुरोध है इसलिए इसको स्थगित करता हूं ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कानपुर नगर में श्री रत्न शुक्ल नगर निगम इण्टर कालेज में बिना कला प्रवक्ता का पद सृजित किये कला प्रवक्ता को स्थानान्तरित कर उक्त इण्टर कालेज में नियुक्त करने के सम्बन्ध में श्री राम कुमार एडवोकेट, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[नगर निगम, कानपुर द्वारा संचालित श्री रत्न शुक्ल इण्टर कालेज, जूही को वर्ष 1954 से कक्षा 11 एवं 12 में चित्रकला विषय की शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसके फलस्वरूप विद्यालय में कक्षा 11 एवं 12 के छात्रों को कला विषय पढ़ाया जा रहा है । नगर निगम, कानपुर द्वारा बालिकाओं के चार एवं बालकों के तीन इण्टर कालेज संचालित किये जा रहे हैं । प्रशासनिक व्यवस्था के अधीन जनहित में अध्यापकों को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है । स्थानान्तरण नीति में व्यक्ति के साथ पद स्थानान्तरण का भी निर्णय जनहित में मा० नगर प्रमुख द्वारा लिया गया है । इसी क्रम में श्री रत्न शुक्ल इण्टर कालेज, जूही में कला विषय में अध्ययनरत छात्रों के हित को देखते हुए श्री अशोक कुमार अग्निहोत्री, प्रवक्ता (कला) डी०पी०एस० इण्टर कालेज, नवाबगंज को पद सहित श्री रत्न शुक्ल इण्टर कालेज, जूही में स्थानान्तरित किया गया । किन्तु उक्त स्थानान्तरण मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम कानपुर के आदेश दिनांक 12-05-2000 द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है ।]

जनपद आजमगढ़ में गोपालपुर क्षेत्रान्तर्गत महारागंज में छोटी सरयू नदी पर जर्जर टूटे हुए पुल का पुनः निर्माण एवं भैरों बाबा मन्दिर सरयू नदी महराजगंज में पर्यटन केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में श्री वसीम अहमद, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

उक्त सूचना में इंगित पुल महराजगंज–शंकरपुर मार्ग के कि०मी०–1 में स्थित है । वर्तमान में यह लकड़ी का पाइल सेतु है जिसको मरम्मत करके इस पर हल्का यातायात गुजारा जा रहा है । गन्ने के ट्रक इत्यादि जो शंकरपुर की ओर से आते हैं, वे भैरो स्थान पर देवारा कदीम महराजगंज मार्ग पर स्थित छोटी सरयू नदी के पक्के पुल से होते हुए अकबरपुर व आजमगढ़ की ओर जाते हैं । दिनांक 22-10-98 को इस स्थल पर लोक निर्माण मंत्री द्वारा पक्का पुल निर्माण हेतु शिलान्यास किया गया । पुल निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 2-3-2000 द्वारा रू० 117.06 लाख की लागत पर प्रदान कर दी गयी है एवं वर्ष 1999-2000 में रू० 23.41 लाख की धनराशि अवमुक्त भी की जा चुकी है । सेतु निगम, मार्ग निर्माण इकाई, आजमगढ़ द्वारा कार्य स्थल पर मशीनें पहुंचाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा पुल निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है ।

पर्यटन विभाग द्वारा जनपद आजमगढ़ में विकास खण्ड महराजगंज में भैरोंजी देव स्थल पर पर्यटन अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से पर्यटन विकास के अन्तर्गत यात्री छादक, आर०सी०सी० बेंच का निर्माण तथा दो नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प की स्थापना की जा चुकी है और दस सीटों के सुलभ शौचालय काम्पलेक्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे 30 जून, 2000 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने विषयक दिनांक 26 अप्रैल, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में श्री अम्बिका चौधरी आदि द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, इस पर चर्चा जारी रखी जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

मद सं०-45 पर चर्चा जारी रहेगी ।

लखनऊ, आगरा तथा कानपुर में वायु प्रदूषण को रोकने हेतु उपाय किये जाने विषयक दिनांक 24 अप्रैल, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 नत्थी (घ) के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य आदि द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता–

मद सं०–46 पर चर्चा जारी रहेगी ।

प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की फीस बढ़ाये जाने विषयक दिनांक 25 अप्रैल, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी आदि द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद सं०–47 को माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है ।

गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने हेतु गांवो में ही रोजगार उपलब्ध कराये जाने विषयक दिनांक 27 अप्रैल, 2000 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 नत्थी (क) के सम्बन्ध में श्री जगदम्बिका पाल आदि द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी रहेगी ।

पूर्वांचल विकास निधि से धन आवंटित किये जाने के मानक तथा प्रत्येक जनपद को उक्त निधि से समान धनराशि दिये जाने विषयक दिनांक 28 अप्रैल, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं०–2 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में श्री जगदम्बिका पाल आदि द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर चर्चा

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं समझता हूं कि आपने सभी पर चर्चा जारी करा दी है, यह महत्वपूर्ण है, मद सं०–49 पर चर्चा करवा दीजिए ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इसमें बहुत से लोग हैं नहीं, इसलिए इस पर चर्चा जारी रखी जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

मद सं०– 49 पर चर्चा जारी रहेगी ।

अब हम उठते हैं दिनांक 17-5-2000 को 10.00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 23 मिनट पर अगले दिन के 10 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ:

दिनांक 16 मई, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं०–4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 11 पर)

संख्या–1/3/96–का–4–1999

प्रेषक,

डा० योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊ, दिनांक 8 अप्रैल, 1999

विषय :–सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति

महोदय,

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी स्थानान्तरण नीति विषयक समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए, शासन द्वारा वर्ष 1999-2000 के लिए निम्नवत् स्थानान्तरण नीति निर्धारित की जाती है :–

1–केवल प्रशासनिक दृष्टि से अथवा शिकायत प्राप्त होने पर, जब स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक समझा जाय, तभी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण पर विचार किया जाय ।

2–उपर्युक्त प्रशासनिक कारणों के अतिरिक्त केवल प्रोन्नति, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में ही स्थानान्तरण किए जायं ।

3–यदि दो सरकारी सेवक स्वयं के व्यय पर, पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए सहमत हों, और उस पर प्रशासनिक आपत्ति न हो, तो उक्त स्थानान्तरण कर दिये जायं ।

4–उपर्युक्तानुसार स्थानान्तरण करते समय अधिकारियों/कर्मचारियों के व्यक्तिगत कारण, जैसे–चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर विचार करते हुए, उनका स्थानान्तरण/समायोजन कर दिया जाय ।

5–आय-व्ययक में स्थानान्तरण यात्रा व्यय मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण किए जायं, किन्तु यदि अपरिहार्य कारणों से प्राविधानित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होती है, तो विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त वित्त विभाग की सहमति से पुनर्विनियोजन कराकर आय-व्ययक में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान कराया जाय ।

विधान सभा

6–समूह "ख" तक के कार्मिकों के स्थानान्तरण सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे ।

7–शासन तथा विभागाध्यक्ष स्तर के कार्मिकों के स्थानान्तरण दिनांक 15 मई, तक, मण्डल स्तर के कार्मिकों के स्थानान्तरण दिनांक 31 मई, 1999 तक एवं जिला स्तर के कार्मिकों के स्थानान्तरण 15 जून, 1999 तक पूर्ण कर लिए जायं ।

जिन विभागों में कार्यहित में इस समय-सारिणी से विचलन आवश्यक हो, तो सम्बन्धित विभाग मा० मुख्य मंत्री जी का समय से अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे ।

प्रश्नगत अवधि समाप्त होने के उपरान्त शासन स्तर से किए जाने वाले सामान्य स्थानान्तरणों में मा० मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन, समूह "ख" के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन तथा समूह "ग" एवं "घ" के कार्मिकों के स्थानान्तरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय ।

8–जनहित में मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक को स्थानान्तरित किए जाने के आदेश दिये जा सकेंगे ।

9–अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्त :–

(1) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाय ।

(2) यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों, तो उन्हें यथासम्भव एक ही जनपद/नगर/स्थान पर तैनात किया जाय ।

(3) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी डाक्टर के चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर, विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाय, जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो ।

(4) कोई प्रतिकूल तथ्य न होने पर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह "ग" के कार्मिकों को उनके गृह जनपद में तैनात किया जा सकता है ।

(5) समूह "क" एवं "ख" के अधिकारियों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए समीपवर्ती जनपद में तैनात किया जा सकता है ।

(6) पदोन्नति के कारण स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के कार्यभार ग्रहण न करने पर उससे पदोन्नति को "फोरगो" करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से प्रार्थना-पत्र देकर तदनुसार उसके सेवा अभिलेखों में उल्लेख कर दिया जाय ।

10–स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना :–

(1) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों के कार्यमुक्त करने की तिथि तथा यह निर्देश अंकित किए जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किए जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना कार्यभार ग्रहण कर लें, और सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें । स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी, और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए, सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी ।

(2) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाय ।

(3) स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न किया जाय ।

(4) उत्तराखण्ड एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाय, जब तक की उनके प्रतिस्थानी कार्यभार ग्रहण न कर लें । यह प्रतिबन्ध आई०ए०एस०, आई०पी०एस०, पी०सी०एस० एवं पी०पी० एस० अधिकारियों पर लागू नहीं होगा ।

11–सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण :–

सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पद धारित करने की तिथि से दो वर्ष तक न किए जायं । यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो, तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी से एक स्तर, ऊपर के अधिकारी का पुर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय । जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जाय ।

12–स्थानान्तरण रोकने के लिये प्रत्यावेदन एवं सिफारिश :–

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय । यदि कोई सरकारी सेवक, ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम–27 का उल्लंघन मानते हुए, उसके विरुद्ध सी०सी०ए० के नियम–49 (ए)/पनिशमेंट एण्ड अपील रूल्स फार सबार्डिनेट सर्विसेज के नियम–1(ए) के तहत अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जाय । निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर उस अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया जाय तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जाय ।

13–पर्वतीय संवर्ग के कार्मिकों के सम्बन्ध में नीति :–

जो कार्मिक पर्वतीय संवर्ग के हैं, उन्हें पर्वतीय क्षेत्र में ही नियुक्त किया जाय । सम्प्रति पर्वतीय संवर्ग के जो कार्मिक मैदानी क्षेत्र में नियुक्त हैं उन्हें सम्बन्धित विभागों द्वारा अविलम्ब पर्वतीय क्षेत्र में तैनात कर दिया जाय ।

14—चार्ज नोट :–

नवीन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित समूह "क" एवं "ख" के अधिकारी को कार्य की जानकारी होने में किंचित समय लगना स्वाभाविक है, अतः स्थानान्तरित अधिकारी को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं आदि के सम्बन्ध में एक चार्ज नोट बना दें, ताकि नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा हो ।

15–यह स्थानान्तरण नीति, जब तक शासन द्वारा विखण्डित न कर दी जाय, यथावत् लागू रहेगी । इस नीति में विचलन, कार्मिक विभाग की सहमति के उपरान्त, मा० मुख्य मंत्री जी के आदेश प्राप्त कर, किया जा सकेगा ।

भवदीय,

डा० योगेन्द्र नारायण,

मुख्य सचिव ।

संख्या–1/3/96(1)–का–4–1999, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–सचिव, श्री राज्यपाल ।

2–प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी ।

3–निजी सचिव, मा० मंत्रिगण ।

4–स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव ।

5–सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार,

सचिव ।

संख्या–1/3/96(2)–का–4-1999, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

2–समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

3–सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

के० एम० लाल,

विशेष सचिव ।

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–3 का उत्तर पीछे पृष्ठ .23 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र–2000 के 6ठवें मंगलवार के लिए निर्धारित श्री समरपाल सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–3 का संलग्नक

क्रमांक	आवंटी का नाम	व्यवसाय/दुकान	प्रतिमाह किराया की दर (रुपये में)	जमा किराये की अवधि	कुल बकाया किराया की धनराशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6
		विधायक निवास–1 में आवंटित दुकानों का विवरण			
1	सर्वश्री किशन चन्द्र जोशी	चाय नाश्ता	50.00	31-3-2000	50.00
2	श्रीमती सरोज	भोजनालय	50.00	31-5-2000	शून्य
3	श्रीमती इद्दन	भोजनालय	50.00	31-3-2000	50.00
4	लल्लन	भोजनालय	50.00	30-4-2000	शून्य
5	भुवन चन्द्र जोशी	जनरल मर्चेन्ट	50.00	30-4-2000	शून्य
6	अशोक कुमार	चाय नाश्ता	100.00	30-4-2000	शून्य
7	मो० हफीज	बारबर	35.00	31-3-2000	35.00
8	बड़कू राम	बारबर	35.00	31-3-2000	35.00
9	मो० हुसैन अंसारी	भोजनालय	70.00	30-4-2000	शून्य
10	रामदेव त्रिवेदी	भोजनालय	70.00	30-4-2000	शून्य
11	निर्मल सिंह	भोजनालय	70.00	30-4-2000	शून्य
12	राजेन्द्र कुमार शुक्ल	भोजनालय	70.00	31-3-2000	70.00
13	संजय कुमार	मिल्क बूथ	निःशुल्क	—	—
14	शोभ नाथ सिंह	पान की दुकान	30.00	30-4-2000	शून्य
15	श्रीमती अनीता सिंह	पी०सी०ओ०	840.00	31-3-2000	840.00
		विधायक निवास–2 पुराना			
1	श्री सईद अहमद	बारबर	35.00	31-3-2000	35.00
			20.00	जल मूल्य अतिरिक्त	

उत्तराखण्ड विधान सभा प्रदेश सभा

1	2	3	4	5	6
	विधायक निवास–2 नया				
			(दि० 30-4-2000 तक बकाया धनराशि रुपये में)		
1–	सर्वश्री विजय कुमार	पी०सी०ओ०	960.00	—	19,440.00
2–	मो० ताहिर अंसारी	लकड़ी की गुमटी	540.00	—	17,820.00
3–	सुरेन्द्र कुमार वर्मा	पी०सी०ओ०	1500.00	—	21,080.00
4–	श्रीमती मंजू यादव	पी०सी०ओ०	1800.00	—	45,000.00
5–	सुधाकर भारती	चाय की दुकान	1800.00	—	54,000.00
6–	श्रीमती पूनम गोविला	पी०सी०ओ०	3700.00	—	2,58,750.00
7–	श्री राकेश कुमार	पी०सी०ओ०	1512.00	—	शून्य

विधान सभा सचिवालय पटना

नत्थी 'ग'

अनुलग्नक

(देखिये अता० प्र० सं०–47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर ।)

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश कार्यालय में वर्तमान में तदर्थ रूप से कार्यरत अवर वर्ग सहायकों/टंककों का विवरण

क्र०सं०	नाम कर्मचारी	अवधि
		तदर्थ अवर वर्ग सहायक
1	श्री गुरू चरण मिश्र	दिनांक 21-2-86 से 20-1-87
		दिनांक 14-9-87 से लगातार अ०व०स०
2	श्री अशोक कुमार मिश्र	दिनांक 17-2-86 से 17-3-87
		दिनांक 11-9-87 से लगातार अ०व०स०
3	श्री भगवान दीन सरोज	दिनांक 20-2-86 से 20-1-87
		दिनांक 11-9-87 से लगातार अ०व०स०
4	श्री सुरेश चन्द्र रावत	दिनांक 17-2-86 से 23-1-87
		दिनांक 11-9-87 से लगातार अ०व०स०
5	श्री लालबहादुर–II	दिनांक 18-2-86 से 19-1-87
		दिनांक 11-9-87 से लगातार अ०व०स०
6	श्री विजय कुमार पाण्डेय	दिनांक 17-2-86 से 8-2-87
		दिनांक 11-9-87 से लगातार अ०व०स०
7	श्री सुरेश नारायण विश्वकर्मा	दिनांक 21-2-86 से 19-1-87
		दिनांक 9-12-87 से लगातार अ०व०स०
8	श्री राम अक्षेवर मिश्र	दिनांक 17-2-86 से 21-1-87
		दिनांक 11-9-87 से लगातार अ०व०स०
9	श्री अरविन्द नाथ पाण्डेय	दिनांक 17-2-86 से 20-1-87
		दिनांक 11-9-87 से लगातार अ०व०स०
10	श्री अमरनाथ	दिनांक 21-2-86 से 21-1-87
		दिनांक 10-12-87 से लगातार अ०व०स०
11	श्री शिवगोपाल नाग	दिनांक 10-3-88 से 16-6-89–टंकक
		दिनांक 17-6-89 से 21-8-91 अ०व०स०
		दिनांक 22-8-91 से 9-11-93 टंकक
		दिनांक 10-11-93 से लगातार अ०व०स०

अंतर्गत प्रदेश सभा विधान

क्र०सं०	नाम कर्मचारी	अवधि
12	कु० कौशल सिंह	दिनांक 7-3-88 से 14-6-89 टंकक
		दिनांक 15-6-89 से 8-7-91 अ०व०स०
		दिनांक 9-7-91 से 29-11-92 टंकक
		दिनांक 30-11-92 से लगातार अ०व०स०
13	श्री लालजी मिश्र	दिनांक 17-3-88 से 9-6-94 टंकक
		दिनांक 10-6-94 से लगातार अ०व०स०
14	श्रीमती जया मलिक	दिनांक 17-3-88 से 14-6-89 टंकक
		दिनांक 15-6-89 से 2-7-91 अ०व०स०
		दिनांक 3-7-91 से 29-11-92 टंकक
		दिनांक 30-11-92 से लगातार अ०व०स०
15	श्री वेद प्रकाश	दिनांक 5-8-86 से 12-2-88 टंकक
	(मृतक आश्रित)	दिनांक 13-2-88 से लगातार अ०व०स०
16	श्रीमती गायत्री मिश्रा	दिनांक 20-2-92 से 9-6-94 टंकक
	(मृतक आश्रित)	दिनांक 10-6-94 से लगातार अ०व०स०
17	श्रीमती मीरा कुमारी	दिनांक 22-2-92 से 9-6-94 टंकक
	(मृतक आश्रित)	दिनांक 10-6-94 से लगातार अ०व०स०
18	श्री अनिल कुमार	दिनांक 15-2-94 से 9-6-94 टंकक
	(मृतक आश्रित)	दिनांक 10-6-94 से लगातार अ०व०स०
19	श्री मेवा लाल	दिनांक 26-11-85 से 14-9-88 टंकक
		दिनांक 15-9-88 से लगातार अ०व०स०
20	श्री बसन्त बल्लभ पन्त	दिनांक 17-2-86 से 11-2-88 टंकक
		दिनांक 12-2-88 से लगातार अ०व०स०
		तदर्थ टंकक
21	श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय	दिनांक 7-1-89 से 14-6-89 टंकक
		दिनांक 15-6-89 से 25-6-91 अ०व०स०
		दिनांक 26-6-91 से 8-7-91 टंकक
		दिनांक 8-7-91 से सेवा मुक्त
		दिनांक 1-9-91 से 9-3-99 अ०व०स०
		दिनांक 10-3-99 से लगातार टंकक

उत्तर प्रदेश

क्र०सं०	नाम कर्मचारी	अवधि
22	श्रीमती छाया गौतम	दिनांक 4-4-90 से 21-6-91 टंकक
		दिनांक 21-6-91 सेवामुक्त
		दिनांक 28-6-91 से 9-6-94 टंकक
		दिनांक 10-6-94 से 16-3-99 अ०व०स०
		दिनांक 17-3-99 से लगातार टंकक
23	श्री राजकुमार श्रीवास्तव	दिनांक 15-6-89 से 21-6-91 अ०व०स०.
		दिनांक 10-7-91 से 20-3-99 अ०व०स०
		दिनांक 21-3-99 से लगातार टंकक
24	श्री कृष्ण मुरारी	दिनांक 15-6-89 से 21-6-91 अ०व०स०
		दिनांक 10-7-91 से 20-3-99 अ०व०स०
		दिनांक 20-3-99 से लगातार टंकक
25	श्री सुधीर राय,	दिनांक 7-1-89 से 9-6-94 टंकक
	(मा० उच्च न्यायालय के आदेश से)	दिनांक 10-6-94 से 10-3-99 अ०व०स०
		दिनांक 24-3-99 से लगातार टंकक
26	श्रीमती गायत्री देवी शर्मा	दिनांक 15-6-89 से 24-6-91 अ०व०स०
		दिनांक 10-7-91 से 31-3-99 अ०व०स०
		दिनांक 1-4-99 से लगातार टंकक
27	श्री कमलेश नारायण	दिनांक 6-1-89 से 14-6-89 टंकक
		दिनांक 15-6-89 से 26-6-91 अ०व०स०
		दिनांक 27-6-91 से 29-11-92 टंकक
		दिनांक 30-11-92 से 01-4-99 अ०व०स०
		दिनांक 2-4-99 से लगातार टंकक
28	श्री पद्मनाभ कुमार शुक्ल (तदर्थ टंकक)	दिनांक 15-6-89 से 25-6-91 अ०व०स०
		दिनांक 10-7-91 से 1-4-99 अ०व०स०
		दिनांक 2-4-99 से लगातार टंकक
29	श्री हरी लाल यादव	दिनांक 6-1-89 से 9-6-94 टंकक
		दिनांक 10-6-94 से 3-4-99 अ०व०स०
		दिनांक 4-4-99 से लगातार टंकक

उत्तर प्रदेश गजट

क्र०सं०	नाम कर्मचारी	अवधि
30	श्री यमुना प्रसाद	दिनांक 3-7-81 से 31-7-81 अ०व०स०
		दिनांक 10-8-81 से 31-8-81 अ०व०स०
		दिनांक 3-9-81 से 30-4-82 अ०व०स०
		दिनांक 3-5-82 से 12-11-82 अ०व०स०
		दिनांक 6-1-89 से 14-6-89 टंकक
		दिनांक 15-6-89 से 1-7-91 अ०व०स०
		दिनांक 2-7-91 से 29-11-92 टंकक
		दिनांक 30-11-92 से 8-4-99 अ०व०स०
		दिनांक 9-4-99 से लगातार टंकक
31	श्री रामपाल	दिनांक 17-3-88 से 14-6-89 टंकक
		दिनांक 15-6-89 से 2-7-91 अ०व०स०
		दिनांक 3-7-91 से 30-11-92 टंकक
		दिनांक 1-12-92 से 15-4-99 अ०व०स०
		दिनांक 16-4-99 से लगातार टंकक ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं०–63 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर ।)

कानपुर रोड कालोनी

क्र०सं०	आवास संख्या	अध्यासी का नाम	पद	विभाग	01-4-98 से 31-3-99 तक वसूली गयी धनराशि	31-3-99 के बाद वसूली गयी धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	एल०डी०एस–03	श्री अक्षयवर सिंह	कमाण्डो	मा० मुख्य मंत्री जी सुरक्षा	——	1,423.00
2	एल०डी०एस–06	,, दशरथ यादव	शैडो	विधान भवन	——	1,957.00
3	एल०डी०एस–08	,, जगदेव प्रसाद वर्मा	अंगरक्षक	विधान भवन	1,000.00	——
4	एल०डी०एस–15	,, राम सिंह	शैडो	विधान भवन	——	2,056.00
5	एल०डी०एस–16	,, राम किशोर सक्सेना	उप निरीक्षक	अभिसूचना विभाग	——	1,521.00
6	एल०डी०एस–23	,, जगदीश प्रसाद	केयर टेकर	विधान परिषद्	विभागीय कटौती	0,339.00
7	एल०डी०एस–30	,, विरेन्द्र प्रताप सिंह राना	शैडो	मा० मुख्य मंत्री जी सुरक्षा	1,987.00	——
8	एल०डी०एस–32	,, गोविन्द सिंह	हेड कानि०	32, पी०ए०सी० सुरक्षा ग्रुप सेनाना०	0,632.00	——
9	एल०डी०एस–41	,, घनश्याम सिंह	कमाण्डो	मा० मुख्य मंत्री जी सुरक्षा	0,255.00	——
10	एल०डी०एस–42	,, प्रेम नारायण द्विवेदी	कमाण्डो	मा० मुख्य मंत्री जी सुरक्षा	——	1,642.00
11	एल०डी०एस–44	सुश्री रानी देवी	कानिस्टेबुल	अमौसी हवाई अड्डा	0,593.00	——

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
12	एल०डी०एस–52	,, डी०सी० उप्रेती	वरिष्ठ शोध सहायक	पंचायती राज तथा स्थानीय निकाय, उ० प्र०, इन्दिरा भवन	0,850.00	——
13	एल०डी०एस–54	,, कुन्दन सिंह	कमाण्डो	सुरक्षा मा० मुख्य मंत्री जी	——	1,702.00
14	एल०डी०एस–61	,, दयाल प्रसाद	वै० सहा०	कार्यालय लेखा आयुक्त भवन	विभागीय कटौती	4,517.00
15	एल०डी०एस–63	,, दिवाकर सिंह	मुख्य आरक्षी	सुरक्षा मा० मुख्य मंत्री जी	0,972.00	——
16	एल०डी०एस–66	,, प्रकाश चन्द्र दुबे	कमाण्डो	सुरक्षा मा० मुख्य मंत्री जी	——	——
17	एल०डी०एस–67	,, एम०के० शर्मा	अंगरक्षक	राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग	——	2,738.00
18	एल०डी०एस–68	,, कमलेश चन्द्र मिश्रा	कमाण्डो	मा० मुख्य मंत्री जी सुरक्षा	——	——
19	एल०डी०एस–69	,, एस०के० उपाध्याय	एस०आई०एम०	कार्मिक अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग	0,745.00	——
20	एल०डी०एस–85	,, श्याम प्रकाश तिवारी	आडिटर	पशुपालन निदेशालय	3,697.00	——
21	एल०डी०एस–87	,, ओम शंकर मिश्रा	कमाण्डो	मा० मुख्य मंत्री जी सुरक्षा	——	——
					10,739.00	17,895.00

पी०एस०यू०पी०–एल० 309 विधान सभा (716)–2000–813 (डी०टी०पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा